षोडश माला, खंड 17, अंक 8

बुधवार, 4 मई, 2016
14 वैशाख, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 17, आठवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 8, बुधवार, 4 मई, 2016 / 14 वैशाख, 1938 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[*1]तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 146 और 148	15-45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न सं. 147 और 149 से 160	46
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840	

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 48-62

राज्य सभा से संदेश 63-65

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

233वां और 234वां प्रतिवेदन 66

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 67-72

(1) 14 से 16 अप्रैल, 2016 तक मुम्बई में सामुद्रिक भारत समिट – 2016 के सफल आयोजन के बारे में 67-70

श्री नितिन गडकरी

(2) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित "डाक विभाग में कारबार विकास तथा विपणन रणनीति" के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण 71

श्री रवि शंकर प्रसाद

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण। 72

श्री बंडारू दत्तात्रेय

कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 73

सदस्यों द्वारा निवेदन 95-96, 100-103

(1) प्याज की अच्छी फसल होने के बावजूद राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्याज उत्पादक किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में 95-96

(2) केरल में कोचीन के निकट पेरुम्बावूर में एक दलित विधि छात्रा के उत्पीड़न और उसकी हत्या किए जाने के के बारे में 100-103

नियम 377 के अधीन मामले 104-122

(एक) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शौचालय सुविधाएं प्रदान करने तथा क्षेत्र के कैंटोनमेंट एरिया में लोगों को शौचालय का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मी नारायण यादव 105

(दो) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर गढ़चौपाला और गजरौला के बीच फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से कराए जाने की आवश्यकता

श्री कंवर सिंह तवंर 106

(तीन) महाराष्ट्र के बेलापुर से पेंधर के बीच नवी मुंबई रेल परियोजना लाईन संख्या.1 के संबंध में शीघ्र संरेखण संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेट्टी 107

(चार) दिल्ली से जयपुर के बीच प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तेजी से किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा 108

(पांच) ट्रेनों रद्द होने की स्थिति में रेल यात्रियों को पूर्व सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 109

(छह) झारखंड में चापाकल लगाने, पुराने खराब पड़े चापाकलों को ठीक करने तथा अन्य पेयजल योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 110

(सात) मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में पेयजल की भारी कमी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते 111

(आठ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामन नवाशा वांगा 112

(नौ) राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर में रेल सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 113

(दस) उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 114

(ग्यारह) देश में साइबर कानूनों को कड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 115

(बारह) रक्त दान संबंधी मानदंडों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 116

(तेरह) उत्तर बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आजाद 117

(चौदह) कर्नाटक में किसानों द्वारा सामना की जा रही जंगली सूअरों की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. के. सुरेश 118

(पंद्रह) कर्नाटक के चित्रदुर्ग किले का समुचित रूप से संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. एन. चन्द्रप्पा 119

(सोलह) ओडिशा में एक म्युनिसिपल कैडर स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 120

(सत्रह) उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या. 202 (1995 एंड 1996) के संबंध में एक वरिष्ठ सोलिसीटर की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री विनायक भाऊराव राऊत 121

(अठारह) पंजाब में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 122

वित्त विधेयक, 2016 123-270

विचार के लिए प्रस्ताव 123

श्री जयंत सिन्हा 123, 185

श्री एम. वीरप्पा मोइली 124, 125-140

श्री निशिकान्त दुबे 141-154

प्रो. सौगत राय 154-164

श्री भर्तृहरि महताब 165-176

श्री अरविंद सावंत 177-187

श्री जैदेव गल्ला 188-196

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 197-202

श्री जितेन्द्र चौधरी 203-206

श्री पी. वी. मिदून रेड्डी 207-210

डॉ. थोकचोम मेन्या 211-214

डॉ. किरीट सोमैया 215-221

श्री शैलेश कुमार 222-224

श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया 225-228

श्री सिराजुद्दीन अज़मल 229-232

श्री आर. के. सिंह 233-236

डॉ. अरुण कुमार 237-238

श्री असादुद्दीन ओवैसी 239-246

श्री संतोष कुमार 247, 248, 249 - 250

श्री राजेश रंजन	251-252
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	253-255
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	256-257
श्री अभिजीत मुखर्जी	258-260
श्री दुष्यंत चौटाला	261-263
श्री प्रेम दास राय	264-265
कुँवर हरिवंश सिंह	266-267
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	268-270

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ.एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

बुधवार, 4 मई, 2016 / 14 वैशाख, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या.141, श्री संजय धोत्रे।

(प्रश्न संख्या 141)

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, दो साल में रेल मंत्रालय में काम किया है, हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम बात देश के सामने लाई कि देश के विकास के लिए हर चीज़ का कार्यान्वयन होना, उसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। उसी के माध्यम से हमारे रेलवे मंत्री जी ने अलग-अलग रेलवे स्टेशनों को उनकी आर्निंग के हिसाब से कैटेगराइज़ किया। लेकिन हमारे देखने में यह आया है कि जो 8,472 स्टेशंस हैं, उनमें से 2,376 स्टेशन और खास कर डी, ई और एफ कैटेगरी के स्टेशन हैं, जिनमें अभी तक कुछ कमिया हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए कोई तय सीमा निधाररित की गई हो तो उसकी जानकारी दी जाए। इसी के साथ वहां की जो स्थानीय संस्था है, जिस तरह रूरल डेवल्पमेंट की विजिलेंस और मॉनिट्रिंग कमेटी है, सांसद के चेयरमैनशिप के अंडर वहां पर कोई इस तरह की कमेटी बनाने का विचार है?

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। जब से रेलवे बनी है, वह यह काम करती रहती है। जब भी कोई नया रेलवे स्टेशन बनता है तो न्यूनतम सुविधाएं आनिवार्य रूप से प्रदान कराई जाती हैं। स्पट रूप से स्टेशनों का विवरण दिया गया है। उसमें "डी " कैटेगरी के 11 प्रतिशत, "ई " कैटेगरी के 59.1 प्रतिशत और "एफ " कैटेगरी के 14.2 प्रतिशत ऐसे स्टेशन

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

हैं, जहां सुविधाओं में कमी है। लेकिन हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पिछले दो वर्षों में यात्री सुविधाओं की दृष्टि से बजट एलोकेशन हमने काफी बढ़ाया है और दिसंबर तक जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, वे आनिवार्य रूप से इन स्टेशनों को हम प्रदान करा देंगे। वैसे पहले से ही कई योजनाएं, जैसे आदर्श स्टेशन आदि चल रही हैं और माननीय सदस्यों के सुझावों पर वे लिए गए हैं, जिनमें से काफी पर हमने काम पूरा कर लिया है।

एक बात उन्होंने यह भी जाननी चाही है कि स्वयंसेवी संस्थाओं या लोकल बॉडीज़ के माध्यम से काम किया जा सकता है तो उसका सर्कुलर सितंबर महीने में ही रेल मंत्रालय की ओर से जारी कर दिया गया है। माननीय सांसद चाहें तो एमपीलैड से भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से भी या स्वयं सेवी संस्थाएं अपने पैसे से भी वहां काम कर सकती हैं। राधा स्वामी संस्था ब्यास स्टेशन का रख-रखाव करती है, ऐसे ही निरंकारी लोग 50 स्टेशनों का रख-रखाव करते हैं। जहां तक सांसदों को जिम्मेदारी देने का प्रश्न है, तो माननीय रेल मंत्री जी ने संसद में ही बताया था कि माननीय सांसद ही उस डिविजनल कमेटी को हैड करेंगे।

श्री संजय धोत्रे: महोदया, आदर्श स्टेशनों की जो परियोजना है, उसके बारे में तो हम कई सालों से सुनते आए हैं, लेकिन अब उसके ऊपर अमल हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। इन आदर्श स्टेशनों में महाराष्ट्र के कितने स्टेशन सम्मिलित हैं और उसमें मेरा अकोला संसदीय क्षेत्र है, क्या वह स्टेशन उसमें सम्मिलित है?

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, प्रदेशवार स्टेशनों की सूची हम तैयार नहीं करते हैं। रेलवे में जो विभिन्न जोन हैं, उस हिसाब से हम चलते हैं। माननीय सदस्य ने जिस विशेष स्टेशन के विषय में जानना चाहा है तो मैं उसका विवरण उन्हें व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप में बता दूँगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न संबंधित रेलवे स्टेशनों पर प्रदान की जा रही यात्री सुविधाओं के बारे में है और इसके उत्तर में पूरी जानकारी प्रदान नहीं की गई है। [हिन्दी] मैं कह सकता हूँ कि पूरा विवरण इसमें नहीं दिया गया है। [अनुवाद] एक प्रश्न इस उत्तर से निकलता है कि मानदंडों के अनुसार कमी वाले स्टेशनों की संख्या के बारे में उसमें यह कहा जाता है आउट ऑफ 8,472 में से करीब 2372 स्टेशंस में यह शॉर्टफॉल

है। [हिन्दी] जहाँ जिस स्टेशन में ज्यादा फुटफॉल होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए और हो रही है। मेरा प्रश्न यह है कि एक समय में इसी सरकार ने भी कहा था और हाल ही में जैसे सी.एस.टी. स्टेशन का वाई-फाई किया गया है, उसी हिसाब से हाल ही में मंत्री जी भुवनेश्वर गए थे और भुवनेश्वर स्टेशन भी वाई-फाई हो गया है। हमारा भुवनेश्वर स्टेशन वाई-फाई हुआ, पुरी स्टेशन भी वाई-फाई हुआ, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसमें प्रश्न यह आता है कि इसका क्राइटेरिया क्या है? आपको स्टेशनों पर वाई-फाई व्यवस्था करनी है, आपको शॉपिंग काम्प्लेक्स भी बनाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज कीऑक्स भी बनाने हैं, ईटरी एंड बुक स्टॉल भी बनाने है और मेडिसिन शॉप भी स्टेशन के अन्दर बनानी हैं, जैसे अगर किसी जरूरतमंद पैसेंजर को दवाई की जरूरत हो और वैरायटी स्टोर भी बनाने हैं। इसके लिए पीपीपी प्रोजेक्ट में क्या आप किसी को शामिल कर रहे हैं या अपने आप ही रेलवे इस हिसाब से बनाने जा रहा है?

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, ए-वन और "ए" कैटेगरी के जो हमारे स्टेशंस हैं, उनकी संख्या पूरे देश में लगभग 407 है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है कि ए-वन और "ए" कैटेगरी के जो स्टेशंस हैं, उनके विकास को हम पी.पी.पी. मोड में करेंगे। माननीय सदस्य की जानकारी में है कि भुवनेश्वर का स्टेशन भी एन.बी.सी.सी., राज्य सरकार और भारतीय रेल मिलकर के उसको पूरा करने जा रहे हैं। इसी तरह से हबीबगंज, भोपाल के पास जो स्टेशन है, वहाँ काम शुरू होने जा रहा है। सूरत और गाँधी नगर में हमारे पास प्रस्ताव है। गोमती नगर, आनन्द विहार, सराय रोहिल्ला आदि देश के कई स्टेशंस पर लोगों ने रुचि दिखाई है। शीघ्र ही हम बाकी स्टेशनों के विषय में अपनी वेबसाइट पर विवरण डालने वाले हैं, जिनकी रुचि होगी तो सरकार पूरी तरह प्रतिबंध है, कम से कम 407 स्टेशन, जहाँ लगभग 70 परसेंट से ज्यादा यात्री आते हैं, वहाँ हम प्रथम चरण में पूरा करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव: माननीय अध्यक्ष महोदया, असम में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सिलचर से लमडिंग तक ब्रॉड गेज लाइन की शुरुआत हुई। इस सरकार ने हमें तीन रेल सेवाएं दीं, सिल्चर से गुवाहाटी, सिल्चर से सियालदह और सिल्चर से दिल्ली। इस मानसून में, पहाड़ी खंड

में भूस्खलन के कारण पूरी ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई है। मैंने माननीय मंत्री प्रभुजी से बात की। उन्होंने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। विशेष रूप से, सिलचर रेलवे स्टेशन के संबंध में, मैं कहना चाहती हूं कि स्टेशन का नाम बदलकर *बाशाशहीद* स्टेशन करने की मांग काफी समय से की जा रही है क्योंकि 13 लोगों ने बराक घाटी की आधिकारिक भाषा के रूप में बंगाली भाषा की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे एक छोटे से मुद्दे पर गौर करें। [हिन्दी] सर, सिलचर से कोलकाता-सियालदा जो ट्रेन जाती है, आपको पता है कि उस यात्रा में तीन से चार दिन का टाइम लगता है, अगर उसमें आप एक पैंट्री कार की व्यवस्था करें तो मैं समझती हूँ कि वह यात्रियों के लिए अच्छा रहेगा।

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, वैसे मूल प्रश्न से माननीय सदस्या के प्रश्न का कोई सन्दर्भ नहीं है, फिर भी मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि लैंड स्लाइड हुई थी, जिसके कारण कुछ दिन, दो-तीन दिन के लिए ट्रेनों का परिचालन बन्द था, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके उसे प्रारम्भ कर दिया गया है।

जहां तक स्टेशन का नाम बदलने का सवाल है, वह रेल मंत्रालय की परिधि में नहीं आता है। राज्य सरकार अगर प्रस्ताव भेजेगी तो हम उसे जरूर गृह मंत्रालय को भेजेंगे, क्योंकि नाम वहीं से बदलता है और जब मैं वहां गया था तो मैंने माननीय सदस्य को यह बात बता भी दी थी। जहां तक ट्रेन का सवाल है, नोर्थ ईस्ट इस सरकार की प्राथमिकता में है और बराक वैली अब ब्रॉड गेज पर आ गया है, अनेक प्रदेशों की राजधानियां आ गई हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तेज गति की गाड़ियां शीघ्रातिशीघ्र अपनी आवश्यकतानुरूप और अपनी क्षमतानुरूप हम उपलब्ध कराएंगे।

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेल मंडल के अन्तर्गत बिहपुर, नैनपुर, नौगछिया तथा रेलवे स्टेशन, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में है, वहां पर बहुत सारे स्टेशन तो आदर्श स्टेशन का भी उनको दर्जा प्राप्त है, लेकिन वहां सुविधा के नाम पर जीरो है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो निम्नलिखित जो स्टेशंस हैं, उन पर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेंगे, उसको करने की जरूरत समझेंगे?

श्री मनोज सिन्हा: माननीय सदस्य ने जिन रेलवे स्टेशनों का नाम बताया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको भी जानता हूं और स्टेशंस को भी जानता हूं। यह मेरा सौभाग्य है। जितने आदर्श स्टेशंस हैं, उनमें से 266 कुछ बचे हैं, जिन्हें 2017-18 तक हम पूरा कर लेंगे। जहां तक न्यूनतम सुविधाओं का सवाल है, मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि आने वाले दिसम्बर माह तक ये सुविधाएं देश के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

श्री श्यामा चरण गुप्त : माननीय अध्यक्षा जी, मैं रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मेरे इलाहाबाद के कंजेशन को खत्म करने के लिए आपने छिउंकी रेलवे स्टेशन की शुरूआत की है। यद्यपि वहां सभी तरह की सुविधाएं आपने दी हैं, लेकिन उस स्टेशन के बनने के बाद, बाहर निकलने के बाद सम्पर्क मार्गों से नहीं जोड़ा गया है। क्या डिफेंस विभाग से बात करके, क्योंकि वहां पर डिफेंस विभाग की जमीन पड़ती है तो सम्पर्क मार्ग बनाने की आपकी योजना कब तक शुरू हो जायेगी?

श्री मनोज सिन्हा: माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं। अगर रेलवे सड़क बनाने लगेगी तो रेल कैसे चलेगी, यह बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन मुख्य मार्ग से स्टेशन तक सड़क बन जाये, यह हम सुनिश्चित कराएंगे।

(प्रश्न संख्या 142)

[अनुवाद]

श्री शंकर प्रसाद दत्ता : महोदया, हमने अखबार में यह देखा है कि हमारे माननीय दूरसंचार मंत्री के फेसबुक पर 4.65 लाख फालोअर हैं और उन्हें पूरे देश में दूरसंचार स्थिति के बारे में संदेश मिल रहे हैं,लेकिन हम लोगों को न तो एम.टी.एन.एल. और न ही बी.एस.एन.एल. द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में बेहतर सेवा नहीं मिल रही है। कल, मैंने अपने होम-टाउन और दिल्ली के लोगों से फोन पर बात करने की कोशिश की। मैं उनसे फोन पर बात नहीं कर सका, लेकिन रात में ही मैं उनसे फोन पर बात कर सका।

मंत्रालय द्वारा एक लंबा जवाब दिया गया है, और यह बताया गया है कि देश में दूरसंचार के लिए उपकरणों का विनिर्माण करने वाला उद्योग अच्छी स्थिति में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितनी दिनों के भीतर दूरसंचार प्रणाली की सुविधा पूरे देश में सभी व्यक्तियों को बी.एस.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, जहां तक इस विशेष प्रश्न का संबंध है, मैं निश्चित रूप से उसका भी उत्तर दूंगा।

माननीय सदस्य ने देश की पूरी टेलीफोन व्यवस्था के बारे में एक प्रश्न पूछा है, बहुत संक्षेप में, मैं उसके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। आजकल, मैं संचार भवन में बैठता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सही तरीके से सभी बातों की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण था। हमने स्पेक्ट्रम साझा करने, स्पेक्ट्रम व्यापार और बहुत-सी नीतिगत पहलों के संबंध में नीति बनाई है। अब तक की सबसे बड़ी नीलामी में से एक पिछली नीलामी में इस सरकार को रु. 1,09,875 करोड़ प्राप्त हुए थे।

मुझे इस सभा में नीतिगत पहलों के परिणामों को साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो पहले हमने की हैं। ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था में 6.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; 2015-16 (फ़रवरी 2016 तक) में शहरी क्षेत्र में 5.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।; और हमारी सरकार के पिछले दो वर्षों में ही दूरसंचार क्षेत्र में, हमें रु. 26,000 करोड़ की एफ.डी.आई. प्राप्त हुई है, जो भारत के इतिहास में अब तक किया गया सबसे बड़ा निवेश है। यह पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में दोगुना है, उस निवेश से जो हमारे सत्ता में आने से पहले प्राप्त हुआ था। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम यह सब कर पाने में सक्षम रहे हैं।

जहां तक बी.एस.एन.एल. का संबंध है, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। मैंने पहले भी एक अवसर पर कहा था कि (वर्ष 2004-05 में) बी.एस.एन.एल. रु. 10,183 करोड़ के लाभ में था , लेकिन जब हम सत्ता में वापस आए, तो यह रु. 8,234 करोड़ के नुकसान में था। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक वर्ष और आठ महीने में ही हमने बी.एस.एन.एल. को पहली बार परिचालन लाभ की स्थिति में लाएं हैं जो कि रु. 672 करोड़ हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष, जून-जुलाई तक, बी.एस.एन.एल. केवल 6-7 लाख अथवा 8 लाख अधिकतम प्रति माह ग्राहक आधार जोड़ रहा था। अब, जनवरी से, हम प्रति माह 10-12 लाख ग्राहक जोड़ रहे हैं। ऐसा केवल बेहतर सुधारों के कारण है।

मैं यह नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चूंकि आप पूर्वोत्तर से आते हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे वहां कनेक्टिविटी मजबूत करने के निर्देश दिए थे। हमने बांग्लादेश के माध्यम से प्रमुख रूप से इंटरनेट की व्यवस्था की है। इस समय यह व्यवस्था त्रिपुरा के लिए, पूर्वोत्तर और अन्य स्थानों के लिए की गई है।

विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, मैं माननीय सदस्य को अत्यंत सम्मानपूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने केवल उत्तर-पूर्व के लिए रु. 5336.18 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है जिसके अधीन हम 6,673 मोबाइल टावर स्थापित करने जा रहे हैं और मार्च 2018 तक हम त्रिपुरा सहित मोबाइल कनेक्शन से वंचित क्षेत्रों के लिए इस पूरी परियोजना को लागू करने जा रहे हैं।

आपका विशिष्ट प्रश्न आपके मानक मोबाइल फोन अथवा इसकी कनेक्टिविटी के बारे में है। यदि आप इसे मेरे संज्ञान में लाते, तो मैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान देता।

आखिरी बात जिसका मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि हम इसके बुनियादी ढांचे में भी सुधार कर रहे हैं, जो कि पूरे देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को उपलब्ध कराया जाना है। तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एन.ओ.एफ.एन. शुरू किया गया था। अब हम भारतनेट ला रहे हैं। हमने इसकी संरचना में सुधार किया है और विशेष रूप से एक उदाहरण के लिए, जून 2014 तक,

2,292 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर पाइप को स्थापित किया गया था और तीन वर्ष में 358 किमी. ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाया गया था। दो वर्ष से भी कम समय में, अर्थात, 25.04.2016 तक, हमने 1,38,465 किमी. ऑप्टिकल पाइप और 1,10,431 किमी ऑप्टिकल फाइबर की स्थापना की है। इस तेजी से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं और हमें और अधिक कार्य करना होगा। हम सभी को सामूहिक रूप से देश में समुचित रूप से कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना होगा।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता: माननीय महोदया जी, फल मीठे हों या खट्टे, फलों में उनका स्वाद बना रहता है। इसलिए, माननीय दूरसंचार मंत्री पहल कर रहे हैं और मुझे इसके बारे में जानकारी है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि अब दूरसंचार विभाग लाभ अर्जन कर रहा है।

पिछले महीने, हमारे राज्य त्रिपुरा में, हमें बांग्लादेश के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गेटवे मिला, लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा है और कुछ दिन पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, श्री माणिक सरकार, ने भी मुख्य सचिव से कहा था कि आपको बी.एस.एन.एल. के मामले को देखना होगा क्योंकि राज्य के लोग कह रहे हैं कि बी.एस.एन.एल. अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे समझता हूं कि खराब रखरखाव, उपकरणों की कमी और राज्य में कर्मचारियों की कमी के कारण बी.एस.एन.एल. से अच्छी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अतः, महोदया, आपके माध्यम से, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखें कि त्रिपुरा और पूर्वोत्तर में सेवाएं अच्छी स्थिति में क्यों नहीं हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसकी स्थिति में सुधार कब होगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, यदि माननीय सदस्य मुझे पहले बताया होता, तो मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान देता, लेकिन चूंकि आप संसद में कोई टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पर ध्यान दूंगा। मैं आज ही अधिकारियों को अनुदेश दूंगा। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग दो वर्षों में बी.एस.एन.एल. ने देश में लगभग 24,124 बी.टी.एस. टावर साइटें स्थापित की हैं और आगामी वर्ष के दौरान उन्होंने 21,000 और टावर साइटें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। निश्चित रूप से, हम त्रिपुरा के लिए और अधिक कार्या करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर हमारे देश की प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने अभी उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया था जिन्हें हम कार्यान्वित कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा के मामले में हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। हम वाई-फाई कनेक्टिविटी पर भी विचार कर रहे हैं। बी.एस.एन.एल. ने पर्यटन स्थलों सहित देश के लगभग 1,227 स्थानों में लगभग 2,504 वाई-फाई स्थापित किए हैं। उनका प्रस्ताव आगामी दो वर्षों के दौरान लगभग 40,000 से अधिक साइटों को संस्थापित करने का हैं।

मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि इनकी स्थापना त्रिपुरा में भी की जाए।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज की मनकापुर इकाई की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में रु. 200 करोड़ की लागत से की गई थी। इस इकाई में पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत और आधुनिक कर्मशाला है और इसका उपयोग डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, जैसे कि ई-10 बी और इसके उन्नत संस्करण सी.एस.एन. के निर्माण के लिए किया जाता था।

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह इकाई 1400 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कई हज़ार अन्य स्थानीय लोग इस पर निर्भर करते हैं। हालांकि, महोदया, पिछले कुछ वर्षों में, यह इकाई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है, जो 2जी घोटाले के समय शुरू हुई थी जब इस इकाई को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में पक्षापत करते हुए सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

दूसरी समस्या, जिसका सामना यह इकाई कर रही है वह अब यह है कि इसका प्रबन्धन करने वाले कर्मचारियों की आयु सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच गई है और इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के चलते आदेश नहीं मिल रहे हैं।

महोदया, हालांकि इस इकाई के योजना व्यय के लिए रु. 242 करोड़ दिए गए हैं, आदेशों के अभाव में, इस धनराशि का भी आज की तारीख में उपयोग नहीं हो पाया है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस इकाई के पुनरुद्धार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पुनरुद्धार के संबंध में मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव यह है कि आई.टी.आई. को डिजिटल

इंडिया के फाइबर ऑप्टिकल परियोजना से वर्क ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अभी किया है। इसे चिकित्सा प्रणालियों, बिजली मीटर, एल.ई.डी. बल्ब, सौर छत पैनल और सौर सेल, जैसे उत्पादों के डिजाइन और विकास और आधार परियोजना के लिए स्मार्ट कार्ड निर्माण कार्य के लिए भी लगाया जा सकता है जिससे इसके कार्य क्षेत्र में विविधता भी आएगी।। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, इसमें एक कंप्यूटरीकृत विनिर्माण प्रयोगशाला है। इसका उपयोग सरकारी क्षेत्र की इकाईयों जैसे एच.ए.एल., बी.एच.ई.एल. अथवा यहां तक कि रेलवे द्वारा उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे और इस इकाई के पुनरुद्धार के लिए कुछ ठोस योजनाएं बनाने की दिशा में काम करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो आई.टी.[हिन्दी] आई., मनकापुर की बात की है, तो ये सारी फैक्ट्रियां विरासत की फैक्ट्रियां हैं। हुआ यह है कि टेक्नॉलोजी बहुत तेजी से बदली है और टेक्नॉलोजी के अनुरूप जितनी इन फैक्ट्रियों में पूंजी निवेश और टेक्नॉलोजी के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, वह पूरी नहीं हो पाई। मनकापुर के बारे में सम्मानित सदस्य ने जो चिंता ज़ाहिर की है, वह उसी का प्रतिफल है। मुझे हर बार उनके तनख्वाह के लिए कोशिश करनी पड़ती है और भारत सरकार इसमें काफी सहयोग करती है। यह गंभीर समस्या, जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया है, मेरा विभाग उसको देख रहा है कि नए परिवेश में उनका हम क्या उपयोग कर सकते हैं? इसके लिए मैंने स्वयं उन्हें निर्देश दिया है। सिर्फ मनकापुर ही नहीं, बल्कि बाकी जो आई.टी.आईज़. हैं जैसे नैनी में, रायबरेली में, केरल में, बैंगलुरु में हैं, तो इनके बारे में एक समग्र विचार हो रहा है। जो भी रास्ता निकलेगा, लेकिन इतना अवश्य है कि समय के बदलते तकनीकी विकास के अनुरूप बदलाव नहीं करने के कारण कई बार सार्वजनिक उपक्रमों की क्या स्थिति होती है, आई.टी.आईज. इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। लेकिन, हम सब मिल कर इसका कोई रास्ता निकालेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वीणा देवी - उपस्थित नहीं।

श्री रत्न लाल कटारिया।

(प्रश्न संख्या 143)

श्री रत्न लाल कटारिया : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैडम, आज इनकी शादी की सालगिरह है।

माननीय अध्यक्ष : हां, मुझे मालूम है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। मैंने उन्हें बधाई दे दी।

श्री रत्न लाल कटारिया : मैडम, धन्यवाद।

मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के कारण जापान, ब्राजील, जर्मनी और 69 देशों ने भी भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सीट के लिए समर्थन किया है।

जो पांच परमानेंट मेंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, चाइना के स्टैंड का तो हमें पता लगता ही रहता है कि जब भी भारत के हक में कोई बात आती है तो वह वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। [अनुवाद] जो चार अन्य राष्ट्र हैं, जिनको वीटो पॉवर है, वे भी डिप्लोमैटिक रूप से तो भारत का समर्थन करते रहते हैं, लेकिन जब कोई निर्णय लेने की बात आती है तो वे भी दायें-बायें बगले झांकने लगते हैं और भारत के हितों का समर्थन नहीं करते, क्या यह सच्चाई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विशेष मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)): माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को आज के दिन की बधाई देता हूं। उन्होंने जो सवाल पूछा है, उसका कुछ बैकग्राउंड जानना जरूरी है। भारत वर्ष 1992 से प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार यूनाइटेड नेशंस के अंदर वह बदलाव लाया जाए, जिससे वह आज की रियलिटी के समरूप हो। इसके अंदर वर्षा 1993 से 2008 तक एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप के नीचे डिस्कशन चला, जो कि सफल नहीं हुआ। वर्ष 2008 से एक इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन प्रोसेस के नीचे इसके ऊपर डिस्कशन चलता रहा। जो इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस है, वह यू.एन. के अंदर डिस्कशन के लिए एक ज्यादा बेहतर फोरम माना जाता है। पिछले साल सितम्बर के महीने में यू.एन. जनरल असेम्बली के 69वें सैशन में इस चीज

पर एकमत से फैसला लिया गया कि इस इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस को आगे चलना चाहिए और जो इन्होंने एक टैक्स कंपाइल किए हैं, उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

जहां तक पांच परमानेंट देशों का सवाल है, उसमें से चार देशों के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा। हमसे जब भी वार्ता हुई है, उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया है कि यू.एन. का विस्तार होना चाहिए, यू.एन. के अंदर भारत की भागीदारी होनी चाहिए और वे इसमें हमारा समर्थन देते हैं। जहां तक चीन का सवाल है, उसने कहा है कि वह भारत की चीज समझता है और वह जानता है कि भारत को यू.एन. के अंदर अच्छा काम करने का मौका मिलना चाहिए। यह आज की स्थिति है।

श्री गौरव गोगोई : मैडम स्पीकर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सवाल पूछने की अनुमति दी। आज मैं एक बहुत गंभीर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : बाकी सबमें नहीं पूछते हैं।

श्री गौरव गोगोई : मैडम, आज ज्यादा ही है। भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वे टेररिज्म के ऊपर बात उठाते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक डिप्लोमैटिक हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार चाहती थी कि जैश-ए-मोहम्मद का जो चीफ मसूद अजहर है, उसे टेररिस्ट का दर्जा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि मसूद अजहर के जो एसेट्स हैं, अगर वह कहीं जाना चाहता है तो उस पर बैन लग जाएगा, एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सांसद जी ने कहा कि चाइना ने इस बिड का अपोज किया और भारत सरकार ने यह मुद्दा उठाया भी है। मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिए चौकन्ना होने वाली बात है, क्योंकि जब चाइना के प्रीमियर हेड ऑफ स्टेट सी जिंनपिंग गुजरात आए थे। उन्होंने गुजरात में झूला झूला। वे झूले पर बैठे तो लगा कि हमारे जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस चाइना के साथ हैं, वे बहुत अच्छे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस में हमने जब योगा दिवस कर दिया तो हमें लगा कि भारत का जो वजूद यूनाइटेड नेशंस में है, उसका बहुत विस्तार हुआ। लेकिन जब बात काम की आई कि जैश-ए-मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, उसको टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए, तब हमने देखा कि हमारे जो डिप्लोमैटिक अस्त्र हैं, वे थोड़े कम हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या करेगी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इस वोट को कि

आने वाले दिन में मसूद अजहर को एक टेररिस्ट का दर्जा देकर, उसके जो असेट्स हैं, घूमने की जो उसकी अभी फ्रीडम है, उस पर हम रोक लगा सकें?

जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जानना चाहते है कि चीन का क्या रुख है? हमें चीन का रुख पता है कि इस मामले में उन्होने जो वोट दी है, उन्होंने टेकनिकल होल्ड के ऊपर इस मसौदे को रखा है। हमारे जितने समर्थक देश हैं और हम जिन लोगों के साथ वार्ता करते हैं, उन्हें कहा है कि टेररिज्म के ऊपर दो तरफा रुख नहीं हो सकता है। हम ने इस चीज की जानकारी दी है कि जब वर्ष 2003 में इसके ऊपर 1267 कमेटी ने अपना निर्णय दिया था तो उन्होंने कहा था कि जैश-ए-मोहम्मद को इसके अंदर डाला जाएगा लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के लीडर को इसमें नहीं डाला गया। इस अनामली को सभी को बताया गया है। हम ने चीन को भी कहा है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रख सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि टेररिज्म दुनिया के लिए खराब है, लेकिन जब टेररिज्म से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज आती है तो आप उसको छोड़ दें। इस चीज के ऊपर हम पूरे जोर के साथ, अपने राजनीतिज्ञों और अपने डिप्लोमैट्स के द्वारा सभी देशों पर जोर डाल रहे हैं ताकि इस टेकनिकल होल्ड को हटाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए, बड़ी संख्या में सदस्य देशों के समर्थन, सर्वसम्मति से समर्थन, की आवश्यकता होती है क्योंकि दो तिहाई सदस्यों को सुधार के समर्थन में मतदान करने की आवश्यकता होती है और सुरक्षा परिषद के दो तिहाई सदस्यों को भी सुधार के लिए मतदान करना होता है। यह सुनिश्चित करना कि कोई सुधार न हो जी-5, यू.एन.एस.सी. के पांच स्थायी सदस्य देशों के हित में है, इसीलिए सुधार करने में इतने वर्षों से, दो दशकों से देरी हो रही है।

महोदया, सुधार करने का एकमात्र तरीका यह है कि अगर यू.एन.एस.सी. के इन पांच सदस्य देशों को वर्तमान समय में यह संदेश प्रेषित किया जाता है कि वे अब बाकी दुनिया पर नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करने वाले अन्य देशों के साथ यह संदेश देने में

सफल रहा है? इसके साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री विदेशों की बहुत यात्राएं करते रहे हैं, क्या विदेशों की अपनी यात्राओं के दौरान यू.एन.एस.सी. में सुधार किया जाना उनके एजेंडे में रहा है अथवा नहीं?

जनरल. विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त.): महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न की सराहना करता हूँ।

यह प्रक्रिया लंबी है। इस प्रक्रिया में यह बातें शामिल है कि वर्तमान समय में कार्य कर रही आई.जी.एन. एक निष्कर्ष पर पहुंचे, फिर इस निष्कर्ष के पाठ को जनरल एसेंबली के दो तिहाई सदस्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मतदान किया जाता है और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि की जाए जिसमें पांच स्थायी सदस्य शामिल हैं। इसके पश्चात्, उन देशों के संविधान में वर्षित पुष्टिकरण की प्रक्रिया के अनुसार ऐसा किया जाना होगा। तभी यू.एन. के चार्टर में परिवर्तन अथवा संशोधन हो सकता है। और एक बार जब यह परिवर्तन हो जाए, तो हमें लगता है कि एक विस्तारित, पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का सदस्य बनने के लिए हमारे पास पर्याप्त समर्थन उपलब्ध होगा।

यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम विभिन्न सदस्य देशों से पर्याप्त समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसका उत्तर है हां, महोदया। हम पर्याप्त समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे सभी नेता जो विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं, वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे जिस देश में जा रहे हैं यह मुद्दा हमेशा उस देश का समर्थन प्राप्त करने के लिए उठाया जाए। यही बात उन सभी स्तरों पर लागू होती है जिन स्तरों पर हमारे अधिकारी विभिन्न देशों में अपने समकक्षों से मिलते हैं।

(प्रश्न संख्या144)

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज इन्होंने प्रश्न का जो उत्तर सभा के पटल पर रखा है, उससे मैं संतुट हूं। देश में लगभग 102 करोड़ मोबाइल फोन काम कर रहे हैं, उनके ट्रांसमिशन के लिए लगभग 11,23,368 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) फरवरी, 2016 तक लगाये गये थे। देश में ही नहीं आपितु पूरे विश्व में मोबाइल टावरों से पैदा विकिरणों से मानव जीवन, पशु जीवन एवं प्राकृतिक जीवन को खतरा होने का डर लोगों के दिमाग में है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय न्यायालयों एवं भारत सरकार के अनुसंधान की दृिष्ट से खतरे के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। वैसे हम आपके उत्तर में देख रहे हैं कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और समस्या के आधार पर निष्कर्ष निकला है। कमजोर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एक्सपोज़र के कारण स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटे जीव-जन्तु टावर के आसपास नहीं मंडराते। इससे जरूर कोई विकिरण निकलता है जिससे हानि पहुंचती है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि मोबाइल विकिरण के प्रभाव से उत्पन्न खतरे के डर से लोगों के दिमाग से इस बात को कैसे निकाल सकते हैं? हालांकि आपके जवाब ने बहुत संतुष्ट किया है। मैं देख रही हूं कि कुछ लोगों को दंड भी दिया गया है। इसे कैसे निकाल पाएंगे, वह बताइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्षा जी, श्रद्धामना सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत ही सामयिक है। हमें यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हिन्दुस्तान में सौ करोड़ से आधिक मोबाइल फोन हैं, 40 करोड़ लोग इंटरनैट पर हैं जिसमें 60 प्रतिशत मोबाइल बेस्ड हैं और सौ करोड़ लोग आधार पर हैं। [हिन्दी] हमारे प्रधान मंत्री जी का निर्देश है कि डिजिटल इंडिया में गवर्नेंस के लिए हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। अभी हमने पीएम के निर्देश पर एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम किया है कि जनवरी, 2017 से हर मोबाइल फोन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पैनिक बटन होगा। अगर वे डिसट्रैस में हैं तो बटन दबाते के साथ ही वह ऐक्टीवेट होगा और पुलिस और परिवार को सूचना हो जाएगी।

हमने एक और निर्णय किया है कि जनवरी, 2018 से हर मोबाइल में जीपीएस रहेगा ताकि अगर कोई महिला कहीं परेशानी में है तो उसका लोकेशन आ जाएगा। मोबाइल के माध्यम से सुरक्षा और विकास दोनों काम हम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने पैनिक बटन कहा तो सब ओर हलचल शुरू हो गई है।

... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री मेरे स्नेही रूडी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन्हें पैनिक बटन से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

देश में एक अजीब प्रकार का कुप्रचार चलता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर झगड़ा हो जाए तो पत्नी भी पैनिक बटन दबा सकती है।

... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अगर माननीय खड़गे साहब को आपत्ति है तो मैं उन्हें भी कहूंगा, वे भी हमारे अच्छे वरिष्ठ हैं।...(व्यवधान)

मैं बता रहा था कि देश में एक कुप्रचार चलता है कि इससे कैंसर होगा, कुछ और होगा। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं सदन के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसे श्रद्धामना रमा जी ने बताया, डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा 25 हजार लेखों का 30 साल के दौरान उल्लेख है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में साफ कहा है - [अनुवाद] इन सब के कारण मानव जीवन के लिए किसी भी खतरे का कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। [हिन्दी] चिन्ता दूसरी होती है। भारत में हमारा मानक दुनिया के मानक से 10 गुना आधिक स्ट्रिक्ट है। लेकिन मोबाइल फोन सिर्फ भारत में नहीं है। आज हम चाइना के बाद दूसरे नम्बर पर हैं। यूरोप में यह विषय नहीं बनता, अमरीका में विषय नहीं बनता, इंग्लैंड में विषय नहीं बनता, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने इसे विषय बना रखा है। 6-6 हाई कोर्ट के फैसले हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। फिर भी मैंने इन चिन्ताओं के कारण, यहां हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, हम दोनों के विभाग संबद्ध रूप से एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम ज्वाइंटली फाइनैंस कर रहे हैं कि इसका कोई और अफैक्ट होता है या नहीं। वर्ल्डओवर इसका कोई इम्पैक्ट

नहीं है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कॉल ड्रॉप की शिकायत करते हैं, अगर टावर नहीं लगेगा तो कॉल ड्रॉप होगा। इसलिए कृपा करके अपने क्षेत्रों में, जो एक प्रकार का कनफ्यूजन है, लोगों को बताइए कि यह बिल्कुल मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : अध्यक्ष महोदया जी,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको सप्लीमैंट्री पूछने दूंगी।

... (व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हूं। [अनुवाद] मैं इनकी मेहनत से भी संतुष्ट हूं। पिछले लोगों का जो कार्यकलाप था, उससे आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, घाटे को नफे में परिवर्तित कर दिया है। मैं इससे भी संतुष्ट हूं। लेकिन मोबाइल टावर यानी बी.टी.एस. के कार्यक्रम के संबंध में संचार मंत्रालय ने दिशा-निर्देश बनाए हुए हैं। इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, इसके लिए बी.टी.एस. मालिकों को सेल्फ सर्टिफिकेट देना होता है कि इन स्टेशनों पर विकिरण नियमों के अनुरूप एवं मोबाइल हैंडसेट निकलने के संबंध मोबाइल निर्माण करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है। इससे पता चलता है कि विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लोगों का कहना है कि बी.टी.एस. स्टेशनों के आसपास छोटी चिड़िया और छोटे जानवर नहीं भटकते हैं वे अलग रहते हैं। क्या सरकार मोबाइल विकिरणों के प्रभाव से छोटी पक्षी, जानवर और वृद्ध जनों के खतरा को समझते हुए उसके विष्ाय में कुछ सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। आजकल छोटी-छोटी चिड़िया लुप्त हो रही है उसका प्रजनन देखने को नहीं मिलता है, इस बारे में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, भारत के जो मानक है वे दुनिया के मानकों से 10 गुना आधिक स्ट्रीक्ट है। आपने फाइन के बारे में बात की,टर्म सेल की ओर से इसकी हमेशा जांच होते रहती है और हम लोगों ने 10 करोड़ 80 लाख का फाइन इम्पोज किया है जिसमें 7 करोड़ 35 लाख रुपये रिकवर भी किए हैं। [हिन्दी] एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि चिड़िया को इससे परेशानी होती है। अगर ऐसी बातें सदन में कही जाएंगी तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको बल मिलेगा। [हिन्दी] मैंने इस विषय

का बहुत व्यापक अध्ययन किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 लोगों की एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें आई.टी.आई. के प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम्प्रिहेन्सिव रूप से कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। अभी आई.आई.टी. दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था जिसमें मैं स्वयं गया था, उसमें अमेरिका के प्रोफेसर आए थे [अनुवाद] इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। [हिन्दी] हम एक्स-रे कराते हैं, माइक्रोवेव में खाना बनता है, जब हम सदन में आते हैं इलेक्ट्रॉनिकी चेक होता है, एयरपोर्ट पर चेक होता है, हर जगह विकिरण है। मोबाइल को लेकर भारत में कैम्पेन होती है इसकी मुझे चिंता होती है इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी हम लोगों की चिंता हो रही है। आपने प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि कमजोर रेडियो फ्रिक्वेंसी से मानव स्वास्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन उसमें अन्य प्राणियों का कोई जिक्र नहीं किया है। आपने कहा कि जितनी फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने लागू की है उससे ज्यादा विकिरण अगर कंपनी कर रही हैं तो आपने 6.60 करोड़ रुपये का दंड लगाया है लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है कि जितनी फ्रिक्वेंसी आपने लागू की है उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी यूज की और उनको दंड मिला। क्या उससे मानव स्वास्थ्य और प्राणियों के स्वास्थ पर प्रभाव पड़ता है। आपने कहीं भी अन्य प्राणियों का जिक्र नहीं किया है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदया ने जो कहा है मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उत्तर के पेज 3 पर विस्तार रूप से डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट का जिक्र है। [अनुवाद] तथ्य पत्र 193, 2011 में प्रकाशित के कल्क्लूडिंग पार्ट को पढ़ता हूं पिछले दो दशकों के दौरान यह आकलन करने के लिए बड़ी संख्या में अध्ययन किए गए हैं कि क्या मोबाइल फोन संभावित स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। आज तक मोबाइल फोन के उपयोग के कारण कोई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव होने की बात सिद्ध नहीं हुई है। [हिन्दी] " वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेश इंटरनेशनल बॉडी है उसने 30 वर्षों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त किया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा बीच में नहीं करते, आप जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम सभी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। आज की दुनिया में क्या हम मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के बिना रह सकते हैं?

कई सांसदों के पास एक नहीं दो-दो मोबाइल रहते है। इस विषय को हमें व्यावहारिक रूप से भी समझना होगा। आपने दूसरे जन्तुओं के बारे में बात की, चूंकि इस प्रश्न में इसका जिक्र नहीं था अभी रमा जी के प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि ऐसा कोई आधार नहीं है। यह विषय सिर्फ हिन्दुस्तान में क्यों उठाया जा रहा है? क्या अमेरिका में मोबाइल नहीं है? हर जगह टॉवर्स हैं, क्या साउथ कोरिया में नहीं है, इंगलैंड में नहीं है, यूरोप में नहीं है, जर्मनी में नहीं है लेकिन जब भारत 100 करोड़ पहुंच रहा है तो यह विषय उठाया जा रहा है यह ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदया, मोबाईल फोन का मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 145। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह सही व्यवहार नहीं है।

.....(व्यवधान)...[3]

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, रंजीता रंजन जी, गाड़ी आगे जा चुकी है।

(प्रश्न संख्या 145)

[अनुवाद]

डॉ. कुलमणि सामल : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है ।

प्रधान मंत्री आवास योजना के चरण-1 में, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरों, अर्थात्, जगतसिंहपुर, पारादीप, काकटपुर और कोणार्क को शामिल किया गया है। मैं जानना चाहता

[3] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं कि क्या योजना के अधीन इन शहरों को प्राथमिकता देने के लिए कोई मानदंड बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल एक वित्तीय वर्ष के भीतर आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करना है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, ऐसा प्रस्ताव राज्य की ओर से आता है और केंद्र इसे मंजूरी प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य और इसमें होने वाली प्रगति पर ध्यान दिया जाता है। यदि उनकी विशेष शंका है और यदि वे मुझे पत्र लिखते हैं अथवा मुझसे आकर मिलते हैं, तो मैं भी उनकी समस्याओं पर ध्यान दे सकता हूं। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी।

डॉ. कुलमणि सामल: महोदया, मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुबंध - II के अनुसार, ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए निर्धारित किए गए 6,10,519 आवासों में से केवल 710 आवासीय इकाइयां का ही निर्माण कार्य पूरा किया गया है। यह बहुत ही खराब कार्यान्वयन है और यह दर्शाता है की मंत्रालय द्वारा कोई निगरानी नहीं की जा रही है । इस वित्तीय वर्ष के दौरान इन 6,10,519 इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को सौंपने के लिए मंत्रालय क्या सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे?

महोदया, कोणार्क को सूर्य मंदिर के कारण जाना जाता है। इस मंदिर में प्रतिदिन देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं। अब प्रवेश शुल्क रु. 30 हो गया है जो कि बहुत अधिक है। स्थानीय लोग आंदोलित हैं। इसलिए, मैं संबंधित मंत्री जी से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रवेश शुल्क को कम किया जाना चाहिए ताकि देश के विभिन्न हिस्सों के लोग इस मंदिर के दर्शन कर सकें।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदया, भारत सरकार द्वारा कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगाया गया है। इसलिए, मैं इस प्रश्न का का उत्तर नहीं दे सकता हूं। उन्हें इस मामले को शहरी स्थानीय निकाय अथवा राज्य सरकार के समक्ष उठाना होगा।

श्री भर्तृहरि महताब: इस शुल्क को ए.एस.आई. द्वारा लगाया गया है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: यदि यह ए.एस.आई. से जुड़ा हुआ है, तो यह मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं है। मैं यह जानकारी संस्कृति मंत्री तक पहुँचा दूंगा।

ओडिशा में आवासों की संख्या के संबंध में, मैंने कल ही कहा था कि 11,548 आवासों का प्रस्ताव किया गया है और उन्हें स्वीकृत भी किया गया है। इसमें होने वाली प्रगति की निगरानी राज्य स्तर पर की जानी चाहिए। हम राज्य सरकारों के ध्यान में भी यह बात समय-समय पर लाते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद: माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार को सारे कार्य करने होते हैं, हम अपनी ओर से पैसे देते हैं। राज्य सरकार की तरफ से सारे प्रपोजल्स आए हैं और यह लार्जर इश्यू है। यह केवल एफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग को लेकर नहीं है, बल्कि ऐसी समस्याएं हमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाओं में भी आती हैं और इंदिरा आवास योजनाओं में भी आती हैं। चूंकि फैडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं यह मजबूरी भी समझता हूं, लेकिन क्या हम मॉनीटरिंग मैकेनिज्म एक जगह पर नहीं कर सकते, विशेषकर जहां प्रधान मंत्री के नाम से आवास योजना बनी हो और उसमें केवल 5 प्रतिशत सफलता मिली हो, क्योंकि लोगों के बीच में जाकर उसका जवाब भी देना होता है?

महोदया, यदि आंकड़े देखें, तो उनसे स्वाभाविक रूप से सामने आएगा कि केवल 5 प्रतिशत ऐसा हुआ है। रूरल डैवलपमेंट में मॉनीटरिंग मैकेनिज्म है। विजिलेंस मॉनीटरिंग कमेटी है। क्या अर्बन डैवलपमेंट में भी ऐसी मॉनीटरिंग कमेटी बनेगी? यदि न बने, तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यह तो बताएं कि दिनांक 4 मई, 2016 तक इसमें केवल 5 प्रतिशत सफलता ही क्यों मिली है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की चिंता समझ सकता हूँ। यह बात भी सही है कि ग्रामीण विकास के लिए निगरानी समितियां हैं। हमें याद होगा कि सभा में पहले भी चर्चा हुई थी और विभिन्न दलों के कुछ सदस्यों ने मुझे पत्र लिखा था कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयन, चिह्नित और निगरानी करने के संबंध में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। मैं भी इस कार्य को करना चाहता हूँ और मैं अन्य मंत्रालयों के साथ भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ ताकि इसके बारे में एक समान दृष्टिकोण बन सके। ऐसा इसलिए है चूंकि मेरे पास प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना है और

प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना भी है। जहां तक समीक्षा का संबंध है, राष्ट्रीय स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति है और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है जहां एक केंद्रीय प्रतिनिधि भी होता है। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में हमें जन- प्रतिनिधियों का भी साथ चाहिए। मैं माननीय सदस्य के सुझाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता हूँ और उस पर कार्रवाई करने का प्रयास भी करूंगा।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर और विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार,यदि हम अनुबंध II को देखते हैं, जैसा कि यहां दिए गए उत्तर में उल्लेख किया गया है,तो सभी राज्यों के लिए स्वीकृत की गई आवासीय इकाइयां लगभग 6,10,519 हैं, जबकि स्वीकृत इकाइयों में से केवल 710 को पूरा किया गया है जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा दिए गए के उत्तर के अनुबंध II में उल्लेख किया गया है। जब भारत सरकार ने 'सबके लिए आवास` की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी क्यों नहीं आ रही है? ऐसी कई परियोजनाएं अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाई है? विशेष रूप से महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा पुणे और रायगढ़ जिले में एम.एम.आर. क्षेत्र के अन्य हिस्सों के बारे में भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है, जहां वे भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं? मैंने पहले भी पूछा था और माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि कुछ परियोजनाओं के संबंध में भूमि भारत सरकार की है, जैसे एन.टी.सी. और अन्य परियोजनाएं जहां पहले की योजना के अधीन *यथा-स्थान* विकास की घोषणा की गई थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था, माननीय मंत्री जी द्वारा इस सम्मानित सभा में इस संबंध में दिए गए आश्वासन के बावज़ूद भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि विभाग द्वारा इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ इस मामले को उठाया

है। वे उस भूमि को देने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनके कब्ज़े में है। वे कह रहे हैं कि एक बार जब वे इसे स्वीकार कर लेंगे, तो यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी और लोग उपलब्ध भूमि पर भी कब्जा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी वार्ता जारी है। अभी मैं माननीय सदस्य को इतनी जानकारी ही दे सकता हूँ। इसमें रक्षा, रेलवे और एन.टी.सी. और अन्य संबंधित एजेंसियां भी शामिल हैं। हमारी चर्चा का एक दौर हो चुका है और मैं अभी भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं।

महोदया, 6,10,519 आवासों के प्रस्तावों और उन्हें दी गई स्वीकृतियों के संबंध में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें हाल ही में स्वीकृत किया गया है। अतः, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले, उन्हें भूमि को चिह्नित करना है, जो उन्होंने कर लिया है। फिर उन्हें लाभार्थी की पहचान करनी होगी, वह भी कर लिया गया है। अब, उन्हें एजेंसियों को काम सौंपना होगा। केवल महाराष्ट्र के संबंध में ही, 28वें अप्रैल को हमने 71000 ऐसे आवासों को मंजूरी दी है। मेरे पास अभी अलग-अलग शहरों के बारे में विवरण नहीं है।

(प्रश्न संख्या 146)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 146.

श्री ए. अरुणमणिदेवन --उपस्थित नहीं।

श्री एम. उदयकुमार--उपस्थित नहीं।

अब, माननीय मंत्रीजी

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 147।

श्री उदय प्रताप सिंह।

(प्रश्न संख्या 147)

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, हाउस में मिनिस्टर कहां है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम कभी भी प्रश्न संख्या 147 तक नहीं पहुंचते।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मिनिस्टर को हाउस में होना चाहिए। उन्हें हाउस छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी प्रश्न संख्या 147 पर पहुंच सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम उन्हें बुला लेते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मैं आपको बता रही हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदया, आपको इस बारे में कड़े नियम बनाने होंगे ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: रेल मंत्री उपस्थित नहीं है और यह उचित नहीं है। जब मंत्री के नाम के सामने कोई प्रश्न सूचीबद्ध है तो उन्हें सभा भवन से बाहर नहीं जाना चाहिए।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैंने बोल दिया है कि ऐसा उचित नहीं है। मिनिस्टर को हाउस छोड़कर नहीं जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वे यहां उपस्थित थे।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: निश्चित रूप से, यह एक गलती है। वे यहां पर कुछ समय पहले तक उपस्थित थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम उस प्रश्न तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यह उचित नहीं है। मुझे इस बात का खेद है.... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कभी-कभी ऐसा होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सुन लिया है। आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: आप प्रश्न को स्थगित कर सकती हैं, महोदया। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब क्या करूं? क्या फांसी देना है? मैंने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सब बातें समझ रही हूं। आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… *व्यवधान*)...[4]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: सरकार की ओर से, मैं खेद व्यक्त करता हूं.... (*व्यवधान*) अब आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। … (*व्यवधान*) कितने लोग आपके पक्ष में तर्क देंगे? एक ही दल के पाँच से छह सदस्य बोल रहे हैं। … (*व्यवधान*) आप अपने पीछे देखिये। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यह पहली बार हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, मैं बोल रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप सदन में परसों उपस्थित थीं। जब डिसकशन चलती है तब कैबिनेट मिनिस्टर हाउस में रहना चाहिए। उस दिन भी मंत्री जी हाउस में नहीं थे, फिर भी हम चुप बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने रिक्वैस्ट की थी कि ऐसी चीज दोबारा नहीं होगी। हाउस को चलाने के लिए मिनिस्टर भी नहीं आते और आप हमें हमेशा कहती हैं कि रूल्स के मुताबिक चलिए। अब रूल्स के मुताबिक वे लोग नहीं चलते। आज क्वश्चेन है, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हाउस में नहीं है और सम्मानित स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है। अगर उत्तर भी नहीं दे सकते, तो आप बाहर क्या जवाब देंगे? इसका रिपर्केशन, इसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर होगा, हमारे ऊपर होगा लेकिन उनके ऊपर नहीं होगा। ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इससे स्पीकर का क्या संबंध है? ...(व्यवधान) आप अनावश्यक स्पीकर का नाम क्यों डाल रहे हैं? ...(व्यवधान) आप पहले अपने लीडर का सम्मान कीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, कृपया आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

[4] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: सरकार को इसके लिए खेद है। सरकार की ओर से, मुझे इसके लिए खेद है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आप वहां बैठकर मुझे डायरेक्ट करेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है मैं आपको जानती हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यह उचित नहीं है ।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरा इतना ही कहना है कि खड़गे जी ने जो बात कही, तो मुझे इन्फार्म किया गया था। अगर कैबिनेट मिनिस्टर किसी काम की वजह से हाउस में नही आ सकता, तो राज्य मंत्री भी तो थे। उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। वह नियम से भी उत्तर दे सकते हैं। यह बात जरूर है कि अभी जिस तरीके से वह उठकर गये, जब तक पूरा प्रश्न काल नहीं होता, ऐसा भी होता है कि हम कभी साधारणतया पांचवें-छठे प्रश्न तक नहीं पहुंच पाते, यह मानकर वह चले गये। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए और आखिरी समय तक मिनिस्टर को यहां बैठना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि प्रश्न आयेगा या नहीं आयेगा। यह उचित नहीं है । ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने 'सॉरी' कहा है।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: यह क्या हो रहा है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आप मुझे सिखायेंगे? अब आप मुझे मत सिखाइये। मैंने बोल दिया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: सरकार की ओर से, मुझे खेद है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यदि अध्यक्ष चाहें, तो वे प्रश्न को स्थगित भी कर सकती है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंत्री जी से फिर से उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहूंगा और पहले भी यही प्रक्रिया रही है। लेकिन, जैसा कि अध्यक्ष महोदया ने सटीक टिप्पणी की है, मंत्री जी को सभा में होना चाहिए चाहें प्रश्न आए या नहीं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वे यहाँ उपस्थित थे। लेकिन उन्हें सभा भवन से बाहर नहीं जाना चाहिए था।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : यह गलती हो गयी और मैंने ऑलरेडी इस गलती को स्वीकार किया है। ...(व्यवधान) आगे से ऐसा नहीं होगा, मगर इनके लीडर के बोलने के बाद पीछे से हंगामा करना, पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** वह ठीक है। उन्होंने क्षमा मांग ली है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। उन्होंने भी क्षमा मांग ली है और मैंने भी जो हिदायत देनी थी, वह दे दी है कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। यही बात है। अब ठीक है।

(प्रश्न संख्या 148)

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें बताया गया है कि सब कुछ राज्य सरकार को ही करना है, केंद्र को कुछ भी नहीं करना है। फिर केंद्र सरकार कैसे वादा करती है कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है और राज्य सरकार की क्या भूमिका है, स्थानीय ईकाई की भूमिका क्या है, बताया गया है। आप चाहते हैं कि मैं ही स्टेट को इग्नोर करके करूं तो स्टेट आपत्ति व्यक्त करेगा, हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। हम स्टेट को साथ लेकर काम करेंगे, स्टेट का साथ देंगे, स्टेट को गाईड करेंगे और प्रोत्साहन देंगे। हम यही काम करते रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष **:** ऐसे नहीं होता है। कोई भी योजना स्टेट को ही चलानी होती है। आपको भी समझना चाहिए, चाहे आप अपने लीडर से कुछ बातें समझिए।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 147 और 149 से 160
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मुझे विभिन्न मुद्दों पर प्रो. सौगत राय, सर्वश्री जितेन्द्र चौधरी और रवनीत सिंह से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि यह मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके कारण आज के कार्य को स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत डाटा सेवाओं के लिए विभेदकारी टैरिफों का प्रतिषेध विनियम, 2016 (2016 का 2) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 301-5/2016-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4663/16/16]

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं तेरहवीं, चौदहवीं पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

तेरहवीं लोक सभा

1.विवरण सं.30 तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4664/16/16]

चौदहवीं लोक सभा

2.विवरण सं.33 चौथा सत्र,2005

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4665/16/16]

3.विवरण सं.25 आठवां सत्र,2006

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4666/16/16]

4.विवरण सं.26 चौदहवां सत्र,2008

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4667/16/16]

5. विवरण संख्या. 23 पंद्रहवां सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4668/16/16]

पंद्रहवीं लोक सभा

6.विवरण सं.26 दूसरा सत्र,2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4669/16/16]

7.विवरण सं.23 चौथा सत्र,2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4670/16/16]

8.विवरण सं.21 पांचवां सत्र,2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4671/16/16]

9.विवरण सं.20 छठा सत्र,2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4672/16/16]

10.विवरण सं.18 सातवां सत्र,2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4673/16/16]

11.विवरण सं.18 आठवां सत्र,2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4674/16/16]

12. विवरण संख्या 17 नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4675/16/16]

13.विवरण सं.16 दसवां सत्र,2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4676/16/16]

14.विवरण सं.14 ग्यारहवां सत्र,2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4677/16/16]

15.विवरण सं.13 बारहवां सत्र,2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4678/16/16]

16.विवरण सं.12 तेरहवां सत्र,2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4679/16/16]

17.विवरण सं.10 चौदहवां सत्र,2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4680/16/16]

18.विवरण सं.8 पंद्रहवां सत्र,2013-2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 46681/16/16]

सोलहवीं लोक सभा

19.विवरण सं.7 दूसरा सत्र,2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4682/16/16]

20.विवरण सं.6 तीसरा सत्र,2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4683/16/16]

21.विवरण सं.5 चौथा सत्र,2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4684/16/16]

22.विवरण सं.3 पांचवां सत्र,2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4685/16/16]

23.विवरण सं.2 छठा सत्र,2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 4686/16/16]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2016 जो 11 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4687/16/16]

(2) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4688/16/16]

(4) (एक) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लेखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4689/16/16]

(6) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4690/16/16]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(1) नार्थ-ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) नार्थ-ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4691/16/16]

(9) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4692/16/16]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जुलाई, 2014 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए भारत में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 52वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4693/16/16]

(3) (एक) दादरा एवं नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा एवं नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4694/16/16]

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वाई.एस. चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल, के वर्ष 2014-2015 के, वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4695/16/16]

(3) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता, के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4696/16/16]

(5) (एक) द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4697/16/16]

(7) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु, के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4698/16/16]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुंबई, के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुंबई, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4699/16/16]

(11) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4700/16/16]

(13) (एक) द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी, के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या. एल.टी. 4701/16/16]

(15) (एक) द इंस्टिटयूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली, के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नॉलोजी, मोहाली, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4702/16/16]

(17) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4703/16/16]

(19) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण तथा लेखापरीक्षितलेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4704/16/16]

(21) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4705/16/16]

(23) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4706/16/16]

(25) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, गुड़गाँव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, गुड़गाँव, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4707/16/16]

(27) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4708/16/16]

(29) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4709/16/16]

(31) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4710/16/16]

(33) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4711/16/16]

(35) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4712/16/16]

(37) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 22 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत का राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..213 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (सचिव, सेवा और भर्ती के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत का राजपत्र में अधिसूचना सं. 001/2014/F.No.SR/S9/Z-08/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (समूह 'क' और समूह 'ख' प्रशासनिक और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत का राजपत्र में अधिसूचना सं. 002/2014/एफ.सं.एसआर/एस9/जेड-08/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (भर्ती और समूह और निबंधन और शर्तें 'क' राजपत्रित पद (अनुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) विनियम, 2014 जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत का राजपत्र में अधिसूचना सं.. 003/2014/ एफ.सं.एसआर/एस9/जेड - 08/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(38) उपर्युक्त (37) की मद संख्या. (एक), (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4713/16/16]

(39) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4714/16/16]

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से कंपनी आधिनियम, 1956 की

धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 4715/16/16]

<u>अपराह्न 12.02 1/2 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिवः माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 1 मई, 2016 से प्रारंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सहबद्ध होने के लिए राज्य सभा अपने सदस्यों में सात सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है: -

1. श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया
2. श्री राम नारायण डूडी
3. श्री नरेश गुजराल
4. श्री प्रफुल्ल पटेल
5. श्री ए.के. सेल्वराज
6. श्री तपन कुमार सेन

7. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2016 से प्रारंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में सम्मिलित हो और एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सभा के सदस्यों में दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है: -

1. श्री रामदास अठावले
2. श्री शमशेर सिंह ढुलो
3. श्री डी. राजा
4. श्री अमर शंकर साबले
5. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
6. श्री वीर सिंह
7. श्री तिरूची शिवा
8. श्रीमती वानसुक साइम
9. श्री दिलीप कुमार तिर्की
10. महंत शम्भुप्रसाद जी तुंदिया

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 1 मई, 2016 से प्रारंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति से सहबद्ध होने के लिए राज्य सभा अपने सदस्यों में सात सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2 .मैं लोक सभा को यह भी सूचित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है: -: -

1. श्री नरेश अग्रवाल
2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
3. श्री विजय गोयल
4. श्री भुबनेश्वर कालिता
5. श्री शांताराम नायक
6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
7. श्री अजय संचेती

अपराह्न 12.03 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

233वां और 234वां) प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम चरित्र निषाद (मछलीशहर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्निलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 233वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 234वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[हिन्दी]

(एक) 14 से 16 अप्रैल, 2016 तक मुम्बई में सामुद्रिक भारत समिट – 2016 का सफल आयोजन[5]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं 14 से 16 अप्रैल, 2016 तक मुंबई में सामुद्रिक भारत समिट 2016 के सफल आयोजन के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रथम मैरीटाइम इंडिया समिट, 2016 का आयोजन मुंबई में 14 से 16 अप्रैल, 2016 के दौरान किया गया। समिट का उद्देश्य भारतीय मैरीटाइम सेक्टर की अप्रयुक्त संभावनाओं के संबंध में जागृति पैदा करना तथा निवेश की संभावनाओं को प्रस्तुत करना था। समिट का फोकस भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना था।

इस समिट का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, की 125वीं जन्मतिथि के अवसर पर किया गया जो भारत के संविधान के निर्माता तथा भारत की नदी नौचालन नीति के सृजक हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर सागरमाला ने कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जारी किए जाने से पत्तन तथा राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय विकास एजेन्डा के केन्द्र में स्थापित हो गये हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव, श्री. किटैक लिम तथा कोरिया, गणराज्य के महासागर एवं मत्स्यन मंत्री, श्री. किम यांग सुक ने भी उद्घाटन सत्र में एकत्रित सभा को संबोधित किया। माननीय

---

[5] ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4716/16/16

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, समिट के समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे।

कोरिया गणराज्य इस समिट का भागीदार राष्ट्र था। कोरिया गणराज्य से महासागर एवं मत्स्यन मंत्री के नेतृत्व में दो उप मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा 50 से अधिक समुद्री क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल ने समिट में भाग लिया। महाराष्ट्र समिट का मेज़बान राज्य था तथा उनके द्वारा मुंबई में समिट के सफल आयोजन के लिए हर प्रकार का आवश्यक समर्थन दिया गया।

पूरे विश्व से 5200 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों ने इस समिट में भाग लिया। इंडिया के ग्यारह केन्द्रीय मंत्रिगण, राज्यों के मुख्य मंत्रिगण/मंत्रिगण ने समिट में भाग लिया। अन्य समुद्री राज्यों से अधिकारी स्तर पर भागीदारी की गई। आठ देशों से मंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडलों की भागीदारी ने इस समिट को महत्व प्रदान किया।

14-16 अप्रैल, 2016 के दौरान आयोजित की गई तीन दिवसीय प्रदर्शनी में 197 प्रदर्शकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की जिसमें 81 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, 80 भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां और 36 सरकारी उपक्रम शामिल थे।

भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभाव्य समुद्री क्षेत्र के विकास के अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग के चुनिन्दा अग्रणी व्यक्तियों के एक विशेष सी.ई.ओ.' फोरम का आयोजन किया गया। कुल अड़तीस सी.ई.ओ. ने इस फोरम में भाग लिया, जिनमें 19 सी.ई.ओ. बहुराष्ट्रीय कंपनियों से तथा 19 सी.ई.ओ. भारतीय समुद्री क्षेत्र की कंपनियों से थे।

सागरमाला, पोत निर्माण, पश्चभूमि संपर्कता, पत्तन आधुनिकीकरण एवं नवीन पत्तन विकास संबंधी तेरह विषयों पर सत्रों तथा तीन विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। समुद्री राज्यों एवं सामुद्रिक राष्ट्रों पर भी सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न देशों से 80 से अधिक विशिष्ट वक्ताओं ने अपने विचारों तथा अनुभवों को साझा किया और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिये।

इस समिट ने अन्य देशों के साथ नई भागीदारियां बनाने हेतु एक अद्वितीय मंच भी उपलब्ध करवाया। इस समिट के पार्श्व में, 12 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया

गया। रुचि अभिव्यक्त करने वाले भागीदारों के बीच व्यापारिक गठजोड़ों की संभावनाएं तलाशने के लिए 300 से अधिक बी--2-बी बैठकों का आयोजन किया गया जिनसे आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।

इस समिट के दौरान 140 व्यापारिक करार किए गए। इन 140 परियोजनाओं में निवेश का मूल्य लगभग 13 बिलियन $ (लगभग रु. 83,000 करोड़) है। पोत परिवहन मंत्रालय ने भी इस समिट में 240 परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जो आगामी वर्षों में भारत में इस क्षेत्र में निवेश के अवसर प्रस्तुत करती हैं। इन परियोजनाओं का निवेश संभाव्य लगभग 66 बिलियन $ (रु. 4.34 लाख करोड़) है।

निवेश प्रस्तावों पर फॉलो अप कार्रवाई के लिए तथा संभावित निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए, पोत परिवहन मंत्रालय में एक इन्वेस्टमेंट फॅसिलिटेशन सैल का गठन किया गया है ताकि निवेशकों का समर्थन किया जा सके और उन्हें एम.आई.एस. 2016 के दौरान किए गए सभी व्यापारिक करारों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने में सहायता प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, सागर माला का विज़न डाक्यूमेंट जिसे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने तैयार किया है, उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया है उसके अनुसार आगे आने वाले दस सालों में देश में करीब चार लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्टमेंट होगी, जिसमें रोड सैक्टर है जो पोर्ट को कनेक्ट करता है। पोर्ट रेल कनेक्टिविटी है और मैकेनाइजेशन एंड मार्डेनाइजेशन आफ पोर्ट है और नए पोर्ट्स का निर्माण है। करीब आठ लाख करोड़ रुपए 27 इंडस्ट्रीयल कलस्टर्स में इनवेस्ट होने वाले हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक करोड़ जॉब क्रिएट होंगी जिसमें 40 लाख जॉब्स डायरेक्ट होंगी और 60 लाख जॉब्स इनडायरेक्ट होंगी। देश की जी.डी.पी. के लिए यह बहुत उपयोगी होगा।...(व्यवधान) यही जानकारी सदन को देने के लिए मैंने स्टेटमैंट पढ़ी है।

माननीय अध्यक्ष : यह बात भी स्टेटमेंट का हिस्सा ही है। जानकारी में आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं। देश के लिए अच्छी बात बोल रहे हैं और अच्छी जानकारी दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर कोई मंत्री अच्छा काम करता है, तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलना चाहिए, वह बात रिकार्ड में नहीं जाती है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

(दो) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित "डाक विभाग में कारोबार विकास तथा विपणन रणनीति" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[6]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मैं डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित "डाक विभाग में कारोबार विकास तथा विपणन रणनीति" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

[6] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4717/16/16

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

(तीन) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[7]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

[7] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4718/16/16

अपराह्न 12.10 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि यह सभा 3 मई, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 मई, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज के शून्य प्रहर में शिक्षा कर्जे में ब्याज मुक्ति संबंधी विषय को उठाना चाहता हूँ।

जो गरीब माँ-बाप के बच्चे हैं, वे शैक्षणिक ऋण बैंकों से लेते हैं। जो बच्चे नैशनलाइज्ड बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक से कर्ज़ लेते हैं, उनके ब्याज दर 12 से 14 प्रतिशत तक हैं। यदि बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो इसमें उनको चार वर्षों का समय लगता है। चार वर्षों में उस पर पाँच लाख तक कर्ज़ की राशि होती है। पढ़ाई समाप्त होने के बाद वह नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसे 10 हजार रुपये पगार मिलता है और बैंक की किश्त होती है 15 हजार रुपये की।

जो गरीब किसान और मजदूर हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। लेकिन शिक्षा-ऋण की जो ब्याज दर है, वह इन गरीब किसान और मजदूर लोगों के बच्चों की क्षमता से बाहर है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक इसके लिए ऋण देते हैं, उन्हें इस ऋण को ब्याज मुक्त करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ- यदि हम हाऊसिंग लोन लेते हैं, तो 6 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है और शिक्षा ऋण पर 14 प्रतिशत तक का ब्याज लिया जाता है। जो गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, वे ऋण का रिपेमेन्ट करेंगे या अपने को संभालेंगे। यह बहुत ही कठिन है।

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि शैक्षणिक ऋण को ब्याज मुक्त करना चाहिए। इसके लिए मैंने पंत प्रधान जी को, श्री जेटली साहब तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी को भी पत्र लिखा है।

मेरा सुझाव है कि जो गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, जिनको कहीं से कर्ज़ नहीं मिलता है, वे हिम्मत करके बैंक से कर्ज़ लेते हैं, उस कर्ज़ को ब्याज मुक्त करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए जो कर्ज़ लेते हैं, उनको दिलासा देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : एक ही विषय पर आप अपनी बात कहिए। आप सीधे कहिए कि एजुकेशन लोन पर इंट्रेस्ट रेट कम होना चाहिए।

श्री सदाशिव लोखंडे : रेट कम नहीं, यह ब्याज मुक्त होना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो किसान लोग ऋण न चुका पाने के कारण भी आत्महत्या करते हैं। उससे भी खतरनाक परिस्थिति शैक्षणिक कर्ज़ लेने वाले किसानों और मजदूरों का होने वाला है। इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्रीरंग आप्पा बारणे, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल, ए.टी. नाना पाटिल, भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले आशा वर्कर्स द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवा के तहत ध्यान में रखना पड़ता है कि डिलीवरी के समय जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहे। बाल मृत्यु न हो। माता मृत्यु न हो। बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। आहार और दवा के साथ सही देखभाल के लिए मार्गदर्शन देना पड़ता है। इसके एवज़ में आशा वर्कर्स को वेतन के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

यदि जन्म देने वाली महिला बी.पी.एल. श्रेणी की है, वह तभी इस प्रोत्साहन राशि की हकदार होती है। जन्म देने वाली महिला का बी.पी.एल. श्रेणी से न होने पर आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि से वंचित होना पड़ता है।

बी.पी.एल. श्रेणी के संबंध में आप भी अच्छी तरह से वाक़िफ हैं कि इसमें कितनी त्रुटियाँ हैं। इसके बावजूद आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने में भेदभाव किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आशा वर्कर्स द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवा को ध्यान में रखते हुए इन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी या उनकी सेवा रेगुलर किया जाए ताकि आशा वर्कर्स दक्षतापूर्वक तथा ईमानदारी से काम कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल, भैरों प्रसाद मिश्र, भानु प्रताप सिंह वर्मा, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, डॉ. संजय जायसवाल, ए. टी. नाना पाटिल, गजेन्द्र सिंह शेखावत,

रामचरण बोहरा और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री नाना पटोले द्वारा उठाये गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मैं आपको पहले बोलने का मौका दे रही हूं क्योंकि आपका विषय भी वही है।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : जी, मैडम। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। टॉपिक सेम है, लेकिन मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में आशा और आशा संगिनी स्कीम एन.आर.एच.एम. के तहत शुरू हुई। शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए इससे बड़ा लाभ मिला। आज वर्ष 2016 तक बाल, शिशु और मातृ मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी आशा और आशा संगिनी का जीवन नहीं सुधरा है। उन्हें प्रसव के पूर्व 300 रुपये और प्रसव के उपरांत 300 रुपये दिए जाते हैं। आयरन की गोली देने के लिए गांव की विजिट पर 250 रुपए दिए जाते हैं। आज के समय में 250 रुपये या 600 रुपये बहुत कम हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जो लोग प्रसव के लिए जाते हैं, वहां बिना जरूरत के सिजेरियन ऑपरेशन के नाम पर हजारों रुपये उनसे लूटे जाते हैं। आशा और आशा संगिनी 24 घण्टे की ड्यूटी करती हैं। इनकी सुरक्षा की भी चिन्ता करनी पड़ती है। इनके काम से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन इनको केवल 600 रुपये और 250 रुपये मिलते हैं। इसलिए इनकी मांग है कि ए.एन.एम. की तरह 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपये प्रति महीने फिक्स कर दिया जाए। आशा और आशा संगिनी को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की तरह दर्जा दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से इनका जीवन सुरक्षा बीमा कराए और इनको हर तरह से सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दे। मैं आपके माध्यम से आशा और आशा संगिनी के लिए यह मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं श्री रामचरण बोहरा को डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदया, छः महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्दू मिल की 12 एकड़ जमीन पर 11 अक्टूबर, 2015 को डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के लिए एक आधारशिला रखी थी। 400 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का भाग्य नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच के विवाद के कारण अधर में लटका हुआ है। यह आश्वासन दिया गया था कि प्रस्तावित स्मारक निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया है और वहां कोई प्रगति नहीं हुई है। वस्त्र मंत्रालय के अवर सचिव ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार में शहरी विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव को दो पन्नों के एक पत्र में भूमि के मुआवजे के बुनियादी मुद्दों को उठाया। यह माना गया कि जो राशि एफ.एस.आई. की बिक्री से जारी की जाएगी, भूमि की निर्माण की क्षमता के बाजार मूल्य को प्रतिबिम्बित करेगा और बदले में भूमि के उचित मूल्य पर विचार किया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार के टाउन प्लानिंग प्राधिकरण ने 1413.48 करोड़ रुपये भूमि का मूल्य आंका है। इस विषय पर उप समिति की सिफारिशों के विपरीत वैल्यूएशन कई कमियों से ग्रस्त है और उसमें सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। वस्त्र मंत्रालय ने मांग की है कि क्या राज्य सरकार एन.टी.सी. को टी.डी.आर. अधिकार प्रदान करने के लिए कोई शर्त नहीं लगाएंगे और भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति देंगे। इन्दू मिल की भूमि पर यह शिलान्यास हुए छः महीने बीत चुके हैं, परन्तु भूमि का हस्तांतरण अभी तक नहीं हुआ है। यह न्यायोचित नहीं है। देशवासियों को आशा थी कि स्मारक का कार्य बाबा साहब की 125वीं जयन्ती पर 14 अप्रैल, 2016 से शुरू हो जाएगा, परन्तु अभी तक कार्य शुरू होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में एकदम सुस्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्दू मिल की भूमि के हस्तांतरण के बारे में विवाद को शीघ्र समाप्त करके वहां डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का कार्य तुरंत आरम्भ किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे एवं श्री विनायक भाऊराव राऊत को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के सीबीआई और ईडी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर घोटाले में जो लोग इन्वाल्व्ड पाए गए हैं -... वे हिन्दुस्तान की दूसरी अन्य कंपनीज में भी इसी प्रकार से इन्वाल्व्ड पाए गए हैं। वहां पर भी उनकी इसी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस पाई गयी हैं। मेरे पास डाक्यूमेंट है, सेबी का प्रॉस्पेक्टस है, जिनसे पता चलता है कि सितम्बर, 2009 में ये दोनों लोग एमार-एमजीएफ में डायरेक्टर थे। एम.आर.-एम.जी.एफ. ने लोगों के साथ किस प्रकार से करप्ट किया, मेरे एक सहयोगी जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, को दुकानें लेने और बेचने के काम-धन्धे में लगा दिया। ऐसा स्किल डेवलपमेंट है कि 50 लाख रुपये खुद के डालें और तीन साल में साढ़े पांच करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाएं।

पहले हमने सुना था कि ... * इस प्रकार से हरियाणा में धंधा करते थे...(व्यवधान) लेकिन अब ... *

साले साहब भी इस प्रकार का धंधा करने लगे...(व्यवधान) मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ई.डी. और सी.बी.आई. ने ... * जिन-जिन कम्पनियों में इनवाल्व थे...(व्यवधान) ... * ने किस प्रकार से किकबैक्स ... *साहब को दिया. ... * का वह किकबैक्स जनता के सामने आना चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी, देवजी एम. पटेल, श्री संजय जयसवाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री रामचन्द्र बोहरा, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल, डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री ए.टी. नाना पाटिल, श्री शिवकुमार उदासि और श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बस्तर जो कि आति संवेदनशील क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम छोर ओडिशा प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है। सुकमा एक जिला मुख्यालय है और वहां से कोंटा 77 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग की वर्ष 2014-15 में एल.डब्ल्यू. में स्वीकृति मिली थी और 77 किलोमीटर की सड़क बननी थी जिसमें 128 पुल-पुलियां भी हैं और 1200 मीटर नाली निर्माण भी होना था। इसमें सिर्फ 25 पुल-पुलियां बनी हैं और 45 किलोमीटर मिट्टी डालने का काम हुआ है और 1200 मीटर नाली का निर्माण नहीं हुआ है। यह रास्ता चूंकि दो प्रदेशों को जोड़ता है और बरसात के दिनों में मिट्टी डालने का काम आधा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी रोड गड्ढे में परिवर्तित हो जाती है इससे आने-जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है तथा पूरी तरह से लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाती है। इस काम को पूरा करने की समय-सीमा इस महीने तक थी जो कि पूरी हो गई है। जिसने पहले ठेका लिया था उसने दस प्रतिशत भी काम नहीं किया है और दस करोड़ रुपया एडवांस लेकर भाग गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस कारण लागत में वृद्धि हो गई है इसलिए जो ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदया, अंदर के क्षेत्रों में काम हो रहा है और जबकि यह नेशनल हाईवे-30 है और यह आति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाकर सड़क निर्माण का काम करना चाहिए। इस काम में चाहे किसी विभाग के आधिकारी ने लापरवाही की है या ठेकेदार ने की है, उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यह रोड जल्द से जल्द बने क्योंकि यह मार्ग आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य को जोड़ता है और इससे लोगों को सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल को श्री दिनेश कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): आदरणीय महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूँ। यह मामला राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के संबंध में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2015 को सूखे का वर्ष घोषित किया गया था। किसान भारत की आधारशिला हैं लेकिन दुर्भाग्य से, वर्तमान समय में, भारत की

आधारशिला रूपी किसानों को अपनी आजीविका के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने सिर्फ़ इसलिए आत्महत्या कर ली है क्योंकि उन्हें अपने कृषि कार्य में अत्यधिक नुकसान हुआ था। अधिकांश समय जलवायु भी किसानों का साथ नहीं देती है। कभी, वे बैंक ऋणों के कारण भी परेशान रहते हैं और कभी अपने कृषि उत्पादों के लिए उचित एम.एस.पी. न मिलने का कारण परेशानी का सामना करते हैं।

महोदया, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, भारत सरकार ने एन.डी.आर.एफ. की स्थापना की है। एन.डी.आर.एफ. का मुख्य कार्य जलवायु अथवा प्रकृति के कारण प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान देना है और संबंधित राज्यों के प्रभावित किसानों को आजीविका के लिए आवश्यक मुआवजा प्रदान करना है। इस निधि का उपयोग कृषि और बागवानी दोनों प्रकार की फसलों के लिए आदान राजसहायता के माध्यम से किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए।

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा : मैडम, कर्नाटक में किसानों के साथ अन्याय हुआ है...(व्यवधान) मैं उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहा हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री कारादी सनगन्ना, आप जो कहना चाहते हैं कृपया कहें। यह क्या हो रहा है? आपस में चर्चा थोड़े ही करनी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री कारादी सनगन्ना, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है? यदि आपकी बात समाप्त हो गई है, तो मैं अगले सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर दूंगी।

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा: महोदया, कई किसान एन.डी.आर.एफ. से लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से स्वीकृत धनराशि और राज्य सरकार द्वारा वितरित की गई धनराशि के बीच बहुत बड़ा अंतर विद्यमान है। महोदया, मैं कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ और कोप्पल मेरा निर्वाचन-क्षेत्र है। कर्नाटक में, कोप्पल विभिन्न कृषि संबंधी क्षेत्रों का मुख्य केंद्र है। लेकिन पिछले वर्ष, गंभीर सूखे के कारण, बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली है। महोदया, केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य के लिए लगभग रु. 1,540 करोड़ मंजूर किए हैं, जिसमें रु. 63.75 करोड़ कोप्पल जिले के लिए है।

महोदया, केन्द्रीय सरकार ने कोप्पल के चार तालुकों सहित कोप्पल के लिए रु. 64.44 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है और इस धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को केवल रु. 46.18 करोड़ को वितरित किए गए हैं।

अंत में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रु. 18.27 करोड़ की शेष धनराशि को वितरित करने का कोई तरीका है, जो राज्य सरकार के पास रह गई है। राज्य सरकार शेष राशि का वितरण क्यों नहीं कर रही है अथवा शेष वंचित किसानों का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है जब बहुत सारे किसान इस धनराशि का इंतजार कर रहे हैं और कठिनाई का सामना कर रहे हैं?

महोदया, इसके लिए कृपया कर्नाटक राज्य सरकार को इस मामले पर ध्यान देने के लिए सख्त निर्देश जारी करें और उन्हें शेष बची धनराशि रु. 18.27 करोड़ को न्यायोचित तरीके से तत्काल वितरित करने हेतु अनुदेश जारी करें, जिससे जरूरतमंद किसानों को सहायता प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा करने से, हम अपने किसानों को बचा सकते हैं, जो भारत के वास्तविक नायक हैं और जो अपने देश की जी.डी.पी. बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं, यह बात हमारी माननीय वित्त मंत्री जी द्वरा अपने बजट भाषण में कही जा चुकी है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री सुरेश सी.अंगड़ी को श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष, महोदया। मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि द्वारा वित्तपोषित ओडिशा राज्य की पंप भंडारण योजना की ओर आकर्षित कर रहा हूँ।

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एन.सी.ई.एफ.) के लिए कोयले पर केंद्रीय उपकर संगृहीत कर रही है जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान और विकास के लिए किया जाएगा। यह जानकारी मिली है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में, कोयले पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर को बढ़ाकर रु. 400 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है जिसकी मौजूदा दर कोयले पर रु. 200 प्रति मीट्रिक टन है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ओडिशा में उत्पादित किए जाने वाले लगभग 160 मीट्रिक टन कोयले से लगभग रु. 6,400 करोड़ के उपकर का संग्रहण किया जाएगा जिससे ओडिशा राज्य को कोयलो के उत्पादन के अनुसार समुचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। ओडिशा सहित कोयले के भंडार वाले राज्य एन.सी.ई.एफ. फंड की धनराशि के संवर्धन में योगदान दे रहे हैं। इस निधि के लाभार्थी राज्य आम तौर पर पश्चिमी राज्य रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की सुविधा के लिए एन.सी.ई.आर. की कायिक निधि का उपयोग किया गया है।

यद्यपि ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में इस तरह के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किए जा रहे योगदान का स्वागत करता है, हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ओडिशा के साथ-साथ अन्य कोयला भंडार वाले राज्यों को एन.सी.ई.एफ. फंड से कोई सहायता नहीं दी जा रही है जो इस निधि के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। ओडिशा में नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन के लिए, विभिन्न परियोजनाओं की एक लंबी सूची है, जिन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है। इसके लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है जिसे ओडिशा राज्य वहन नहीं कर सकता है।

ओ.एच.पी.सी. वर्तमान में राज्य में अधिकतम आवश्यकता वाले समय में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रु. 1,600 करोड़ की परियोजना लागत से ऊपरी इंद्रावती एच.ई.पी. पर 600 मेगावाट पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. को सौंपा गया है। ऊपरी कोलाब और बालिमेला स्थित प्रमुख बांध भी पंप भंडारण योजना के लिए उपयुक्त हैं।

केंद्र से वित्तीय सहायता के साथ, ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा क्योंकि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर को हरित ऊर्जा माना जाएगा,जो विद्युत की अधिकतम मांग वाले समय के दौरान विद्युत की आपूर्ति को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा।

अतः, मैं विद्युत मंत्री से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि वे नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन और राज्य में विद्युत की अधिकतम आवश्यकता वाले समय के दौरान विद्युत की आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए उपरोक्त आवश्यक निधि को मंजूरी प्रदान करें। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि ओ.एच.पी.सी. द्वारा भंडारण पनबिजली संयंत्र को लागू करने के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करें।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री नागेंद्र कुमार प्रधान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबंद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में देहू रोड़, पिंपढे सौदागर, बोपखेल, दापोडी और उरण में काफी क्षेत्र भारतीय रक्षा आधिकार में आने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र शहरी क्षेत्र से नज़दीक होने के कारण यहां पर भारतीय सैनिक और आधिकारियों के अलावा यहां रह रहे लोग भी उस रास्ते से आते-जाते रहते हैं। पिछले डेढ़ साल से कुछ स्थानीय लोगों ने निचले कोर्ट में उसके बारे में लड़ाई लड़ी, जिसके कारण मेरे क्षेत्र में बोपखेल और पिम्पले सौदागर का रास्ता स्थानीय लोगों के लिए बंद किया गया है। अध्यक्ष जी, बोपखेल एक ऐसा गांव है, जिसकी पूरी जमीन रक्षा विभाग के लिए गई है। सिर्फ गांव बाकी है, गांव से एक

तरफ नदी है और तीनों तरफ रक्षा विभाग आता है। आज उनका रास्ता पूरी तरह से बंद किया गया है, बल्कि गांव वालों को 15 से 20 किलोमीटर दूर हो कर आना-जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कितना तनाव हो, फिर भी पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा घुसपैठ की जाती है, लेकिन सरकार उनके साथ व्यापारिक संबंधों के लिए और यात्रियों के लिए ट्रेन या वाघा बॉर्डर से रास्ता खोले रखती है।

महोदया, इस बारे में मैंने माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्किर से बात की और उन्होंने करीबन सात-आठ बार बैठक भी ली, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि बोपखेल और पिम्पले सौदागर में जहां लोग ज्यादा रहते हैं, उनके आने जाने के लिए रास्ता खोलने की मैं मांग करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले शनिवार और रविवार के दौरान जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में था तब मुझे एक बहुत ही अजीब और असामान्य समस्या का सामना करना पड़ा था।

आठ पंचायतें, जहां लगभग 1.5 लाख की आबादी रहती है, के अत्यंत वरिष्ठ लोगों का एक समूह बहुत ही गंभीर समस्या के साथ मेरे पास आया। उन्होंने कहा: “सांसद महोदय,हमें आपकी मदद चाहिए। ” फिर, मैंने पूछा कि उन्हें क्या *मदद* चाहिए। उन्होंने कहा: “हमारे बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। इस इलाके में कोई भी अपनी बेटियों का विवाह हमारे बेटों के साथ करने के लिए तैयार नहीं है।” [हिन्दी] मैंने पूछा इसके लिए सांसद क्या कर सकता है और समस्या क्या है? उन्होंने बताया : “समस्या यह है कि हमारे पास पानी नहीं है। [अनुवाद] जब हमने बोरवेल को 1000 फीट, 1200 फीट तक भी खोते हैं, तो तब भी पानी नहीं मिल पा रहा है। अतः कोई भी हमारे बेटों के साथ अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए तैयार नहीं है।”

माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रकार, हमारे पास जल का गंभीर संकट आया हुआ है। यह न केवल बालासोर के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे राज्य और पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए जाने पर तुरंत विचार करे। जब तक यह व्यवस्था जारी रहती है, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमें तीन जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रदान करें, जिनकी तत्काल आवश्यकता है।

सबसे पहले, सभी आठ ग्राम पंचायतों में, जहां से लोग आए थे, वहां पर एक जलापूर्ति परियोजना को लागू किया जाए। ये रसूलपुर, इंचुरी, जयदेव कस्बा, पदमपुर, गुडू और अन्य ग्राम पंचायतें हैं। इन जलापूर्ति परियोजनाओं को पास की नदी से दिया जा सकता है, जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

महोदया, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, नदी गंगाधर में बड़ासाही प्रखंड में एक बड़ी सिंचाई परियोजना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाली, लगभग 1.5 लाख जनजातीय आबादी को कृषि एवं पेयजल हेतु जल की सुविधा का लाभ मिल सके।

तीसरी बात, जलेश्वर प्रखंड, जो पिछले कई वर्षों से सूखे का लगातार सामना कर है, के रायबनिया क्षेत्र में राजा बंधा टैंक का पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार करके निकटवर्ती सुवर्णरेखा नदी से जल लेकर सिंचाई परियोजना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रवींद्र कुमार जेना द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी अनुमति से अपने संसदीय क्षेत्र पलामू की गरीब जनता से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ।

महोदया, पलामू में मैसर्स सोन वैली सीमेन्ट लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यह वेट प्रोसेस की सबसे प्राचीनतम सीमेन्ट फैक्ट्री में से एक है, परन्तु स्थापना के कुछ वर्षों के बाद वर्ष 1992 में यह फैक्ट्री बन्द हो गई। उसके बाद से लाखों प्रयासों के बावजूद भी इस फैक्ट्री का कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हो सका है। परिणामस्वरूप यहाँ के मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गए, उनका भुगतान नहीं हुआ और आज वे भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। यहाँ तक बातें सुनने को आती हैं कि वे नक्सलियों के दस्ते में भी सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जानती हैं कि झारखंड पिछड़े राज्यों में से एक है और यहाँ के ज्यादातर मजदूर अपनी मजदूरी के आधार पर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वैसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से भारी उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि इस फैक्ट्री को खुलवाने का प्रयास करें। मैं इस विषय को पहले भी उठा चुका हूँ। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि झारखंड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अतः मेरा अनुरोध होगा कि इस सीमेन्ट फैक्ट्री को खुलवाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विष्णु दयाल राम जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : महोदया, मैं झारखंड राज्य के सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गम्हरिया प्रखंड पदमपुर गाँव के कान्ड्रा में स्थित आधुनिक पावर नेचुरल रिर्सोसेस कम्पनी से निकलने वाले हानिकारक फ्लाई ऐश डस्ट युक्त पानी, जो रपचा पंचायत एवं बुरूडीह पंचायत के सीमा क्षेत्र में बहने वाले प्राकृतिक झरना में बने 9 चेक डेम में पूरी तरह से भर गया है। फ्लाई ऐश डस्ट हवा, पानी व मिट्टी को बुरी तरह से दूषित करता है, जिसके कारण बुरे परिणाम निकलते हैं।

गौरतलब है कि उपरोक्त चेक डेम से बने सुन्दरपुर, मोहनपुर और शिवपुर में करोड़ों रूपए की लागत से सिंचाई (माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन) भी पूरी तरह से चरमरा गई है। इस सन्दर्भ में यथाशीघ्र गम्हरिया प्रखंड की जनता के जीवन के बचाव हेतु इस फ्लाइ ऐश डस्ट युक्त पानी को फैलने से रोकना, झरने की व्यापक सफाई हेतु समुचित कदन उठाना व सिंचाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से सुनिश्चित हो, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह जानलेवा डस्ट उस क्षेत्र में स्वच्छ पानी को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि आधुनिक पावर नेचुरल रिर्सोसेज कम्पनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल को श्री लक्ष्मण गिलुआ जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गरीब जनता के एक आवश्यक विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। देश के अन्दर इन्दिरा आवास योजना गरीबों के आवास निर्माण के लिए चल रही है, लेकिन उसके प्रावधान में एक कमी है और नए प्रावधान को जोड़ने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इसलिए आकृष्ट कराना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी चिन्ता हमेशा गरीबों के लिए होती है। इसके तहत प्रावधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति का घर आग लगी में जल जाए या किसी आपदा से उसका घर नष्ट हो जाए तो इन्दिरा आवास योजना के तहत उनको आवास के लिए राशि दे दी जाएगी। लेकिन उसकी निर्धनता का जो स्कोर है, चाहे वह पाँच हो आधिक निर्धन व्यक्ति का या कम निर्धन का तेरह हो, स्कोर को जम्प कराकर तुरन्त इन्दिरा आवास के तहत राशि देने का प्रावधान वर्तमान में है। लेकिन चाहे घर जलकर राख हो जाए, चाहे आपदा से ध्वस्त हो जाए, वैसे व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलता इन्दिरा आवास योजना के तहत, जिनका नाम बी.पी.एल. की सूची में न हो। हमारे बिहार प्रदेश में तो बी.पी.एल. की सूची के निर्माण में इतनी आनियमितता है कि कोठी वालों का नाम बी.पी.एल. में है और झोंपड़ी वालों का नाम ए.पी.एल. में या उससे

भी बाहर है। यह एक अलग विषय है। यह पूरे देश में है, इसलिए इसका फिर से सर्वे कराकर उस सूची का निर्माण कराया जाये, जो वास्तविकता के आधार पर हो और वास्तविक गरीबों को इसका लाभ मिले।

मैं यह कहना चाहता था कि जिन व्यक्तियों का घर आग लगी या किसी आपदा में नष्ट हो जाता है, जल जाता है, वैसे व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के तहत राशि मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने घरों का निर्माण कर सकें और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और साथ-साथ इन्दिरा आवास योजना के तहत, दोनों योजनाओं के तहत मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) महोदया, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में अगर ऐसी घटना होती है और मैं जिस इलाके से आता हूं, दक्षिण बिहार के पठारी इलाके औरंगाबाद और गया, वहां तो आये दिन आगलगी की घटनाएं होती हैं। जब हम लोग वहां सहानुभूतिवश जाते हैं तो लोग सांसद से घर के निर्माण के लिए सहायता की मांग करते हैं। वहां सांसद हेल्पलेस हो जाता है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई न, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री आश्विनी कुमार चौबे, श्री पी.पी. चौधरी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री नाना पटोले, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री पी.पी. जोशी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामचरण बोहरा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री शिवकुमार उदसि और श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, जिस तरह सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की शुरूआत की गई, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने यह सोच रखी कि 2018 तक देश के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम सरकार करेगी। 1977 के अन्दर जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया गया। आज हरियाणा के अन्दर एक उससे बड़ी समस्या है कि लोग जिस तरह मेरे से पूर्व जेना जी पानी की समस्या बोल रहे थे, पानी को ढूंढते हुए खेतों में जाकर अपना निकास करके बैठे हैं और एक नहीं, सौ-सौ लोग 50-50 घरों

के अन्दर ढाणियों में, एक छोटी बस्ती बनाकर अपना जीवन चला रहे हैं। मैंने इस सदन में जब पावर पर पिछले साल डिबेट थी, तब भी माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन किया था, कमेटी के अन्दर भी आग्रह किया था, क्वश्चन ऑवर में भी आग्रह किया था कि आज हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वैस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब के अन्दर एक बहुत बड़ा तबका गांवों को छोड़कर ढाणियों के अन्दर, हेमलेट्स के अन्दर जाकर रहने लग गया है। जिस तरह मेरी लोक सभा सीट हिसार के अन्दर 22 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए दिया गया, उससे गांव का फीडर जरूर अपग्रेड हो सकता है, मगर जिन लोगों को आज बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, उन तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि तुरन्त प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी करके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत हेमलेट्स को या फिर जो सौ लोगों से ज्यादा के ढाणियों के अन्दर क्लस्टर्स हैं, उनको इन्क्लूड करके इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने का काम करें। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और पीयूष गोयल जी तुरन्त प्रभाव से इस पर कदम उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बन्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): महोदया, मैं भारत सरकार की मंशा के अनुसार नासिक, महाराष्ट्र में एक अति आधुनिक पेपर मिल की स्थापना किए जाने का मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

भारत सरकार करेंसी, पासपोर्ट और अन्य सेक्युरिटी प्रोडक्ट्स की छपाई के लिए आवश्यक सेक्युरिटी पेपर की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अति आधुनिक पेपर मिल के लिए चार नई मशीन लाइनें स्थापित करने की मंशा रखती है। इन चार मशीन लाइनों में से दो होशंगाबाद के लिए अनुमोदित की गई हैं और शेष दो को एस.पी.एम.सी.आई.एल. और बी.आर.बी.एन.एम.एल., आर.बी.आई., की संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा स्थापित किया जाना है अर्थात् भारत नोट पेपर मिल। यह संयुक्त उद्यम कंपनी नासिक में शेष दो मशीन लाइनों

को स्थापित कर सकती है जो निम्नलिखित तथ्यों के कारण परियोजना लागत और उत्पादन लागत को कम कर सकती है:

नासिक में, एस.पी.एम.सी.आई.एल. की दो इकाइयाँ हैं – भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय (आई.एस.पी.) और चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सी.एन.पी.) और इनके पास 350 एकड़ भूमि है। इस भूमि में से 250 एकड़ भूमि खाली और अप्रयुक्त है। इसमें 1000 खाली फ्लैट भी हैं। इस उपलब्ध भूमि के कारण परियोजना लागत में काफी कमी आएगी और समय की भी बचत होगी क्योंकि भूमि अर्जन के लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी।

इस पेपर की आवश्यकता इन दो इकाइयों आई.एस.पी. और सी.एन.पी. को होगी जो नासिक में स्थित हैं। इस प्रकार परिवहन की लागत भी शून्य होगी।

जल की भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है क्योंकि गोदावरी और दारणा नदियां प्रेस परिसर से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।

वर्तमान में, प्रेस के अंदर एक रेलवे साइडिंग भी उपलब्ध है जो तैयार माल को भेजने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा, वहां से नासिक रोड रेलवे स्टेशन की दूरी को पैदल ही तय किया जा सकता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र कपास का एक बड़ा उत्पादक है, जो इस तरह के पत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।

नासिक का मौसम भी एक अनुकूल पहलू है क्योंकि नासिक में सेक्युरिटी प्रेस की स्थापना करते समय अंग्रेजों द्वारा भी इस बात को ध्यान में रखा गया था।

महोदया, किसी भी सरकारी परियोजना की स्थापना करते समय, मूल रूप से परियोजना लागत और उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है। इसलिए, उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नासिक में अति आधुनिक पेपर मिल की स्थापना करना न्यायोचित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से, मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि एस.पी.एम.सी.आई.एल. और बी.आर.बी.एन.एम.एल., संयुक्त उद्यम भागीदारों को अति आधुनिक पेपर मिल के लिए बाकी बची दो मशीन लाइनों की स्थापना नासिक में किए जाने के लिए निदेशित करें। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना संविधान कि अनुच्छेद- 338 के तहत की गयी, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को संरक्षण मिले, सरकार के किसी आदेश के तहत जो सुविधाएं हैं, उनके अन्वेषण एवं उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जाए और अनुसूचित जातियों को उनके आधिकारों से वंचित करने की शिकायतों की जांच करे एवं संबंधित विभागों का इस संबंध में कार्रवाई करने की सलाह व निर्देश दे। लेकिन, देखने में यह आया है कि जब अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या उन्हें उनके आधिकारों से वंचित किया जा रहा है और जब ये लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करते हैं, तब विभाग के द्वारा इन्हें परेशान व प्रताड़ित किया जाता है और तरह-तरह के झूठे मामलों में इन्हें फंसाया जाता है और नौकरी से निकालने की कार्रवाई की जाती है। ऐसी अनेकों शिकायतें आ रही हैं।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ढांचा व अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान बनाने पर विचार करे, ताकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक शक्तिशाली संगठन बने एवं अनुसूचित जाति के सताए हुए लोगों को एक समयबद्ध सीमा में न्याय मिले। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, विनोद कुमार सोनकर, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री वीरेंद्र कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ए. एच. खान चौधरी (मालदा दक्षिण): मैं आपका ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा के साथ-साथ मुर्शिदाबाद जिले में, गंगा नदी के कारण आने वाली बाढ़ और होने वाले कटाव के कारण उत्पन्न विकट स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गंगा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और मालदा में लगभग 40

किलोमीटर अंदर की ओर आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में लाखों लोग अपना घर, उपजाऊ भूमि और आजीविका से वंचित हो रहे हैं।

संप्रग सरकार ने 80 किलोमीटर नदी के प्रवाह की दिशा और 40 किलोमीटर नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा की दूरी तक कटाव नियंत्रण कार्य की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया था। पिछले 10 वर्षों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा कटाव नियंत्रण के लिए बहुत काम किया गया है। पिछले वर्ष, केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। सौभाग्य से, बाढ़ भी इतनी भी भीषण नहीं थी। इसलिए, हम भाग्यशाली रहे और सुरक्षित रह पाए थे।

महोदया, आपके माध्यम से, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कटाव को नियंत्रित करने का कार्य तुरंत शुरू किया जाए ताकि गंगा नदी के कारण होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। मेरा आपसे निवेदन है, महोदया, आप जल संसाधन मंत्रालय से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के लिए कहें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे लोक सभा क्षेत्र में देहरा विधान सभा क्षेत्र के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, जिसे लगभग चार वर्ष हो गए। वहां लगभग 900 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिसका फारेस्ट क्लियरेंस भी हो चुका है। पिछले चार वर्षों से प्रदेश सरकार के कारण उस पर आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। एक अलग भवन में चार साल से क्लासेज चल रही हैं, जिससे छात्रों को नुकसान पहुंच रहा है।

मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द वहां पर उसका शिलान्यास किया जाए और उस पर काम किया जाए ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सपना हिमाचल ने देखा था, वह पूरा हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बारगढ़ से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाने का मौका दिया। इसमें दो जिले शामिल हैं – बारगढ और झारसुगुड़ा। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की अधिकांश आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। कुछ मछुआरे भी वहां रहते हैं और मैं उनके बारे में कहूंगा।

बारिश के मौसम में और अन्य अवधि के दौरान मौसम की स्थिति की जानकारी देने के लिए कोई मौसम चेतावनी प्रणाली अथवा उपकरण नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र अथवा नदी में जाने पर अपनी जान गंवा रहे हैं। अतः, मैं माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि– बारगढ में एक और झारसुगुड़ा में एक –मौसम की चेतावनी देने वाले उपकरण स्थापित करें ताकि लोगों को पहले से ही मौसम की स्थिति का पता चल सके। बारगढ ओडिशा का धान उत्पादक क्षेत्र है।

महोदया, चूंकि यह एक बहुत ही छोटी मांग है, इसलिए, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से पुरजोर अपील करता हूं कि बारगढ़ और झारसुगुड़ा में मौसम प्रणाली उपकरणों को तुरंत स्थापित करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. प्रभास कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड): मैडम स्पीकर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि पूरे महाराष्ट्र में पासपोर्ट आफिसेज की संख्या काफी कम है। फिलहाल मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे यहीं चार कार्यालय कार्यान्वित हैं। मराठवाड़ा भाग की जनसंख्या लगभग दो करोड़ के आसपास है और इस इलाके की जो

कनेक्टिविटी बड़े शहरों से है, वह भी काफी कम है। किसी भी बड़े शहर में जाने के लिए कम से कम तीन सौ से चार सौ किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। हालांकि आजकल पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एवलेबल है, पर लेने के लिए और पर्सनल वेरीफिकेशन के लिए खुद जाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूं कि मराठवाड़ा रीजन में एक पासपोर्ट आफिस खुले।

मैडम, यहां से हर साल काफी लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। मराठवाड़ा सूखे से प्रभावित क्षेत्र है, इससे सभी लोग अवगत हैं। आज की युवा पीढ़ी शिक्षा की तरफ और नयी-नयी नौकरियों की तरफ, विदेशों में जाकर नए पड़ाव हासिल करना चाहती है। उनकी सहूलियत के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कभी-कभी पासपोर्ट के कैम्प्स, मेले भी लगाए जाते हैं। जब तक ये मेले न लगाए जाएं, तब तक लोगों को उनकी राह देखना पड़ता है। ऐसा उनको न करना पड़े और परमानेंट रूप में कोई सोल्यूशन उनके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूं कि मराठवाड़ा रीजन में पासपोर्ट आफिस जल्द से जल्द खुलवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 12.54 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

प्याज की अच्छी फसल होने के बावजूद राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्याज उत्पादक किसानो के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। जैसा कि कल इसी सदन में स्वामी सुमेदानंद जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मांग उठाई थी कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों की जो प्याज की बंपर पैदावार हुई है, किसान बहुत मेहनत से, लगन से फसल पैदा करता है। जब वह इसे पैदा करता है और उसका उचित मूल्य नहीं होता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। इसी मांग को कल स्वामी सुमेदानंद जी ने उठाया था। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि यह विषय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के पास है। आज यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी सदन में हम सबके बीच में हैं। यह किसानों का विषय है, उनके उत्पादन मूल्य का विषय है। स्वामी जी ने आग्रह किया था कि किसानों को दो-तीन रुपए प्रति किलो के भाव पर इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

क्या भारत की सरकार, माननीय मंत्री जी ने किसानों के प्याज का उचित मूल्य दिलाने के लिए, सरकारी खरीद, एफ.सी.आई. के माध्यम से कुछ व्यवस्था की है, या इस विषय पर कल और आज के बीच में कुछ कार्य हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह सदन में अपनी बात रखें और किसानों के हित में कुछ कार्य किए हों तो हम सब को जानकारी दें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी.चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सी.आर. चौधरी, श्री रामचरण बोहरा, श्री राहुल कस्वां और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मंत्री जी, अगर आप कुछ कहना चाहते है तो आपको बोलने की अनुमति है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : कल इस मुद्दे को सदन में उठाया गया था। हम से स्वामी जी और कुछ लोग मिले थे, उनको मालूम है कि पिछले साल प्याज का उत्पाद 189 लाख टन था, वह इस बार बढ़ कर 203 लाख टन हो गया है। कभी प्याज के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दोनों तरफ से आंसू निकलते हैं।

श्री राम विलास पासवान : कभी प्याज के दाम इतने घट जाते हैं कि किसानों के आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। इस बार प्याज इतना सस्ता हो गया है कि प्याज दो-तीन रूपये किलोग्राम है। इसलिए हम ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्याज की भी खरीद करेंगे। अभी हमने 15,000 टन प्याज खरीद का निर्णय लिया है। यह नासिक में शुरू हो गया है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। ...(व्यवधान) अगर वहां नहीं हुआ है तो हो जाएगा।...(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : वहां बहुत कम खरीद हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : नासिक में इंफ्रास्ट्रक्चर है। एफ.सी.आई. का जो स्टोरेज है, वह प्याज-आलू के लिए सुटेबल नहीं है। उनके लिए हमें अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के पास भी प्राइस स्टैबलिटी फंड है उसके तहत 900 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार भी प्याज खरीदे तो हम राज्य सरकार को भी 50 प्रतिशत राशि देने के लिए तैयार हैं। हम ने अपनी टीम राजस्थान, सभी जगह भेज दिये हैं। जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि यदि कोई प्राइवेट वाले भी हमें स्टोरेज दे दें तो हम उसे पैसा देंगे, उसमें व्यवस्था करेंगे। हमारे पास वहां थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है लेकिन हम ने अपनी टीम को सभी राज्यों में, जहां-जहां से इस तरह की शिकायतें हैं, सभी जगह भेज दिया है और सरकार ने प्याज खरीदने का निर्णय ले लिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): महोदया, मैं असम में व्याप्त स्थिति के बारे में कहना चाहती हूँ।

शायद, यहां मौजूद सभी लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि असम जिहादियों के चंगुल में आ गया है। ये जिहादी समूह *जमात उल मुजाहिदीन* से संबंधित हैं। ये असम कई जिलों में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। वे ये लोग राज्य की स्थिति को पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं। ये असम के कई सीमावर्ती जिलों में अपना जाल फैला रहे हैं। उनकी उपस्थिति गुवाहाटी में भी बहुत गंभीर रूप से महसूस की जा रही है।

ये जिहादी समूह *जमात उल मुजाहिदीन* से संबंधित हैं जो पश्चिम बंगाल में भी बड़े बम धमाके कर रहे हैं। इनमें से कुछ असम के हैं। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी, अर्थात्, एन.आई.ए. ने बड़े समूहों की पहचान की है जो शिक्षण कर्मचारियों, *मस्जिद* में *इमाम* जैसे व्यवसायों से संबंधित हैं, और उनमें से 35 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

असम के डी.आई.जी. के अनुसार, असम और पश्चिम बंगाल के लगभग 65 जिले इन जिहादी समूहों के चंगुल में हैं। इसके अलावा, बाक्सा, कोकराझार, गोवालपारा, आदि. जैसे असम के सभी जिलों में ये लोग अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों ने न केवल सीमा पार से, बल्कि म्यान्मार और नागालैंड से भी अपने हथियार खरीदे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन क्षेत्रों में सुरक्षा उतनी चाक-चौबंद नहीं है। स्वाभाविक रूप से, वे बांग्लादेश से हथियारों को लाने के बजाय, नागालैंड और म्यान्मार से अपने हथियार ला रहे हैं। इस प्रकार, वे वहां बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हैं।

मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि जब तक केन्द्र सरकार सीधे तौर पर समुचित रूप से कार्रवाई नहीं करेगी और कड़े कदम नहीं उठाएगी, तब तक यह बहुत ही कठिन समय होगा और कुछ ही समय में असम में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री पी.पी. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, और श्री निशिकांत दुबे को श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : मैडम, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर पंजाब की बात करें, खेती-बाड़ी की बात करें तो समझा जाता है कि पंजाब सबसे खुशहाल स्टेट है। मंत्री जी उठकर चले गए हैं। अगर वे रहते तो बहुत अच्छा होता, उन्होंने पहले भी जवाब दिया है। पंजाब में हो क्या रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से मार्च तक 56 खुदकुशी हो गई। अगर अप्रैल की बात करें तो एक अप्रैल से 26 अप्रैल तक 39 खुदकुशी पंजाब में हो चुकी हैं। गांव में मौत मंडरा रही है। उसके पीछे बाकी कारण तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है। यहां मंत्री जी श्री वैंकैय्या नायडू बैठे हुए हैं। चंदूमाजरा साहब हैं और वहां अकाली दल की सरकार है। ये मेरी बात मानेंगे कि केन्द्र सरकार का आरबीआई ने जो पैसा देना होता है, किसान के पास फसल ही है, उसकी और कोई कमाई नहीं है। सरकार ने एमएसपी का पैसा देना है, कोई और पैसा नहीं है। अगर मैं बात करूं, पिछली पैडी, राइस, गेहूं से पहले, जो फसल थी, उसमें पांच हजार करोड़ रुपये जो अक्टूबर में मिलने चाहिए, वह फरवरी में मिले। 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडी में आ चुकी है। उसके 21 हजार करोड़ रुपये बनते हैं, लेकिन अभी तक 5,908 करोड़ रुपये मिले हैं। यह भी कई महीने लेट हो जाएगा। किसान या आड़तियों ने बैंक से जो पैसा लिया हुआ है, वह लगातार बढ़ रहा है, चल रहा है। चार-पांच महीने से पहले सीजन का पैसा नहीं मिला, अब नहीं मिला तो किसान कहां जाएगा। उसने बच्चों की फीस देनी है। उसने जो लोन लिया है, वह देना है। केन्द्र सरकार की पंजाब से क्या दुश्मनी है, यह बता दें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई दुश्मनी नहीं होती।

... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : फिर पैसा क्यों नहीं जा रहा है। एम.एस.पी. का पैसा है। यहां चंजूमाजरा जी बैठे हुए हैं। मंत्री जी बैठे हुए हैं। इसका जवाब जरूर चाहिए।...(व्यवधान) अगर जान चाहिए तो हम दे देते हैं, किसानों की जान मत लीजिए। पंजाब वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व): महोदया, मुझे 'शून्यकाल' में अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह शांति के द्वीप में, देवताओं के निवास स्थान, तवांग में घटी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में है। दुर्भाग्य से, 2 मई को, कुछ एन.जी.ओ., कुछ भिक्षु और ननें एक भिक्षु की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना के समय, गोलीबारी हुई थी जिसमें दो लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और यह एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस जांच के कार्य को गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अपराह्न 1.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन...जारी

(दो) केरल में, कोचीन के निकट पेरुम्बावूर में विधि की एक दलित छात्रा पर हुए हमले और उसकी हत्या के बारे में

प्रो. रिचर्ड हे (नाम निर्देशित): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से, क्या मैं हाल ही में केरल में हुई एक अत्यंत दुखद और शर्मनाक घटना को सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह हमारे देश की उज्ज्वल छवि पर एक और काला धब्बा है। निर्भया मामले के बाद, यह देश की अंतर-आत्मा पर एक और कलंक है। एक और दलित महिला, जिशा, जो एक कानून की छात्रा थी, उसका न सिर्फ यौन शोषण किया गया, बल्कि दिनदहाड़े उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और इस असहाय पीड़िता के शरीर और आत्मा को प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वह एक गरीब दलित लड़की थी जो केरल के पेरुम्बवूर में, कोचीन के निकट रहती थी।

पीड़ित की आंतों को बाहर निकाल दिया गया था, जो वर्ष 2012 के घिनौने और वीभत्स सामूहिक बलात्कार की भीषणता की याद दिलाता है जिसके बाद पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे – वह मामला अभागी निर्भया का मामला था।

ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, बलात्कार के बाद पीड़िता को बेहद बेरहमी से पीटा गया और उसकी आंतों को धार वाले हथियार का उपयोग करके बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कम से कम 30 चोट के निशान मिले हैं।

अब तक, केरल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह स्पष्ट है कि केरल सरकार इस मामले की अनदेखी कर रही है। सरकार अपने मूल कर्तव्य – नागरिकों के जीवन की रक्षा करने - से बच रही है।

यह जानकर दुख होता है कि केरल में दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। केरल में दलितों में शिशु मृत्यु दर भी सबसे अधिक है। केरल में दलितों की भूख और कुपोषण के कारण होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं। केरल में कोई एक भी सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है!

मैं भारत सरकार से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूँ कि 100 प्रतिशत साक्षर राज्य केरल में दिनदहाड़े हुए इस जघन्य और बर्बर अपराध के मामले में हस्तक्षेप करे और इस पर ध्यान दे । केरल को 'भगवान का अपना देश' (गॉड्स ओन कंट्री) कहा जाता है। क्या केरल इस बात को सही ठहरा रहा है? अब मैं इसे 'शैतान का अपना देश' (डेविल्स ओन कंट्री) कहता हूं। इस भयावह और वीभत्स घटना ने दिल दहलाने वाले निर्भया कांड के बाद एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। यह केरल सरकार की लापरवाही का नतीजा है।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को प्रो. रिचर्ड हे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदया, जो कुछ मेरे मित्र ने अभी कहा है, मैं उससे स्वयं को संबद्ध करती हूँ। परन्तु, मैं आपके समक्ष दो, तीन और तथ्य लाना चाहती हूँ। एक किल्लूर की घटना है जो कुछ साल पहले हुई थी जिसके बारे में तत्कालीन सी.पी.एम. नेताओं पंचायत से लेकर संसद सदस्य, एम.एल.ए. और सभी ने कहा था कि एक युवा लड़की जो एक कम उम्र की लड़की थी उसके साथ बलात्कार किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया और उसे फिल्म में हीरोइन बनाने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई। उस घटना में एक वी.आई.पी. और उसका परिवार शामिल था। उस समय उन्होंने वादा किया था कि दोषियों को सजा दी जाएगी। अभी तक, उस मामले में कुछ नहीं हुआ है।

आज एक और घटना घटी है। मैं न केवल केरल के लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि एक अभियुक्त और एक अपराधी ने जिसका नाम ...[8]* उसने बलात्कार किया तथा उसकी हत्या की... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम मत लीजिए। नाम कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

[8] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: उस समय, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। इन लोगों ने मृत्युदंड की खिलाफत की थी। मैं केवल निर्भया मामले पर फिर से चर्चा करने की कोशिश कर रही हूँ। उस समय, इस सभा ने एक कानून पारित किया था कि ऐसे मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मैं देश को याद दिलाना चाहती हूँ कि यदि दोषियों को उनके अपराध की सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाता और न्याय किया जाता तो शायद उनके मन में भगवान और कानून का भय पैदा होता और वे उस तरह के अपराधों में शामिल नहीं होते जैसे कि आजकल हो रहे हैं। यह मामला जो कल हुआ है, केवल नैतिकता के पतन को दर्शाता है, जिसे प्रशासन ने केरल के लोगों पर लादा है।

केरल में एक बिल्कुल अलग तरह का समाज है। इस घटना में, जहां एक लड़की की हत्या हो जाती है, एक लड़की की आंतें फटकर बाहर आ जाती हैं, उस स्थिति में, जब पंचायत से लेकर उच्च स्तरों पर विराजमान लोग जवाब देना तो दूर संवेदना तक नहीं जता रहे हैं। वहां पर एक दूसरी पार्टी है। केरल में एक के बाद ऐसी विकृत घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं से केवल प्रशासन में नैतिकता के पतन की बात सामने आती है। केरल में राजनीतिक जवाबदेही का कोई अता-पता नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अर्जुन मेघवाल, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री पी.पी. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्रीमती दर्शना जरदोश को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): महोदया, यह एक बहुत गंभीर मामला है। पूरी सभा भी इस घटना को लेकर स्वाभाविक रूप से उतनी ही उद्वेलित है जितनी कि उस राज्य की जनरल सोसाइटी है। एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक *दलित* लड़की के साथ बलात्कार किया गया तथा उसकी हत्या की गई। इससे पहले कि उस घटना को हम भूल पाते, तिरुवनन्तपुरम में हुई एक अन्य घटना में एक नर्सिंग की एक छात्रा का ऑटोरिक्शा में सामूहिक बलात्कार किया गया। यह बहुत गंभीर विषय है। हमें इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जब वहां पर चुनाव हो रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री तक यह संदेश पहुंचा दूंगा कि वे केरल सरकार से वस्तुस्थिति की

जानकारी प्राप्त करें। मैं उनसे यह भी आग्रह करूंगा कि इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का उन्हें परामर्श दिया जाए। जब भी कोई घटना घटती है, तो वे उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं। मेरी अपील यह है कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। जिन लोगों द्वारा अपने कर्त्तव्य के पालन में लापरवाही की गई है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सभा की भावनाओं से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.13 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तेरह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री हुक्मदेव नारायण यादव *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले[9]

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

[9] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शौचालय सुविधाएं प्रदान करने तथा क्षेत्र के कैंटोनमेंट एरिया में लोगों को शौचालय का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सागर के कैन्टोनमेंट एरिया में स्थित सी. एवं डी. लैंड की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सी. लैंड इलाके में रहने वाले परिवार अपने प्रयोग के लिए शौचालय का निर्माण करते हैं तो छावनी के आधिकारी उस शौचालय को तोड़ देते हैं, जिससे आसपास गंदगी रहती है। भारत सरकार और राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता आभियान के तहत विशेष आभियान चला रही है। इन शौचालयों को तोड़ने की घटनायें सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता आभियान की सफलता में बाधा खड़ी कर रही हैं। सी. लैंड के निवासियों को बिजली-पानी इत्यादि की सभी सुविधायें मिल रही हैं तो शौचालय की सुविधा भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो 12 हजार रूपये शौचालय के निर्माण में सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में मिलते हैं, यह आर्थिक सहायता सी लैंड के निवासियों को भी मिलनी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर के कैंटोनमेंट एरिया में स्थित सी. एवं डी. लैंड में शौचालय की अनुमति दी जाये और शौचालय के निर्माण में सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता 12 हजार रुपये भी दिये जायें।

(दो) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 24 पर गढ़चौपाला और गजरौला के बीच फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से कराये जाने की आवश्यकता

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के हापुड़-मुरादाबाद प्रभाग में निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एन.एच.-24 पर पड़ने वाले गढ़ चौपला के फ्लाई ओवर, गजरौला के फ्लाई आवेरों का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से बंद पड़ा है, जिसके कारण यातायात के आवागमन में काफी परेशानी होती है तथा अक्सर दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि होती रहती है।

यह एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जो कि दिल्ली से लखनऊ एवं नैनीताल को जोड़ता है। इस रास्ते से विदेशी पर्यटकों का भी भारी संख्या में आवागमन होता है।

अतः मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि गढ़ चौपला एवं गजरौला के अधूरे पड़े फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाये ताकि इन दोनों फ्लाई ओवरों पर आवागमन हो सके और यात्रियों को दुर्घटनाओं व जाम की स्थिति से राहत मिल सके।

(तीन) महाराष्ट्र के बेलापुर से पेंधर के बीच नवी मुंबई रेल परियोजना लाईन संख्या. 1 के संबंध में शीघ्र संरेखण संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 30.04.2014 को महाराष्ट्र सरकार को नवी मुम्बई मैट्रो रेल प्रोजेक्ट लाईन-1, जो बेलापुर से पेंधर के बीच स्थापित की जानी है, की स्वीकृति से संबंधित सूचना दी थी। लेकिन अब तक इस मैट्रो रेल लाइन का नॉटिफिकेशन ऑफ अलाइनमेंट (संरेखनाची अधिसूचना) जारी नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मैट्रो रेल लाईन के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। बेलापुर से पेंधर के बीच मैट्रो रेल लाईन स्थापित होने पर बहुत बड़ी संख्या में नागरिक लाभान्वित होंगे।

अतः मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वह नवी मुम्बई मैट्रो रेल प्रोजेक्ट लाईन 1, जो बेलापुर से पेंधर के बीच स्थापित की जानी है, के शीघ्र नोटिफिकेशन ऑफ अलाईनमेंट (संरेखनाची अधिसूचना) जारी करवाने का कष्ट करें, जिससे इस मैट्रो लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके।

(चार) दिल्ली से जयपुर के बीच प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तेजी से किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में प्रस्तावित समानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग को तेजी से विकसित किया जाए और इसके निर्माण में भी आने वाली कठिनाईयों को तत्परता से सुलझाया जाए। इस सामानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग से ना केवल जन बल्कि माल परिवहन की सुविधा में तेजी आयेगी जो कि जयपुर को दिल्ली का प्रतिरूप शहर (काउन्टर मैग्नेट सिटी) बनाने में सहायक सिद्ध होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आतिरिक्त भार को कम करने हेतु जयपुर को प्रतिरूप शहर के रूप में विकसित करना आवश्यक है। जिससे पर्यटन, जैम स्टोन, हैण्डीक्राफ्ट, गारमेंट आदि उद्योगों को तीव्र परिवहन की सुविधा मिलेगी और रोजगार का नवसृजन तथा नव उद्योगों का विकास होगा।

(पांच) ट्रेनों के रद्द होने की स्थिति में रेल यात्रियों को पूर्व सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं रेल मंत्रालय से संबंधित कुछ बातें माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं। वर्तमान केन्द्र सरकार के आने के बाद रेल विभाग में कई सुधार हुए हैं और काफी सुधार आने वाले दिनों में होंगे, ताकि इस देश के नागरिकें को भारतीय रेल द्वारा सर्वोत्तम सेवा दी जा सके, ऐसा मुझे विश्वास है।

रेल मंत्रालय द्वारा कई जगहों पर रेल के तंत्र में छोटी-बड़ी मरम्मत हेतु ब्लॉक या मेगा ब्लॉक का आयोजन होता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विज्ञापन भी दिये जाते हैं। ताकि लोगों को जानकारी मिले और वह अपनी यात्रा का आयोजन कर सकें।

दिक्कत यह होती है कि आजकल रेल में यात्रा हेतु लोग दो-दो महीने पहले से अपना टिकट रिजर्व करवाते हैं। रेल मंत्रालय टिकट रिजर्व होने के बाद उन्हें एस.एम.एस. से एवं ई-मेल के द्वारा उनका ट्रेन नं., बोगी नं., सीट नं. और ट्रेन का शेडयूल की जानकारी देता है। कई बार आदमी अपने घर से दूर रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुका होता है। इस दौरान मेगाब्लॉक होने पर उसे कोई सूचना नहीं मिलती। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यत्ति मुंबई सेन्ट्रल या बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन पकड़ने वाला है और गोरेगांव या दूर के कोई क्षेत्र में ठहरा है या जोन बदलकर सफर करना पड़ता है तब उसे मालूम नहीं होता कि मेगाब्लॉक के कारण उसकी ट्रेन रद्द की गयी है और उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसे होटल में रूकना पड़ता है या रिजर्व की जगह अन्य कोई ट्रेन में अनरिजर्व सफर करना पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि जब मंत्रालय के पास रिजर्व पैसेंजरों के नम्बर हैं, उन्हें कन्फर्मेशन का एस.एम.एस. किया जाता है तो ट्रेन केंसेलेशन का भी मैसेज भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मेगा ब्लॉक का निर्णय कम से कम हफ्ते पहले लिया जाता है। साथ ही साथ, अगर हो सके दूसरी ट्रेन में एक्स्ट्रा बोगी जोड़कर रद्द की गयी ट्रेन का आरक्षण उस दूसरी ट्रेन में वैध करना चाहिए या फिर निर्णय होने के बाद उन ट्रेनों का रिजर्व कोटा नोरूम करना चाहिए।

(छह) झारखंड में चापाकल लगाने, पुराने खराब पड़े चापाकलों को ठीक करने तथा अन्य पेयजल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (राँची): सरकार से अनुरोध है कि देश मं पेयजल की समस्या बड़ा विकट रूप धारण कर रही हैं एवं देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। लोगों को समुचित रूप से पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में पानी का जलस्तर नीचे गिर रहा है जिसके कारण गाँवों के चापाकल नहीं चल रहे हैं और कई राज्यों में विशेषकर झारखण्ड में फण्ड नहीं होने से नये चापाकल नहीं लगाये जा रहे हैं एवं पुराने चापाकल ठीक नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में कई गाँवों के लोग पेयजल की सुविधा से वंचित हैं। दूषित पानी के पीने से अनेकों बीमारियों से गांव के निवासी पीड़ित हो रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि डीप बोरिंग के माध्यम से एवं जल मीनार टंकी के माध्यम से गाँवों एवं शहरों में पेयजल की आपूर्ति की जाये एवं खराब चापाकलों को शीघ्र ठीक करवाया जाये।

इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार की तरफ से झारखण्ड सरकार को नये चापाकल लगाने, पुराने खराब पड़े चापाकल को ठीक करने, डीप बोरिंग एवं विकास मीनारों के निर्माण हेतु केन्द्र स्तर पर पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाये।

(सात) मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में पेयजल की भारी कमी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मंडला (म.प्र.) में पड़ रहे घोर पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का मंडला संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। मैं सरकार का ध्यान विशेषकर मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जनता को पीने के पानी की भारी कठिनाई हो रही है। लोगों को पीने के पानी के लिए कई-कई कि.मी. दूर जाना पड़ रहा है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पशुओं के लिए पानी नहीं है। इसमें लगभग 60 गांव डिंडारी जिले में तथा करीब 26 गांव मंडला जिले के तथा शिवनी के लगभग 100 प्रभावित हुए हैं। पेयजल संकट के कारण पशु भी मर रहे हैं। किसानों ने ब्याज पर पैसा लेकर जो फसल लगाई थी वह अब नष्ट हो गई है। मंडला, डिंडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों के परिवारों के लिए बहुत कठिन समय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के उपरोक्त जिलों में पेयजल संकट से निपटने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का कष्ट करें।

(आठ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा (पालघर): पालघर महाराष्ट्र का जनजातीय और अत्यंत पिछड़ा जिला है। ठाणे जिले के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, वर्ष 2014 में नए पालघर जिले की स्थापना की गई थी। नए पालघर जिले की जनजातियां कुपोषण से पीड़ित हैं क्योंकि वे बेरोजगार हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र पालघर जिले के पड़ोसी राज्यक्षेत्र हैं। दादरा और नगर हवेली भी जनजातीय बहुल्य क्षेत्र हैं लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण, दादरा और नगर हवेली तेजी से विकसित हो रहा है और दादरा और नगर हवेली के जनजातीय लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल रहा है। दादरा और नगर हवेली में कुपोषण व्याप्त नहीं है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव औद्योगिक रूप से तेजी से विकसित हो रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज दिया है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह महाराष्ट्र के पालघर जिले के जनजातीय क्षेत्र में उद्योग के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान किया जाए।

(नौ) राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर में रेल सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): आज से आठ दशक पहले यानि 15 मार्च, 1929 को जालोर में पहली बार रेल दौड़ी थी। आज जालोर जिले की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक जिले में रेल सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ है। सांचौर जिले का एक उपखंड है तथा यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र घोषित है और अत्यन्त ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहां के जन-प्रतिनिधियों की मांग पर दो साल पूर्व रेल बजट में सर्वे की घोषणा की गई थी। परन्तु अब तक रेल सेवा से महरूम सांचौर, बाड़मेर और गुजरात के बीच का महत्वपूर्ण प्वाइंट है। सांचौर में सूखा बंदरगाह भी प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में रेलवे लाइन के आने से यहां रोजगार, व्यापार, पर्यटन निवेश के अवसर बढ़ेगे। जिससे यहां पर उत्पादित वस्तुओं का विदेश तक आयात और निर्यात हो सकेगा। यह रेल लाइन परिवहन व्यापार के साथ-साथ सैन्य सुविधाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र तेल, गैस, विंड, पॉवर, ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग के हब के रूप में विकसित हो रहा है। देश के अग्रणी और महत्वपूर्ण कम्पनियों ने यहां निवेश कर रखा है व निवेश की योजना बना रही है। सांचौर रेलवे लाइन के आने से जालोर जिले के नागरिंको को सस्ता और आरामदायक सफर का फायदा मिलेगा। इस रेलवे लाइन से बॉर्डर के मुख्य गांव और कस्बों को रेल सेवा से जोड़ा जा सकेगा।

अतः मेरा आग्रह है कि वर्षों से रेल सेवा से वंचित सांचौर को जल्द से जल्द रेलवे लाइन से जोड़ा जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश में मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के किसानों की नकदी फसल गन्ना है जिसके आमदनी से किसान अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसके बावजूद देश के गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2014 से 2015 का लगभग 21000 करोड़ रूपया चीनी मिलों पर बाकी है। भारत के गन्ना उत्पादक किसानों का केवल उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2013 से 2014 में 119 चीनी मिलों द्वारा करीब 19 हजार 387 करोड़ रूपये दिये जाने थे, लेकिन अभी तक 12 हजार 254 करोड़ रूपये का भुगतान हो पाया है। अभी भी 7 हजार 132 करोड़ रूपये चीनी मिलों पर बकाया है। किसान अपने बकाया मूल्य के लिए चीनी मिलों एवं केन यूनियन के कार्यालयों में परिक्रमा करने के लिए बाध्य हो रहा है। जबकि गन्ना नियंत्रण अधिनियम, 1966 में यह स्पष्ट निर्धारित है कि गन्ने का मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिन के भीतर हो जाना है और ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण यू.पी. में चीनी उत्पादन 13 फीसदी से घटकर 64.2 लाख टन रह गया था। चीनी मिलों के खिलाफ सुनिश्चित कार्यवाही न होने से किसानों के सामने काफी संकट पैदा हो गया है। अतः भारत सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

(ग्यारह) देश में साईबर कानूनों को कड़ा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): भारत एक अग्रणी वैश्विक ई-अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकीय क्रांति का केंद्र है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी कानूनी व्यवस्था अक्सर तेजी से विकसित होते प्रौद्योगिकीय परिदृश्य और सूचना क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने और इनका विनियमन करने में विफल हो रही है।

सरकार और न्यायपालिका दोनों की प्रमुख पहलें देश में साइबर अपराधों और कानून से जुड़े मुद्दों के बारे में समाज में एक व्यापक समझ विकसित किए जाने की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर देती हैं।

भारत साइबर कानून बनाने वाला और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित करने वाला दुनिया का बारहवां देश है और इसने भारतीय दंड संहिता में भी कुछ संशोधन किए हैं।

(बारह) रक्त दान संबंधी मानदंडों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर धन्यवाद करते हुए (खास तौर पर इन्द्रधनुष, जेनेरिक मेडिसिन केन्द्र, एम्स में डॉक्टर्स का ऑनलाइन उपलब्धता इत्यादि योजनाओं) रक्तदान के एक प्रमुख पहलु पर ध्यान दिलाना चाहती हूं। रक्तदान को जीवनदान कहते हैं।

रक्त देने को दान की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि रक्त की उपलब्धता न होने पर चिकित्सा विज्ञान भी काम नहीं करता। किन्तु रक्त दाताओं को रक्त देने और कभी-कभी रक्दाताओं के अपने परिवार या परिजनों को रक्त्त की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नियम की जटिलताएं दर्शाकर रक्त देने में असमर्थता जता दी जाती है। जिसका असर रक्त दाताओं के मनोबल पर भी पड़ता है।

अतः मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि रक्त्त देने व लेने दोनों के नियम शर्तों को सरल किया जाए जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले।

(तेरह) उत्तर बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): पिछले दशक में भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा के खर्च में वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत से आधिक रही। भारत जैसे देश में, जहां 86 प्रतिशत लोगों के पास किसी भी प्रकार का बीमा उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षा की बढ़ती कीमत एक चिंताजनक विषय है। भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु इस योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है।

उत्तर बिहार के हृदय में स्थित दरभंगा में 495660 लक्षित परिवारों में से केवल 18500 परिवारों का नाम दर्ज हो पाया है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था व बिहार के बाकी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मृत्यु दर के चलते उत्तर बिहार के संदर्भ में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि वे इस समस्या के कारणों की जांच कर, इस योजना के बेहतर प्रतिपालन हेतु उचित कदम उठाएं।

(चौदह) कर्नाटक में किसानों द्वारा सामना की जा रही जंगली सूअरों की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): कर्नाटक सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जंगली सूअरों के हमलों के कारण किसानों की फ़सलों को भारी नुकसान हो रहा है। न केवल फ़सल नुकसान, बल्कि इंसानों और मवेशियों पर हमलों की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के एक हिस्से में सूखा, दूसरे हिस्से में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान पहले से ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। इन सभी समस्याओं के अलावा, किसानों को जंगली सूअर, हाथियों आदि जंगली जानवरों के कारण होने वाली समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, यह एक बड़ा संकट है और इससे प्रभावित होने वाले किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। केवल कुछ मामलों में ही किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया गया था। अनेक संसद सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है और समय-समय पर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। इसके अलावा, कई पक्षों से सुझाव आए हैं कि चूंकि राज्य के वन विभागों के पास जंगली जानवरों का शिकार करने के आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाने चाहिए। मैं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची पाँच से जंगली सूअरों को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए कदम उठाएं। अतः, मैं केंद्र सरकार से नियमों में आवश्यक बदलाव करने और मानव जीवन और गरीब किसानों की फसलों और अन्य संपत्ति की रक्षा करने का आग्रह करता हूँ।

(पंद्रह) कर्नाटक के चित्रदुर्ग किले का समुचित रूप से संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री बी.एन. चन्द्रप्पा (चित्रदुर्ग): मैं संस्कृति मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक चित्रदुर्ग किले की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

चित्रदुर्ग एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक, चित्रदुर्ग किले के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, होयसालों के साथ-साथ विजयनगर साम्राज्य में चित्रदुर्ग के नायकों सहित क्षेत्र के राजवंशीय शासकों द्वारा किया गया था। यह किला एकता का एक अनूठा प्रतीक है क्योंकि इसमें एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों स्थित हैं। यद्यपि यह ए.एस.आई. के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल है, फिर भी इसका किसी भी प्रकार से रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

मैं संस्कृति मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस स्मारक का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि इसे कर्नाटक राज्य के एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

(सोलह) ओडिशा में एक म्युनिसिपल कैडर स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): मैं यह निवेदन करता चाहता हूँ कि शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013 में शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण के अधीन 'भारत में नगरपालिका संवर्ग की स्थापना के लिए एक दृष्टिकोण और विकल्प विकसित करने' संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया था। किसी राज्य के समर्पित नगर पालिका कैडर द्वारा किए जाने वाले कार्य का उद्देश्य बेहतर शहरी शासन प्रदान करना, परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करना और कुशल नगर पालिका सेवा प्रदान करना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जेएनएनयूआरएमएस के अंतर्गत किए गए प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधारों में नगर पालिका कैडर के सृजन के साथ-साथ कैडर प्रबंधन प्रणालियों जैसे भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, कैरियर प्रगति, प्रशिक्षण और कार्यनिष्पादन प्रबंधन आदि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। तदनुसार, जे.एन.एन.यू.आर.एम.-आई के संरचनात्मक सुधारों के तहत नगर पालिका संवर्ग का कार्यान्वयन एक ऐसा सुधार कार्य है जिसे राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाना है। तथापि, मेरे राज्य ओडिशा के लिए नगरपालिका संवर्ग संबंधी वित्तीय बोझ बहुत अधिक है। अतः इस संबंध में, शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि मेरे राज्य में नगरपालिका कैडर के गठन की पहल के संबंध में संक्रमणकालीन लागत हेतु अग्रिम अनुदान प्रदान किया जाए। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य में नगरपालिका संवर्ग के गठन का कार्य अंतिम चरण में है। केंद्र की वित्तीय सहायता से देश के शहरी क्षेत्रों को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए एक दक्ष नगरपालिका संवर्ग की स्थापना किए जाने के लिए, मेरे राज्य ओडिशा को वार्षिक रूप से रु. 128 करोड़ की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी, जिसे संक्रमणकालीन अवधि के पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता है। अतः, मैं भारत सरकार से इस मामले पर ध्यान देने और मेरे राज्य ओडिशा में नगर पालिका संवर्ग को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूँ।

(सत्रह) उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या. 202 (1995 & 1996) के संबंध में एक वरिष्ठ सॉलीसीटर की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सिंधुदुर्ग जिले में भारी मात्रा में निजी वन क्षेत्र कई वर्षों पहले जाहिर हुआ। करीबन 40242 हेक्टेयर निजी जमीन के ऊपर 15 वर्षों पहले वन स्वद्न्य (प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड) की गई, उसी कारण वहां के स्थानीय ग्राम वासियों के सामने मुसीबतें खड़ी हुई। खुद की जमीन होने के बावजूद भी उसका उपयोग ग्रामवासी न ही घर के लिए और न ही अन्य किसी के लिए उपयोग कर सकते हैं। ग्रामवासियों ने कई शिकायतें जिला प्रशासन और महाराष्ट्र के महसूल विभाग के पास कई बार की। जिला प्रशासन सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के महसूल विभाग ने ग्रामवासियों की शिकायतों की जांच की और 40366 हेक्टेयर निजी जमीन निजी वन क्षेत्र से निकालने की सिफारिश केन्द्र सरकार के पास की। यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है। केन्द्र सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जो दावा (रिट पिटिशन नम्बर 202, 1995 और 1996) प्रलंबित है, उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ सोलिसिटर की नियुत्ति करने की जरूरत है।

(अठारह) पंजाब में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों हेतु विशेष प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाएं। यह सर्वविदित तथ्य है कि पहले के भारत-पाक युद्धों और सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा निरंतर चलाई जा रही गतिविधियों के कारण राज्य में आंतरिक शांति भंग हो गई थी। हमारे किसान ज़मीन के आखिरी इंच पर भी खेती करने के लिए अपनी जान का जोखिम में डाल रहे हैं। कोई भी उद्योगपति पंजाब में निवेश करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। यहां तक कि सीमा पर होने वाली इन गतिविधियों के कारण स्कूल और अस्पताल एवं सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। कृषि आगे नहीं बढ़ पा रही है, राज्य के युवा बेरोजगारी के कारण बहुत परेशान और निराश हैं। सीमा पार से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी के कारण पंजाब की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह करता हूं ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके।

अपराह्न 2.14 बजे

वित्त विधेयक 2016

माननीय सभापति : आयटम नं. 14. श्री जयंत सिन्हा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदय, श्री अरुण जेटली की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं[10*]:

"कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एम. वीरप्पा मोइली।

[10] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): सम्मानित सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक 2016 पर चर्चा शुरू करने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मुझे एक टिप्पणी करनी है। हम काफी समय से संसद की कार्यवाही का हिस्सा रहे हैं। सभा में वित्त विधेयक का अपना एक अलग महत्व रहा है। सामान्यत: वक्ता को अनिवार्य रुप से सभा में उपस्थित रहना होता था, वित्त मंत्री भी उपस्थित रहते थे। ... (*व्यवधान*) मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ सुनिश्चित परम्पराएं हैं जिनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सभापति महोदय, मैं चेयर से शुरू में ही आग्रह करना चाहता था, क्योंकि यह विषय उभर कर आने की संभावना थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने सभी पार्टी के सम्मानित सदस्यों से आग्रह किया था कि एक ऐसी स्थिति है कि हम आज, यानी 4 तारीख को फाइनेंस बिल रखना चाहते थे। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि वित्त मंत्री जी आज की तिथि में उपलब्ध नहीं रहेंगे, लेकिन राज्य मंत्री रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी इस बहस को प्रारंभ किया जाये, अगर आपकी सहमति बनती है, तो हम इसे रखेंगे, अन्यथा हम इसकी तिथि आगे बढ़ा देंगे। बी.ए.सी. में सब लोगों ने एक सहमति व्यक्त की कि ठीक है, राज्य मंत्री रहें, क्योंकि आगे भी हमें कुछ बिजनेस संपादित करना है। हम पूरे सदन की गरिमा को समझते हैं, हम इस बात को महसूस करते हैं कि वित्त मंत्री जी को किसी अपरिहार्य कारणों से, जो पहले से निर्धारित था, उन्हें विदेश जाना था। लेकिन वे कल उत्तर के समय आपके बीच में रहेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमारी सहमति बन चुकी है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा, वह भी सही है। लेकिन सरकार की कुछ कठिनाइयां थी, जो हमने आपके सामने रखीं। आपने सहमति दी, इसलिए माननीय राज्य वित्त मंत्री जी इस बहस में पूरे दिन रहेंगे और कल वित्त मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं आपसे औपचारिक रूप से यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि शिष्टाचार के नाते, उन्हें यहां होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि कार्य मंत्रणा समिति में क्या चर्चा हुई है। मुझे नहीं पता कि आपके और विपक्ष के अन्य सदस्यों के बीच क्या चर्चा हुई है। लेकिन देश को भी यह बात पता नहीं है। आखिरकार, पूरे देश की नज़र इस पर है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। … (*व्यवधान*) इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह शिष्टाचार है, लेकिन यह ठीक है कि आप सभा का कार्य चलाना चाहते हैं। हम यहां इसमें बाधा डालने के लिए नहीं हैं।

मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं और वह यह है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद, इसे विभिन्न स्थायी समितियों को भेजा जाएगा। वे वित्त मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न पहलुओं की जांच करती हैं और फिर प्रत्येक समिति एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह बात एक औपचारिकता बनती जा रही है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन की प्रस्तुति और संसद की कार्यवाही शुरू होने के बीच कम से कम कुछ समय का अंतराल होना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि किस विषय पर वाद-विवाद हो रहा है। अन्यथा, यह बात समिति और मंत्रालय के बीच ही सीमित रह जाएगी और स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझावों का एक भी तथ्य अथवा एक प्रतिशत हिस्सा भी उस बजट में परिलक्षित नहीं होगा जो हम पारित कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है लेकिन हम किसी भी समिति द्वारा उठाए गए किसी भी विषय को देखे बिना इसे आँखें बंद करके पारित कर रहे हैं। मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या आपके समय में कुछ अलग तरीके से यह कार्य होता था?

श्री एम. वीरप्पा मोइली: कभी-कभी यह अलग तरीके से होता है, कभी-कभी यह परिलक्षित होता है। लेकिन अगर आप इसे एक दिन के भीतर ही परिलक्षित करने में सक्षम हैं … (*व्यवधान*) चाहे कुछ भी हो, परन्तु यह मेरे लिए अथवा आपके लिए अथवा किसी भी मंत्रालय के लिए कोई बहाना नहीं है। लेकिन यह परिलक्षित नहीं होता है। हम केवल वास्तविक कार्य समाप्त होने के बाद इसका विश्लेषण ही कर सकते हैं।। सब कुछ लागू होने

के बाद, अगले वर्ष हम बजट के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह अनुचित है। अंत में, जो महत्वपूर्ण है वह संस्थाएं हैं। यदि संस्थाएं विफल हो जाती हैं, तो लोकतंत्र भी विफल हो जाएगा। आप दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की तुलना करें। दक्षिण कोरियाई लोकतंत्र इसलिए कायम है क्योंकि वहां संस्थाएं कायम हैं जबकि उत्तरी कोरिया में ऐसा नहीं है जहां संस्थाएं विफल रही हैं। इस तरह असफल राष्ट्रों का इतिहास इसी बात को दर्शाता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ अथवा इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय यही हो रहा है। हमारे सम्मानित साथी माननीय वित्त राज्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं।

आज के *टाइम्स ऑफ इंडिया* में नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा लिखा गया एक लेख प्रकाशित हुआ है। आपने देखा ही होगा। इसका शीर्षक है, "मिराकल ग्रोथ विल रिटर्न ("चमत्कारिक विकास वापस लौट आएगा") और फिर इसका उप-शीर्षक है, 'दि मोदी गवर्नमेंट हैस बीन बैलटलिंग ए फ्लाअड इनहेरिटेंस इन इट्स फर्स्ट टू ईयर्स' ('मोदी सरकार अपने पहले दो वर्षों में एक त्रुटिपूर्ण विरासत से जूझ रही है')। यदि आप केवल शीर्षक से ही इसका अर्थ निकालते हैं, तो इसका कुछ अर्थ निकलता है परन्तु यदि आप अंतिम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसका पूरा अर्थ निकल सामने आता है। यह सच्चाई को दर्शाता है। मैं हर वाक्य को नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अंतिम वाक्य को पढ़ता हूँ जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है:

> " इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने में कोई गलती न करें । मई 2014 से नीति में बहुत परिवर्तन हो चुका है और जो भारत ने वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 तक जो 8.3% की चमत्कारिक वार्षिक वृद्धि देखी थी, वो वापस लौटने वाली है।"

मुझे लगता है, जो सरल अंग्रेजी पढ़ सकता है, वह समझ सकता है कि इस में लेख में सं.प्र.ग. - I और II की सरकारों का गौरव गान किया गया है। यह बहुत स्पष्ट है। ऐसा हो सकता है कि शीर्षक समाचार पत्र की संपादकीय टीम के लोगों द्वारा दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि शीर्षक स्वयं लेखक द्वारा दिया गया होगा। हालांकि बीच-बीच में लेखक कुछ संदर्भ देता है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह अंतिम पैराग्राफ है।

मैं इसके विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यही बात परिलक्षित हुई है यदि आप तीन वर्ष पहले के रा.ज.ग. सरकार के *आर्थिक सर्वेक्षण* को देखेंगे तो उसमें भी वास्तव में यह कहा गया था कि वर्ष 2014-15 से अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो जाएगा तथा इसमें तेजी का दौर शुरू हो गया है। तो फिर ये क्या हुआ? क्या आपने ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी को हटा लिया है? अपने अवश्य ही ऐसा किया होगा क्योंकि आपकी सरकार के आर्थिक सलाहकार श्री सुब्रमणियन द्वारा रा.ज.ग. सरकार के पहले वर्ष में प्रस्तुत *आर्थिक सर्वेक्षण* की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। तो फिर क्या हुआ था? क्या आपने ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी को हटा दिया है जिससे कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आए और जिससे में सं.प्र.ग. - I और II की सरकारों की बदनामी हो सके? या फिर ऐसा क्या हुआ ये तो आपको ही बताना होगा। पहले *आर्थिक सर्वेक्षण* रिपोर्ट के साथ इसे पढ़ने के बाद यही बात निकलकर सामने आती है।

मैं निश्चित रूप से, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वित्त और अर्थशास्त्र को जानता है और राज्य और केंद्र दोनों में प्रशासन में 45-46 साल की सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में, यह कहना चाहता हू कि अब समय आ गया है कि राष्ट्र को एक पूर्णकालिक वित्त मंत्री की आवश्यकता है, न कि मल्टी-टास्किंग वित्त मंत्री. की, उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): वे सक्षम व्यक्ति हैं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं इस बात से सहमत हूं कि वे एक सक्षम व्यक्ति हैं। आप जानते ही होंगे कि किसी भी व्यक्ति की एक क्षमता होती है। आप इस क्षमता को कितना बढ़ा सकते हैं? अन्यथा, अंततः योग्यता असमर्थता में परिवर्तित हो जाएगी।

श्री पी.पी. चौधरी: यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: जिसे आप देख चुके हैं। मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): राजस्थान में गर्मी सहन की जा सकती है, परन्तु जम्मू और कश्मीर में नहीं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: दूसरी मांग यह है, हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आत्म बल के धनी और अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे लेकिन वे आत्म बल के धनी और अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। परन्तु उनके आत्मबल और उनकी असीमित ऊर्जा का क्या उपयोग हो पा रहा है ? कृपया प्रत्येक इवेंट के लिए एक अलग इवेंट मैनेजर नियुक्त करें। आप प्रधानमंत्री जी को इवेंट मैनेजर क्यों बनाते हैं अथवा प्रधानमंत्री जी की गरिमा को उन्हें एक इवेंट मैनेजर बनाकर कम क्यों करते हैं? माननीय सदस्य ने कहा कि उनके पास क्षमता है। उनके पास जन सम्पर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.) के रूप में कार्य करने की क्षमता है। उनके पास इवेंट मैनेजर का कार्य करने की क्षमता है। उनमें सभी मंत्रियों के कार्य को करने की क्षमता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और हम आपसे सहमत हैं। चौधरी जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि उनमें क्षमता है। परन्तु वे आत्म बल के धनी और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आप देश के प्रशासन को चलाने के लिए उस आत्म बल और ऊर्जा उपयोग क्यों नहीं करते हैं? आप इस आत्म बल और ऊर्जा को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं अथवा इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूं लेकिन यही हो रहा है।

अब हम वर्ष 2016-17 के बजट के बारे में चर्चा करते हैं। आप विश्व स्तर पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार हो रहा है और इसमें उतार-चढ़ाव आ रहे हैं और इस समय किस बात की आवश्यकता है? वैश्विक परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आपको विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधार करने होंगे, बजट बाह्य संसाधनों से वित्त जुटाना होगा और इसके साथ ही राजसहायता को यथासंभव तर्कसंगत बनाकर राजकोष को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि राजकोषीय घाटे को बढ़ने नहीं दिया गया है। मैं इसकी सराहना करता हूं परन्तु ऐसा आप कितनी कठिनाई और किस कीमत पर कर रहे हैं? इस बात में कोई शक नहीं है कि आपने आप एफ.आर.बी. अधिनियम में संशोधन करने का रास्ता खुला रखा है। बजट प्रस्तुत होने के बाद भी, हम उसे संशोधित करने के बारे में आपके विचार एवं दृष्टिकोण को समझ नहीं पाए हैं।

वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट का सटीक विश्लेषण करने के बाद, मैं कह सकता हूं कि हर तरह से, यह एक विफल बजट है। किसी भी कर संबंधी उपाय जैसे जी.एस.टी., विदेशी संस्थागत निवेशकों से संबंधित एम.ए.टी. के मुद्दे तथा टैक्स कोड आदि को कार्यान्वित नहीं किया गया है। आपने कई समितियों का गठन किया था और सभी के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन उनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया है। संसाधनों के स्तर पर भी यह एक विफल बजट है। सुधारों की दृष्टि से भी यह एक विफल बजट है।

मेक इन इंडिया सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है परंतु वर्तमान बजट में इस पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। घरेलू खपत और निर्यात दोनों को बढ़ाने के लिए विनिर्माण इकाइयों या विदेशी विनिर्माताओं को आकर्षित किए जाने के बारे कुछ चर्चा की गई थी जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं? इनका प्रभाव कहां दिखाई दे रहा है? मैं कर नीति के संबंध में रणनीति बनाने के मुद्दे पर आता हूं। इस बात की आवश्यकता है कि सरकार बौद्धिक कानूनी ढ़ांचे, रणनीति और कार्य योजना पर कार्य करे। कम-से-कम, हम नीति आयोग से कुछ अपेक्षा कर सकते हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह थिंक टैंक के रूप में काम करता है। क्या इसने कोई काम किया है? क्या कोई रणनीति बनाई है? क्या कोई कानूनी ढ़ांचा सामने आया है? क्रांतिकारी सुधार किए जाने वाले थे वे कहां हैं?

सभापति महोदय, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत की राजकोषीय स्थिति ऐसी है कि वह छोटे से छोटे संकट भी का सामना करने में अक्षम है। इस बजट में इस स्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की कोई संभावना नहीं है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह एक वैश्विक रूझान है। यह एक राष्ट्रीय रूझान भी है। भारत के बैंकों की स्थिति भी सही नहीं है। बैंकों की अनर्जक आस्तियों तथा अन्य कई मुद्दों के कारण, वे इस स्थिति में नहीं है कि वे कृषि क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र को कर्ज दे सके। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। भगवान न करे, यदि वर्ष 2007-08 की तरह कोई मंदी आती है, तो हमारा देश इससे प्रभावित होने वाला पहला देश होगा जिसमें एक या दो बैंक अथवा कई बैंकों का अस्तित्व संकट में आ सकता है। क्या आपने इस तरह के खतरे को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं?

पिछले बजट की सबसे निराशाजनक बात यह रही है कि इसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी कटौती की गई है और गलत अनुमान लगाए गए हैं। इनमें से कुछ समस्याओं का वर्तमान बजट में किस प्रकार समाधान किया गया है। मैं सभी बिंदुओं पर बहुत संक्षेप में बात करूंगा। मैं बिना किसी उदाहरण के केवल प्रमुख तथ्यों का ही उल्लेख करूंगा। क्या यह बजट कृषि विकास को गति प्रदान कर सकता है? आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। आप कहते हैं कि 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर को हासिल किया जा सकता है। आपने कृषि क्षेत्र के लिए धनराशि को रु. 15,809 से बढ़ाकर रु. 35,983 कर दिया है। यह 127 प्रतिशत की वृद्धि है। जब धनराशि को इतना अधिक बढ़ाया गया तो हर कोई खुश हुआ था।

लेकिन आखिरकार हुआ क्या? बढ़ाई गई धनराशि में से अधिकांश हिस्सा, अर्थात, रु.15000 करोड़ अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के कारण था जो कार्य वित्त विभाग का था, आपने इसे कृषि विभाग को अंतरित कर दिया है। आप लोगों को धोखा क्यों देते हो? तथ्यों को प्रस्तुत करते समय सच्चाई और ईमानदारी का पालन करे। अब कृषि योजनाओं की आलोचना हो रही है क्योंकि इनका दुरुपयोग बड़े किसानों द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मेरा दूसरा मुद्दा मनरेगा से संबंधित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री -- निश्चित रूप से इसे जाने बिना; जमीनी हकीकत को समझे बिना; इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि कभी-कभी जो लोग सत्ता में आने के लिए उत्सुक होते हैं वे बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं -- ने कहा कि यह एक बड़ी गलती है अथवा किसी अन्य सटीक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब, सरकार ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह एक आपदा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है जब किसी को एहसास होता है और पछतावा होता है और वह पहले वाली स्थिति को सही ठहराता है। हम इस बात को समझते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने की कोई बात नहीं है। अब, आप कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में कृषि की वृद्धि दर एक प्रतिशत से भी कम है और सरकार यह आशा करती है कि इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। यह कैसे संभव है? इस

प्रकार सरकार को ठोस और यथार्थवादी तरीके से विशिष्ट दिशानिर्देशों को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार इसे कैसे हासिल करने जा रही है। सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य अवास्तविक राजस्व अवधारणा पर आधारित हैं। हमें इस बात की आशंका है कि विकास संबंधी परिणामों को प्राप्त करने बारे में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि संसाधनों का आबंटन उसी अनुपात में नहीं किया गया है। वास्तव में, विवरण के अनुसार मनरेगा के लिए अब तक किया गया सर्वाधिक आबंटन रु. 38,500 करोड़ का था। यह सही नहीं है क्योंकि वर्ष 2013-14 में ही इस मद में खर्च रु. 38552 करोड़ तक पहुंच गया है। इसे दोगुना होना चाहिए था। यह 2013-14 में संप्रग-II की सरकार के दौरान ही यह रु. 38552 करोड़ था और अब इस सरकार ने रु. 38500 करोड़ प्रदान किए हैं और सरकार का यह दावा है कि यह एक बड़ी बढ़ोतरी है। सरकार को ईमानदारी से तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कम से कम 21 राज्यों को अभी भी उस धनराशि की आवश्यकता है जिसे उन्होंने खर्च किया है। यह मांग आधारित कार्यक्रम है। यह रु. 38000 करोड़ अथवा रु. 75000 करोड़ हो सकता है। यह मांग आधारित कार्यक्रम है। सरकार मनरेगा जैसे इस बहुत ही महत्त्वपूर्ण मांग आधारित कार्यक्रम को आधे अधूरे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है जो सही नहीं है। संप्रग शासन-काल के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 230.5 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया था जबकि वर्ष 2015-16 में श्रम दिवस घटकर मात्र 179 करोड़ रह गए हैं। श्रम दिवसों में अत्यधिक कमी आई है।

यदि आप *आर्थिक सर्वेक्षण* का अवलोकन करें तो आपको इस बात का पता चलता है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर जारी है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार योजना प्रक्रिया को समाप्त कर रही है। मैंने संस्थाओं के बारे में उल्लेख किया था। समय की कसौटी पर खरे सिद्ध होने वाले संस्थाओं को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में सबसे पहले योजना प्रक्रिया को समप्त किया गया है। इसके बाद आपने क्या किया है? मैं उन बातों का भी उल्लेख करूंगा। मैं एक उदाहरण भारत के डेयरी क्षेत्र का देना चाहूंगा। यदि सरकार कुछ कार्यक्रमों को चलाती है तो किसानों की आय को दोगुनाी करना बहुत आसान हो जाएगा। परन्तु इस कार्य के लिए कितना आबंटन किया गया है? यह कृषि से संबंधित सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लिए रु.

850 करोड़ का आबंटन किया गया जो कि कुल कृषि बजट का मात्र 2.36 प्रतिशत है और इसमें पशु कल्याण कार्यक्रम और पशु स्वास्थ्य कार्डों को उपलब्ध कराया जाना और उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, प्रजनकों को जोड़ने के लिए एक ई-मार्केट पोर्टल का निर्माण और अन्य सभी बातें इसमें शामिल है। इन सभी कार्यों से आपको मदद नहीं मिलने वाली है। वास्तव में, यह बेहद मुश्किल कार्य है क्योंकि इस क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा असंगठित है। इस कार्य को करने के लिए चुनौतियां क्या है और आपने क्या समाधान उपलब्ध कराए हैं? यदि आप इस कार्य के बारे में सही मायने में गंभीर हैं, केवल बयानबाजी करने और नारे देने तक ही सीमित नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसा किया जाना संभव है। यह एक सरल कार्यक्रम है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह फसल बीमा कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। यह सार्वजनीन फसल बीमा नहीं है। आइए पहले इसे समझते हैं। बीमा प्रीमियम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसका मतलब है कि आप बीमा कंपनियों को बिना किसी सीमा के फलने-फूलने की अनुमति दे रहे हैं। बीमा प्रीमियम की भी कोई सीमा नहीं है और इसलिए राजसहायता की मात्रा तदनुरूप बढ़ जाएगी और इसकी धनराशि बहुत अधिक हो जाएगी। पुरानी योजनाओं में फेर-बदल करने के बजाए, सरकार को सार्वजनीन फसल बीमा को अनिवार्य बनाना चाहिए।

इस बारे में आपने क्या किया है? आपने केवल रु. 5500 करोड़ उपलब्ध कराएं हैं। यह प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसका यह अर्थ है कि पिछली योजना की तुलना में कवरेज पाँच प्रतिशत बढ़ाया गया है। आपने वादा किया था कि आप 50 प्रतिशत कवरेज प्रदान करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस तरह की योजना के लिए इस तरह के प्रावधान के साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है।

मैं प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह पिछली सरकार द्वारा लाई गई पुरानी योजना के नाम में किया गया पविर्तन मात्र है। इसमें पहले की योजना से कुछ भी अलग नहीं है।

जहां तक काले धन का संबंध है तो लगभग रु. 3770 करोड़ के काले धन का प्रकटीकरण किया गया है और इससे रु. 2264 करोड़ का कर प्राप्त हुआ है। संप्रग के शासन के दौरान रु. 33000 करोड़ का प्रकटीकरण हुआ था और संप्रग सरकार के अधीन रु. 10,000 करोड़ का कर राजस्व प्राप्त हुआ था और आप कहते हैं कि

यह सब एक बुरी विरासत थी और यह एक अच्छी विरासत है। आपने तो आगे बढ़कर यह तक कहा था कि हम प्रत्येक नागरिक के खाते में रु. 15 लाख जमा कराएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा अध्यक्ष ने इस बयान को स्पष्ट किया है कि यह केवल चुनाव के दौरान कहा गया था, वे इस तरह के नारे लगाते हैं और कोई भी इसके बारे में गंभीर नहीं है। यह सुनामी की तरह बहुत बड़ा *जुमला है।*

अब, पनामा पेपर्स सामने आये हैं और सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। आइए *गरीबी हटाओ* और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं उस पर वाद-विवाद होने दीजिए। लेकिन आपकी ओर से इस दिशा में कोई कार्य भी नहीं शुरू किया जा रहा हैं। यही समस्या है।

हवाला के माध्यम से धनराशि के लेन-देन में भी वृद्धि हो रही है। प्रोमिसरी नोट भी सात वर्षों में सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए हैं। यह 2.2 लाख करोड़ रुपये के हो गए हैं। आप कहते हैं कि आप इसे रोक रहे हैं। किसी भी तरह से, आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं। यह बढ़ता जा रहा है। सरकार को पनामा मुद्दे और काले धन पर एक श्वेत पत्र अवश्य लाना चाहिए।

हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान, सरकार और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली पेट्रोलियम राजसहायता पिछली सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण प्रतिवर्ष रु. 85,378 करोड़ की थी। आप इसे बुरी विरासत कह सकते हैं लेकिन यह एक अच्छी विरासत है। यह घटकर रु. 26,947 करोड़ रह गई है।

इसके अलावा, कच्चे तेल के मूल्य में भी गिरावट आई है परन्तु इससे क्या किसी उपभोक्ता को लाभ मिला है? अथवा क्या कोई तेल कंपनी इससे लाभान्वित हो रही है? गेल जैसी कंपनियाँ हैं। यह दावा करती है कि इसने पहले ही संप्रग के शासन-काल के दौरान 35,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा चुकी है लेकिन किसी भी पाइपलाइन परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है। जो कार्य किया जा चुका है वह वहीं पर रुका हुआ है। जहां तक अन्वेषण का संबंध है, केवल कुछ महीने पहले की गई किसी कार्यक्रम की घोषणा को छोड़कर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। संप्रग - II सरकार के शासन-काल दौरान टी.ए.पी.आई. पाइपलाइन के संबंध में एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैं स्वयं एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उस देश की यात्रा पर गया था। वक्तव्यों को जारी किए जाने के सिवाय आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

संप्रग सरकार ने उडुपी जिले के मंगलूरु, पादुर और विशाखापटनम में भी तीन रणनीतिक भंडारों अथवा कंदराओं (केवर्न्स) के निर्माण का कार्य पूरा किया था। हमारी मंशा इनमें तेल का भंडारण करने की थी। इन कंदराओं (केवर्न्स) का इष्टतम उपयोग करने का यह सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम हो चुकी है। दो वर्षों के बाद भी, आपने संप्रग सरकार की दूरदर्शिता को स्वीकार नहीं किया है। हमने ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी का निर्माण किया था। इसके संबंध में 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। चक्रवात के कारण कुछ नुकसान हुआ और हमने इसके उद्घाटन में देरी की थी। लेकिन आपके मंत्री और प्रधान मंत्री वहां जाकर कहते हैं, यह राजग की उपलब्धि है। शायद यह एक ख़राब विरासत है! इस देश में हमारे द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे अच्छी रिफाइनरी है। आप कहते हैं कि यह एक ख़राब विरासत है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता कि वे जाकर इसका उद्घाटन करें। लेकिन मैंने कहा, चूंकि कुछ मरम्मत का कार्य होना बाकी था, हम मरम्मत का कार्य पूरा करने के बाद इसका उद्घाटन करेंगे। हम ऐसी उपलब्धियों का श्रेय लेने में रूचि नहीं रखते हैं। हम ऐसी सस्ती लोकप्रियता नहीं हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा करते हैं और वहां जाकर यह घोषणा करते हैं कि हमने इस कार्य को किया है और यह राजग सरकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है। आप इसका दावा कर सकते हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि यह संप्रग सरकार की उपलब्धि है। संप्रग - I और II सरकारों के कार्यकाल के दौरान हमने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का नौवां दौर पूरा कर लिया था और पहले ही जनवरी, 2014 में दसवें दौर की घोषणा कर दी थी। लेकिन आप इससे लाभान्वित होने में विफल रहे। आपने तो इसे रोक ही दिया। अन्वेषण कार्य रोक दिया गया। संप्रग सरकार ने शेल और सी.बी.एम. के अन्वेषण के लिए बड़ी पहल की थी। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप अभी कितना समय लेंगे?

श्री एम.वीरप्पा मोइली : सर, आपका आदेश, आपकी मर्जी।

माननीय सभापति : अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय सदस्य अच्छी बात कर रहे हैं और उनके प्रति आपका प्रेम भी है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): टाइम तो बी.ए.सी. में तय हुआ था।

माननीय सभापति : फिर आपकी पार्टी के सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

[अनुवाद]

श्री वीरप्पा मोइली: इस अन्वेषण कार्य से कई विदेशी और स्वदेशी अन्वेषणकर्ता पीछे हट रहे हैं। वर्तमान सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण वे अन्वेषण कार्य से पीछे हट रहे हैं।

संप्रग सरकार ने एल.पी.जी. के संबंध में आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ योजना के कार्यान्वयन के लिए 295 जिलों को शामिल किया था और बैंकों के साथ भी समझौता किया था। इन सभी कार्यों के लिए नब्बे प्रतिशत कार्य संप्रग सरकार द्वारा किया गया था, विशेष रूप से एल.पी.जी. के संबंध में। आधार कार्ड की अवधारणा हमारे द्वारा लाई गई थी। इस आधार संबंधी योजना को हमने बनाया था। उस समय आपने इसकी कड़ी आलोचना की थी। आज, आपके लिए आधार सबसे अच्छी योजना है और यह आपका एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। ठीक है। … (*व्यवधान*) हम संघर्ष करते हैं और कार्य भी करते हैं। लेकिन आप न तो संघर्ष करते हैं और न ही कुछ कार्य करते हैं। आप दोनों कार्य नहीं करते हैं। … (*व्यवधान*) मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि क्या कुछ हो रहा है। इस समय आधार आपका एक प्रमुख कार्यक्रम है। वास्तव में, बैंक सीडिंग सहित 80 प्रतिशत कार्य हमने ही किया था। लेकिन अब आप ऐसा कह रहे हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इसका उल्लेख कर रहा हूं। मैं केवल कुछ तथ्यों का वर्णन करना चाहता हूं।

ज्वैलर्स अभी भी हड़ताल कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल में भी ऐसा ही निर्णय लिया गया था। उस समय, हमारे वित्त मंत्री जी, जो इस समय भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं, ने उन्हें बुलाया और रातों-रात इस मुद्दे को सुलझा लिया था।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए, अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री वीरप्पा मोइली: इसके अलावा, हमारी सरकार ने विद्युत एवं ऊर्जा के संबंध में अधिकतम क्षमता का सृजन किया था। मेरे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं। शायद यह क्षमता लगभग दो लाख मेगावाट अथवा उससे कुछ अधिक थी। आजकल मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि जब विद्युत का उत्पादन करने वाले उद्यमी विद्युत मंत्री से मिलने जाते हैं, तो वे उनसे पूछते हैं कि आपने विद्युत संयंत्र की स्थापना क्यों की है। क्या इसकी स्थापना करना पाप है? उन्होंने राष्ट्र के लिए विद्युत संयंत्रों का निर्माण किया है। हम किसी भी तरीके से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

यहां तक कि गैस भी उपलब्ध है; पाइपलाइन संबंधी कार्य आधा-अधूरा है, अथवा कहीं-कहीं पर तीन-चौथाई कार्य पूरा हो पाया है। इस देश में उपलब्ध विद्युत क्षमता; एवं उपलब्ध गैस क्षमता का उपयोग करने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे एल.एंड.जी. टर्मिनल पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं हैं। आप किन चीजों का निर्माण कर रहे हैं? क्या आप बिना किसी आधार के इन चीजों का निर्माण कर सकते हैं? इन सबके लिए, संप्रग - I और संप्रग - II सरकारों द्वारा क्षमता का निर्माण किया गया था। आप इन क्षमताओं का लाभ उठाने की स्थिति में तक नहीं हैं।

अटल पेंशन योजना एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में, मैं प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। जनवरी 2015 की स्थिति के अनुसार ए.पी.वाई. के अंतर्गत लक्षित दो करोड़ व्यक्तियों में से केवल 9.5 प्रतिशत को ही शामिल किया जा सका है। क्या यह कोई उपलब्धि है? यह सामाजिक सुरक्षा है। बेशक, आपने हमारे सभी कार्यक्रमों के नाम बदल दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीनदयाल कार्यक्रम कर दिया है। जब हम तीन साल बाद वापस आएंगे, तो इसका नाम बदल देंगे। इसकी चिन्ता न करें। हम इसका नाम बदल देंगे। अब आप सब कुछ बदल सकते हैं। अगर कुछ योजनाओं के नामों को बदलना बाकी है, तो आप उनका नाम भी बदल सकते हैं।।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय मोइली जी, आपको बोलते हुए आधा घण्टा हो चुका है, कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपकी कृपा पर निर्भर हूं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, और उन सभी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया है। आपने इसे बढ़ाया नहीं है। पुनः आप सहकारी संघवाद की बात करते हैं। मैं केवल कर्नाटक का ही एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि आपने 14$^{वें}$ वित्त आयोग के अधीन 42 प्रतिशत दिया गया है। यह केवल एक उदाहरण है। यही हर राज्य की नियति है। कृपया प्रत्येक राज्य से विवरण प्राप्त करें। आप कहते हैं कि जब 14$^{वें}$ वित्त आयोग की बात आती है, तो यह सिर्फ एक अनुमान है। आप यही कहते हैं।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है, वास्तविक न्यागमन वास्तविक कर संग्रह पर आधारित होता है न कि सरकार के अनुमान पर आधारित होता है। और इस प्रकार कर्नाटक को रु. 7,843 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं। सभी राज्यों में यही स्थिति है। मुझे नहीं पता कि विभिन्न दलों के माननीय संसद सदस्य इसके बारे में चुप क्यों हैं। न्यागमन क्या होता है? आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? एक ओर, 14$^{वें}$ वित्त आयोग के कारण राज्यों हेतु न्यागमन में वृद्धि हुई है; दूसरी ओर, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में अत्यधिक कमी हुई है, और समग्र रूप से इसका प्रत्येक राज्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

जब राज्यों के हिस्से की बात आती है तो उसकी भी यही स्थिति है – इस प्रकार कर्नाटक को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में रु. 1,987 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं। सभी जगह धनराशि में कमी आई है। यद्यपि

वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों में कुछ योजनाओं के केंद्रीय हिस्से में बढ़ोतरी हुई है, समग्र रूप से, राज्य को केवल रु. 322 करोड़ प्राप्त हुए हैं। मैं आई.सी.डी.एस., आर.एम.एस.ए., आर.के.वी.ए., एन.आर.डी.पी., आदि के सभी विवरण दे सकता हूं। कर्नाटक के मामले में सभी कार्यक्रमों को मिलाकर, ₹4,747.43 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं। सभी जगह कमी की गई है। आप इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम क्या निकला है?

माननीय सभापति, महोदय, मैं और दस मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : 10 मिनट और लेंगे। आप इतना समय मत लीजिए। अन्य मैम्बर्स ने भी बोलना है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली : मैं जानता हूं महोदय।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपको बोलते 35 मिनट हो चुके हैं। आपकी पार्टी के जो अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का समय नहीं मिल पाएगा।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं कुछ और तथ्यों के बारे में संक्षेप में बोलूंगा। जहां तक बैंकों का संबंध है, आज के 'दि मिंट' अखबार में यह प्रकाशित हुआ है कि – 'बैंक एपीएएस: इंडिया वर्स्ट इन एशिया बाय फॉर (`बैंकों में अनर्जक आस्तियों के संबंध में: भारत की स्थिति एशिया में सबसे खराब है।`) आप इस स्थिति को देखें। कुछ अनर्जक आस्तियां हमारे समय की हैं; कुछ आपके समय की। लेकिन आपने क्या किया है? आप इस संबंध में निष्क्रिय हैं; इनकी वसूली कीजिए। आप के पास इनकी वसूली करने की क्षमता या साहस की कमी है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि आप निष्क्रिय हैं। आप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों की नियुक्तियां कैसे कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो बैंक में महाप्रबंधक बनने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है, उसे आप तत्काल शीर्ष पांच बैंकों में से

एक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। क्या यह जनशक्ति का प्रबंधन करने का सही तरीका है?आपने इस बारे में पूरी तरह से हतोत्साहित करने वाला रवैया अपनाया है।

सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। वास्तव में, हमारी वित्त संबंधी स्थायी समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस बारे में न केवल देश में वाद-विवाद हो रहा है, बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी आपसे सहमत नहीं थे। कई अर्थशास्त्री भी इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन आप व्याकुल हैं। इसे 5 ½ प्रतिशत से बढ़ाकर तत्काल 8.9 प्रतिशत अथवा 9 प्रतिशत करना चाहते थे। ऐसा करना तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसे अतार्किक तरीके से किया गया है। कोई भी अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं है। समृद्धि को कैसे मापें, इस पर दुनिया में एक बड़ी बहस चल रही है। स्थायी समिति ने पहले ही कहा है कि यह सही तरीका नहीं है।

भारत की कर संरचना की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले अत्यंत खराब है। कर एवं सकल घरेलू अनुपात की क्या स्थिति है? कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात एक देश के विकास का आकलन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला एक तरीका है और इसकी गणना सरकार द्वारा संगृहीत किए गए कर राजस्व को उस देश के सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित करके की जाती है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सभी विकसित एवं विकासशील देशों में सबसे कम कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वाला देश भारत है। आप इसका हिसाब कैसे देगें? आप मुझे यह स्पष्टीकरण देकर संतुष्ट कर सकते हैं कि आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। यह बहुत ही बुरी स्थिति है।

हमारे देश में कर की कुल दर सबसे अधिक है। वास्तव में, भारत में कर अनुपालन में लगने वाला कुल समय विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। यह कर प्रबंधन में आपकी अक्षमता को दर्शाता है। आप कई रिपोर्टों में सुझाए गए किसी भी कर सुधार को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। कर कटौती, सरलीकरण और इसे युक्तिसंगत बनाए जाने के संबंध में कटौती और छूट की समीक्षा किए जाने हेतु के वास्तविक कारण विद्यमान हैं। आपने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए हैं।

माल एवं सेवा कर के संबंध में, सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है। बजट में आपके कराधान उपाय माल एवं सेवा कर सिद्धांत के प्रतिकूल हैं और इससे आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। यदि अनुपालन नहीं होता है, तो इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आप इस देश को विफल बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं और अंततः आप ऐसा ही करना चाहते हैं। आप माल एवं सेवा कर के बारे में गंभीर नहीं हैं, लेकिन आप केवल इसके बारे में बातें रहे हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि इन पाँच वर्षों में इन्हीं सब बातों को बोलकर आप अगले चुनाव में सफल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप बुरी तरह से विफल हो जाएंगे। बेशक, यह हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन कम से कम आप को इस बात को जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप पहले ही तीन बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। आप जो भी सुधार अथवा क्रांतिकारी उपाय करना चाहते थे, उसे अब तक कर लिया जाना चाहिए था। अगले दो बजटों में, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।

लोकपाल के संबंध में क्या कार्य किया गया है? हर कोई आंदोलित था, पूरा देश आंदोलित था। अन्ना हजारे, केजरीवाल, आप ने भी, सभी ने आंदोलन किया था। हमने लोकपाल विधेयक पारित किया और यह अधर में है। आप अभी इस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप गंभीर नहीं हैं। हमने सभी संविदाओं को सत्यनिष्ठा समझौते के साथ प्रस्तुत किया था। हमने खनिज अधिनियम प्रस्तुत किया था जो बहुत ही पारदर्शी है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था और हम काम के अधिकार के संबंध में कानून बनाया था। आप यह समझते हैं कि यह सब आपके लिए बुरी विरासत है, लेकिन यह देश के लिए उत्कृष्ट विरासत है। कल को कोई इतिहासकार निश्चित रूप से यह लिखेगा कि आपने संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। आपका लक्ष्य संस्थाओं को ध्वस्त करना है क्योंकि आपको लगता है कि आपको इससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप कार्यक्रमों को इस तरीके से बर्बाद और ध्वस्त करते रहेंगे तो आपका पतन निश्चित है। … (*व्यवधान*) ठीक है, आप भी प्रधानमंत्री के साथ यह कह सकते हैं कि देश में खुशी का माहौल है, लेकिन अंततः इस खुशनुमा माहौल का अंत देश के लिए शोक के रूप में होगा। यह बात आपको याद रखनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जब फाइनेंस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो हमारे अग्रज, जिस कमेटी में मैं हूं उसके अध्यक्ष, श्री वीरप्पा मोइली साहब जब बोलने के लिए खड़े हुए तो मुझे लगा कि सदन में फाइनेंस बिल के बारे में कोई चर्चा होगी। उन्होंने बजट के बारे में पूरा भाषण दिया, लेकिन फाइनेंस बिल के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इस कारण से इस देश में जो नेताओं की एक इमेज खराब होती है, उसमें हम सभी उसके सहभागी हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमने लेगेसी दी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने लेगेसी दी, उन्होंने लेगेसी दी 2-जी की, उन्होंने लेगेसी दी कोलगेट की, उन्होंने लेगेसी दी सी.डब्ल्यू.जी. की। उन्होंने पूरी की पूरी लेगेसी करप्शन की दी। उस करप्शन की लेगेसी के बाद जब हम आए, यहां की जनता ने जब हमें चुन कर भेजा। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, जब ये लोग बोल रहे थे, तब हम तो बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण व्यवधान पैदा न करें।

... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन, कुटी छवाय। बिन साबुन, पानी बिना, निर्मल करे सुहाय। इन्होंने जो कुछ भी कहा वह मुझे शिरोधार्य है। लेकिन बिहार में एक कहावत है कि - सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। इस पूरे बजट में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। इस पूरे फाइनेंस बिल में मोइली साहब को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं नज़र आई। यदि इस देश के प्रधान मंत्री बाहर जा कर इस देश की एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं तो वह भी बहुत खराब है। अब कौन सा ऐसा कारण है कि उनको पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली के तौर पर नज़र आते हैं। उनको तो पूरा का पूरा विभाग फाइनेंस का दिया हुआ है। मैं अपनी तकरीर में यह बात करता रहूंगा। लेकिन मुझे यह लगता है कि जब आप यह बात कह रहे थे तो आपने गांव गरीब, किसान, जिसकी बात माननीय प्रधान मंत्री हमेशा कहते हैं, उसको आपने भुला दिया। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो अमीर आदमी है, उसके पक्ष में कांग्रेस नीतियां बनाती

रही, जिस तरह का टैक्स सिस्टम बनता रहा, उसी को आपने ध्यान में रखा, आपके ध्यान में कहीं भी गांव, गरीब और किसान नहीं है। जो हमारी सरकार है, एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है कि -

हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब,

नसीब उनके भी होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं।

हम उन लोगों के लिए यह बजट ले कर आए, उन लोगों के लिए यह फाइनेंस बिल ले कर आए, जिनका यहां कोई माई-बाप नहीं है। जिनका कोई करने वाला नहीं है, जिनका कोई नहीं होता है, उनका खुदा होता है और उनकी यह भारतीय जनता पार्टी है। इस देश के प्रधान मंत्री गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं। मुझे लगा कि मोईली साहब ज्वैलर की बात करेंगे। वे केवल रैफरेंस में ही ज्वैलर की बात करते रहें। ज्वैलर की बात करते हैं और ज्वैलर के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है। एक राज्य के मुख्यमंत्री उसके आंदोलन में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेता उसके आंदोलन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है।

जब से यह जनसंघ बना है, जब से यह भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से एक ही बात यह कही जाती रही कि यह जो पार्टी है, यह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। ज्वैलरी का काम करने वाले तो बनिए ही होंगे, हमारे वोटर होंगे, कारीगर भी कहा जाता है कि जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वही बात करते हैं। वे सारे दुकानदार, कहा जाता था कि जितने दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, या बड़े दुकानदार हैं, चाहे बनिया है या ब्राह्मण है, आप लोग जिंदगी भर यह हल्ला क्यों करते रहे कि यह भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, यह भारतीय जनता पार्टी की वोट है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमने उसके ऊपर टैक्स लगाया है, तब हम न वोट की बात करते हैं, न नोट की बात करते हैं। हम केवल राष्ट्र की ही बात करते हैं। इस देश में जो अच्छी चीज़ है, हम उसकी बात करते हैं। निदा फाज़ली की एक बहुत अच्छी शायरी है कि -

"मुंह की बात सुने हर कोई, दिल का दर्द न जाने कोई।"

अपराह्न 3.00 बजे

यह जो दिल का दर्द है, अभी लगातार ज्वैलर के बारे में यह आन्दोलन चल रहा है और हम अपनी बात बता पाने में अक्षम हो रहे हैं, क्योंकि आप उसे आन्दोलन के तौर पर ला रहे हैं। यह क्या है, हमने टैक्स क्यों लगाया, इस देश में 100 किलो सोना आता है और 100 किलो सोने में से केवल 27 किलो सोने का हिसाब है, 73 किलो सोना कहाँ चला जाता है, यह किसी को पता नहीं है। जिस ब्लैक मनी की बात मिस्टर मोइली कह रहे थे, जिस ब्लैक मनी के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है, जिस ब्लैक मनी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, यदि उस ब्लैक मनी में कहीं लूप होल्स हैं तो उसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। आप छोटे लोगों की बात करते हैं, हमने क्या कहा है, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में कहा है कि पिछले साल 12 करोड़ रूपए से कम जिनका टर्नओवर था, उनको नहीं देना है और जिनका 6 करोड़ रूपए से कम इस साल से होगा, उनको नहीं देना है। 12 करोड़ रूपए और 6 करोड़ रूपए टर्नओवर वाले लोग क्या छोटे लोग हैं या बड़े लोगों की बात हो रही है। आप छोटे लोगों की, कारीगरों की बात करते हैं, 6 करोड़ रूपया इस देश में किनके पास है?

राज्य सभा में बयान देते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई भी इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि यह सरकार ऐसी है, यह सरकार यह कहती है कि यदि आप सेल्फ ऐटेस्टेशन में भी, जैसे हलफनामा दाखिल करना होता था, यदि मार्कशीट के लिए जाना होता था, जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ता था, तो इस सरकार ने कहा कि नहीं, तुम अपना बता दो, यह प्रमाण-पत्र हम तुम्हारा मान लेंगे। उसी तरह से इस सरकार ने कहा कि एक्साइज के लिए यदि आप कहते हैं कि हमारा 6 करोड़ रूपए है तो आप टैक्स दीजिए, यदि आप कहते हैं कि 6 करोड़ रूपए नहीं है तो आप टैक्स मत दीजिए। यह इस सरकार ने लगातार कहा, इसी सदन में कहा और यह भी कहा कि यदि कोई एक्साइज का इंस्पेक्टर आपके पास जाता है तो आप उसका मोबाइल से फोटो ले लीजिए और फोटो सीधा हमको भेजिए, हम उसको सस्पेंड कर देंगे, हम उसको डिस्मिस कर देंगे, हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या हो रहा है, आप यह बताएं कि टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अगले साल से जी.एस.टी. आने वाला है, जी.एस.टी. में गोल्ड है। आपने क्या किया, आप यह

बताइए कि इस देश में इमिटेशन ज्वैलरी पर 6 परसेंट टैक्स है या नहीं है। वह पहले से है। क्या वह गरीब लोग पहनते हैं? आप यह बताइए, आपने वर्ष 2013 में, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या-क्या किया, करेंट अकाउन्ट डेफिसिट के नाम पर, जबकि पूरा पैट्रोल का प्राइस आगे बढ़ रहा था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप फाइनेंस बिल पर बोलिए।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं उसी पर आ रहा हूँ। इस पर जो हमने टैक्स लगाया है, किस कारण से लगाया है, मैं वह बता रहा हूँ। वर्ष 2013 में करेंट अकाउन्ट डेफिसिट के नाम पर इन लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने 80:20 की पॉलिसी लागू कर दी। यह सबके सुनने लायक है, इन्होंने 80:20 की पॉलिसी गोल्ड पर लागू कर दी कि जो गोल्ड इम्पोर्ट करके लाएगा, वह 80 परसेंट ज्वैलरी इस देश में बनाएगा और 20 परसेंट एक्सपोर्ट करेगा। आप यह बताइए कि किस आदमी के पास इस देश में जिनका कि एक पूरी की पूरी चेन है, किस गरीब ज्वैलर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वह अपनी 20 परसेंट ज्वैलरी एक्सपोर्ट कर पाए। कौन से गाँव में ऐसे ज्वैलर्स हैं, मैं देवघर का एम.पी. हूँ, मैं गोड्डा का एम.पी. हूँ, मेरे यहाँ से तो कोई आदमी 20 परसेंट ज्वैलरी नहीं ले जा सकता। आपने सभी गरीब ज्वैलर को मारने के लिए बड़े ज्वैलर के लिए 80:20 की स्कीम ले आए। उतने पर भी आपको शान्ति नहीं हुई, जब यह सरकार जा रही थी, यह और भी सुनने लायक बात है, 16 मई से 26 मई के बीच में, अभी तक क्या होता था कि सारा का सारा सोना केवल पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं, वही सोने का आयात कर सकते थे। आपने 16 मई से लेकर 26 मई के बीच में वर्ष 2014 में स्टार एक्सपोर्टर के नाम से केवल 6 या 7 लोगों को वह लाइसेंस दे दिया, जो कि सोने का आयात कर सकते हैं।

अपराह्न 3.04 बजे [श्री रमेन डेका *पीठासीन हुए*]

यही कारण है कि पिछले दो साल से केवल यहाँ स्मगलिंग नजर आती है, केवल यहाँ ब्लैक मार्केटिंग नजर आती है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने आपकी सरकार पर और उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम पर आज तक एफआईआर नहीं की कि क्या ऐसा कारण था कि बिना ट्रांसपेरेंसी के आपने 7 एक्सपोर्टर को यह सोना आयात

करने का मौका दे दिया। इस तरह का माहौल है। आप इस देश में सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि यह होना है। मेरा यह कहना है कि जब हमारी सरकार आई तो इस देश की हालत बहुत खराब थी। पिछले दो साल लगातार हम मानसून से जूझ रहे हैं।

पूरी दुनिया की इकोनोमी डाउन जा रही है, ईवन चाइना जैसे कंट्री की इकोनोमी सात परसेंट से नीचे हो गई है। अभी नया पे कमीशन लागू होने वाला है। हम लोगों को सेवंथ पे कमीशन में पैसा देना है। वन रैंक-वन पैंशन का जो आजादी के बाद से लगातार सैनिक आन्दोलन कर रहे थे, वन रैंक-वन पैंशन एक बड़ा विषय़ है और उसके बाद एन.पी.ए., जिसके बारे में कि मोइली साहब ने कहा। इस तरह की लीगेसी या इस तरह की सम्भावनाओं के साथ यह सरकार आई तो वह क्या करेगी।

मैं पूरे टैक्स में आपको बताऊंगा कि उसने क्या-क्या किया है। क्या-क्या उस टैक्स में अच्छी बातें हैं। यह टैक्स बैसीकली नौ पिलर्स पर बेस्ड है, जो एफ.एम. साहब का भाषण है कि यह जो टैक्स हमने लगाया है, उसके नौ पिलर्स हैं। छोटे करदाताओं को राहत पहला उनका यह है कि छोटे करदाताओं को राहत। क्योंकि हम एकदम गरीब आदमी की चिन्ता करते हैं, मध्यमवर्गीय आदमी की चिन्ता करते हैं, ऐसे आदमी की चिन्ता करते हैं कि जिनको दो जून की रोटी नसीब हो जाये। [अनुवाद] दूसरी हमने किया कि विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उपाय। [हिन्दी] इस देश में रोजगार का एक बड़ा अकाल है। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता छोड़ रहे थे तो एक करोड़ लोगों को हम प्रत्येक साल रोजगार दे पाने की स्थिति में थे। दस साल में स्थिति यह हो गई कि अब हम पांच से दस लाख लोगों को भी रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए एक मेजर बूस्ट की आवश्यकता है, जो कि टैक्स रिफॉर्म्स में उन्होंने किया है। [अनुवाद] तीसरे पाइंट में 'मेक इन इंडिया में मदद करने के लिए देश में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना। [हिन्दी] मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, मैं बताऊंगा। [अनुवाद] चौथा है, पेंशन समाज की ओर बढ़ने के उपाय। [हिन्दी] मान लीजिए कि पैंशन सोसायटी नहीं होगी तो कोई आदमी यदि बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, गरीब हो जाता है, उसको बेटे-बेटी उसको नहीं देखने का प्रयास करते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पास एक ऐसी सिचुएशन जरूर होनी चाहिए, जो अपने पैरों पर वे खड़े हो पायें, किसी के ऊपर वे निर्भर नहीं रहें। उसके [अनुवाद] किफायती आवास

को बढ़ावा देने के लिए उपाय। 2022 [हिन्दी] तक यदि हमने तय किया है कि सभी लोगों को, क्योंकि गरीब लोगों को भी एक अच्छे घर में रहने का आधिकार है और उस आधिकार के लिए एक एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी यदि हम नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। [अनुवाद] छठा कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छ पर्यावरण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना। [हिन्दी] इसके लिए जो हमने कई एक सैस लगाये हैं, उन्होंने जो कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं नजर आ रहा है, विकास के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नजर नहीं आ रहा है। [अनुवाद] सातवां मुकदमेबाजी को कम करना और कराधान में निश्चितता प्रदान करना। [हिन्दी] लिटिगेशन है, लाखों-लाख केसेज़ पैंडिंग हैं, जिनके बारे में कोई माई-बाप नहीं है, चाहे कोर्ट का सवाल हो, चाहे इन्कम टैक्स का सवाल हो, चाहे एक्साइज़ कस्टम्स का सवाल हो तो उसके लिए हमने काफी मैजर्स किए हैं। [अनुवाद] उसके बाद कराधान का सरलीकरण और युक्तिकरण और नौवां है जवाबदेही तय करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये सारे कामों के बाद हमने यह बजट बनाया है।

[अनुवाद] अब आप समझिये कि छोटे करदाताओं को राहत में हमने क्या किया है। [हिन्दी] हमने क्या-क्या रिलीफ देने का प्रयास किया है। हमने रिलीफ दिया कि जो सैक्शन 87ए है, उसमें हमने जिनको दो हजार रुपये का रिलीफ मिल रहा था, पांच लाख तक की इन्कम के जो लोग हैं, जो इस देश में दो करोड़ के आसपास लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, जिनका पांच लाख तक टैक्स होता है, उनको हमने रिलीफ दो हजार रुपये से बढ़ाकर उसको पांच हजार कर दिया, मतलब तीन हजार रुपये का प्रत्येक उन लोगों को हम लोगों ने रिलीफ दिया। इस तरह के कम से कम दो करोड़ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं।

दूसरा हमने यह कहा कि जैसे महानगर में लोग काम करने आते हैं या कहीं छोटी जगह पर प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं, कहीं सरकारी जगह पर काम करते हैं तो वैसे जो लोग हैं, उन लोगों को जो डिडैक्शन मिलता है, इंसेंटिव रैंट के लिए मिलता था, वह केवल 24 हजार था, जबकि आप समझिये कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उन लोगों के लिए हमने यह किया कि अब वे 60 हजार रुपये हो जायेगा। कम से कम दो हजार में तो बढ़िया जगह कहीं मकान मिलने से रहा और ऊपर से यदि वह अपनी पे से ही उसका पैसा देंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो वह समस्या थी तो उसको हमने बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर

दिया। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था, माननीय गिरिराज जी यहां बैठे हुए हैं, जो 23 लाख छोटे-छोटे बिजनेसमेन थे, उनके साथ यह हो रहा था कि उनकी जो लिमिट थी, वह एक करोड़ रुपए थी। लेकिन, आज जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस इंडस्ट्री में उनके लिए कई चीज़ें हैं, जिससे उनका कैपिटल कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमने उस एक करोड़ रुपए की लिमिट को दो करोड़ रुपए करने का प्रयास किया है। इससे कम से कम 33 लाख से लेकर 50 लाख लोगों को फायदा होगा। प्रोफेशनल्स के लिए जो 25 लाख रुपए की लिमिट थी, उसको हमने बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया। हमने छोटे-छोटे लोगों के लिए यह व्यवस्था करने का प्रयास किया।

पिछले बजट में वित्त मंत्री जी के भाषण में कहा गया कि कॉरपोरेट टैक्स का रेट धीरे-धीरे 30% से 25% कर दिया जाएगा। इस बार एक प्रतिशत घटाया गया है। एक प्रतिशत घटाने के पीछे रीजन रेवेन्यू फोर गॉन है। महताब जी और सौगत बाबू यहां बैठे हुए हैं। हम लोग फाइनेंस कमेटी में इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि रेवेन्यू फोर गॉन एक ऐसा विषय है जो लगातार पाइल-अप होता जा रहा है। कांग्रेस अपने शासन में यह कहती थी कि हम कॉरपोरेट से 30% टैक्स लेते हैं, 33% टैक्स लेते हैं। लेकिन, जब जेन्युइन लेने की बात होती थी, तो कभी भी वह 22% से लेकर 24% से ज्यादा नहीं होता था।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कांग्रेस वाले कहते थे कि यह फोरगॉन है और आप इसे इंसेंटिव बता रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : हम रेवेन्यू फोरगॉन को खत्म कर रहे हैं। ये लोग 30% देते थे या 33% देते थे, तो उसमें ये लोग डिडक्शन इतना कर देते थे, रेवेन्यू फोरगॉन इतना कर देते थे कि कॉरपोरेट को अल्टीमेट टैक्स बहुत कम पड़ता था। यह सरकार किस तरह बड़े लोगों के लिए काम कर रही थी, उसका यह उदाहरण मैं दे रहा हूं। इस कारण से वे गरीब लोगों को दिखाते रहते थे। बिजनेस क्लास के लोगों को, सैलरीड क्लास के लोगों को तो 30% टैक्स लग जाता था, लेकिन जो अमीर आदमी था, उसे केवल 22% टैक्स देना पड़ता था। जो बाहर के बिजनेसमेन थे, जैसे मान लीजिए कई एक ज़गह ऐसे लॉ हैं, जहां करप्शन हावी नहीं है, तो वे लोग अपने इंवेस्टमेंट के लिए हमारा डेस्टीनेशन नहीं चुनते थे। उन्हें लगता था कि भारत एक ऐसा देश है, जहां बहुत ज्यादा टैक्स है। जैसे आप सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि सारे एशियाई देशों की बात करेंगे, तो यदि हमें इंवेस्टमेंट लाना है, तो उनका जो टैक्स है, चाहे वह इंडीविडुअल टैक्स है या कॉरपोरेट टैक्स है, वह बहुत

नीचे है। एक तो हमें एशियाई देशों के बराबर कम्पीट करना था, जिससे कि हमारे यहां एक डेस्टीनेशन हो जहां हमारे लोग बिजनेस करने के लिए आ पाएं। दूसरा, यह था कि यहां रेवेन्यू फोरगॉन पाइल-अप होता जा रहा था। आप समझिए कि इस साल हमने 6 करोड़ 11 लाख रुपए का रेवेन्यू फोरगॉन दिया है। उस कारण से सरकार ने यह किया कि हम एक ऐसा टैक्सेशन रेजीम लाएंगे, जहां टैक्स 30% से 25% आएगा और इससे हमारे यहां इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। हमने उसमें एक राइडर डाला है कि कॉरपोरेट टैक्स और नॉन कॉरपोरेट टैक्स का जो प्रॉफिट लिंक्ड, इंवेस्टमेंट लिंक्ड और एरिया बेस्ड डिडक्शन है, वह फेज-आउट हो जाएगा। [अनुवाद] दूसरा, हमने कहा कि सूर्यास्त तिथि वाले प्रावधानों को सूर्यास्त तिथि को आगे बढ़ाने के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा। [हिन्दी] सनसेट क्लॉज़ के ऊपर मैं बता दूं कि इस देश में रिफाइनरी आ गयी, इस देश में पावर प्रोजेक्ट आ गए, इस देश में इंवेस्टमेंट आ गया, तो उसे हमने कहीं न कहीं सनसेट क्लॉज में दे दिया। कई एक जगह एरिया बेस्ड स्पेशिफिकेशन के आधार पर दिए गए। यहां अनुराग जी अभी बैठे थे। वे चले गए। मैं आपको बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, तो हमने कच्छ में एरिया बेस्ड एग्जम्पशन दिया था। जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय दिया था। अब इस सरकार ने एरिया बेस्ड एग्जम्पशन खत्म कर दिया। अब हमने यह डिसाइड किया कि कोई भी एरिया बेस्ड एग्जम्पशन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री में नहीं जाएगी और हम उस हिसाब से काम करेंगे।

इसके बाद फेज-आउट की बात आती है। हमने कहा कि 10ए, ए का जो स्पेशल प्रोविजन था एसईजेड के बारे में, जो इन लोगों ने प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन दिया था एसईजेड के लिए, उसको हमने कह दिया है कि 1 अप्रैल, 2002 से मैनूफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। इस तरह से हमने 35 सी,डी, 35 ए,सी, सेक्शन 81ए, सेक्शन 81ए,बी, सेक्शन 81बी और 32, मतलब यह एक बड़ा इनीशिएटिव है और इस इनीशिएटिव के आधार पर जो एशियन कंट्रीज हैं या पूरी दुनिया में हम एक ट्रांसपरेंसी के साथ जा पाएंगे।

आज बड़ी चर्चा चलती है स्टार्ट अप और स्टैंड अप की, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी मैट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। [अनुवाद] स्टार्ट के लिए हमने क्या किया कि स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान करने और उनके व्यवसाय के शुरुआती चरण में उनके विकास को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित नए उत्पादों अथवा सेवाओं के नवोन्मेष, विकास, तैनाती अथवा व्यावसायीकरण के कारोबार से एक पात्र स्टार्ट अप द्वारा अर्जित लाभ और अभिलाभ को 100 प्रतिशत की कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। [हिन्दी] अभी तक इस देश में इस तरह का काम करने वाले लोगों का कोई भी सम्मान नहीं होता था। यही कारण है कि आपको भी पता है कि गूगल का आविष्कार करने वाला, व्हाट्सएप का आविष्कार करने वाला, फेस बुक का आविष्कार करने वाला, याहू का आविष्कार करने वाला, मतलब हमारे देश में इस तरह की नई टेक्नोलॉजी या नए पेटेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। अभी हमने कहा है कि हम 100 पर्सेंट उसका डिडक्शन देंगे। [अनुवाद] उसके बाद हमने कहा कि धारा 54(छ)(ख) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार कंपनी को नए संयंत्र और मशीनरी के रूप में नई परिसंपत्ति की खरीद हेतु अपनी आय का निवेश करना चाहिए लेकिन इसमें *इसके साथ-साथ* कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स शामिल नहीं हैं। [हिन्दी] मतलब जितना भी कस्टम में, एक्साइज में, इन सारी चीजों में हम संशोधन दे सकते थे, उतना संशोधन करने का हमने इसमें विचार किया।

दूसरा सवाल है कि हमने 'मेक इन इंडिया' के लिए क्या किया? एक बड़ा सवाल है, मोइली साहब ने 'मेक इन इंडिया' के लिए उठाया। यदि आप पूरे बजट को देख लेते तो मुझे लगता है कि हमारी बातें आ जातीं कि 'मेक इन इंडिया' के लिए हमने क्या किया? मेक इन इंडिया के लिए हमने सबसे पहले यह किया कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल, उसमें जो एकलिक हाइड्रोकार्बन्स का जो रेट 5 पर्सेंट था, उसे 2.5 पर्सेंट कर दिया। इथेनॉल, एल्कोहल का मतलब जो इथेनॉल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलना है, उसकी ड्यूटी जो 5 पर्सेंट थी, उसको हमने 2.5 पर्सेंट कर दिया। पेपर, पेपर बोर्ड और न्यूज प्रिंट में जो 5 पर्सेंट की ड्यूटी थी, उसको हमने निल कर दिया। टेक्सटाइल में, एम.एस.एम.ई. सेक्टर में टेक्सटाइल जिसके कारण हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी ड्यूटी 5 पर्सेंट थी, उसको 2.5 पर्सेंट कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में जहां-जहां 7.5

पर्सेंट ड्यूटी थी, उसको हम लोगों ने निल कर दिया। इसके बाद हमने सी.सी.टी.वी. पर भी इन चीजों को निल कर दिया। मेटल, ग्लास और सिरामिक्स, जो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हमने 5 पर्सेंट से 2.5 पर्सेंट कर दिया। इसके बाद ऑटोमोबिल्स, जिसमें गोल्फ कार है, मैं आपको बताऊं कि अमीरों की जो चीजें थीं, उसमें हमने 10 पर्सेंट से बढ़ाकर 60 पर्सेंट कर दिया। मैं यह केवल कह रहा हूं कि हमने किस तरह से गरीबों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया और अमीरों को किस तरह से टैक्स लगाना स्टार्ट किया। जो मेंटीनेंस और एम.आर.ओ. फैसिलिटी है, उस दिन दुष्यंत सिंह साहब चर्चा करते हुए कह रहे थे कि एक समय ऐसा था कि एयर इंडिया का आदमी सिंगापुर गया, उसने एम.आर.ओ. की फैसिलिटी बनाई। आज सिंगापुर एमआरओ का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन हमारे देश में एमआरओ की कोई फैसिलिटी नहीं है। मेंटिनेंस रिपेयर कहां होगा? इतने-इतने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इतने-इतने एयरलाइंस आ रहे हैं, रीजनल कनेक्टविटी बढ़ाई जा रही है, तो उस एमआरओ की फैसिलिटी के लिए हमें जितनी सुविधा देनी थी, उनती सुविधा हमने देने का प्रयास किया। उसके बाद शिप प्रिपेयर, क्योंकि यदि किसी देश की इकॉनामी बढ़ती है तो उसमें शिप प्रिपेयर या शिप बिल्डिंग का बड़ा काम है। उसमें भी हमने काफी कंसैशन दिया, जो टैक्स था, उसे हमने निल करने का काम स्टार्ट किया है। जो फुटवेयर था, जो गरीब पहनते हैं चप्पल, आज तक आपने क्या, आज तक आप समझिए कि केरल में 5 पर्सेंट वैट है और वैट किस पर है, ज्वैलरी पर है। केरल में तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार जब यहां थी, तो आपने टूथपेस्ट पर, साबुन पर, चप्पल पर, मतलब छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगाने का काम किया। हमने फुटवियर टैक्स जो 12 प्रतिशत था, उसे छः प्रतिशत करने का काम किया। आपके ही गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे झारखंड गये थे तो उनके आखों में आंसू आ गये थे, क्योंकि जो बच्चे उन्हें रिसीव करने के लिए गये थे, उनके पैर में चप्पल नहीं था और उस दिन गर्मी बहुत थी, उस दिन 46 डिग्री या 47 डिग्री टेंपरेचर था। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जब वह झारखंड विजिट करने के लिए गये था, जो न्यूज छपी थी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसलिए हमने फुटवियर टैक्स को छः प्रतिशत करने का काम किया।

हमने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 13 सेस, जो अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, जिससे 50 करोड़ रुपये से कम इनकम जैनरेट हो रहा था, उन 13 सेस को हमने खत्म करने का प्रयास किया। इसके अलावा हम ने इनकम टैक्स में कुछ संशोधन किए हैं।

आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कही, एक स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की बात कहीं थी, मोइली साहब आपने यह कहा था। आपने उसे बनाने का तो प्रयास किया लेकिन वह कैसे बनेगा, प्राइवेट सेक्टर उसे बनायेगा या गवर्नमेंट सेक्टर उसे बनायेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर उसे बनायेगा तो उसे क्या इंसेन्टिव देना है। इस बजट में हम ने कहा है कि

[अनुवाद] "…विदेशी कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार के साथ किए गए अथवा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी समझौते या किसी व्यवस्था के अनुसरण में इस तरह के भंडारण और बिक्री.....। चूंकि चालू वित्त वर्ष में तेल का भंडारण शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए यह छूट पिछले वर्ष 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2016-17) से उपलब्ध होगी। "

[हिन्दी]

जो देश में इंवेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, आज देश में यह सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि आपके समय में ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा था और हमारे समय में ऑयल का प्राइस बहुत नीचे आ गया। हो सकता है कि ऑयल का प्राइस हमारे समय में फिर ऊपर चला जाए। इसके लिए प्लान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 2005 में सोचा था। अभी आपने पारादीप की बात कही है, उन्होंने पारादीप भी सोचा था, पारादीप भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसे पूरा नहीं कर पाये और आपको जो चीजें आगे ले जाना था, इसलिए हम ने स्पेशल नोटिफाइड जोन में, पावर सेक्टर में, इन सभी में स्पेशल सुविधा देने का प्रयास किया। ...(व्यवधान)

इसके बाद मैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमने हाउसिंग फोर ऑल के लिए इंसेंटिव दिया है, क्योंकि गरीब के घर में कोई आदमी आता है तो उसको लगता है कि कहा बैठायें। वह कुर्सी पर बैठेगा, टेबल पर बैठेगा, बेंच पर बैठेगा या खटिया पर बैठेगा।

''वह आए हमारे घर में, हमारे खुदा की कुदरत

कभी हम उनको, कभी घर को देखते हैं।''

आप यह समझिए कि वह घर को देखता हुआ उसको देखता है कि कहीं यह आदमी मेरे घर को तो नहीं देख रहा है। इसके लिए अप्रूवल का सवाल था। अभी आपने देख कि हमने बिल पास किया है। हम ने उसमें इग्ज़ेम्प्शन दिया है कि

[अनुवाद]

"परियोजना कम से कम 1000 वर्ग मीटर के भूखंड पर है, जहां यह परियोजना महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और किसी अन्य क्षेत्र में नगरपालिका सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर है, यह 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की नहीं है।..."

[हिन्दी]

हम ने इसको देने का प्रयास किया है। हम ने 80ईई में संशोधन करने का प्रयास किया है। हम ने 50,000 रुपये तक उनको इग्ज़ेम्प्शन देने का प्रयास किया है। डिडक्शन दो लाख रुपये से ऊपर, जो सेक्शन 24 है, उसको किया है, जिससे वर्ष 2022 तक सभी लोग मकान ले पायें, यह हमारा लक्ष्य है।

मंत्री जी कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें इस बजट में करने का सवाल था और वे सवाल बड़े ज्वलंत हैं। एक, आपने सर्विस टैक्स ई.पी.सी. में लगाया, एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भारत सरकार लाइसेंस देती है।

भारत सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति लाइसेंस नहीं देना चाहता। वित्त मंत्री जी, मुझे लगता है कि शायद इस बजट में आप भूल गए कि जो सॉवरन गारंटी की चीजें हैं, उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगाना कहीं से भी लाज़मी नहीं है। मुझे लगता है कि यदि इस देश में आपको एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है तो सर्विस टैक्स को वापस करना चाहिए।

आपने टैक्सेशन और इनकम टैक्स, एक्साइज में लिटिगेशन कैसे खत्म हो, काफी रैशनलाइजेशन किया है। लेकिन जो इस बार का पाइल-अप है, शो कॉज देने का जो समय है, एक्साइज़, कस्टम और सर्विस टैक्स में जो एक साल था, उसे आपने दो साल कर दिया। इसका मतलब है कि आपका डिपार्टमेंट सक्षम नहीं है। मान लीजिए किसी के यहां रेड हो गई, आपने किसी को पकड़ लिया। यदि उसे शो-कॉज़ में दो साल तक लटकाए रखा तो वह कहीं न कहीं परेशान होगा। बीच में लोग जो लेन-देन की बात करते हैं, उसमें वह ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए।...(व्यवधान)

आपके यहां जो केसेज़ हैं, आप समझिए कि एक अप्रैल, 2015 और एक अप्रैल, 2016 में आपका कस्टम, एक्साइज का केस 95 हजार से 98 हजार हो गया, मतलब बढ़ रहा है। आपने इस बजट में बड़ा अच्छा काम किया है कि नए बैंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 11-12 बैंच बनाएंगे। लेकिन अभी तक का अनुभव रहा है कि बैंच बनाते हुए 4-5 साल लग जाते हैं। 4-5 साल लग जाएंगे तो आपका केस पाइल-अप होता रहेगा। दूसरा, एडजुडिकेशन का जो समय है कि केस कब खत्म होगा, मान लीजिए आप शो-कॉज़ का समय बढ़ा रहे हैं तो टाइम होना चाहिए कि यह कैसे खत्म होगा। ऐनॉमली जो आम लोगों के लिए है, सी.बी.डी.टी. और कस्टम, मान लीजिए यदि हमने कस्टम, एक्साइज़ या इनकम टैक्स को ज्यादा पैसा दे दिया, आप टैक्स में 6 से 9 प्रतिशत तक रिटर्न देते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने आपको टैक्स नहीं दिया है, तो वह 15 प्रतिशत होता है। गरीब आदमी के पास कम कैपेसिटी है। लेकिन भारत सरकार जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, आप उससे 15 प्रतशत टैक्स लेते हैं। आपको ये दोनों चीजें बराबर करनी चाहिए, या हमें भी 15 प्रतिशत रिटर्न कीजिए या दूसरे को 15 प्रतिशत देने का प्रयास कीजिए। यह कहीं न कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इसमें इक्विलिटी नहीं है।

शराब बंदी, सिगरेट पर प्रत्येक साल टैक्स, मैं सिगरेट के खिलाफ हूं, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको पता है कि मैंने उस दिन भी कहा। लेकिन जब आप सिगरेट पर टैक्स बढ़ाते हैं, अभी टेरी की रिपोर्ट आई। टेरी की रिपोर्ट बहुत सोचने लायक है कि भारत सरकार प्रत्येक साल, क्योंकि ऐल्कॉहल पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन सिगरेट, टोबैको जैसी चीजों पर आप टैक्स लगाते हैं। यहां सिगरेट पीने वाले कई लोग हैं, मैं

नाम नहीं लूंगा। जब आप टैक्स लगाते हैं तो टेरी की रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 25 प्रतिशत फेक सिगरेट बिक रही है, ऐसी सिगरेट बिक रही है जो आपको टैक्स नहीं दे रही है। उस रफ्तार से चीजें नहीं आ रही हैं। दूसरा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस सारे प्रोडक्ट पर हम 10 से 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ा रहे हैं। वित्त मंत्री जी, यह जानने लायक बात है कि आपने सैंटेड जर्दा पर टैक्स घटा दिया है, लेकिन जो खैनी और चूना खाने वाले गरीब लोग हैं, उस पर आपने 139 प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा प्लास्टिक पर सब जगह 12 प्रतिशत टैक्स है। उसमें आपने एक जगह 15 प्रतिशत दे दिया है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं इंस्पेक्टर राज की तरफ प्रेरित करती हैं और इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपसे आग्रह है कि यदि इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो माननीय मोदी जी का जो सपना है, जेटली जी का जो बजट है

ऊं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु

सह वीर्य कर्वाभहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु

मा विद्विषावहै।।

यानी हम छोटे से लेकर बड़े आदमी तक का विकास कर पाएं। आम आदमी, सबका साथ सबका विकास, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की तरफ जा पाएं। आपका सपना पूरा हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2016 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे व्यय संबंधी संपूर्ण बजट प्रस्तावों पर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री मोइली ने उन सभी पहलुओं को कवर कर लिया है, जो कि मेरे लिए राहत की बात है।

वित्त विधेयक मुख्यतः – नये और पुराने – करों से संबंधित होता है । इसमें अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों को कर राहत प्रदान करने के द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने

संबंधी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। अतः, मैं इस सिद्धांत के आधार पर वित्त विधेयक का मूल्यांकन करूंगा।

मैंने सोचा था कि मैं वित्त विधेयक की एक या दो अच्छी बातों का उल्लेख करूंगा, लेकिन मेरे काबिल मित्र, श्री निशिकांत दुबे, ने शायद कर प्रस्तावों का वित्त मंत्री की तुलना में बेहतर बचाव किया है। वित्त मंत्री जर्मनी में हैं। उनके उप मंत्री, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक वित्तीय विशेषज्ञ, हमें ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ उत्तर अवश्य मिलेगा।

यदि आप कर प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए मुझसे पूछते कि क्या कर प्रस्तावों में ऐसा कुछ है जिसका मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूं, तो मैं विकास बजट के बारे में कहूंगा कि कृषि के लिए परिव्यय में की गई यह वृद्धि एक ऐसी बात है जिसका मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूं। यही एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है जिसका मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूँ।

कुछ अन्य अच्छे मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख श्री निशिकांत दुबे द्वारा किया गया है, जिनका मैं उल्लेख करूंगा। यह अति-समृद्ध (सुपर-रिच) व्यक्तियों पर लगाए गए कर के संबंध में है, जो एक करोड़ रुपये से अधिक कमाते हैं। उन पर कर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं, यद्यपि मैं नहीं जानता हूं कि इन वित्तीय प्रस्तावों का उद्देश्य क्या है। मुझे नहीं पता कि यह अमीरों के विरुद्ध है या नहीं, क्या यह कुछ वर्गों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन उद्देश्यों के बारे में मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं। मैं केवल एक तथ्य पर ही ध्यान दे पाया हूँ कि कारोबारी सुगमता में सुधार किए जाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा।

महोदय, श्री निशिकांत दुबे बजट भाषण में कही गयी बातों का उल्लेख कर रहे थे। ये कराधान प्रस्ताव किन बातों पर आधारित होते हैं? यदि आप मुझसे यह प्रश्न पूछें, तो मैं बताऊँगा कि ये तीन बातें हैं – अप्रत्याशित लाभ (विंडफॉल); उपकर पूल; और फेयर एण्ड लवली। मैं 'विंडफॉल' क्यों कहता हूँ? इस सरकार को तेल की कीमतों में कमी होने का लाभ मिला है। दूसरी बात, इसका श्रेय इस सरकार को नहीं मिलता है। सरकार को करों में कटौती करने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ था। परन्तु सरकार ने क्या किया? सरकार को कच्चे

तेल की कीमतों में कमी आने के कारण रु. 1,40,000 करोड़ का अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ है, परंतु इसका उपयोग न तो अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करने में किया गया और न ही समाज कल्याण कार्यों में किया गया। इसका उपयोग वर्ष 2016-17 में प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के अंतर को पाटने के लिए किया गया है - रु. 46,000 करोड़; अन्य कर प्राप्तियों में अंतर - रु. 44,000 करोड़; सकल घरेलू उत्पाद के कम रहने के कारण कम उधार - रु. 20,000 करोड़। इस प्रकार, श्री जेटली ने अनायास ही प्राप्त इस पूरे अप्रत्याशित लाभ का उपयोग किया है, परन्तु किसी भी उत्पादक कार्य के लिए नहीं, रोजगार सृजित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बजट को संतुलित करने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए किया है। इसीलिए, मुझे लगता है कि जीवन में कभी-कभार ही मिलने वाले ऐसे सुनहरे अवसर को गंवा दिया गया है।

दूसरी बात यह कि मैं इस बजट को सेस पूल कहता हूँ। सेसपूल गंदे पानी से भरा हुआ तालाब होता है, परन्तु उन्होंने इसे सेसपूल इसलिए बना दिया है क्योंकि यह उपकर बजट है। मैं पढ़कर बताता हूं कि किन-किन चीजों पर उपकर लगाया गया है। सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत का कृषि कल्याण उपकर लगाया गया है। इससे रु. 5,000 करोड़ प्राप्त होंगे।

छोटी कारों, डीजल चालित कारों और उच्च इंजन क्षमता वाले वाहनों पर अवसंरचना उपकर से रु. 3,000 करोड़ प्राप्त होंगे। कोयला, लिग्नाइट आदि पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर को रु. 200 प्रति टन से बढ़ाकर रु. 400 प्रति टन करने से रु. 26,148 करोड़ प्राप्त होंगे। 0.5 प्रतिशत के स्वच्छ भारत उपकर से रु. 10,000 करोड़ प्राप्त होंगे। पेट्रोलियम उत्पादों अथवा कच्चे तेल पर अतिरिक्त शुल्क के नाम पर उपकर है, जिससे रु. 88,000 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार, कुल उपकर और अधिभार कितना है? यह वर्ष 2016-2017 में रु. 1.9 लाख करोड़ होगा। यह सभी केंद्रीय करों से संगृहीत की गई कुल धनराशि का 12 प्रतिशत है। इस तरह से आप करों को एकत्र करने के लिए उपकर पर निर्भर हैं।

अब, मैं इसे बुरा क्यों कहता हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ओर आप कहते हैं कि हम राज्यों को अधिकाधिक संसाधनों का हस्तांतरण कर रहे हैं, लेकिन जब आप अत्यधिक उपकर लगाते हैं, तो यह राज्यों को देय धनराशि में कटौती करने के समान है। इस प्रकार के उपकरों का राज्यों के साथ बंटवारा नहीं होता है।

इस प्रकार आप वास्तव में राज्यों को देय धनराशि में कटौती कर रहे हैं या यदि मैं कड़े शब्दों का प्रयोग करूं तो आप राज्यों के साथ 'धोखाधड़ी' कर रहे हैं और इस प्रकार इस बजट को एक सेस-पूल बना रहे हैं।

इस बजट के संबंध में तीसरी बात/आधार को फेयर एण्ड लवली कहा गया है। यह बात मेरे द्वारा नहीं कही गई है। इसके लिए मैं श्री राहुल गांधी का आभारी हूँ जिनकी राजनीतिक विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे उनके द्वारा की गई फेयर एण्ड लवली तुलना पसंद है। … (*व्यवधान*) मैं मौलिक रूप से सोचता हूं, लेकिन यहां तक कि अगर श्री निशिकांत भी कोई अच्छी बात कहें तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। यदि श्री राहुल गांधी एक अच्छी बात कहते हैं, तो मुझे इसे क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? जब कि हमने पश्चिम बंगाल की सड़कों पर श्री राहुल गांधी की राजनीति का विरोध किया है। … (*व्यवधान*)

अब, उन्होंने क्या कहा है? यह सरकार कहती है कि 1 जून से 30 सितम्बर, 2016 तक आय घोषित करने की एक योजना है, यदि आप 30 प्रतिशत कर ; 7.5 प्रतिशत अधिभार; और 7.5 प्रतिशत शास्ति– कुल 45 प्रतिशत का भुगतान करते हैं तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि धन कहाँ से आया है। श्री. पार्थसारथी शोम, जो एक बहुत प्रसिद्ध कर विशेषज्ञ हैं और आप उनके बारे में जानते होंगे, कहते हैं : 'प्रत्येक आम माफी योजना ईमानदार अमीरों से संसाधनों को लेकर बेईमान अमीरों को देती है।". यह फेयर एंड लवली योजना है जिसमें ईमानदार अमीरों से संसाधनों को लेकर बेईमान अमीरों को दिया जाएगा। यही वह आधार है जिस पर आपका पूरा बजट खड़ा है।

अब, मुझे थोड़ा और सैद्धांतिक होने दीजिए। कराधान नीति का आधार क्या होना चाहिए? पहला आधार यह है कि कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होना चाहिए। हमारे देश में, अन्य देशों की तुलना में यह अनुपात बहुत कम है। हमारे केंद्रीय कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 10.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह यू.के. में 26.9 प्रतिशत है; फ्रांस में 22 प्रतिशत; दक्षिण अफ्रीका में 26.5 प्रतिशत; और रूस में यह 15.1 प्रतिशत है। कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार लाने हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, ऐसे प्रयास किए जा सकते थे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : अरे दादा, वहां गरीबों की संख्या कितनी हैं, यह भी तो बताइए?

प्रो. सौगत राय (दमदम) : वह संख्या भी मैं बताउंगा। उसी टैक्स बेस की बात पर मैं आ रहा हूं। वही तो थियोरीटिकल पाइंट नं. 2 होगा।

[अनुवाद]

महोदय, दूसरी बात जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि अंततः सरकार को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करनी होगी और अप्रत्यक्ष करों में कटौती क्योंकि अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं और महंगाई को बढ़ाते हैं। वे गरीबों पर बोझ डालते हैं। परन्तु हमने क्या किया है? हमने कहा है कि प्रत्यक्ष कर हानि रु. 1,060 करोड़; अप्रत्यक्ष कर लाभ रु. 20,670 करोड़; और रु. 9,610 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। इसलिए कर प्रस्ताव मूल रूप से प्रतिगामी हैं। इसके अलावा राजस्व में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 2016-17 में, सकल केंद्रीय कर राजस्व में वर्ष 2015-16 की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब यह 15.8 प्रतिशत थी। वास्तव में केंद्रीय राजस्व में वृद्धि नहीं हो पा रही है।

इसके साथ ही अप्रत्यक्ष करों और प्रत्यक्ष करों का अनुपात भी कम होता जा रहा है। वर्ष 2014-15 में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 56 और 44 था। वर्ष 2016-17 में यह 52 और 48 है। इस प्रकार पिछले एक वर्ष में हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अनुपात में कमी आई है। यह बात भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।

करों के बारे में दूसरी बात यह है कि भारत में हमारे कर आधार का दायरा सीमित है और दरें काफी अधिक हैं। 120 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल चार करोड़ प्रत्यक्ष करदाता हैं। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है। विगत 20 वर्षों में प्रत्यक्ष करों में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन करदाताओं की संख्या में मात्र 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर, कर कटौतियों अथवा छूटों के कारण विभिन्न प्रकार के निवेश के संबंध में कर के पश्चात् होने वाले लाभ की दर में बदलाव कर दिया है और कर आधार को

संकुचित कर दिया है। तो, हमने क्या किया है? हमने कार्पोरेट को छूट प्रदान की है। वर्ष 2014-15 में कॉर्पोरेट क्षेत्र के संबंध में सामान्य परित्यक्त राजस्व रु. 62,398 करोड़ रहने का अनुमान है।

हमारी कर प्रणाली की अन्य खामियां क्या है? हमने अपनी कर प्रणाली को सरल नहीं बनाया है और हमने अपने कर प्रशासन में पर्याप्त रूप से सुधार नहीं किया है। यही कारण है कि वर्ष 2013-14 में बकाया कर की धनराशि रु. 6,74,916 करोड़ थी। अंततः, यदि हम अपने कर-सकल घरेलू अनुपात में सुधार करना चाहते हैं तो हमें कर आधार के दायरे को बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे । यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि तीसरे कर प्रशासन सुधार आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में अमीर किसान जो शहरों में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों से अधिक कमाते हैं वे सरकार की मंशा कृषि पर आयकर लगाए जाने की नहीं होने के कारण किसी कर का भुगतान नहीं करते हैं। इस समय पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। यह सरकार कर आधार के दायरे को बढ़ाने के लिए साहसिक निर्णय ले सकती है।

कृषि क्षेत्र को आपके द्वारा दी जा रही कर छूट का लाभ किसे मिल रहा है? सबसे बड़ी बीज कंपनी को कावेरी सीड्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रु. 186.63 करोड़ की छूट का दावा किया है; दूसरी कंपनी है मोनसेंटो इंडिया, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक भारतीय सहायक कंपनी है, ने रु. 94.404 करोड़ की छूट का दावा किया है। मैंने क्या कहा था? हम अपने कर आधार के दायरे को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं और अतः हम कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में पर्याप्त सुधार नहीं कर पाए हैं।

अन्य कौन सी बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं? मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यह सरकार इस एक मामले के बारे में बहुत *ज़िद्दी* रही है, और दूसरे मामले के संबंध में बहुत शिथिल रही है। यह ढुल-मुल नीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। यह क्या हो रहा है?

श्री भर्तृहरि महताब : आपने '*ज़िद्दी*' का उल्लेख किया था!

प्रो. सौगत राय : मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि सरकार बहुत '*ज़िद्दी*' तरीके से व्यवहार कर रही है।

श्री भर्तृहरि महताब : इसका अर्थ होता है 'आब्स्टनिट' 'जिद्दी'।

प्रो. सौगत राय : हाँ, इसका अर्थ 'आब्स्टनिट' 'जिद्दी' होता है। 'आशा पारेख' के अभिनय वाली एक प्रसिद्ध फिल्म है, जिसका नाम *'ज़िद्दी'* था। तो, मैं वहां से यह शब्द लाया।

श्री भर्तृहरि महताब : यह 1960 के दशक की फिल्म थी।

प्रो. सौगत राय: यह 1960 के दशक की फिल्म थी, जब हम युवा थे।

अब, स्वर्ण के संबंध में, उन्होंने कहा है कि इनपुट क्रेडिट के बिना एक प्रतिशत और इनपुट क्रेडिट के साथ 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगेगा। केवल निर्माताओं से शुल्क लिया जाएगा। स्वर्णकार विगत दो महीने के दौरान हड़ताल पर थे। वे फिर से हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं। श्री निशिकांत जी ने बहुत ही कुशलता से इस निर्णय का बचाव करने का प्रयास किया है। इस समय स्वर्ण की कीमत क्या है। यह लगभग रु. 30,000 प्रति *तोला है।* तो, जहां तक स्वर्ण का संबंध है रु. 12 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि नहीं है क्योंकि यह एक उच्च मूल्य वाली धातु है। दूसरी बात, मुझसे उन बंगाली कारीगरों ने विनयपूर्वक अनुरोध किया है जो मुंबई, केरल, सूरत और हर जगह काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि दो महीने से उनका व्यापार बंद है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में अनेक बंगाली कारीगर हैं। उन्हें पिछले दो महीनों से अपना वेतन नहीं मिला है। मैं श्री जेटली जी से मिला और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि वह इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "*दादा,* आप बड़े पूंजीपतियों, काले धन के मालिकों का समर्थन कर रहे हैं।" मैंने कहा, "तब मैं पीछे हट जाता हूँ। आप वही करें जो आप करना चाहते हैं क्योंकि आप इस स्वर्ण संबंधी कराधान के बारे में *ज़िद्दी* हैं। आप इससे बच सकते थे। "

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): क्या यह सही बात है?

प्रो. सौगत राय: उन्होंने कहा कि मैं पूंजीपतियों का समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एक प्रतिशत को कम करने के लिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने यह बात सामान्य रूप से कही है। ऐसी ही बात श्री निशिकांत जी ने कही है।

भविष्य निधि के संबंध में, उन्होंने एक शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वे पेंशन सोसाइटी चाहते हैं। वे यह कार्य कैसे करना चाहते थे? वे भविष्य निधि से 60% धनराशि निकालने के मामलों

पर कर लगाना चाहते थे। मैं आपको बताता हूं। इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया गया है। स्वर्णकारों के मामले में, उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन पी.एफ. के बारे में जब शोरशराबा हुआ और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने विरोध किया तो मात्र आठ दिनों के भीतर उन्होंने इसमें बदलाव कर दिए। वे इतने कठोर क्यों हैं? क्या वे इतनी कठोरता के साथ इस को देश चला सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं।

जहां तक माल एवं सेवा कर का संबंध है, हमारे दल ने हमेशा कहा है कि हम माल एवं सेवा कर के साथ हैं। आप कांग्रेस से निपटते हैं। यह राजनीतिक तरीके से निपटना है। यह मेरा काम नहीं है। यदि आप कांग्रेस से नहीं निपट सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? … (*व्यवधान*) धीरे-धीरे मैं अपने वक्तव्य का समापन कर रहा हूं। … (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): आपने धीरे-धीरे कांग्रेस से दूरी बना ली है। अब, आप धीरे-धीरे अपने वक्तव्य का समापन भी कर रहे हैं।

प्रो. सौगत राय: हम उस हद तक नहीं जाएंगे। हम मध्य मार्ग को अपनाकर श्री महताब के साथ खड़े रहेंगे।

कुल मिलाकर मैं उन सभी बातों का उल्लेख कर चुका हूँ जिनका मैं उल्लेख करना चाहता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग को इस बजट से ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें रु. 5 लाख तक की आय के लिए केवल रु. 3000 रुपये की अतिरिक्त कर राहत मिल रही है। हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि इस सीमा को बढ़ाया जाएगा।। ऐसा नहीं हुआ है। इस बजट की कुछ अच्छी बाते भी हैं। स्व-रोजागर करने वाले व्यक्तियों के लिए, यदि उनके पास घर नहीं है और जो मकान किराया भत्ते का दावा नहीं कर सकते हैं, धारा 80 जी.जी. के अधीन कटौती की सीमा को रु. 24,000 से बढ़ाकर रु. 60,000 रुपये से कर दिया गया है । मैं इसका समर्थन करता हूँ । यदि ऋण की राशि रु. 35 लाख से अधिक नहीं है और यदि घर की लागत रु. 50 लाख से अधिक नहीं है तो आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप से रु. 50,000 की अतिरिक्त कर कटौती की अनुमति दी गई है। यह रु. 2 लाख की कटौती के अतिरिक्त है जो पहले से ही उपलब्ध है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

मैं सिगरेट पर भी उत्पाद शुल्क का समर्थन करता हूं, चाहे मेरे लिए इसकी लागत कितनी भी हो। लेकिन बीडी पर कर क्यों नहीं लगाया गया है? स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप सिगरेट पर कर लगा रहे हैं। ठीक है, आपको संसाधन जुटाने हैं, आप हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। लेकिन बीडी पर कर क्यों नहीं लगाया गया है? … (*व्यवधान*) ऐसा लगता है कि आपको बीड़ी पीने वालों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है?

माननीय सभापति : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

प्रो. सौगत राय: मैं कुछ दिन पहले नागर विमानन मंत्री जी के समक्ष इस बात का उल्लेख कर रहा था कि मध्य वर्ग के अधिकांश व्यक्ति विमान से यात्रा कर रहे हैं। विमानन टर्बाइन ईंधन पर अब शुल्क को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं। अब और अधिक महंगी कौन-सी वस्तुएं होंगी? टेलीफोन, एयर टिकट, बीमा प्रीमियम, संपत्ति खरीदना, ब्रांडेड कपड़े, स्थानीय रूप से बने मोबाइल फोन, सिगरेट, लक्जरी घड़ियां और एरेटेड पानी। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सरकार को कुछ वस्तुओं पर कर लगाना है और संसाधन जुटाने हैं । परन्तु, ये सब भी ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनका उपयोग समृद्ध अथवा अति समृद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं का उपयोग मध्य वर्ग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, आप वास्तव में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नाम पर मध्य वर्ग पर कर लगा रहे हैं।

मैं फिर से इस बजट की कुछ अच्छी बातों का उल्लेख करूंगा। इसमें विनिर्दिष्ट पेटेंट से होने वाली आय पर कर छूट की 10 प्रतिशत दर को जारी रखा गया है और जो इस बात की ओर संकेत करती है कि अनुसंधान को समर्थन प्रदान किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए दिया गया तीन साल का कर अवकाश स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। 3.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य राजकोषीय समेकन की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है, यद्यपि इसका प्रबंध अन्य तरीकों से किया गया है। विवाद समाधान योजना में बेहतर सुधार किए जाने के द्वारा कर संबंधी मुकदमेबाजी को कम करना कारोबारी सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी बात है। स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आर.ई.आई.टी.एस) द्वारा या अवसंरचना निवेश न्यासों (वी.आई.टी.एस) के अंतर्गत चलाए जाने वाली विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) परियोजनाओं को लाभांश

वितरण कर से छूट देने का प्रस्ताव स्थावर संपदा और अवसंरचना निवेश न्यास हेतु उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। यह एक अच्छी बात है।

मुझे लगता है कि विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वित्त मंत्री जी द्वरा इतने जटिल प्रावधानों को करने के बजाय सभी के लिए निगमित कर को आधा प्रतिशत कम किया जा सकता था। निशिकांत जी ने कहा कि वे इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर देंगे। उन्होंने कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं कि वे इसे कब तक कम करके 25 प्रतिशत करेंगे। आप इस तरह विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इस वर्ष मार्च से निगमित हुई नई विनिर्माण कंपनियाँ के लिए, यदि वे कर अवकाश का दावा नहीं करती हैं, कॉर्पोरेट कर को कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे अधिभार और उपकर भी जुड़ा हुआ है, यह मेक इन इंडिया के लिए एक अच्छा कदम है। रु. 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले एस.एम.ई. के लिए 29 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर की कम दर से बड़ी राहत मिली है। स्टार्टअप्स के लिए तीन वर्ष के कर अवकाश से उनको अपने व्यवसाय को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

कुछ और भी जटिल बातें हैं। हमारे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। एल्यूमीनियम पर सीमा शुल्क की दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, गोल्फ कोर्सों में अमीरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले और विमानपत्तनों पर भी उपयोग में लाए जाने वाले गोल्फ कार्ट पर इसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, ई-रीडर पर शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है और प्रिंटर, सर्किट बोर्ड, बैटरी और चार्जर पर भी करों में वृद्धि की गई है। इस बजट में मोबाइल फोन में उपयोग किए जाने वाले चार्जर, एडेप्टर, बैटरी, हेडसेट और स्पीकर के आयात पर से मूल सीमा शुल्क और प्रतिकारी शुल्क को हटा दिया गया है।

स्थावर संपदा के संबंध में, जून 2016 और मार्च 2019 के बीच प्रधान मंत्री आवास योजना के अधीन अनुमोदित परियोजनाओं को लाभ के संबंध में पूर्ण कर कटौती प्राप्त होगी; एम.ए.टी. लागू होगा। 60 वर्ग मीटर तक के किफायती आवासों हेतु सेवा कर में दी गई छूट से मांग में वृद्धि होगी।

ये अच्छे कदम हैं। लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी कि गरीबी को कम करने हेतु यह हमारा लक्ष्य है; रोजगार को बढ़ाने के लिए हम यह कर रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते इण्डिया टुडे पर 'दि बिग पिक्चर' देखी होगी। हम जो भी विकास कर रहें है उससे बेरोजगारी बढ़ रही है और यह एक खतरनाक स्थिति है। मानव विकास सूचकांक नीचे जा रहे हैं। हम इन सभी बेरोजगार लोगों के साथ एक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्री को बजट और कर प्रस्तावों में फेरबदल करने के बजाय एक दृष्टिकोण (विज़न) प्रस्तुत करना चाहिए था। फिर भी, इन सब बातों के साथ-साथ, मैंने यह बता दिया है कि इस बजट में अच्छा क्या है और बुरा क्या है और ये बुरी बातें हैं - सेसपूल, विंडफॉल और फेयर एण्ड लवली। धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय सभापति, वित्त विधेयक 2016-17 पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले, मुझे अपने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर द्वारा कहे जाने वाले एक वाक्य की याद आ रही है जो वे मुझसे उस समय कहा करते थे जब मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहा था। एक चतुर नेता वह होता है – नेता अर्थात् मंत्री – जो गरीबों को सफलतापूर्वक इस बात के लिए आश्वस्त कर सके कि वे उनके हितों की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है और ऐसा ही आश्वासन अमीरों को भी दे सके वह उनकी भी पूरी तरह से रक्षा करेगा। मैं इस वित्त विधेयक के संदर्भ में इस बात को लागू करना चाहता हूं – और वह अपनी इच्छानुसार सभी से सफलतापूर्वक कर की वसूली करता है।

मैं आज यहां वर्तमान सरकार के कर प्रस्तावों के संबंध में अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। इससे पहले कि मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं वित्त विधेयक के संबंध में उनके भाषण के अंतिम भाग का उल्लेख करना चाहता हूं। बजट का भाग ख पैरा 116 से शुरू होकर पैरा 190 तक चलता है और यह कराधान प्रस्ताव और आर्थिक मामलों के संबंध में होने वाले विकास के उनके पूर्वानुमानों से संबंधित है। इससे पहले कि मैं अंतिम पैराग्राफ पर आऊं, मैं यहां केवल इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि छोटे करदाताओं को प्रदान की गई राहत जिसका उल्लेख श्री निशिकांत दुबे द्वारा किया गया है वह बात ठीक है, लेकिन आज हमारे देश के समक्ष उपस्थित सबसे बड़ी समस्या विकास में तेजी लाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय है और उन्होंने बताया कि किन कदमों को उठाकर वे यह उम्मीद कर रहे हैं कि इनसे सकारात्मक परिणाम आएंगे।

दूसरी बात घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना है। पेंशनभोगी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के उपाय एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान खोजे जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है और अगले 15 से 20 वर्षों में यह उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। वास्तव में समस्या यह है कि हमारे देश में बेरोजगार लोगों की संख्या अधिक है और साथ ही हमारे पास आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वृद्ध हो रहा है और इससे कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जिनका सामना इस देश ने पहले कभी नहीं किया था।

अपराह्न 4.00 बजे

परन्तु इसके मध्य भाग पर ध्यान दें तो मुकदमेबाजी कम करने और स्थिरता प्रदान करने का उल्लेख इस वित्त विधेयक में किया गया है। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। यदि संभव हो पाया तो मैं कुछ आंकड़ों का उल्लेख करूंगा। कुछ आंकड़ों का पहले ही उल्लेख किया गया है कि कैसे सी.बी.ई.सी. और सी.बी.डी.टी. और विभिन्न अन्य अदालतों में मुकदमेबाजी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

कराधान को सरल और युक्तिसंगत बनाने के संबंध में अनेक रिपोर्टें सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध हैं परन्तु इस दिशा में काफी कम या धीमी गति से प्रगति हुई है। जवाबदेही तय करने के लिए प्रौद्योगिकी भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसके बारे में भी उल्लेख किया गया है।

निष्कर्ष के रूप में, महोदय, एक दृष्टिकोण (विज़न) का उल्लेख किया गया है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि कई चुनौतियां विद्यमान हैं। इस बजट को वैश्विक स्तर पर और अपने देश में व्याप्त कठिन परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि कठिन परिस्थितियां कौन-सी हैं यद्यपि उन्होंने इनका उल्लेख किया है।

अपराह्न 4.01 बजे (श्री आनंदराव अडसुल *पीठासीन हुए*)

यह सरकार इन कठिन परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखती है। इस वित्त विधेयक से, इस बजट से किसको लाभ मिलने वाला है? क्या ये लोग किसान, गरीब और वंचित वर्ग के हैं और हमारा विज़न भारत के रूपांतरण का है। जैसा कि उन्होंने कहा है और मैंने भी कहा है कि इस बजट को वैश्विक और देश में व्याप्त कठिन परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। सरसरी तौर पर कोई भी यह कह सकता है कि कुल कर संग्रह में विभिन्न करों के योगदान में बदलाव देखा गया है। बजट में यह दर्शाया गया है कि गत दशक के दौरान हमारे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आयकर राजस्व में 4.3 गुनी बढ़ोतरी हुई है। चूंकि सकल घरेलू उत्पाद में केवल 3.4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए लोग आयकर के रूप में अधिक धनराशि का भुगतान कर रहे हैं। कंपनियाँ इतनी उदारवादी नहीं रही हैं। कंपनियों को दोष न दें। कॉर्पोरेट क्षेत्र में कठिन

परिस्थितियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में लाभ का हिस्सा कम होकर निचले स्तर पर आ गया है। यदि कंपनियाँ बेहतर प्रदर्शन करना शुरू करती हैं तो मुझे उम्मीद है कि निगमित कर राजस्व में वृद्धि होगी।

अप्रत्यक्ष करों में, सेवा कर शीर्ष पर रहा है और बजट में दर्शाया गया है कि इसमें गत दशक की तुलना में छह गुना की अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। ऐसा सेवा कर दरों में वृद्धि के कारण नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि कर आधार के दायरे का विस्तार किया गया है। तथापि, अन्य अप्रत्यक्ष करों ने निराश किया है। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क केवल 2.8 गुना तक बढ़ाया जाएगा, जो एक दशक पहले का स्तर है। इससे पता चलता है कि शुल्क दरों को घटा दिया गया है जिससे अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक खुली हो गई है अथवा कम शुल्क वाली वस्तुओं के लिए आयात संबंधी करों में बदलाव किया गया है। वैकल्पिक रूप से, आयात की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं शुल्क-मुक्त हैं क्योंकि इनसे आयात को बढ़ावा मिलता हैं। जो भी कारण हो, पिछले पूरे वर्ष के दौरान सीमा-शुल्क के लिए संग्रह दर घटकर कुल आयात का बमुश्किल 8 प्रतिशत रही है जबकि एक दशक पहले यह आयात का लगभग 9 प्रतिशत थी। और, यह एक प्रतिशत ही बहुत बड़ी धनराशि है।

उत्पाद शुल्क के संबंध में भी स्थिति खराब रही है। इस बजट में दर्शाया गया है कि इससे होने वाले राजस्व में केवल 2.7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी, जो एक दशक पहले के स्तर से सात गुना कम है जो इसे सबसे कम अथवा सबसे धीमी गति से बढ़ने वाली कर की मद बनाता है। मुझे लगता है कि इस कमी का प्राथमिक कारण, मंत्री महोदय इस मुद्दे के संबंध में उत्तर देते हुए समझा सकते हैं, शायद यह है कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के मद्देनजर उत्पाद शुल्क कम कर दिए गए थे और अभी तक उस स्तर तक वापस नहीं लाए गए हैं जो वर्ष 2008 के पहले का स्तर था।

इससे कोई क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? पहली बात यह कि प्रत्यक्ष करों के कारण राजस्व में होने वाली तीव्र वृद्धि का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कर प्रणाली और अधिक प्रगतिशील बनती है। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल केंद्रीय कर राजस्व 10.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट में किए गए प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से रु. 1060 करोड़ के राजस्व

की हानि होगी। तथापि, अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से रु. 20,670 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व सृजित होने की उम्मीद है। इस प्रकार कर प्रस्ताव का समग्र प्रभाव वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में रु. 19,610 करोड़ के शुद्ध लाभ के रूप में होगा।

यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए करों के माध्यम से राजस्व सृजन के संबंध में बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है। भारत में बी.आर.आई.सी.एस. देशों की तुलना में कर-सकल घरेलू अनुपात सबसे कम है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की कर-सकल घरेलू उत्पाद दर में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। मैं यह बात पिछली संप्रग सरकार और पिछले दो वर्षों से सत्ता में रहने वाली वर्तमान राजग सरकार को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ।

देश के कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक की रही है। राज्यों के अपने कर काफी हद तक अप्रत्यक्ष करों पर आधारित होते हैं। अधिकांश प्रत्यक्ष कर केंद्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि, अप्रत्यक्ष करों पर केंद्र सरकार की निर्भरता बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी प्रकृति का माना जाता है। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में सकल केंद्रीय करों में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 52:48 रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2014-15 में यह अनुपात 56:44 का था।

इसलिए, कोई भी यह कह सकता है कि एक और अवसर से लाभ नहीं उठाया गया है जब सरकार को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हुई कमी से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ था। पूर्व वित्त मंत्री राजकोषीय गणित के संबंध में उलझन में हैं। जैसा कि वे एक समाचार पत्र में अपने कॉलम में तो यही लिखते हैं जिसका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है लेकिन अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार को कच्चे तेल के मूल्य में आई गिरावट के कारण लगभग रु. 1,40,000 करोड़ का अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ है। परन्तु उनकी यह शिकायत है कि इस अप्रत्याशित लाभ का उपयोग अतिरिक्त पूंजी व्यय अथवा समाज कल्याण के कार्यक्रमों हेतु नहीं किया गया है।

वास्तव में, कुल पूंजी व्यय बजट अनुमानों (बी.ई.) के 2,41,430 करोड़ रुपये से घटकर संशोधित अनुमानों (आर.ई.) में 2,37,718 करोड़ रुपये रह गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि उपलब्ध अवसर को खोने के समान है। ये उनके शब्द हैं। यह सरल अंकगणित है। इसे समझने के लिए हमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। यदि सरकार अपने बजट के अनुसार प्रत्यक्ष करों को संगृहीत कर लेती और अपने विनिवेश लक्ष्यों को हासिल कर लेती तो वह अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि का उपयोग कर सकती थी।

देश के राजकोषीय कार्यक्रम की समीक्षा करते समय, यह अनुचित होगा यदि इसमें राज्यों की भूमिका की अनदेखी की जाए क्योंकि भारत में राज्यों की जिम्मेदारी आधे से ज्यादा लोक व्यय का उपयोग करने की होती हैं। परन्तु इस बात को भी माना जाना चाहिए कि राजकोषीय मामलों में केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था की कर क्षमता का उपयोग किए जाने के तरीकों को नियंत्रित करती है। केंद्र सरकार भारत में सार्वजनिक व्यय के रूझान को तय करने में नेतृत्व प्रदान करती है। यदि केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष करों को अधिक और प्रत्यक्ष करों को कम प्राथमिकता प्रदान करती है तो राज्य संसाधन जुटाने के ऐसे प्रतिगामी तरीकों में सुधार नहीं कर सकते हैं।

हमारे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर प्राप्तियां लगभग 16 प्रतिशत के स्तर पर रूकी हुई है। कुल कराधान में, प्रत्यक्ष कराधान का हिस्सा अप्रत्यक्ष कर की तुलना में बहुत कम रहा है जो समग्र रूप से 40 प्रतिशत से कुछ कम है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में मुझे आशा है कि सरकार इसका उत्तर देगी कि क्या केंद्र विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों के संबंध में अपने नियंत्रण में आने वाली कर योग्य क्षमता का दोहन करने से इनकार करता है? आम आदमी अपनी आयकर कटौती, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और वार्षिक बचत को लेकर चिंतित है। सबसे बड़ी निराशा कर स्लैब के संबंध में है जिसे संशोधित नहीं किया गया है। इसे आखिरी बार वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था जब उच्चतम 30 प्रतिशत कर स्लैब को बढ़ाकर रु. 10 लाख से अधिक की आय पर लगा दिया गया था। पिछले वर्ष सेवा कर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट्स में खाने सहित प्रत्येक वस्तु की कीमतों का

बढ़ना तय है। आम बजट पर चर्चा के दौरान मैंने शायद उस सूची का उल्लेख कर दिया है कि एक परिवार को रेस्टोरेंट में ले जाने पर कितना बिल आएगा।

माननीय वित्त मंत्री ने स्वर्ण और जड़ाऊ आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करने के साथ-साथ रु. 1000 और उससे अधिक के खुदरा मूल्य वाले सिले-सिलाए परिधानों पर दो प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है । इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को अब स्वर्ण, आभूषण और सिले-सिलाए परिधानों को खरीदने के लिए और अधिक धनराशि का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समाज को यह स्वीकार करना होगा कि जब आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और जिंसों पर कर लगाया जा रहा है, तो स्वर्ण जैसी विलासिता की वस्तुओं को कर मुक्त नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने यहां ये बात कही है।

महोदय, मुझे एक और सुझाव देना है। माननीय वित्त मंत्री ने ऐसे व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए आय घोषणा योजना का प्रस्ताव किया है जिन्होंने पहले अपनी अघोषित आय को घोषित करते हुए पूरे कर का भुगतान नहीं किया है। यह एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण पहल है और जिसके अंतर्गत सितम्बर, 2015 तक रु. 4147 करोड़ की अघोषित आय की घोषणा की गई है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत कम कर की प्राप्त होगी। यह सरकार काला धन वापस लाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? सरकार का ध्यान काले धन के सृजन और प्रवाह पर अंकुश लगाने पर होना चाहिए और इसके लिए गलत तरीके से बनाए जाने वाले व्यापारिक बीजक पर रोक लगाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। इस कार्य को विभिन्न देशों के व्यापार और सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच अधिक समन्वय के द्वारा किया जा सकता है। एक देश से दूसरे देश को दी जाने वाली रिपोर्ट (सीबीसीआर) पहल के अंतर्गत इस बात की आवश्यकता होती है कि केवल ऐसी कंपनियां जिनका समेकित राजस्व 750 मिलियन यूरो या 5395 करोड़ रुपये हो वे अपने कार्य से जुड़े देशों को राजस्व संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इस प्रकार उपरोक्त सीमा तक के राजस्व से कम राजस्व वाली कंपनियों को इसके दायरे में शामिल नहीं किया जाता है । सी.बी.सी.आर. संबंधी वर्तमान घोषणा में ऐसी रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन रिपोर्टों को भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जिम्मेदारी, कर भुगतान और विश्व व्यापार प्रवाह की

निगरानी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारत ने पहले ही बहुस्तरीय सक्षम प्राधिकारी समझौते (मल्टीलेटेरल कंपीटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वर्ष 2017 से पहली बार सूचना का आदान-प्रदान (फर्स्ट एक्सचेंज इम्फॉर्मेशन) करने के लिए भी प्रतिबद्धता जाहिर की है, सरकार को कर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान संबंधी वैश्विक नियमों हेतु विधान बनाना चाहिए। फिर भी सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए इस सभा में वापस आना होगा। यह आवश्यक है क्योंकि तभी इससे संबंधित अन्य बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो पाएगा।

लाभकारी स्वामित्व की केन्द्रीय लोक रजिस्ट्री के बारे में हाल ही में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं और ये संशोधन वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है। परन्तु इससे संबंधित एक और मुद्दा है और मेरा मानना है कि इस मामले को देखने के लिए उपयुक्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।

लाभकारी स्वामित्व की केन्द्रीय लोक रजिस्ट्री, जो प्रत्येक कंपनी या इकाई के वास्तविक स्वामी की पहचान करती है, की स्थापना की जाए और इसके बारे में कानून बनाया जाए। यह गुमनाम व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कंपनियों पर रोक लगाने में में मदद करेगा और अवैध वित्तीय प्रवाह, गबन आदि जैसे मुद्दों से निपट सकता है जो अक्सर गुमनाम व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से होते हैं।

हमें यह बताया गया है कि सरकार आयकर निर्धारितियों को अतिरिक्त स्वतंत्रता देकर और शास्तियों को कम करके मुकदमेबाजी को कम करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, कर-निर्धारण अधिकारियों को कतिपय परिस्थितियों में असीमित शक्तियां दी गई हैं और उन्हें ये शक्तियां इस विधेयक के माध्यम से ही दी जा रही है।

इस वित्त विधेयक, 2016 से एक और दुखद बात सामने आई है कि दो नई श्रेणियां का सृजन किया गया है जो पहले आयकर अधिनियम में नहीं थीं। ये दो श्रेणियां आय की कम और गलता जानकारी देने से संबंधित है। इन दोनों नई श्रेणियों के लिए शास्ति अपवंचन किए गए कर की धनराशि का 50 प्रतिशत और 200 प्रतिशत रखी गई है। कर-निर्धारण अधिकारी अपने विवेक से इनके बीच की कोई दर नहीं लगा सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण खंड मुकदमेबाजी से संबंधित है। निर्धारिती के लिए अपील की प्रक्रिया और कठिन बन गई है। प्रस्तावित कानूनों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी मामले को आय की कम रिपोर्ट किए जाने वाले मामले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो शास्ति को तभी माफ किया जा सकेगा जब निर्धारिती आदेश को स्वीकार करता है और निर्धारित अवधि आम तौर पर 30 दिन के भीतर संगत कर का भुगतान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अधिकारी मामले को आय की मिथ्या रिपोर्ट किए जाने के रूप में वर्गीकृत करता है, तो अपील दायर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। निर्धारिती को आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता होगी।

विनियमों के अनुसार, कोई भी निर्धारिती केवल आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध आयकर अधिकरण में जा सकता है। परन्तु, यदि कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तो न्यायालय का ही एकमात्र सहारा उपलब्ध होता है क्योंकि कोई भी निर्धारिती कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में अपील नहीं कर सकता है। यह एक बहुत ही कड़ा प्रावधान है और इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक में इन परिवर्तनों को किया जाए क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

पूर्ववर्ती व्यवस्था में, कर-निर्धारण अधिकारी आय को छुपाने अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कर दाता पर शास्ति लगा सकता है। यह शास्ति कर अपवंचन की धनराशि के 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक की हो सकती थी। तथापि, जब कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143(2) के अंतर्गत एक आदेश जारी किया जाता है, तो निर्धारिती एक स्पष्टीकरण दे सकता है। यदि कर-निर्धारण अधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट होता था, तो निर्धारिती को केवल कर का भुगतान करना पड़ता था। कर-निर्धारण अधिकारी के पास शास्ति और ब्याज माफ करने की शक्ति थी। लेकिन अब इस प्रावधान के साथ, यह बहुत ही कड़ा है और मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह न्यायालय के समक्ष मान्य नहीं होगा।

महोदय, मुझे कुछ और समय चाहिए और मैं और तीन-चार मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं; मैं विधेयक पर बात कर रहा हूँ और मैं अपने दल से एकमात्र वक्ता हूँ। वित्त मंत्री यह बात कहते रहें हैं कि सरकार यह

सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगी कि ज्वैलर्स को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वर्ण जैसी विलासिता की वस्तुओं को कराधान से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

मैं इस विषय पर और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। अन्य लोगों ने इस विषय के बारे में बात की है। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस सरकार से रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहनों के बारे में क्या कहा है और राजस्व को सुरक्षित रखने और राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए क्या कहा है। यह केवल सूरत अथवा मुंबई के हीरा व्यापारियों के हित में ही नहीं है। क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस सरकार से शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए नहीं कहा है ताकि कम से कम विदेश व्यापार नीति के अधीन विदेशी मुद्रा अर्जन को परित्यक्त शुल्क के बराबर रखा जा सके? … (*व्यवधान*)

वित्त मंत्री ने इस विधेयक में तीन उपकरों का प्रस्ताव किया है। सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत का कृषि कल्याण उपकर है। इसके बारे में प्रो. सौगत राय ने पहले उल्लेख किया है। अन्य छोटे पेट्रोल, एल.पी.जी. और सी.एन.जी. गैस चालित वाहनों पर एक प्रतिशत का अवसंरचना उपकर हैं; अन्य उच्च इंजन क्षमता वाले वाहनों और एस.यू.वी. पर 2.5 प्रतिशत उपकर और कोयला, लिग्नाइट, आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया गया है।

कृषि कल्याण उपकर लगाए जाने से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। केवल कारों पर लगाए गए अवसंरचना उपकर से लगभग रु. 3,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में, इस तरह के करों से रु. 1.9 लाख करोड़ से अधिक का और राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इनसे कर दाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के अलावा, इन उपकरों के कारण राज्यों को केन्द्रीय करों में से मिलने वाला हिस्सा कम हो जाएगा क्योंकि ये उपकर केन्द्र और राज्यों के बीच साझा होने वाले करों के पूल का हिस्सा नहीं होते हैं। इस प्रकार, केंद्रीय कर राजस्व में उपकरों की बढ़ती हिस्सेदारी का अर्थ है, राज्यों को मिलने वाली करों की हिस्सेदारी का प्रभावी रूप से कम होना है। वर्ष 2016-17 में उपकरों और अधिभारों से रु. 1.9 लाख करोड़ अधिक मिलने का अनुमान है, जैसा कि मैंने पहले कहा है और यह सभी केंद्रीय करों से

संगृहीत किए गए कुल धन का लगभग 12 प्रतिशत है और इन करों में केंद्र के अपने हिस्से का लगभग पांचवां हिस्सा है। केवल दो वर्ष पहले, वर्ष 2014-15 में, उपकरों और अधिभारों का हिस्सा केवल आठ प्रतिशत से अधिक रहा है। यह संप्रग के शासनकाल के दौरान कुल केंद्रीय करों का आठ प्रतिशत और केंद्र के हिस्से के 11 प्रतिशत से कुछ अधिक था।

जब पिछले वर्ष चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में दस प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जबकि केंद्र सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं को राज्यों द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए उन्हें राज्यों को अंतरित कर दिया था और फिर उपकरों में की गई इस वृद्धि के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके कारण राज्यों के लिए बढ़ाई गई अधिक हिस्सेदारी का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। असाधारण स्थितियों को छोड़कर उपकरों और अधिभारों को लगाए जाने से बचना चाहिए।

यदि सरकार सड़क, शिक्षा, अवसंरचना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने जैसे कार्यों के लिए उपकर लगाती है, तो सामान्य करों का प्रयोजन क्या है? क्या सरकार के इन नियमित कार्यों को सामान्य करों से वित्त पोषित नहीं किया जाना चाहिए? संघीय व्यवस्था में ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। हरेक कार्य के लिए तत्काल कर लगाए जाने की स्थिति से बचा जाना चाहिए और सामान्य कर संग्रहण की धनराशि के दक्षतापूर्ण उपयोग की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें। आपने 18 मिनट के बजाय 27 मिनट से अधिक समय तक अपनी बात रखी है। आपको केवल 18 मिनट ही बोलना था, लेकिन आपने 27 मिनट का समय ले लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे सिर्फ तीन मिनट और दीजिए। यह मेरा आखिरी मुद्दा है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ और यह किसानों को प्रदान की गई कर छूट के बारे में है। प्रो. सौगत राय द्वारा कुछ जानकारी साझा की गई है। यह मेरे लिए बड़ी ही विकट स्थिति है। मैं हमेशा उनके बाद बोलता हूं और वे मेरे द्वारा उठाए जाने वाले सभी मुद्दों के बारे में स्वयं ही बोल देते हैं।

इस बात को सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि पर आयकर नहीं लगता है। यह एक विरासत है जो हमें उत्तराधिकार के रूप में मिली है क्योंकि हमारे अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी उस समय किसानों के कल्याण हेतु किसानों पर लगाए गए अत्यधिक करों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे।

वर्ष 1947 के बाद अधिकांश सरकारों ने कृषि पर कोई कर नहीं लगाया। यह भी सभी जानते हैं कि कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के दौरान 400,000 से अधिक ऐसे करदाता रहे हैं जिन्होंने कृषि आय पर छूट का दावा किया है। सबसे अधिक कर छूट का दावा करने वालों में कावेरी सीड्स जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रही है - जिसने रु.186.63 करोड़ की छूट का दावा किया है और रु. 215 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है – और दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी है मोनसेंटो इंडिया, जिसने रु. 94 करोड़ की छूट का दावा किया है और रु. 138 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

मैं पूरे ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। हमारे पास जो जानकारी है, हम उस पर बाद में विचार-विमर्श कर सकते हैं। इस सभा में हमेशा विचार-विमर्श होता है लेकिन क्या इससे किसानों को कोई लाभ देने अथवा सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई निष्कर्ष निकलता है, किसानों की कृषि उपज पर कर नहीं लगाया जाना एक बात है परन्तु ये कौन-सी बात है कि उन कंपनियाँ पर कर नहीं लगाना जो हज़ारों करोड़ रुपये कमा रही हैं? 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों अथवा कंपनियों को आयकर से छूट दी गई है। ये बेमतलब की बात है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका उत्तर सरकार को अवश्य ही देना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 के *आर्थिक सर्वेक्षण में* कर आधार के दायरे को बढ़ाने की सिफारिश की गई है; केरल में वृक्षारोपण पर कर लगाया जाता है; तमिलनाडु कर नहीं लगाता है; असम में चाय की खेती से होने वाली आय पर 45 प्रतिशत तक कर लगाया जाता है। 'कृषि` यद्यपि राज्य का विषय है, परन्तु केंद्र सरकार को करोड़ो रुपयों की कृषि आय दर्शाने वाले किसानों और कंपनियाँ पर कर लगाने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में पहल करनी चाहिए। उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? पटना उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। मुझे उसके ब्यौरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात की अपेक्षा की जाती है कि सरकार वह जानकारी उपलब्ध कराएगी लेकिन मैं इस बात की भी अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी। जब आप कर आधार

के दायरे को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ यह मामला है कि जो लोग अच्छा-खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और जो किसान 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र पर खेती कर रहे हैं और कृषि आय पर कर छूट का दावा कर रहे हैं उन पर कर लगाया जाना चाहिए।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): सबसे पहले, मैं कृषि को प्राथमिकता देने और हमारी सरकार की एक नई छवि का निर्माण करने के लिए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री सिन्हा *जी की सराहना करता हूं।* इसे एक कॉर्पोरेट सरकार के रूप में जाना जाता था, एक ऐसी सरकार जो केवल कॉर्पोरेटस का समर्थन करती है और अब इसी सरकार ने कृषि और किसानों के हितों का ध्यान रखा है।

श्री निशिकांत ने प्रावधानों से संबंधित नौ बातों का उल्लेख किया है, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इन प्रावधानों के संबंध में दो अथवा तीन बातें बताना चाहूंगा। एक प्रावधान आय को छुपाने अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति से; उससे संबंधित कानून; और विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित है। नई धारा 270क में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे इसके निर्वचन से संबंधित विवाद बढ़ेंगे। कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

धर्मार्थ न्यासों के बारे में, आयकर निदेशक द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है तथा न्यास को 14 दिन के भीतर कर का भुगतान करना होगा और उसे अपीलीय मंच के समक्ष अपील करने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए किया गया एक कठोर प्रावधान है। धर्मार्थ संस्था द्वारा की किए गए किसी भी कार्यकलाप, जिससे आय अर्जित होती है, को वाणिज्यिक कार्यकलाप माना गया है। मेरा मानना है कि यह सही नहीं है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। हमारे द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को भी अपने कार्यकलापों का संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उपधारणात्मक कर के संबंध में, कारोबार करने वाले व्यक्तियों के मामले में जहां कारोबार रु. 2 करोड़ से कम है, वे सकल कारोबार के आठ प्रतिशत पर कर का भुगतान करते हैं; इसकी सीमा को रु. 1 करोड़ से अधिक कर दिया गया है; धारा 44ख के अधीन कर लेखा परीक्षा की सीमा में तदनुरूप परिवर्तन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है।

मैं धारा 88जी.जी. के अधीन भुगतान किए गए मकान किराए की कटौती की धनराशि की सीमा को रु. 34,000 से बढ़ाकर रु. 60,000 प्रति वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधानों के बारे में कुछ बातों का उल्लेख करना

चाहता हूं। हमें उन लोगों को राहत देनी चाहिए, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रावधान है। इसमें कई प्रावधान हैं। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सभी ने उनके बारे में बात की है।

वित्त विधेयक के बारे में मेरे कुछ विचार हैं जिन्हें मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। यद्यपि कई लोगों ने आभूषणों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के बारे में बात की है, फिर भी मैं इसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। आभूषणों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के औचित्य को मैं समझ नहीं पाया हूं। जब हम माल एवं सेवा कर लगाने वाले हैं तो आभूषणों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं कि जब देश में इतना हंगामा हो रहा है, तो सरकार इस पर उत्पाद शुल्क क्यों लगाना चाह रही है। इसे पहले भी वर्ष 2005 और वर्ष 2012 में लगाया गया था और उस समय वर्तमान प्रधान मंत्री सहित हम सभी ने इसका विरोध किया था और तत्कालीन सरकार ने इसे वापस ले लिया था। अब हम इसे फिर से क्यों लगाना चाह रहे हैं? इससे आभूषण व्यवसायी समुदाय आन्दोलित है। आभूषण की दुकानों के बारे में भूल जाइए, लेकिन कारीगरों की चिंताओं के बारे में सोचें। वे निरक्षर कारीगर हैं, लेकिन वे बहुत कुशल कारीगर हैं। उन्होंने 40 दिनों तक हड़ताल की है और वे फिर से चार दिनों तक हड़ताल पर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बेहतर है कि इसे सही समय पर वापस ले लिया जाए। ऐसा करने से किसी का सम्मान कम नहीं होगा। हमने ई.पी.एफ. के मामले में क्या किया है, वही काम हमें यहां भी करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

मैं धातु उद्योग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इस मुद्दे पर, मैंने वाणिज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी दो बार भेंट की थी और मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा था। धातु उद्योग के बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कच्चे माल पर शुल्क लगाया जाता है, जबकि चीन और मलेशिया से आने वाले तैयार उत्पाद बिना किसी शुल्क के भुगतान के देश में आने दिए जाते हैं। एक ओर, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर, जब हमारे अपने लोग विनिर्माण करना चाहते हैं, तो उन पर शुल्क लगाया जा रहा है। अतः, इस पर भी सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें अपने एम.एस.एम.ई., विशेष रूप से धातु उद्योग और तांबे उद्योग की रक्षा करनी है जो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

सेवा कर के संबंध में, श्री महताब और अन्य लोगों ने भी इसके बारे में बात की है। मैं सेवा कर, विशेष रूप से बीमा पर भी बोलना चाहूंगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा बाजार में लगभग 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस समय, 30 करोड़ लोगों ने जीवन बीमा का विकल्प चुना है और यह लोगों के जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। लेकिन हम बीमा पर सेवा कर की वसूली कर रहे हैं। मैंने कुछ एल.आई.सी. अधिकारियों से बात की है। वर्तमान रूझान यह दर्शाता है कि एल.आई.सी. से बीमा कवर का विकल्प चुनने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। जब हमारे लोग जीवन बीमा कराना चाहते हैं, तो हम बीमा कंपनियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए, बीमा कवर पर लगाए गए सेवा कर पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस समय बैंकों की स्थिति क्या हो गई है। बैंकों को क्या हो गया है? एन.पी.ए. को किसने बढ़ाया है? क्या यह कर्मचारी हैं? हम कुछ बैंकों के विलय अथवा एकीकरण के बारे में निर्णय ले रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से शायद पिछली सरकार के कार्यकाल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को बहुत नुकसान हुआ है। पिछली सरकार ने इस मुद्दे में कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अतीत में जो कुछ भी किया गया है, उसके कारण वे अब संकट का सामना कर रहे हैं। अंततः इसके दुष्परिणामों से कौन प्रभावित होता है? कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित होता हैं। जब हम एकीकरण अथवा विलय करते हैं, तो इसके दुष्परिणामों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ता है। बैंक या तो वी.आर.एस. अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति योजना लागू करते हैं। फिर, जब हम विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं? जिन लोगों के पास अभी रोजगार है, उनके रोजगार पर संकट आया हुआ है और इसलिए, मुझे लगता है कि इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें अपने बैंकों के एन.पी.ए. के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। हम जानते हैं कि.... के साथ क्या हुआ[11] *वह भाग गया है और उसके द्वारा रु. 9,000 करोड़ के ऋण का भुगतान किया जाना है और बैंकों का एनपीए बढ़ गया है । किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी भी बंद हो गई है। अब कौन भुगत रहा है? इसके दुष्परिणामों का सामना कर्मचारियों को ही करना पड़ रहा है। बैंकों के कर्मचारी भी संकट का सामना कर रहे हैं।

[11] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

महोदय, जब सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी तो मैंने उस समय सरकार से अनुरोध किया था कि कृपया हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ध्यान रखें। हम कहते हैं कि सरकार शासन करने के लिए है, व्यापार चलाने के लिए नहीं। कृपया इस सिद्धांत पर फिर से विचार करें। इससे हमारा वास्तव में क्या तात्पर्य है? एक तरफ हम रोजगार सृजित करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को बंद किया जा रह है। मेरे सहयोगी, श्री. श्रीरंग बारणे और मैंने स्वयं इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। यह प्रस्ताव उर्वरक मंत्रालय द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता के केवल प्रशासनिक अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को दिया गया है। आज तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। पिछले 18 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार यह न कहें कि यह हमारा काम नहीं है। सरकारी क्षेत्र ने लंबे समय तक इस देश की सेवा की है। राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ है? बीमा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? इनका राष्ट्रीयकरण न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने या उनकी नौकरियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया गया था बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। लोग अपना पैसा सरकारी बैंकों में जमा करते हैं न कि निजी बैंकों में। ऐसा क्यों? उन्हें आप पर भरोसा है; उनका आप पर विश्वास है; उन्हें सरकार पर भरोसा है। जन धन योजना कैसे सफल हुई है? यह इन सरकारी बैंकों के कारण सफल हुई है। कृपया सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर ध्यान दीजिए। अतः मेरा यह अनुरोध है कि इनका विलय करते समय कृपया कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखें।

मैं सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। हम जानते हैं, इस देश में हर कोई 2जी और 3जी घोटालों का इतिहास जानता है। क्या इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार हैं? यह नीति संबंधी निष्क्रियता, भ्रष्ट नीतियों का परिचायक हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस समय सभी निजी उद्यमी 4जी सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां – बी.एस.एन.एल. का सौ प्रतिशत स्वामित्व सरकार के पास है – 4जी सेवा प्रदान करने की स्थिति में है? ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि वे लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसका

भुगतान किसे करना चाहिए? सरकार इसका भुगतान क्यों नहीं कर रही है? कई वर्षों से सरकार के खजाने में आयकर, लाभांश के लाखों रुपये जमा किए गए हैं। वर्ष 1851 में कोलकाता में पहले लैंडलाइन टेलीफोन की स्थापना की गई थी। आज तक 160 वर्ष बीत चुके हैं। इतने लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं प्रदान की है। यह सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन संस्थाओं को बंद न किया जाए, इनके कार्य में अवरोध न उत्पन्न किए जाए। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान समय में 4जी व्यवसाय सभी निजी उद्यमियों द्वारा छीन लिया जाएगा। दो साल बाद हम उनसे कहेंगे, ठीक है, अब आप भी 4जी की सेवाएं उपलब्ध करायिए। वे ग्राहकों को कहां से लाएंगे? मैं हाथ जोड़कर आपसे बजट में एक प्रावधान करने का अनुरोध करूंगा कि बी.एस.एन.एल. द्वारा 4जी सेवाओं को प्रदान किए जाने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाए ताकि ये कंपनियां अपने अस्तित्व को बचा सकें। वे न केवल अपने अस्तित्व को बचा पाएंगी बल्कि वे और अधिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी।

अब यह प्रश्न उठता है कि संसाधनों को कैसे सृजित किया जाए? आप भारतीय दूरसंचार उद्योग से अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे पास इनके कारखाने थे। वे उपकरणों का निर्माण करते थे। एक रायबरेली में स्थित है। सोनिया गांधी *जी* ने इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया था क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने इसका पुनर्उद्धार किया है। यह आपकी एक आस्ति है। वहां विशाल भूमि बैंक उपलब्ध है। वहां तैयार अवसंरचना उपलब्ध है। आप भर्ती कर सकते हैं; आप रोजगार सृजित कर सकते हैं। आप इस संबंध में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजना ला सकते हैं; इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसे विशुद्ध रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में न रखें। लेकिन आप इसका उपयोग स्वदेशी उपकरणों, स्वदेशी मोबाइल, स्वदेशी सिम कार्ड और स्वदेशी पी.बी.एक्स./पैब्क्स बोर्डों के निर्माण के लिए करें। आपके पास पर्याप्त मात्रा में आस्तियां उपलब्ध है। कृपया उनका उपयोग करें; अन्यथा उन पर अतिक्रमण किया जाएगा। अतः मैं आपसे इस मामले पर भी ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि आईटी व्यवसाय आगे बढ़ें।

हम नौकरियों को सृजित करने की बात करते हैं। बी.पी.ओ. बंद कर दिए गए हैं। बी.पी.ओ. कहां गए? बी.पी.ओ. फिलीपींस, चिली, चीन और मलेशिया में चले गए हैं। कितनी नौकरियां चली गईं है? जब हम

रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो क्या हम इस बात को जानते हैं कि कितनी नौकरियां चली गई हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) एक गंभीर विषय है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्रम कानून लागू नहीं होते हैं।

चेन्नई में नोकिया के साथ क्या हुआ? एक ही दिन में नोकिया बंद हो गई और लगभग 5,000 कर्मचारी सड़क पर आ गए। यदि नौकरी पाने हेतु निर्धारित आयु की सीमा से अधिक आयु हो जाती है तो क्या हमारे पास कोई प्रावधान है? एक बार जब लोग 35 या 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं और यदि कंपनी बंद हो जाती है, तो उनकी नियति क्या होगी? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा है या क्या श्रम कानूनों में कोई सुरक्षा प्रदान की गई है या सरकार उन्हें नौकरी देने जा रही है। मफतलाल बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अब वे जमीन बेचने जा रहे हैं। अगर सरकार उन्हें अनुमति देती है, तो लोगों को उनका बकाया मिल जाएगा। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस मामले पर विचार करें। जब हम मेक-इन-इंडिया की बात करते हैं, तो हमें अपने आईटी सेक्टर और निजी विनिर्माण क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए।

कोई भी निर्णय लेते समय, सरकार को इस संबंध में सामाजिक परिदृश्य और इससे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हाल ही में सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर लगाया गया कर वापस ले लिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कर्मचारियों में बड़ा रोष था। ये संगठित लोग हैं। क्या हम कभी असंगठित या जो *मथाड़ी कामगार* या घरों में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं? सरकार ज्वैलर्स की नाराजगी को भी नजरअंदाज कर रही है। लेकिन उन्होंने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का ध्यान रखा है और ई.पी.एफ. पर लगाए गए कर को वापस ले लिया है। संगठित क्षेत्र में केवल पांच से सात प्रतिशत कर्मचारी कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र के बारे में क्या प्रावधान हैं? मैंने नोकिया के बारे में भी बात की है। क्या हम उन लोगों से, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, यह उम्मीद करते हैं कि वे मनरेगा में कार्य करेंगे? हमने असंगठित क्षेत्र में *मथाड़ी,* घरों में कार्य करने वाले लोगों और अन्य लोगों के हित में एफ.डी.आई. का स्वागत किया है। लेकिन भगवान के लिए श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य को दांव पर

लगाकर इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। श्रमिकों की रक्षा की जानी चाहिए। अंततः किसी देश के मायने क्या होते है? किसी देश का वास्तविक अर्थ होता है उसमें रहने वाले लोग । 100 करोड़ लोगों की जनसंख्या को साथ देश के संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए और इसे भार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी देश में रहने वाले लोग उस देश के अमूल्य संसाधन होते हैं।

इस वर्ष हम इस देश को श्रम कानून देने वाले डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की 125 वीं जयंती मना रहे हैं; इसी महान व्यक्ति ने लोगों के कार्य दिवस के घंटों को आठ घंटों तक सीमित किया है; और इसी महान व्यक्ति ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया है। यही प्रावधान हैं जो उन्होंने मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए थे। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी महिलाओं के कार्य दिवस का समय आठ घंटों तक सीमित है। इस आईटी सेक्टर में या बीपीओ में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वे किसी महिला से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं,"क्या आप विवाहित हैं? यदि उसने 'नहीं' कहा तो फिर वे पूछते हैं,"आप विवाह कब करेंगी? क्या यह उसकी नौकरी से संबंधित है? यह सब सिर्फ इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें मातृत्व अवकाश पर जाना न पड़े। अगर वे विवाह करने जा रही हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। इसलिए ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातों को छिपाते हैं। यदि वे विवाहित हैं, तो वे पूछते हैं:"क्या आप संतान को जन्म देने वाली हैं? संतानोत्पत्ति की आपकी क्या योजना है? " निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है? अतः मैं आपसे इन विषयों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ।

हमारा निर्यात कम हो रहा है और हमारा आयात बढ़ रहा है। स्वदेशी विनिर्माण में गिरावट आई है। कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं लेकिन अभी तक एक भी इकाई स्थापित नहीं की गई है। रोजगार में कोई वृद्धि नहीं दिख रही है।

महोदय,जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय है। वर्तमान समय में उत्तराखंड की समस्या से हर कोई जूझ रहा है। मेरा यह अनुभव रहा है कि पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को बेमौसम बारिश, भारी

बारिश, बाढ़ और सूखे के कारण बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। मुझे पूरे बजट में नदियों को परस्पर जोड़े जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिखा है।

महोदय,मैं अब अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए मैं केवल प्रमुख मुद्दों का ही उल्लेख कर रहा हूँ।

कई किसान आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच गए हैं। कई ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं हैं जो राज्य स्तर पर भी लंबित हैं। मैं केंद्र सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। ऐसी परियोजनाओं के के बारे में, जिनका 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे अगले दो, तीन या चार वर्षों के भीतर पूरी हो जाएं ताकि जल संकट को दूर किया जा सके।

महोदय,अब मैं पेंशनभोगी समाज के संबंध में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। लोग यह कह रहे हैं कि यदि वर्षों से उनके वेतन से जो धनराशि काटी जा रही है, वह संचित हो रही है और यदि उसे बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाता है, तो उन्हें जो पेंशन मिल रही है, उससे कहीं अधिक पेंशन मिलेगी। अतः कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें ताकि इन सेवानिवृत्त लोगों को पर्याप्त पेंशन दी जा सके। सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अब मैं किफायती आवास के संबंध में बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कल इस पर चर्चा हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुंबई एक ऐसा शहर है, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में या यहां तक कि हमारे साथी सदस्य श्री राहुल शेवाले के क्षेत्र में, जहां आपको बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग – सौ साल पुरानी इमारतें दिखाई देगी। कुछ दिन पहले मैं 'शून्यकाल' में एक मुद्दा उठाना चाहता था - कमाठीपुरा में स्थित गुलमोहर भवन के बारे में, जहां आठ लोगों की मौत हुई थी। यह सौ साल पुरानी इमारत थी। इसलिए इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बेशक राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। झुग्गीवासी पुनर्वास प्राधिकरण का गठन किया गया है। वे इस कार्य को कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह कार्य उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी हम चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह सुनिश्चित करने की है कि वर्ष 2022

तक हर किसी के पास अपना ऐसा घर हो जिसकी लागत वह वहन कर सके। यदि संभव हो तो कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए। … (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा: माननीय सदस्य, क्या मैं एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दे सकता हूं? आपने अभी कहा है कि सावधि जमा के रूप में धनराशि को जमा करके वास्तव में आप उस धनराशि को भविष्य निधि में जमा करने की बनिस्बत अधिक लाभ को अर्जित कर सकते हैं। मैं बस इस संबंध में आपकी गणना को ठीक करना चाहता हूं। जब आप भविष्य निधि में धनराशि जमा करते हैं, तो आप उसे बिना किसी कर का भुगतान किए जमा करते हैं। यह धनराशि भविष्य निधि में जमा हो जाती है, जहां आपको 8.8 प्रतिशत का ब्याज मिलता है, जो इस समय भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दर है। आप मिलने वाली उस 8.8 प्रतिशत धनराशि पर कोई कर नहीं देते हैं और फिर इसे 20, 30 वर्षों तक इस प्रकार धनराशि जमा करने के बाद या जब तक आप इसे वहां जमा रखना चाहते हैं और जब आप इसे वापस लेते हैं तो धनराशि की ऐसी निकासी भी कर मुक्त है। इस प्रकार यह तीन बार मिलने वाली 'छूट' है। यदि आप इसे सावधि जम के रूप में रखते हैं, तो पहले आपको अपनी आय पर कर का भुगतान करना होगा, इसके बाद ही आप इसे सावधि जमा के रूप में जमा कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उस आय पर 10 प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती हैं। आप उस आय पर कर का भुगतान करते हैं और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही उस पर कर का भुगतान कर दिया है। इस तरह से कई वित्तीय विशेषज्ञों ने यह गणना की है। यह आपके लिए अधिक लाभदायक है, आस्थगित किए गए कर के कारण, भविष्य निधि को दी गई छूट के कारण और यही कारण है कि भविष्य निधि में धनराशि जमा करना इतना लोकप्रिय उपाय है। मैं तो बस इस बारे में आपकी गणना को ठीक करना चाहता हूं।

श्री अरविंद सावंत: बहुत-बहुत धन्यवाद। आम आदमी कानून के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। उसे लगता है कि उसने 10 लाख रुपये जमा किए हैं और उसे 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से सालाना 1 लाख रुपये मिलना चाहिए। ये धनराशि लगभग 9,000 रुपये प्रति माह की बनती है। लेकिन वह कहता है कि उसे केवल 2,500 रुपये मिल रहे हैं। लोग ऐसा सोचते हैं। इस बात को समझाना और सही जानकारी देना जरूरी है।

अब मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा के बारे में है। हम शिक्षा पर बजट अनुमान का 3.7 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। कृपया इस बात को समझिए कि हम अभी किस स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता क्यों है? छात्रों में घबराहट इसलिए है क्योंकि शिक्षा प्रणाली में कोई समानता नहीं है। उनमें से कुछ सी.बी.एस.ई ,आई.सी.एस.ई और एस.एस.सी. द्वारा ली जाने वाली परीक्षा देते हैं। एस.एस.सी बोर्ड के छात्र ऐसे अन्य छात्रों से पीछे रहते हैं जो सी.बी.एस.ई . और आई.सी.एस.ई द्वारा ली जाने वाली परीक्षा देते हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि एक गाँव में रहने वाले बच्चे का, जो जिला परिषद स्कूल या ग्राम पंचायत स्कूल जाता है, इसमें क्या दोष है। उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसके साथ भेदभाव क्यों किया जाना चाहिए? उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित क्यों किया जाना चाहिए? यह असमानता क्यों है? शिक्षा के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान करके इस असमानता को दूर करना होगा।

अंत में मैं जी.एस.टी. के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि एअर इंडिया के मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। सेवा कर निदेशालय का स्थानांतरण करके उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है और इसका नाम बदलकर 'माल एवं सेवा कर महा-निदेशक' कर दिया जाएगा। हमें हर कार्यालय को दिल्ली ले जाने की आवश्यकता क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे औचित्य क्या है। इन कार्यालयों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों है? प्रौद्योगिकी बदल गई है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है; डेटा आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, हर कार्यालय को दिल्ली ले जाने की आवश्यकता क्यों है, मैं इस बात को समझ में नहीं पाता हूं। महोदय, कृपया इस तरह के स्थानांतरणों को बंद कीजिए ताकि वहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं, उनकी नौकरी न जाए।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कहा अच्छे दिन आएंगे लोग हमसे बहुत खुश होंगे। लेकिन लोग, मतदाता, जिन्होंने हमें चुना है, [हिन्दी] वे जिस दिन खुश होंगे उस दिन हमारी खुशी होगी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम आपके इंटेलिजेंस को सलाम करते हैं। जब हम अत्योदय की बात करते हैं, [अनुवाद] इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंतिम व्यक्ति को इससे खुशी मिलनी चाहिए। जिस

दिन उसे खुशी मिलेगी, मुझे लगता है बजट या वित्त विधेयक को सफलता मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि आपको वह सफलता मिले, महोदय।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): धन्यवाद,महोदय। आपने मुझे वित्त विधेयक, 2016 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है।

महोदय, हम इस वर्ष के बजट के तीसरे और अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। वित्त विधेयक के पारित होने के पश्चात्, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को बजटीय आबंटन किए जाने का कार्य संपन्न हो जाएगा और इसके बाद यह आबंटन संबंधी कार्य संशोधित अनुमानों के चरण में ही किया जा सकेगा।

अपराह्न 4.52 बजे (श्री के. एच. मुनियप्पा *पीठासीन हुए*)

महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं सामान्य बजट के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। परन्तु मेरा राज्य आंध्र प्रदेश वर्तमान में जिन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, अपने पुराने नाम और वित्तीय संकट के साथ एक नए राज्य के रूप में हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इस कारण मुझे अपने पूरे समय का उपयोग हमारी स्थिति का वर्णन करने हेतु ही करना पड़ेगा।

महोदय,मैंने बजट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उस समय विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए थे, जब सभा में बजट पर सामान्य चर्चा हो रही थी। इस समय, मैं विशेष रूप से आंध्र प्रदेश हेतु किए गए सभी आबंटनों, जारी की गई धनराशि, आंध्र प्रदेश हेतु किए जाने वाले आबंटनों के संबंध में किए गए वादों और आंध्र प्रदेश को दिए गए आश्वासनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ।

महोदय, आपको लग सकता है कि मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूं, लेकिन आंध्र प्रदेश के पांच करोड़ लोगों के लिए, ये तथ्य हमारे भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं; ये आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा की जाने वाली अपील, अनुरोध और गुहार हैं। ऐसा लग सकता है कि एक ही बात बार-बार दोहरायी जा रही है क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश के रूप में शेष बचे राज्य की मदद करने हेतु तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रही है। इसलिए, मैं इस समय केवल हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि दिए गए आश्वासनों और आवश्यकता के अनुसार आंध्र प्रदेश की हितों का ध्यान रखा जाए क्योंकि हमारे राज्य का वित्तीय संकट बद से बदतर होता जा रहा है जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है बल्कि यह स्थिति इस संसद द्वारा लिए गए निर्णयों के

कारण है, जिसका अब यह नैतिक दायित्व बन गया है कि 'न्याय किए जाने में देरी अन्याय के समान है' के सिद्धांत के अनुसार हमारे प्रदेश के साथ न्याय करे।।

महोदय,मैं विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले, तत्कालीन प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने 20 फरवरी, 2014 को राज्य सभा में यह वक्तव्य दिया था जिसको मैं उद्धृत करता हूँ:

> उन्होंने कहा था,"मैं इस संबंध में कुछ और घोषणाएं करना चाहता हूं। सबसे पहले, केंद्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए, विभाजन के पश्चात् नए बनने वाले राज्य आंध्र प्रदेश को पांच साल की अवधि के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें 13 जिले होंगे, जिसमें रायलसीमा के चार जिले और उत्तरी तटीय आंध्र के तीन जिले शामिल होंगे। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार मिलेगा। "

महोदय,दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है आंध्र प्रदेश राज्य में जारी किया गया बीजेपी का घोषणापत्र, जो कि आम चुनाव, 2014 के दौरान ए.पी.-बी.जे.पी. का घोषणापत्र है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 'यदि बी.जे.पी. सत्ता में आती है और एन. डी.ए. सत्ता में आता है तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।'

महोदय, मैं 30 अप्रैल, 2014 को तिरुपति में आयोजित की गई एक रैली की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और इसके संबंध में समाचार मीडिया में भी प्रकाशित हुए हैं, जहां हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था,और मैं उद्धृत करता हूँ:

> "एन.डी.ए. सीमांध्र के विकास हेतु और इसकी नई राजधानी को अद्वितीय बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। मैं सीमांध्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करूंगा। मैं केवल वादे नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।"

यह वक्तव्य राजधानी के निर्माण, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के बारे में था।

महोदय, अगले ही दिन नेल्लोर में – जैसे कि प्रेस द्वारा समाचार प्रकाशित किए गए थे -- मोदी जी ने श्री एम.वेंकैय्या नायडू के प्रयासों की प्रशंसा की थी। मैं उद्धृत करता हूँ:

"यदि शेष बचे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो यह वेंकैया जी के प्रयासों के कारण मिलेगा"

ये सभी कांग्रेस पार्टी और बी.जे.पी., प्रमुख विपक्षी दल और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों के शीर्ष नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन हैं। ये वे आश्वासन हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश के लोग सुनते रहे हैं और उनकी आशाएं हैं और उनकी आकांक्षाएं इन आश्वासनों से जुड़ी हुई हैं। अब अचानक यदि लोग नियमों के बारे में बात कर रहे हैं और आश्वासन के खिलाफ जा रहे हैं, तो यह अत्यंत दुखद स्थिति है।

महोदय, मैं सभा का ध्यान वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा द्वारा 25 अप्रैल, 2016 को मेरे सहयोगी श्री अवंती श्रीनिवास राव द्वारा 21 दिसंबर, 2015 को 'शून्य काल' के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर पर दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस उत्तर के कारण मुझे वास्तव में दुख हुआ है क्योंकि इससे पूरे राज्य की दुख हुआ है। अंतिम पैरा में, माननीय मंत्री जी ने जो कहा और मैं उद्धृत करता हूं:

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार के पास राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने संबंधी मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं पूरी विनम्रता के साथ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। किस वित्त आयोग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की है? क्या किसी वित्त आयोग द्वारा इनकी सिफारिश की गई थी? इन्हें इसलिए यह दर्जा प्रदान किया गया था क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति दयनीय थी। 'एन.डी.ए.1' के शासन काल के दौरान श्री वाजपेयी जी के द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्हें यह दर्जा प्रदान किया था।

ये उम्मीदें विभाजन से पहले, विभाजन के बाद और वर्ष 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, यू.पी.ए.-ii और एन.डी.ए.-ii दोनों द्वारा दिलाई गई थीं। अब, वे कहते हैं कि इसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था। इन वक्तव्यों के कारण आंध्र प्रदेश के लोग एक बार फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है।

माननीय मंत्री महोदय ने पत्र में भी यही कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा सभा में किया गया वादा चर्चा के दौरान उनके द्वारा किए की गई एक टिप्पणी थी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल एक टिप्पणी मात्र नहीं है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री संसद की सभा में वक्तव्य देता है, तो क्या हम इसे केवल एक टिप्पणी मानकर खारिज कर सकते हैं? क्या इस टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है? यह किसी और ने नहीं बल्कि संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया एक आश्वासन था, विशेष रूप से, जब सभा में श्री वेंकैय्या नायडू गारू द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था।

वर्ष 2014 के आम चुनावों के दौरान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि शेष बचे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो इसका श्रेय श्री वेंकैय्या नायडू जी मिलेगा क्योंकि यह एक चुनावी रैली में श्री मोदी जी द्वारा दिया गया वक्तव्य था। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के किसी प्रावधान से कम नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इस आश्वासन को सभा में दिया गया था। यदि यह आश्वासन नहीं था, तो इसे राज्य सभा की आश्वासन समिति को क्यों सौंपा गया था और इस आश्वासन को पूरा करने के लिए इस मुद्दे को आश्वासन समिति ने नीति आयोग और सरकार को क्यों भेजा था?

यह आश्वासन लिखित में दिए गए आश्वासन के समान ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी औचित्यों के बावज़ूद, यदि सरकार विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे को अस्वीकार करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहती है, तो इस समय आंध्र प्रदेश के लोग असहाय हो सकते हैं लेकिन हम शक्तिहीन नहीं हैं। जब यू.पी.ए. ने राज्य का पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से राज्य का विभाजन किया था, तो तब हम सामर्थ्यहीन थे। अब हमने यह सुनिश्चित करके अपनी शक्ति दिखाई कि कांग्रेस पार्टी, जो इस स्थिति

के लिए जिम्मेदार है, वर्ष 2014 के चुनावों में 175 विधायकों और 25 संसद सदस्यों में से एक भी सीट भी नहीं जीत पाई है।

अब आंध्र प्रदेश के लोगों में यह भावना व्याप्त है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और यदि इस स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो फिर से आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा केंद्र सरकार को खलनायक के रूप में देखा जाएगा। सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कैसे हम अपना पक्ष रख रहे हैं। क्या सरकार आंध्र प्रदेश से किए गए वादों को पूरा करेगी? क्या हम सरकार और प्रधानमंत्री पर भरोसा कर सकते हैं यदि वे हमें आश्वासन देते हैं? न केवल यह सरकार और यह प्रधान मंत्री, बल्कि कोई भी सरकार और कोई भी प्रधानमंत्री सभा में आश्वासन देते हैं, उसका क्या मतलब होता है? क्या हम इसे एक आश्वासन के रूप में ले सकते हैं? क्या हम इसे एक वादे के रूप में ले सकते हैं या क्या हमें इसके कानूनी रूप से सही होने जोर देना चाहिए? क्या संसद में कानून पारित करना मायने रखता है? क्या सभा में लोगों द्वारा कहे गए शब्द मायने नहीं रखते हैं?

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

ऐसा मुझे नहीं लगता है। बी.जे.पी. भी छोटे राज्यों का समर्थन करती है। इसने एन.डी.ए.-1 के शासनकाल के दौरान उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन बहुत ही वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक तरीके से किया था। यह एक अच्छा अनुभव था और इससे हमें आंध्र प्रदेश में अपने भविष्य के बारे में कुछ उम्मीद जगी थी। लेकिन अब हमारे अनुभव को देखने के बाद, भविष्य में छोटे राज्य बनने की उम्मीद रखने वाले राज्य क्या सोचेंगे ? वे उन अपूर्ण वादों और वित्तीय कठिनाइयों को याद करेंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सकारात्मक नहीं सोचेंगे। अगर हम संघ में और राज्यों को सृजित करना चाहते हैं और अधिक नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, तो यह ऐसा अनुभव नहीं है जो हमें भविष्य में इस दिशा में आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा।

इसी तरह, श्री जयंत सिन्हा, मंत्री जी ने अपने पत्र के दूसरे पैराग्राफ में इस बात का उल्लेख किया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"इसके अलावा, पुनर्गठन अधिनियम में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिसके तहत केंद्र सरकार को नए बनने वाले राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करना अनिवार्य किया गया है क्योंकि राज्यों के लिए संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुदान संबंधित वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किए जाते है, यदि इसकी अवार्ड की अवधि के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में से राज्य के हिस्से के न्यागमन के बाद राज्य में राजस्व घाटा पाया जाता है।"

माननीय मंत्री जी इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में से राज्य के हिस्से के न्यागमन के पश्चात् चौदहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि की समाप्ति पर एक राजस्व घाटे वाले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश ही एकमात्र ऐसे प्रमुख राज्य के रूप में बचा रह जाएगा । यह इस बात की पुष्टि करता है कि हम एक राजस्व घाटे वाले राज्य हैं और फिर दिए गए आश्वासन के अनुसार केंद्र सरकार को हमारी मदद करनी होगी।

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि हमने आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये दिए हैं। मैं विभिन्न शीर्षों के तहत दी गई धनराशि के संबंध में कुछ ब्यौरा साझा करता हूँ। वर्ष 2014-15 में, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 16,839 करोड़ रुपये था, लेकिन हमें केवल 15,299 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2015-16 में, हमारा हिस्सा 22,638 करोड़ रुपये था, लेकिन मार्च 2016 तक हमें केवल 21,894 करोड़ रुपये मिले। वर्ष 2016-17 के लिए, हमें 24,637 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक हमें केवल 1,760 करोड़ रुपये मिले हैं।

दूसरा, हमें अनुच्छेद 275(1) के तहत तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान प्राप्त हुए हैं। आपने वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के बीच हमें 3,500 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से 1,800 करोड़ रुपये की सी.एस.टी. प्रतिकर की धनराशि दी है। सरकार ने अब तक केंद्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजनाओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में 2,803 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान दिया है। लेकिन महालेखाकार

के अनुसार, जून 2014 से मार्च 2015 के बीच घाटा 16,079 करोड़ रुपये था। परन्तु केंद्र सरकार ने केवल 2,803 करोड़ रुपये ही दिए हैं। शेष बची 14,276 करोड़ रुपये की धनराशि आंध्र प्रदेश को दी जानी है। हम जानना चाहते हैं कि यह धनराशि हमें कब दी जाएगी।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयदेव गल्ला:महोदय, यह आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सहयोगी, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के माननीय संसद सदस्य भी यह सुनना चाहते हैं। इसलिए, कृपया मुझे कुछ समय दें।

मैं इस मुद्दे को उद्घाटित करने का प्रयास कर रहा हूं कि उपरोक्त सभी प्रकार की सहायता अन्य राज्यों को भी दी जाती है, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान और राज्य की राजधानी हेतु अनुदान शामिल नहीं है, ये अनुदान हमारी आवश्यकता की तुलना में काफी कम है । ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने यह धनराशि केवल आंध्र प्रदेश को ही दी है। यह किसी भी अन्य राज्य की तरह आंध्र प्रदेश की वैध हिस्सेदारी है। इसलिए केवल यह कहना कि हजारों करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, गुमराह करने वाली बात है।

फिर सभा में यह आश्वासन भी दिया गया कि पिछड़े जिलों से संबंधित अनुदान बुंदेलखंड और के.बी.के. जिलों की तर्ज पर दिया जाएगा। परन्तु भारत सरकार सिर्फ प्रति वर्ष प्रति जिले हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि दे रही है जो कि पर्याप्त नहीं है। अतः के.बी.के. और बुंदेलखंड को दिए जाने वाले पैकेज के दायरे में आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों को भी प्रति व्यक्ति आधार पर लाया जाना चाहिए। बुंदेलखंड को जितना अनुदान मिलता था, प्रति व्यक्ति आधार पर हमें उससे बहुत कम मिल रहा हैं।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 94(1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार औद्योगीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए बनने वाले राज्यों को कर प्रोत्साहनों को प्रदान करने के साथ-साथ समुचित राजकोषीय उपाय करेगी। लेकिन इस मामले में भी, भारत सरकार ने केवल 15 प्रतिशत अतिरिक्त त्वरित मूल्यह्रास और अन्य 15 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश भत्ता प्रदान किया है। लेकिन यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली 100 प्रतिशत सेनवेट, आयकर और सेवा कर छूट की तर्ज पर नहीं है, जिसका

हमसे वादा किया गया था। इसलिए आंध्र प्रदेश को ऐसे प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए जो आंध्र प्रदेश को निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे।

महोदय, यहां तक कि पोलावरम के लिए भी वित्त मंत्री ने अब तक सिर्फ 735 करोड़ रुपये दिए हैं। । इस गति से, इस परियोजना को पूरा करने में 57 साल लगेंगे। भारत सरकार ने वादा किया था कि वह वर्ष 2018 तक पोलावरम से संबंधित कार्य पूरा कर लेगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं: आप अत्यल्प आबंटन के साथ वर्ष 2018 तक इस परियोजना को कैसे पूरा कर सकते हैं? इस वर्ष पोलावरम परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 100 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3500 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। एक राष्ट्रीय परियोजना होने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा इतना कम आबंटन किया गया है । आंध्र प्रदेश की सरकार पहले ही लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और भारत सरकार से उसी की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुरोध कर रही है। इसे भी अनुमोदित नहीं किया गया है।

ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है और मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन पर विचार करें और आंध्र प्रदेश के साथ न्याय करें।

अपनी बात को समाप्त करने से पहले, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आंध्र प्रदेश कार्य-निष्पादन करने वाला राज्य है और अन्य राज्यों की तरह नहीं है जो घाटे वाले राज्य हैं। हमारा राज्य बेहतर तरीके से कार्य-निष्पादन करता है। परन्तु इसी संसद के अधिनियमों के कारण हमें इस वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः इसी संसद के द्वारा इस स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उनका धैर्य भी समाप्त होता जा रहा है। आज इस सभा में जैसी प्रतिक्रिया मेरे द्वारा दी जा रही है उसकी तीव्रता हमारे राज्य में और भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि आप इसे एक निवेश के रूप में देखे न कि किए जाने वाले एक व्यय के रूप में। यदि हमारा वित्तीय संकट बना रहता है, तो इससे राष्ट्र भी प्रभावित होगा। आपको हमारी सहायता करना जारी रखना होगा। यदि आप हमारे राज्य में निवेश करते हैं तो हम तेजी विकास करेंगे और देश का

विकास इंजन बनेंगे, जिसकी क्षमता हमारे राज्य में पूरी तरह विद्यमान है और हमारा राज्य देश की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान देगा।

महोदय, हमने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य लोगों से कई बार इस सभा के भीतर और बाहर, विभाजन के समय से लेकर वर्ष 2014 के चुनावों के दौरान किए गए अभियान तक में और दो साल पहले एन.डी.ए.-2 सरकार बनने के बाद से कई बार आश्वासन सुने हैं। अब समय आ गया है कि इस दिशा में ठोस कार्य किए जाएं केवल आश्वासन नही दिए जाएं। अब हमें विशेष श्रेणी के राज्य दर्जा दिए जाने, राजस्व घाटे का वित्तपोषण किए जाने, पोलावरम परियोजना का वित्तपोषण किए जाने, राजधानी शहर के निर्माण के लिए वित्तपोषण, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के समान औद्योगिक प्रोत्साहन, बुंदेलखंड के समान सात पिछड़े जिलों के लिए विशेष विकास पैकेज और नए रेलवे जोन के संबंध में विशिष्ट प्रश्नों के स्पष्ट और विशिष्ट उत्तर चाहिए।

हम प्रत्येक मुद्दे के संबंध में नहीं अपितु समग्र रूप से इस विषय पर आपके विचारों को जानना चाहते हैं जिससे हमें हमारे वित्तीय संसाधनों की आयोजना करने में सहायता प्राप्त होगी। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के बारे में जानना चाहते हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें कितनी धनराशि मिलेगी? हमें यह धनराशि कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? कृपया अपने उत्तर में इन चार प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करें। हम सब इतने वर्षों से इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहे हैं। अस्पष्ट आश्वासनों से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है और हम अधिक समय तक ऐसी स्थिति को सहन करने की स्थिति में नहीं है। धन्यवाद।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेडी (महबूबनगर): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने अपनी लंबी-चौड़ी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति की है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य को भी यही सब दिया जाना चाहिए। अंतिम चार प्रश्न जो उन्होंने पूछे थे, मेरे प्रश्न भी वही हैं: हमें क्या मिलेगा? हमें कितना मिलेगा? हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हूं। इसलिए मैं भी इस विषय के संबंध में उन्हीं मांगों को दोहराता हूं।

महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त विधेयक, 2016 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हू कि मै हमारे द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध को स्वीकार करने और तेलंगाना राज्य के लिए एफआरबीएम मानकों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करने के लिए सरकार के प्रति विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। परन्तु जहां तक मैं समझता हूं, इस गणना को करने में कुछ त्रुटि हुई है। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने मंत्रालय को इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु एक पत्र लिखा है क्योंकि हमारी गणना के अनुसार हमें लगभग 600 करोड़ रुपये कम मिल रहे हैं। यदि इस पत्र के प्राप्त होने पर आप इस संबंध में स्पष्टीकरण देंगे तो बेहतर होगा।

इससे हमें बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इससे राज्य सरकार को हर वर्ष अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये की निधि जुटाने में मदद मिलेगी, जो हमारे विकास एजेंडे और हमारे प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि सिंचाई और पेयजल आपूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।

महोदय, यद्यपि तेलंगाना राज्य के नौ जिलों में से प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये की पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), जो कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपये बनती है, अभी भी सरकार के पास लंबित है।

इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने 231 मंडलों में सूखा घोषित करने और राहत उपायों को लागू करने और सूखे के उपशमन के लिए एन.डी.आर.एफ से 3,064 करोड़ रुपये दिए जाने का अनुरोध करते हुए सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था। यद्यपि, केंद्र सरकार ने केवल 791 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। शेष धनराशि कब तक आबंटित की जाएगी? हमें राज्य में सूखे, लू, पीने के पानी की कमी और भूजल के गिरते स्तर

से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए और अधिक केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। हम नियम 193 के तहत सूखे और पेयजल की स्थिति पर होने वाली चर्चा के दौरान भी इस मुद्दे को उठाएंगे।

महोदय, हम लंबे समय से सी.एस.टी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए लंबित प्रतिकर के मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि राज्य सरकार के बोझ को कम करने के लिए इस लंबित धनराशि और प्रतिकर का आबंटन किए जाने पर विचार करें।

जहां तक एफ.आर.बी.एम. अधिनियम का संबंध है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति गठित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव का उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि अधिनियम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने का यह सही समय है। हमें वित्त मंत्रालय के माध्यम से संसद को प्रतिवेदन देने वाली एक सांविधिक राजकोषीय परिषद को गठित किए जाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इससे निश्चित रूप से राजकोषीय विवेकशीलता के संबंध में मंत्रालय के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ-साथ संसदीय निगरानी और पारदर्शिता की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

बजट में आभूषणों पर इनपुट क्रेडिट के बिना छह करोड़ रुपये की सीमा एक प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क या इनपुट क्रेडिट साथ 12.5 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया है। महोदय, उद्योग ने फिर से कहा है कि वह उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत प्रस्तावित नियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असमर्थ है। कई लोगों ने इस संबंध में अभ्यावेदन भी दिए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी हुए हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद के चारमीनार क्षेत्र, पुराने शहर में, ऐसे बहुत से आभूषण विक्रेता और कारीगर रहते हैं। लगभग डेढ़ महीने तक उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हैं।

महोदय, हमें स्वर्ण पर कर लगाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इस नए प्रस्ताव के कारण देश भर के कारीगरों को होने वाली परेशानियों और कठिनाइयों का पुरजोर विरोध करते हैं और इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह देश भर के आभूषण निर्माता कारीगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद शुल्क की इस परिवर्तित दर को वापस लेने पर विचार करे क्योंकि उन्हें लगता है

कि उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुचित रूप से परेशान किया जाएगा।

मूल रूप से, इस मुद्दे को वित्त मंत्री के साथ उठाया गया था। महोदय, हमने इस विषय को आपके समक्ष भी उठाया था। यदि आप स्वर्ण और आभूषणों पर भी शुल्क लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब ये आभुषण उनके दुकानों में जाते है, जब उनके पास रखे जाते हैं या जब उसे बेचा जाता है, अगर आप उन पर उस विशेष समय कर लगाते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर अधिकारी कारीगरों के घरों में जाकर कर की वसूली करते हैं, तो ऐसा करना उन्हें उत्पीड़ित किए जाने के समान होगा। इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना होगा। मैं इस बात को जानता हूं कि श्री जेटली जी ने राज्य सभा में स्पष्ट किया है कि वे पूंजीपतियों पर कर लगा रहे हैं। यदि आप पूंजीपतियों पर कर लगाते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गरीब लोगों, कारीगरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए जिन्हें इससे होने वाले लाभ का केवल एक हिस्सा भर मिलता है - यह एक मजदूरी दिए जाने समान है।

कर सुधारों के बारे में, "मुकदमेबाजी को कम करना और कराधान में निश्चितता प्रदान करना" इस वर्ष का एक प्रमुख कर प्रस्ताव था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, महोदय, मैं एक गंभीर मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है और जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यू.पी.ए.सरकार ने 2013 में एक नया भूमि अर्जन अधिनियम बनाया था।। इसके विभिन्न प्रावधान किसानों के लाभकारी थे।

इसके अंतर्गत एक लाभ अधिनियम की धारा 96 के रूप में प्रदान किया गया था – भुगतान किए गए प्रतिकर पर आयकर, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क से छूट। लेकिन इस समय वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत भूमि अर्जन के संबंध में प्राप्त प्रतिकर पर आयकर अधिनियम की धारा 10 में कोई विशेष छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अपेक्षा की जा रही थी कि इस छूट को प्रभावी बनाने के लिए आयकर अधिनियम में इस संबंध में संशोधन किए जाएंगे। यद्यपि यह कार्य यू.पी.ए. द्वारा नहीं किया गया था। यहां तक कि सत्ता में आने के बाद एन.डी.ए. सरकार ने भी इसे अब तक नहीं किया है। आयकर अधिनियम, राज्य स्टांप ड्यूटी कानूनों और अन्य संविधियों में संगत संशोधन नहीं किए गए हैं।

महोदय, भाषण के पैरा 175 में इस वर्ष के प्रस्तावों में कराधान से संबंधित मुद्दों को सरल और युक्तिसंगत बनाए जाने के लिए आयकर अधिनियम के स्रोत पर कटौती (टी.डी.एस.) संबंधी प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। आज भी इस प्रकार के लेन-देन पर आयकर और स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और आयकर अधिनियम की धारा 194ठ.क. के तहत टी.डी.एस. काटा जा रहा है। अंततः किसानों को कर का भुगतान करना पड़ता है जब कि प्रतिकर पर पहले से ही छूट प्रदान की गई है।

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ द्वारा कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड बनाम भारत संघ, रिट याचिका सं.21478/2015 के मामले में दिनांक 09-09-2015 के आदेश में कहा गया था कि वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 96 के प्रावधानों से कोच्चि मेट्रो रेल लि.को वर्ष 2013 के अधिनियम के अनुसार भूमि खोने वालों को भुगतान किए गए प्रतिकर या प्रतिफल की धनराशि से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट नहीं मिल सकती है। नतीजतन, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भूमि मालिकों को भुगतान किए गए प्रतिकर की धनराशि से कर की कटौती करने लिए जिम्मेदार माना गया था। यह बात वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 96 से मिलने वाले लाभ के उद्देश्य को ही निरस्त कर देती है। अधिनियम पारित करते समय विधायिका की यह मंशा नहीं थी।

यदि हम पिछले एक वर्ष या पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजमार्गों, बांधों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए किए गए भूमि अर्जन के देखें तो कुछ स्थानों पर स्थानीय भूमि अर्जन अधिकारियों ने विशिष्ट छूट प्रावधानों के अभाव में और स्थानीय आयकर अधिकारियों के दबाव में आकर 10 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. कटौती किए जाने पर जोर दिया है। वास्तविकता यह है कि आयकर अधिनियम में इस तरह के संगत संशोधनों के अभाव में, आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 194ठ.क. और 194क के अनुसार ऐसे प्रतिकर की धनराशि से टी.डी.एस. की कटौती किए जाने पर जोर देता है, जो किसानों के अनुचित उत्पीड़न का कारण बनता है। इसके साथ-साथ, आकलन के समय, आयकर अधिनियम में विशिष्ट छूट के प्रावधान के अभाव में इस प्रतिकर की धनराशि पर कर लगेगा। इसलिए इस विशिष्ट छूट के प्रावधान को जोड़े जाने के लिए धारा 10 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, एक किसान को, जिसे अन्यथा कभी आयकर विभाग जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिला मुख्यालय तक की यात्रा करनी पड़ती है; एक सी.ए. को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है; एक पैन कार्ड बनाना पड़ता है; और आयकर विभाग की औपचारिकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि एक गरीब किसान को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसके अलावा, यह भी वांछनीय नहीं है कि दो केंद्रीय अधिनियमों में दो परस्पर विरोधी प्रावधानों की व्यवस्था की जाए। इस खामी को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए मैंने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समय प्रवृत्त भूमि अर्जन कानून के तहत दिए जाने वाले लाभ को वास्तव में भूमि अर्जन से प्रभावित किसानों को मिल सके। इस संबंध में इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिकर पर कर-छूट प्राप्त करने का अधिकार किसानों को वर्ष 2013 के अधिनियम में ही दिया गया है। यदि इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाता है तो इससे पहले से ही मुकदमों के बोझ से दबे न्यायालयों का कार्य और अधिक बढ़ेगा।

मैं बस एक अंतिम मुददे का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे प्रस्तावित आय घोषणा योजना, 2016 की युक्तिसंगतता समझ में नहीं आई है, जो 1 जून 2016 से लागू होगी। योजना के अनुसार, किसी व्यक्ति को कर, उपकर और शास्ति के रूप में उसकी अघोषित आय के 45 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करना होगा। मुझे नहीं लगता कि यह योजना सफल होगी। ऐसे संबंधित व्यक्तियों ने कर का अपवंचन किया क्योंकि वे 30 प्रतिशत कर का भुगतान करने के इच्छुक नहीं थे। अब सरकार अघोषित आय पर 45 प्रतिशत कर का प्रस्ताव कर रही है। ऐसा प्रस्ताव व्यक्तियों को अपनी आय का प्रकटीकरण करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा जिसके लिए उन्होंने कभी कर का भुगतान नहीं किया है? मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह के भारी कर और शास्ति लगाने पर फिर से विचार करना चाहिए और इसके बजाय इस तरह के कर का प्रस्ताव देना चाहिए जिससे लोगों को आगे आकर अपनी आय घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसे 30 प्रतिशत से कम होना चाहिए; 15 प्रतिशत लगा दें तो बहुत पैसा आ जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण का समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। इसलिए आम आदमी के नजरिए से इसे देखते हुए, मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा कि आम आदमी इस बजट और वित्त विधेयक के बारे में क्या राय रखता है।

मेरा मानना है कि अगर बजट गरीब-हितैषी होता तो आम लोग खुश होते और हो सकता है कि उन्हें इस वित्त विधेयक के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

जब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2016-17 का बजट पेश कर रहे थे, मुझे याद है कि उन्होंने अपना बजट भाषण यह कहकर शुरू किया था कि वे ऐसे समय बजट पेश कर रहे हैं जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट आया हुआ है। ऐसी वैश्विक परिस्थिति में, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए या घरेलू मांग बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? ऐसा करने के लिए वैकल्पिक मार्ग चुनने के बजाय सरकार ने उन्हीं प्रतिगामी नीतियों को जारी रखा है। ये कार्य न केवल विरोधाभासी है बल्कि इनसे हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और निर्यात पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से, इससे ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट बढ़ेगा और गरीबी भी बढ़ेगी, जैसा कि हम इस समय अपने देश में देख रहे हैं। इसके साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन घटेगा, विनिर्माण गतिविधियों में और कई अन्य सेवाओं में कमी आएगी।

मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं और वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पहले ही सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है इसलिए मैं इससे संदर्भ दे सकता हूं। जब हम वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे थे तब हमने एसोचैम, सी.आई.आई. जैसी व्यापारिक संस्थाओं और निर्यातकों के महासंघ के प्रतिनिधियों सहित अन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया था। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ जब प्रत्येक संगठन ने इस तथ्य पर अत्यधिक निराशा व्यक्त की कि पिछले 23 महीनों के दौरान भारत से होने वाले निर्यात में भारी कमी आई है। दो वर्ष पहले निर्यात का मूल्य 300 मिलियन अमरीकी डॉलर था; इस वर्ष उनका अनुमान है कि किए जाने वाले निर्यात का मूल्य मात्र 250 मिलियन अमरीकी डालर रहेगा। अगर आप इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ लें, तो निश्चित रूप से इसका मूल्य और भी कम होगा। ऐसी स्थिति विद्यमान है,जो हमारे राजस्व संग्रह को प्रभावित करेगी और इससे राज्यों के हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हमारी सरकार अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली वृद्धि होने का दावा कर रही है। परन्तु वर्ष 2015-16 में हुए राजस्व संग्रहण की धनराशि से यह बात गलत सिद्ध होती है। इसे यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इससे 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी प्रभावित हुई है। दलगत भावना से ऊपर उठकर विभिन्न राज्यों के अधिकांश संसद सदस्यों ने यहां इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार दावा कर रही है कि 14वें वित्त आयोग में आबंटन को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन ऐसा किस कीमत पर किया गया है? ऐसा लगभग 23 केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कई अन्य चीजों को समाप्त करके किया गया है। बी.आर. जी.एफ., ए.एस.आई.डी.ई, एस.डी.ए. और कई अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अलावा, जिसके अंतर्गत राज्य को बजट के अलावा भी धनराशि मिलती थी, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण इन सभी आबंटनों का विलय कर दिया गया है। मेरा राज्य त्रिपुरा एक छोटा-सा राज्य है। हमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2,000 करोड़ रुपये कम मिले हैं, जिसका कारण चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। इस प्रकार त्रिपुरा जैसे राज्य में, जहाँ राजस्व 2,000 करोड़ रुपये कम हो गया है तो राज्य का कामकाज कैसे चल सकता है? केवल राज्य के हिस्से को कम करने से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।

अब केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है। राज्य में भी इसे लागू करने की मांग उठेगी। राज्य इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के मामले में भी केंद्र सरकार राज्यों के इस अतिरिक्त बोझ की प्रतिपूर्ति नहीं करने वाली है। वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व संग्रहण में आई कमी के कारण राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारा अनुभव यह रहा है कि सरकार उत्पाद शुल्क के माध्यम से इसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। यह एक अलग पहलू है। हमारा कहना यह हैं कि तेल की कीमतों में आई कमी से उपभोक्ताओं को कोई मदद नहीं मिल रही है क्योंकि इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संगृहीत किया जा रहा है। आम लोगों को एवं राज्यों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

अब फिर से सरकार अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व सृजित करने का प्रस्ताव कर रही है। इससे 20,670 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इससे एक बार फिर उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा।

कई वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि शिक्षा उपकर और अन्य कई करों के माध्यम से करोड़ों रुपये की धनराशि का संग्रहण किया जा रहा है। यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है जिससे आम लोगों पर बोझ पड़ेगा। इस तरह सरकार लोगों की कठिनाइयों को और बढ़ा रही है। बेशक, कर प्रस्ताव बजटीय प्रावधानों को पूरा करने के लिए ही होते हैं।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र चौधरी: मैंने अभी शुरुआत ही की है। सरकार कह रही है कि यह *किसान हितैषी* बजट है। लेकिन यह केवल बैंकों और बीमा कंपनियों पर बोझ डाल रही है। किसानों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलने वाला है। कृषि बजट में इस क्षेत्र के लिए की गई वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। यदि हम इसे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में देखें, तो पिछले वर्ष यह 1.8 प्रतिशत थी, जबकि इस वर्ष यह घटकर 1.6 प्रतिशत रह जाएगी। इस बजट में खाद्य राजसहायता को 5,000 करोड़ रुपये और उर्वरक राजसहायता को 2,000 करोड़ रुपये तक घटाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार इस बजट को कृषि हितैषी बजट कैसे कहा जा सकता है?

सरकार इस बात का दावा कर रही है सबका साथ,सबका विकास, डेफिनिटली सबके विकास की जरूरत है, लेकिन किसका साथ देना है, जो कमजोर हो। हमारे देश के वंचित लोगों की मदद की जानी चाहिए। हमारे देश में लगभग ढाई दशकों से अनुसूचित जनजाति उप योजना का प्रावधान है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए लगभग रु.48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि कुल योजना आबंटन का 8.6 प्रतिशत है। तथापि, किए गए इस आबंटन में 23,295 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उप योजना में भी रु. 52,470 करोड़ की कमी की गई है। यह स्थिति है।

सरकार मनरेगा के लिए अधिक आबंटन देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है। यदि आप इस वर्ष के प्रावधान की तुलना वर्ष 2010-11 में किए गए प्रावधान से करते हैं, तो यह लगभग समान ही है। पांच से छह वर्षों बाद और जॉब कार्ड में वृद्धि होने के बाद भी आबंटन वही का वही बना रहता है। इसलिए, यह अधिक आबंटन नहीं है। इस प्रकार के आबंटन से सूखे आदि जैसे का संकटों का सामना कैसे किया जा सकता है?

यह प्रस्तावित किया गया है कि विनिवेश नीति के माध्यम से 56,500 करोड़ रुपये की धनराशि का संग्रहण किया जाएगा। इससे देश के आम लोगों को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे उद्योगों को और रोजगार सृजन की संभावना को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

अब मैं उत्तर-पूर्व की बात करूंगा। सरकार कह रही है कि उत्तर-पूर्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संप्रग सरकार की पूर्व उन्मुख (लुक ईस्ट) नीति थी, अब इस सरकार ने इसे बदल कर और एक्ट ईस्ट कर दिया है। अगर यह वास्तव में ऐसा करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एन.इ.आई.आई.पी. को 1 दिसंबर, 2014 से निलंबित कर दिया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेष श्रेणी का क्षेत्र होने के कारण, इसे सभी योजनाओं के लिए 90:10 के अनुपात में धनराशि मिलनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी योजना घोषित की गई है और इसके संबंध में उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए भी अधिकतम सीमा दूसरे क्षेत्र के राज्यों के समान रखी गई है। जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई थी तो हमने माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी से एन.एल.सी.पी.आर. के बारे में जानना चाहा था। तब माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि वित्त मंत्री इसका जवाब देने के लिए सही व्यक्ति होंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन सब बातों से लोगों को कैसे लाभ मिलेगा?

इसलिए मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि बजट में या इस वित्त विधेयक में चाहे जो भी हो, इसमें समावेशी विकास का कोई विज़न नहीं है, आम लोगों के रोजगार में सुधार किए जाने का कोई विज़न नहीं है। बल्कि, वास्तव में यह वित्त विधेयक संशयात्मक और अति समृद्ध व्यक्तियों के अनुकूल है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता और मैं इस प्रस्ताव से असहमत हूं।

श्री पी.वी. मिदून रेड्डी (राजमपेट): माननीय सभापति जी, इससे पहले कि मैं वित्त विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे राज्य के लोग माननीय मंत्री श्री हरिभाई चौधरी के वक्तव्य से बहुत निराश और हताश हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा; इसके बजाय, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन या अन्य लाभ दिए जाएंगे। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जब राज्य का विभाजन हुआ था, तब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सभा में कई वादे किए थे। भाजपा ने सभा में आंध्र प्रदेश हेतु दस वर्षों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तिरुपति में एक जनसभा में कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। टी.डी.पी.-बी.जे.पी. के घोषणापत्र में यह पहली बात थी कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी और एन.डी.ए. अपने वादे को निभाएं और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दें। हम आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं।

वित्त विधेयक के संबंध में मुझे यह कहना है कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के संबंध में बहुत सारे संशोधनों का प्रावधान किया गया है। हम 500000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर के बोझ को कम करने के लिए धारा 87क के तहत कर छूट की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने, धारा 80छ.छ. के तहत भुगतान किए गए किराए की कटौती की सीमा को 24000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपये प्रति वर्ष करने ताकि किराए के घर में रहने वाले लोगों को राहत प्रदान की जा सके, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44क.घ. के तहत उपधारणात्मक कराधान योजना के अंतर्गत कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 2,00,00,000 रुपये प्रति वर्ष किए जाने जैसी कुछ पहलों की सराहना करते हैं और इन पहलों का स्वागत करते हैं ।

हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह पेट्रोल और डीजल पर करों को कम किए जाने पर विचार करे क्योंकि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल उचित कीमत पर नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि हम मेक इन इंडिया योजना को सफल बनाना

चाहते हैं, तो डीजल की कीमतें वैश्विक कीमतों की तुलना में उचित स्तर पर होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि विनिर्माण के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 तक के ग्यारह महीनों के दौरान केवल 2.3 प्रतिशत रहा था। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए हमें डीजल की कीमतों में कटौती करनी होगी।

<u>अपराह्न 5.38 बजे</u> (श्री आनंदराव अडसुल *पीठासीन हुए*)

हम वित्तीय फर्मों के समाधान के संबंध में एक व्यापक संहिता लाए जाने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु 25,000 करोड़ रुपये के आबंटन, वर्ष 2016 अप्रैल से 2019 मार्च के दौरान स्थापित स्टार्टअप्स के लिए पांच में से तीन वर्षों के लिए लाभ पर 100 प्रतिशत कटौती प्रदान किए जाने, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि के लक्ष्य को बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपये किए जाने और वित्त विधेयक 2016 के माध्यम से मौद्रिक नीति ढांचे और मौद्रिक नीति समिति के लिए एक सांविधिक आधार प्रदान करने के सरकार के प्रस्तावों का स्वागत करते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 400 रुपये के कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को वापस लिया जाना चाहिए। भारत में पहले से ही सभी ताप विद्युत परियोजनाएं 55 प्रतिशत पीएलएस से कम पर चल रही हैं। कोयले की भारी कमी है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में वर्ष 2009 से वर्ष 2015 के बीच ताप विद्युत उत्पादन क्षमता बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है। हमारे देश की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 2009 में 78,000 मेगावाट थी और यह वर्ष 2015 तक बढ़कर 1,75,000 मेगावाट हो गई है। इन संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं है। कोयले पर जो भी उपकर लगाया जा रहा है, इससे ये संयंत्र दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। पहले से ही हमारा देश बड़े पैमाने पर विद्यमान अनर्जक आस्तियों की समस्या से जूझ रहा है। हम अधिक अनर्जक आस्तियां नहीं चाहते हैं और हमें बैंकों में और अधिक धनराशि का निवेश की आवश्यकता नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि कराधान के सामान्य परिवर्जन-रोधी नियमों को कार्यान्वित

किया जाएगा, जिनके कार्यान्वयन को वर्ष 2017 तक टाल दिया गया है, जिससे यह सुविधा मिलती है कि अपतटीय निवेशकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

महोदय, केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के नाम पर कई अतिरिक्त कर, उपकर और अधिभार प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि कृषि कल्याण उपकर या लग्जरी कारों की खरीद पर एक प्रतिशत कर और एक करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर अधिभार। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हाल के दिनों में यह अब तक की ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अधिकाधिक कर का संग्रहण किया जा रहा है और इसे इस बात से समझा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के लिए सकल कर राजस्व में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इन सभी करों को लगाए जाने के बावज़ूद, जमीनी स्तर पर किसानों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है।

किसानों को हर संभव सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। किसानों को कई बहुत सारे प्रोत्साहन दिए गए हैं और उनके हित में योजनाएं भी बनाई गई हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी ठोस कार्य नहीं हुआ है। किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एफ.सी.आई. और सी.सी.आई. द्वारा किसानों की फसलों की खरीद समय पर किए जाने की भी आवश्यकता है। हमारे देश में वर्तमान में 120 मिलियन किसान हैं और इनमें से 80 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास बहुत कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसानों में से 60 प्रतिशत किसानों की पहुंच संस्थागत ऋण तक नहीं है। हमें संस्थागत ऋण प्राप्त करने हेतु इन किसानों की सहायता करनी चाहिए।

सरकार को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए, वित्त मंत्री जी को बैंकों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे किसानों के लिए ज्यादा हितैषी बन सकें और किसानों को समय पर ऋण मिल सके। अन्यथा, ये सभी किसान भारी ब्याज लागत पर निजी लोगों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे और वे भारी कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। इस समय सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक सरकार की उच्च सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी।

हम पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान देश हैं। हमें किसानों को और अधिक सहायता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर विचार करे और वर्ष 2015-16 के लिए धान के लिए 1,700 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 4,500 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे और यह सुनिश्चित करे कि 75 प्रतिशत फसल की खरीद एफ.सी.आई. और सी.सी.आई. द्वारा की जाए। महोदय, सरकार द्वारा वर्तमान उर्वरक राजसहायता नीति को जारी रखा जाना चाहिए। शांता कुमार रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार नकद अंतरण प्रणाली को अपनाए जाने का कोई भी प्रयास इस क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होगा क्योंकि इन सभी किसानों पर भारी कर्ज है। बैंक में अंतरित की जाने वाली किसी भी धनराशि को केवल ब्याज के साथ समायोजित किया जाएगा और वे कोई उर्वरक नहीं खरीद पाएंगे।

महोदय, पोलावरम हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। हम केंद्र सरकार से पोलावरम परियोजना का अधिग्रहण करने और इसे समय पर पूरा करने का अनुरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि पोलावरम परियोजना में और अधिक देरी हो। सरकार अल्प धनराशि देने के बजाय, जो इस परियोजना की बढ़ती लागत के लिए पर्याप्त भी नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे और यह सिद्ध करे कि पोलावरम एक राष्ट्रीय परियोजना है।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है।

[12]**डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर):** महोदय, मैं वित्त विधेयक 2016 पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2016 को दिए गए बजट भाषण के पैरा 187 को उद्धृत करके अपनी बात शुरू करूंगा। मैं उद्धृत करता हूँ, "माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से रुपये 1,060 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी और मेरे अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से रुपये 20,670 करोड़ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस प्रकार सभी कर प्रस्तावों का समग्र प्रभाव रुपये 19,610 करोड़ के राजस्व लाभ के रूप में होगा।"

महोदय, यह एक बड़ी उम्मीद है। प्रत्यक्ष कर के संबंध में होने वाली राजस्व हानि वास्तविक है और अप्रत्यक्ष कर से होने वाला राजस्व प्रत्याशित है। अतः, राजस्व लाभ प्रत्याशित ही बना रहेगा। यह बजट के संबंध में की गई सही गणना नहीं है। मैं अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह पर चर्चा करूंगा। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार वास्तव में अपेक्षित राजस्व एकत्र करने की क्या योजना बना रही है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में होने वाली कमी को अप्रत्यक्ष कर संग्रहण द्वारा पूरा करने की प्रत्याशा की गई है – इससे इस बात का पता चलता है कि निजी कंपनियों की लाभप्रदता में कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं हुआ है और इसके परिणामस्वरूप कोई विकास नहीं होने वाला है जो कि वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री का बजट 2016 नौ स्तंभों पर आधारित है, जो– कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और नौकरी सृजन, अवसंरचना में निवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, शासन और व्यापार करने में सुगमता, वित्तीय अनुशासन और कर सुधार हैं। लेकिन ये स्तंभ तड़क रहे हैं और टूट रहे हैं।

वित्त विधेयक अंतिम स्तंभ-कर सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करता है। माननीय वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए छोटे उद्यमों और 5 करोड़ रुपये से कम कारबार वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर को कम करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन कॉर्पोरेट कर में कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया है। यह अपेक्षा की गई थी कि कॉर्पोरेट कर को 30% से घटाकर 25% करने से बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

---

[12] मूलतः मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, निर्यात में कमी होने के कारण निजी कंपनियां उनके पास उपलब्ध नगद धनराशि का निवेश नहीं कर रही हैं; और अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके अलावा करों को युक्तिसंगत बनाए जाने के संबंध में और अधिक समितियों और अधिक लालफीताशाही के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है।

आजकल धन विधेयक और सामान्य विधेयक या वित्त विधेयक के बीच अंतर करना मुश्किल है। कभी-कभी एक सामान्य विधेयक धन विधेयक बन जाता है क्योंकि ऐसा करना सरकार के लिए सुविधाजनक हो जाता है। आधार विधेयक को धन विधेयक माना गया था। इसका कारण स्पष्ट था। यदि आप इसी मानदंड को अपनाते हैं तो सामान्य विधेयकों को धन विधेयक या वित्त विधेयक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि संचित निधि में से अल्प उद्ग्रहण या अल्प व्यय को प्रत्येक विधेयक में शामिल किया जा सकता है।

महोदय, हमारे आर.बी.आई. के गवर्नर कहते हैं "अंधों नगरी काना राजा" (अंधों की नगरी में काना राजा) है। मुझे नहीं पता कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के दृष्टिकोण में कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी टिप्पणी का देश की वित्तीय और निगरानी प्रणाली से कुछ लेना-देना है। यह एक संकेत है कि हमारी प्रणाली में सब कुछ ठीक नहीं है। आर.बी.आई. गवर्नर सिस्टम को लेकर संशय में हैं।

आजकल एक आम धारणा व्याप्त है कि एन.डी.ए. सरकार कर्मचारियों के अनुकूल नहीं है, विशेष रूप से नौकरशाहों के अनुकूल नहीं है। यह हमारे लिए अच्छी बात है। कृपया ऐसा करना जारी रखें। आप उनके प्रति जितनी कड़ाई बरतेंगे, वे हमारे और विपक्ष के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि यह बात कितनी सच है, लेकिन लोग कहते हैं कि कई आईएएस अधिकारी दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं, ऐसा सी.एम. साहब या के पी.एम. साहब के कारण हो सकता है।

महोदय, ऐसा लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था कुछ कर दाताओं द्वारा चलाई जा रही है। 4% करदाता अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यह बताया गया है कि पिछले साल कर संग्रहण लक्ष्य से बहुत कम था। यह एक चिन्ता का विषय है। वित्त मंत्री साहब- लोग टैक्स देने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं?

भविष्य निधि की ब्याज दर हर दिन बदल रही है। सड़कों पर लोग बात कर रहे हैं - आज भविष्य निधि पर ब्याज दर कितनी है? यह अब विदेशी मुद्रा दर की तरह हो गया है। कृपया भविष्य निधि के साथ छेड़छाड़ न करें। केवल आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों के पास भविष्य निधि है। कृपया अपनी नीतियों पर दृढ़ बने रहे और उन्हें सुसंगत बनाएं।

सरकार कहती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान रुपये का अधिमूल्यन हुआ है। इसका 3% अधिमूल्यन हुआ है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं। मैं केवल यह देखता हूँ कि डॉलर के मुकाबले लगभग हर दिन रुपया कमजोर होता जा रहा है। मैं रुपये के अवमूल्यन को सही नहीं मानता हूं और मैं समझता हूं कि सभा के अधिकांश सदस्य इसको सही नहीं मानते होंगे। ऐसी स्थिति में माननीय वित्त मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि रुपये का अधिमूल्यन हुआ है?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि यदि मानसून में अच्छी बारिश होती है, तो हमारी आर्थिक वृद्धि की दर 8.5% तक बढ़ जाएगी। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2016-17 के लिए वृद्धि दर 7 से 7.75% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, हम भी आशा करेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन जेटली जी, यदि मानसून विफल होता है, तो क्या आप भी विफल होंगे? कृपया सावधान रहें, एक स्वामी ऊपरी सदन में आ चुके हैं और नागपुर में फेरबदल करने की योजना बनाई जा रही है।

सभापति महोदय, कर दायरे का विस्तार करना एक अच्छी बात है। लेकिन कृषि क्षेत्र पर कर लगाना कष्टप्रद है। जेटली जी क्या आपने इस देश के किसानों की बात सुनी है? क्या आपने प्रकाश सिंह बादल जी, देवेगौड़ा जी, शरद पवार जी, शांता कुमार जी आदि से बात की है? अगर वे 'हां' कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वर्ष 2013 और वर्ष 2015 के बीच 1.14 लाख करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण (एन.पी.ए.) को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। आप वर्ष 2013 में दी गई माफी के लिए यू.पी.ए. को दोष देंगे। लेकिन वर्ष 2014-15 में माफ की गई धनराशि बहुत अधिक है। हमें एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। हम कुछ बेइमान लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। मैं जानता हूं कि आपको धन की जरूरत है और हमें भी

पार्टी चलाने और चुनाव लड़ने के लिए धन की जरूरत है। लेकिन क्या यह तरीका होना चाहिए? हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस तरह से तो हम देश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं।।

महोदय, विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को समाप्त कर दिया गया है। गरीब राज्य अब संकट में हैं। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों को इस सहायता को समाप्त किए जाने के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब वे केंद्र से निधियों को प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं - ऋण घटक अब 70% है और सहायता घटक 30% है। पहले यह 90% सहायता और 10% ऋण था। भविष्य में में गरीब राज्य बर्बाद हो जाएंगे; मार्क्सवादी शब्दावली में में इन राज्यों का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा।

महोदय, वास्तव में अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2016-17 पेश किया है, जिसमें कहा गया कि सी.पी,आई, मुद्रास्फीति 9% से घटकर 5.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी राहत है। हमारे लिए यह बहुत बड़ी निराशा है।

वित्त विधेयक 2016 पर ये मेरी कुछ टिप्पणियां और सुझाव हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार इन्कम टैक्स का डाटा रिलीज़ किया। हम जब फाइनेंस बिल पर बोलते हैं, तो हमारे सहयोगी जी.डी.पी.-टैक्स रेशो की बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय इस देश को, इस सदन को इस डाटा के ऊपर, जो रिलीज हुआ, उस पर ध्यान देना चाहिए। 125 करोड़ में से पांच करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं। वे जो भरने वाले लोग हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें से लगभग तीन करोड़ लोगों की वार्षिक आय 6,94,000 रुपए है। लेकिन, जो इसके साथ में दूसरा आंकड़ा है, उसके ऊपर मैं माननीय वित्त मंत्री जी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिनकी आय 100 करोड़ रुपए के ऊपर है, ऐसे लोग कितने हैं? वित्त मंत्री जी अपने समापन भाषण में बताएंगे कि 100 करोड़ रुपए के ऊपर जिनकी व्यक्तिगत आय दिखाई गयी है, क्या ऐसे दर्जन भर लोग हैं? ये नहीं हैं। इसमें दिया है - [अनुवाद] छह लोगों ने औसत रूप से वर्ष 2012-13 में 68.72 करोड़ रुपये की आय घोषित की।

[हिन्दी] सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो टैक्स की नीति है, पद्धति है, उसमें अनेक वर्षों से त्रुटि चली आ रही है। इस देश में कितनी कंपनियों के पास खुद का हवाई जहाज है, ज़रा उसका डाटा भी कभी वित्त मंत्री जी रखें। [अनुवाद] ऐसी सौ दो सौ कंपनियां हैं और एक तरह से उस कंपनी के विमान का उपयोग उस कंपनी के मालिक द्वारा अपने व्यक्तिगत विमान के रूप में किया जाता है। [हिन्दी] लेकिन, वे इन्कम टैक्स कितना भरते हैं? आज बड़े-बड़े लोग हैं, मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लूंगा, मैंने पहले भी इस सदन में यह कहा था कि हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री जी को कभी आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोचना पड़ेगा और हमें भी सोचना पड़ेगा।

आप सेंसेक्स को ले लीजिए। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एन.एस.ई. है, उसकी टॉप 500 कंपनियों को ले लीजिए, उन 500 कंपनियों के 1000 प्रोमोटर्स को ले लीजिए और वे प्रोमोटर्स कितना इन्कम टैक्स भरते हैं, उसे हिन्दुस्तान के सामने आने दीजिए। इसका मतलब हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें जो जितना बड़ा होता जाता है, उतना बड़ा प्रोटेक्शन वह डेवलप करता जाता है। वह उसे किस प्रकार से डेवलप करता है? एक, इंटर्नल और दूसरा, एक्सटर्नल। मैं दोनों के उदाहरण दूंगा।

आज हमारे राज्य सभा के एक सांसद हिन्दुस्तान छोड़कर बाहर चले गए।...(व्यवधान) अब उन्होंने 9,400 करोड़ रुपए सिर्फ एक हवाई जहाज कंपनी में लगा दिए। उनके पास घोड़े भी हैं, क्रिकेट की टीम भी है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आप माननीय सांसद को देखिए। ये मुस्कुरा रहे हैं। ये कुछ इशारा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सही है, वह भी है। घोड़े के साथ-साथ उनके पास वह भी है।

डॉ. किरीट सोमैया : सभापति महोदय, दुनिया भर के 35 देशों में उनके बंगले हैं। लेकिन, वे महाशय इन्कम टैक्स कितना भरते हैं? क्या इस विकृति को कभी हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं? मुझे लगता है कि इस विकृति के प्रति सदन द्वारा दुर्लक्ष्य करना हमें जो जिम्मेदारी दी गयी है, उसके प्रति अन्याय करने जैसा है। आज पूरे विश्व में टॉप-10 धनी व्यक्तियों में जो भारतीय आते हैं, वे कितना इन्कम टैक्स भरते हैं? वे इस लिस्ट में नहीं है। टॉपमोस्ट टैक्सपेयर के नाम में या तो कोई क्रिकेटर होता है या कोई फिल्म स्टार होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जो लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं, हिन्दुस्तान में इंडस्ट्री लगाते हैं, हिन्दुस्तान में उनका घर होता है, वह 500 करोड़ रुपए के होते हैं, उनके बंगले 1000 करोड़ रुपए के होते हैं, इसलिए इस टैक्सेशन सिस्टम में परिवर्तन लाना चाहिए। इस प्रकार की जो एग्जेम्पशंस हैं, उन्हें हटा देना चाहिए।

सभापति महोदय, एक हो गया इंटरनल, इन लोगों को जो प्रोटेक्शन दिया गया है और दूसरा जो है, वह है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी जो मेरे वित्त मंत्री ब्लैक मनी की बात करते हैं, हमारे सहयोगी सीनियर मेंबर ने कहा पनामा पेपर्स। मैं चाहूंगा कि कभी तो सदन थोड़ा ऊपर उठे। यह बीजेपी, कांग्रेस ...(व्यवधान) कभी तो हम ऊपर उठें। [अनुवाद] ओ.ई.सी.डी. क्या है? टैक्स हेवन क्या है? पनामा पेपर्स क्या हैं? पनामा पेपर और कुछ नहीं बल्कि इन पूंजीपति लोगों द्वारा विकसित एक प्रणाली है जो उन्हें नियामक नेटवर्क से बचाने और उन्हें अपने देश में एक रुपये का भी भुगतान कर के रूप में करने से बचाने के लिए है। [हिन्दी] पनामा पेपर्स यानी पहले उसको मारीशस रूट कहते थे। चाहे मारीशस रूट हो या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो या फिर पनामा हो,

वहां पर कंपनी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। वहां पर एक पर्सेंट टैक्स लगता है और यहां पर 20, 30 पर्सेंट। हमारे मंत्री जी कहेंगे कि मैं 25 पर्सेंट कोरपोरेट टैक्स लाना चाहता हूं। उतने में पांच कंपनियां वहां रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी। इस सदन को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो ओ.ई.सी.डी. की बात आती है, लेकिन वह बात आगे नहीं आ पाती।

दूसरी एक चीज होती है कि कुछ इंटेलिजेंट पीपुल हैं, इंटेलिजेंट इंडियन, हमारे निशिकान्त जी देख रहे हैं, जिनके हाथ के नीचे मैं दूसरी पी.एच.डी. करने वाला हूं। अभी इंटेलिजेंट इंडियन का डेटा मेरे पास आया। महाशय ने धंधा यहां पर किया। धंधा क्या किया, रिश्वत लेने का। रिश्वत यहां ली गई। वह पैसा बाहर भेजा गया। बाहर यह सब टैक्स हैवेन में डजेन कंपनियां खोली गईं, फिर वहां के शेयर यहां पर किसी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए। वे शेयर ट्रांसफर करके फिर अपनी ही पोती के नाम पर विल करवाई गई। एक, दो, तीन नहीं, चार विल।

यह जो दूसरे प्रकार का लीकेज है कि यहां पर किक बैक लेना, एक हमारे महाराष्ट्र में जेल में बंद हैं, उन्होंने भी यही किया। अपने बेटे और भतीजे के नाम से पैसा इंटरनेशनल टैक्स हैवेन और बाकी तरीके से किया। एक और पद्धति है, कोलकाता पैटर्न जिसे हम कहते हैं। कोलकाता पैटर्न को कभी तो हम बंद करेंगे या नहीं। कोलकाता पैटर्न यानी कोलकाता में कंपनियां जिसे चाहे मिलती हैं। 5 लाख रुपए में कंपनी मिल जाती है। वह कंपनी आपकी कंपनी के शेयर, 10 रुपए का शेयर 10 हजार रुपए के दाम से लेती है। आप उसको कैश में 10 हजार रुपए दे दो। अगर आपने एक लाख शेयर ले लिए तो सौ करोड़ रुपए कैश में ले लो। हमारे यहां जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री जेल में हैं, वे एंबुलेंस में कैश वहां पर लेकर गए। कोलकाता की कंपनी वालों को कैश दिया। उसने अपने बैंक एकाउंट में कैश भर दिया और वह चेक लाकर यहां इसकी कंपनी में जमा कर दिया। दस रुपए के शेयर का दस हजार रुपए। मैं यह चाहूंगा कि कभी न कभी सदन में इन सब चीज का विचार करना पड़ेगा। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, वे ईमानदारी से मेहनत करें, टैक्स भरें। मैंने जो आंकड़े आपको बताए, इसमें [अनुवाद] 99 % या तो स्व-नियोजित या वेतनभोगी लोग हैं। [हिन्दी] जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको अलग-अलग प्रकार के एग्जंप्शंस हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार से विल बनाना,

बोगस कंपनियां निकालना, टैक्स हैवेन निकालना, जो हम टैकलिंग दि ब्लैक मनी की बात करते हैं, उन सबके बारे में इस प्रकार के रास्ते के संबंध में हमारी सरकार और इस सदन को सोचना चाहिए। यह सरकार, मोदी सरकार आगे जाना चाहती है, टोटल ट्रांसपरेंसी लाना चाहती है, तो मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चहूंगा कि एक बार आप इस प्रकार के विषय के ऊपर चाहे तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए या सदन के सामने ये जो लीकेजेज हैं, जो त्रुटियां हैं, इनको रखें। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, हमें आगे जाना पड़ेगा। इस प्रकार के विल के द्वारा जो टैक्स हैवेन से चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

पहली बार, इस देश से कोई यहां भाग गया, उसको सीधा नोटिस हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि 9400 करोड़ रुपये जमा करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। इस प्रकार की बात करने वाले प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान को मिले हैं। इस समय, आप जो चाहेंगे, वह परिवर्तन होगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, अब 6 बज रहे हैं। यदि आप चाहें तो हम एक घंटे तक समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय सभापति: धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय सभापति, मैं दूसरे विषय, एनीपीए, बैड डेट एंड विलफुल डिफॉल्ट के बारे में कहना चाहता हूं। मोइली जी, निशिकांत जी और हम फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं। फाइनेंस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। हमने रिकमेंड किया है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनका फॉरेंसिंक ऑडिट करवाइए। यू.बी.एस. के फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि कहां का पैसा कहां गया। शेयर्स यहां बेचे और पैसा ऑफशोर कंपनी में गया। [अनुवाद] हम पहले ही इसकी सिफारिश कर चुके हैं। यह एक ऐसी समिति है जिसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं। यह संसद की वित्त संबंधी समिति है। इसकी सर्वसम्मति से इसकी सिफारिश की गई है। [हिन्दी] आप उस

रिकमेंडेशन को स्वीकार करिए और बैंको को कहिए कि जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उन सबका फॉरेंसिक ऑडिट होना ही चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि पैसा कहां से निकला और कहां गया, वह मॉरिशस में गया या फिर जिम्बाब्वे में गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है। मुझे बहुत सुंदर मैसेज आया, वह सबके वाट्सएप पर घूम रहा होगा लेकिन मुझे वह पढ़ कर लगा कि इसे सदन के सामने रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, सीधे मैसेज। [अनुवाद] वर्ष 1998 कोडक में, कैमरा निर्माण कंपनी में 1,70,000 कर्मचारी थे और इसके द्वारा दुनिया भर में सभी फोटो पेपरों का 85 प्रतिशत बेचा गया था। कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार मॉडल गायब हो गया और वे दिवालिया हो गए।

[हिन्दी]

हम 10 साल पहले कैमरा लेते थे, आज कैमरा आस्तित्व में ही नहीं है। सभी अपने-अपने मोबाइल से फोटो खींचते हैं। कोडक कंपनी बैंक्रप्ट हो गई। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: पेपर भी बंद हो गया।

डॉ. किरीट सोमैया: अब पेपर की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि [अनुवाद] अत्यधिक तेजी से विकसित हो रहे इस युग में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर अगले पांच से दस वर्षों में अधिकांश पारंपरिक उद्योगों को खत्म कर देगा। [हिन्दी] जयंत सिन्हा जी आप अच्छी तरह से समझेंगे लेकिन हमारे सिस्टम को समझाना पड़ेगा। अभी भी हमारा सिस्टम 50 प्लस एज वाला है। उन्होंने आगे बहुत सुंदर लिखा है, [अनुवाद] सॉफ्टवेयर अगले पांच से दस वर्षों में अधिकांश पारंपरिक उद्योगों को खत्म कर देगा। उबर केवल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो किसी भी कार का मालिक नहीं है और अब दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। [हिन्दी] जो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कम्पनी है, उसकी खुद की टैक्सी ही नहीं है, कार ही नहीं है। [अनुवाद] यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है,एक प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने उपलब्ध कराया है। उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया है।

[अनुवाद] एयर.बी.एन.बी. अब दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, हालांकि उनके पास कोई होटल के रूप में कोई संपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया को आई.टी. का ज्ञान दे रहा है, उस समय हमारे यहां इंटरनल आई.टी. का कितना उपयोग हो रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितना उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स में कितना हो रहा है? जब हमारी फाइनेंस कमेटी इस पर विचार कर रही थी, जब इंटरैक्शन कर रही थी, तब हमें जानकर दुःख हुआ कि जो हिन्दुस्तान वर्ल्ड का ब्रेन है, वही हिन्दुस्तान, फाइनेंस मिनिस्ट्री या सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रेमी प्रधानमंत्री हैं। उस समय पर, एक ओर हमारा ग्रोथ पर ग्रोथ हो रहा है और दूसरी ओर बैड डेट पर बैड डेट बढ़ रहा है।

मैं अंत में दो-तीन महत्व के मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बहुत छोटा बिन्दु है। कहीं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सैक्शन 44 (ए)(डी) में थ्रैशहोल्ड लिमिट में एक करोड़, दो करोड़। दूसरा, निशिकांत जी ने अपने भाषण की शुरुआत करते समय एस.ई.जैड. के विषय को छेड़ा था। मैं कहना चाहूंगा कि जब इस सरकार ने टैक्स टैररिज़्म के प्रति तीसरी आंख ऊपर की तो आज अगर हमें एस.ई.जैड. का टैक्स विदड्रा करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा भूतलक्षी प्रभाव से न किया जाए। मेरे मतदार संघ के बार्डर पर मैंने काफी मेहनत की। तीन आई.टी. एस.ई.जैड. के एक डेवलपर की तीन बिल्डिंग आ रही हैं।...(व्यवधान) दो ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं, तीसरे का कंस्ट्रक्शन चालू है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां हमारे सिस्टम ने 31.3.2017 सनसेट क्लॉज डेवलपर के लिये लगा दिया। एक एस.ई.जैड. के लिए जमीन प्राप्त करना, प्लान पास करवाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, यह यहां बैठे हुए लोगों को कैसे पता चलेगा। मैंने आई.ए.एस. ऑफिसर, आई.आर.एस. ऑफिसर को कहा कि मेरे मतदार क्षेत्र मुलुंड के कार्नर पर मेरे साथ चलिए जो 55 हजार नौजवानों को रोजगार देने वाला है। आज 55 हजार नौजवानों को रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट डालकर एस.ई.जैड. बंद हो जाएगा तो मेरे क्षेत्र में 55 हजार लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है, उस पर असर होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने एस.ई.जैड. का एग्जेम्प्शन बंद करना है कीजिए, लेकिन देखिए कि डैवलपमैंट के लिए

कितने साल लगते हैं। हम यहां बैठकर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सनसैट क्लॉज के लिए रीजनल पीरियड देना चाहिए अदरवाइज 22 प्रतिशत मैट भर रहे हैं। ...(व्यवधान)

मैं एक और छोटे प्वाइंट पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरा दूसरा विषय पॉन्जी कम्पनी, बोगस चिट फंड कम्पनी है जिसके बारे में इस बजट में बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाने की बात की है। फाइनेंस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी, उसका भी जिक्र उसमें हुआ है। एक बिल ऑलरेडी सरकार ने वैबसाइट पर डाला है। माननीय जयन्त सिंन्हा जी से इस संबंध में मेरी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। सेबी ने 1,489 कम्पनीज़ की लिस्ट जारी की है जो डूबियस कम्पनीज़ हैं। लेकिन एक्शन में काफी ढीलापन है। हम जब यह नया बिल लाएं, उसकी डैफिनेशन इस तरह विस्तृत हो कि सब प्रकार की बोगस कम्पनियां उसमें कवर हो जाएं।

मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि यह काफी अच्छा फाइनैंस बिल और बजट है, प्रोग्रैसिव है, लेकिन टैक्स नैट बढ़ाने की दृष्टि से हम थोड़े कड़े कदम उठाएं। जो हायर अप्स इनडिविजुअल टैक्स पेमैंट के सिस्टम से निकल जाते हैं, आप कॉरपोरेट का ऐग्जैम्शन बंद कर रहे हैं। उस प्रकार आप उसके बारे कुछ सोचें क्योंकि लोगों में रिएक्शन आता है। मध्यम वर्गीय पगारदार बोलता है कि मैं इतना टैक्स भरता हूं, लेकिन 500 करोड़ के बंगले वाला, 1000 करोड़ के मकान वाला, खुद के चार प्लेन वाला मेरे जितना टैक्स भी नहीं भरता। इस विसंगति को हम दूर करें। धन्यवाद।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक लाया गया है, मैं उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। खिलाफ में इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं लगातार दो साल से इस हाउस में ये बातें देख रहा हूं कि जब भी किसी तरह की बात आती है तो सत्ता पक्ष के लोग 50 साल, 60 साल की बातें करते हैं कि 60 साल में आपने क्या किया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने आपको इतना मैनडेट दिया है। निश्चित रूप से यह बोलने के लिए नहीं दिया है कि पिछली सरकार ने क्या किया, आपको कुछ करने के लिए दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार की नीति और नीयत सही हो वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगी।

मैं स्पष्ट रूप से दो सालों से देख रहा हूं कि इस सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, कुछ करने की नीति नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, देश के अन्य जगहों पर उनके भाषण को गौर से देखें, जिस तरह से भाषण दिया जाता है और हाउस में जो बात आती है उसमें कहीं कोई मेल-जोल नहीं रहता है। इस बजट की बात करें, हाऊस में कही गई बात कि अब 'सरकार चली गांव की ओर' हम लोग गांव के रहने वाले हैं। बड़े भाई निशिकान्त जी बहुत गौर से हमारी तरफ देख रहे हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं, आपने जो भाषण दिया मैं उसे भी बहुत गौर से सुन रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो भाषण दिया क्या उसे गांव के लोग समझ सकते हैं, स्टैंड अप, स्टार्ट अप की बात कर रहे हैं उसे गांव के लोग नहीं समझ रहे हैं। जिस गांव की तरफ सरकार चलने की बात कर रही है। गांव में 90 प्रतिशत आबादी किसानों की है। आप कह रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए ये किया, वह किया, उनको इन्श्यूरेंस दिया गया। मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानों को क्या-क्या जरूरत होती है, जिस समय किसान खेत जुताई करने के लिए जाता है उस समय डीजल महंगा हो जाता है, जब खाद खरीदने जाता है तो वह महंगा हो जाता है, बीज महंगा होता है, यह आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। हम लोग बिहार के हैं तो निश्चित रूप से बिहार की बात करेंगे।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब किसान का फसल तैयार होता है तो उसका क्या हाल होता है, उसे बाजार नहीं मिलता है, उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है और औने-पौने दाम में किसान उसे बेचकर जिस महाजन से खेती के लिए पैसा लिया होता है उसे पैसा दे देता है। आज विश्व बाजार में डीजल का दाम गिरा है, लेकिन आप लगातार डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। खाद का दाम आपको फिक्स करना चाहिए था उसे आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से चुनाव में बात करते हैं या अन्य बातें हों, उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को नौकरी कहां दिया, काले धन को वापस लाएंगे, कहां कालाधन वापस आया।

महोदय, जब आप बिहार चुनाव में गए थे तो कहा करते थे कि बिहार में सड़क है, और जब सरकार में आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या स्थिति है? मैं बिहार में रहता हूं और बिहार की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस सरकार को आए हुए दो साल हो गए और इन दो सालों में एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है, न ही सैंक्शन हुई है न ही उस तरह की योजना ली गई है। माननीय मंत्री रूडी साहब हम और आप लोग तीन साल बाद फिर चुनाव में जाएंगे तो जनता पूछेगी, हिसाब लेगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि बिहार को या किसी पिछड़े प्रदेश को सरकार को अगर उन्नतिशील बनाना है, तो निश्चित रूप से लगातार बिहार से ये आवाजें आ रही हैं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं स्पष्ट रूप से वकालत करना चाहता हूं कि बिहार को यह सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे। माननीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी भी यहां हैं और हमारे बड़े भाई श्री निशिकान्त दुबे जी भी यहां हैं। उन्हें भी मेरी इस मांग की वकालत करनी चाहिए। जब हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।

महोदय, चूंकि बिहार राज्य सूखा और बाढ़, दोनों से पीड़ित रहता है, इसलिए मैं अब इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वहां एक ही समय में एक तरफ सूखा होता है, तो उसी समय दूसरे

क्षेत्र में बाढ़ आती है। इस बजट में बिहार को सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए धन का कोई प्रॉवीजन नहीं किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक वर्ष 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि पिछले 10-12 सालों में जो बजट की स्थिति रही और जो भी बजट पेश होता था, उसका जो राजस्व घाटा होता था, वह दिसम्बर महीने में ही 105 से 110 परसेंट तक हो जाता था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में पहली बार, वर्ष 2015-16 में दिसम्बर में बजटीय राजस्व घाटा, जो बजटेड था, वह 83 परसेंट ही हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले हर वर्ष यह होता था कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी होती थी, फिर भले ही वह ड्यूटी ड्रॉबैक हो, भले ही इंटरेस्ट सब्मीशन हो या इनकम टैक्स का रिफंड हो, वह सब बंद हो जाते थे और किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती थी। चूंकि घाटा पहले ही दिसम्बर महीने में 110 परसेंट तक हो जाता था, इसलिए ऐसा होता था। इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। इसलिए किसी भी प्रकार की सहायता बन्द नहीं हुई और किसी भी खर्चे पर रोक नहीं लगी। इस कारण मैं कह सकता हूं कि पहली बार इस प्रकार का वित्तीय प्रबन्धन हुआ है कि जनवरी से मार्च के बीच कोई रोक नहीं और किसी टैक्स पेयर को अननैसेसरी ज्यादा एडवांस टैक्स देने के लिए परेशान नहीं किया गया।

सभापति महोदय, बजट से पहले प्लान के लिए जब फायनेंश्यल कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग चल रही थी। उसमें कुछ सजैश्चन उस समय दिए गए थे। अब हम देखते हैं कि उनका समावेश इस बजट में आया है, क्योंकि टैक्स पेयर को सहूलियत मिलनी चाहिए। पहले एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी असैसी के टैक्स का असैसमेंट होता था, लेकिन यदि किसी इन्कम टैक्स असेसिंग अथॉरिटी ने उसके इन्कम टैक्स में एडीशन कर दिया और उस पर यदि असैसी कोई स्टे लेना चाहता है, तो उसका अधिकार भी उसी असैसिंग अथॉरिटी को था, जिसने एडीशन किया है। वह असैसिंग अथॉरिटी असैसी को स्टे तब देती थी, जब वह अपनी मनमर्जी से डिमांड का कुछ परसेंटेज फिक्स कर देता था, कभी 25 परसेंट कभी 50 परसेंट कि जो डिमांड है उसका इतना जमा करो, तब आपको स्टे दिया जाएगा, भले ही आप अपील में जाओ। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने उस बात को ध्यान में रखा और अथॉरिटी को कहा कि अगर कोई पार्टी अपील में गई है, तो भी आप डिमांड

का 15 परसेंट से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते और आपको 15 परसेंट के ऊपर स्टे देना पड़ेगा। इस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स पेयर को रिलीफ देने का काम किया है। टैक्स पेयर जो ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहता है और उसका जो हेरेसमेंट होता था, उसे रोकने का काम किया गया है।

महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई टैक्स पेयर अपील में जीत जाता था, तो असैसिंग अथॉरिटी को उसे अपील का जो इफेक्ट देना होता था, वह इफेक्ट उसे वर्षों तक नहीं देता था। वह 5, 7 और 10 साल तक उसे इफेक्ट नहीं देता था। इस बार वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया कि यदि 90 दिन से ज्यादा उसने इफेक्ट नहीं दिया गया, तो टैक्स पेयर को 6 परसेंट की बजाय 9 परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की होगी, जिसे इफेक्ट देना था। ऐसा प्रावधान ऐसे अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार किया गया है।

महोदय, इसमें प्रपोजल आया है कि मैक्सिमम इम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, क्योंकि आज सब जगह बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। पहले प्रोविजन था कि कोई भी इंडस्ट्री अगर अपने प्रीवियस ईयर के लास्ट दिन से 10 परसेंट से ज्यादा आदमियों को रखती है और उन्हें वेजेज वगैरह देती है, तो उसे 30 परसेंट एक्सट्रा एलाउंस मिलेगा। यह प्रोविजन पहले एक साल के लिए था, लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को देखते हुए उसे तीन साल के लिए कर दिया है। उनका यह कदम स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, इस फाइनेंस बजट से जो दिक्कतें आने वाली हैं, उसे मैं यहां कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रिज़म्प्टिव टैक्स के लिए एक करोड़ से दो करोड़ रुपये की लिमिट बढ़ा दी और प्रोफेशनल के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपये की बढ़ा दी। अगर कोई भी फर्म या इंडीविजुअल व्यवसाय करता है और उसकी कुल दो करोड़ रुपये की ग्रॉस रिसीट है, तो वह आठ परसेंट के हिसाब से 16 लाख पर अपनी इनकम मानकर टैक्स दे दे। उसके लिए उसे कोई किताब वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें एक प्रोविजन यह था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है, तो एक करोड़ रुपये में सैलरी और इंटरेस्ट डिडक्टिबल था, लेकिन अभी इन्होंने यह प्रोविजन डाल दिया है कि अब सैलरी और इंटरेस्ट डिडक्टिबल नहीं है और उस पार्टनरशिप फर्म को, जो दो करोड़ रुपये की है, उसे 16 लाख रुपये पर

सीधा 30 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। हमारा कहना है कि इसमें कुछ न कुछ करैक्शन करना चाहिए और पहले जो सिस्टम था, उसे वैसा ही रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये की लिमिट की है, तो वह बहुत बढ़िया कदम है लेकिन उसके साथ-साथ पार्टनरशिप के लिए पहले जो प्रोविजन था, उसे भी वापस रखना चाहिए। आपने इधर दो करोड़ रुपये की लिमिट बढ़ा दी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के 44एबी में यह प्रोविजन है कि एक करोड़ रुपये के ऊपर ऑडिट करना जरूरी है तो उसमें इसे नहीं बढ़ाया, जबकि इसका इफैक्ट देने के लिए उसमें भी दो करोड़ रुपये की राशि करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसमें एक नया प्रोविजन चेरिटेबिल ट्रस्ट के लिए आया है। इससे काफी दिक्कत आने वाली हैं क्योंकि बहुत सारे चेरिटेबिल ट्रस्ट ऐसे हैं जो 50-60 साल पुराने हैं। उनके पास आफिस के लिए कोई न कोई जगह होगी। वे धर्म का काम करें, सेवा का काम करें, उसके लिए उनके पास कोई न कोई जगह होगी। किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में रिजैक्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उनके ऊपर टैक्स का नया सिस्टम लाया गया है। उस जगह की मार्केट वैल्यू करके उसमें से अपनी लायेबिलिटी लैस करके जितना पैसा बचता है, उस पर टैक्स लिया जायेगा। अब किसी ने 50 साल पहले 10 हजार रुपये में जगह ली है और आज उसकी कीमत अगर दस करोड़ रुपये हो गयी होगी, तो वह चेरिटेबिल ट्रस्ट 10 करोड़ रुपये की कीमत कहां से लायेगा? इस चीज का आप जरूर संज्ञान लीजिए।

सभापति महोदय, रेडीमेड गारमेंट अगर इनपुट क्रेडिट नहीं लेता है, तो उस पर दो परसेंट के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी फ्लैट रेट से लगी है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा इम्प्लायमेंट देने वाला टेक्सटाइल सेक्टर है। अब रेडीमेड गारमेंट में कोई आइटमाइजेशन नहीं होता और सारे आदमी ही वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट देने का काम यह सेक्टर करता है। आपने इस पर टैक्स लगाया है तो जो छोटे-छोटे यूनिट वाले हैं, उन्हें काफी दिक्कत आने के चांसेस हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर भी आपको कुछ न कुछ विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी एडवांस टैक्स लेने का नया प्रोविजन आया है। पहले कारपोरेट में एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को लेते थे और नॉन कारपोर्ट सैक्टर, जो छोटे होते थे, उसमें 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को लेते थे। लेकिन अभी इस बार जो अमेंडमैंट किया गया है, उसमें उन्हें भी 15 जून को भी एक किस्त देनी पड़ेगी। दूसरी किस्त 15 सितम्बर को देनी पड़ेगी। तीसरी किस्त 15 दिसम्बर और चौथी किस्त 15 मार्च को देनी पड़ेगी। मेरा कहना है कि इनका जो पहला प्रोविजन है, उसी को आप रखें, तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा।

सभापति महोदय, आपने स्टार्ट अप में एग्जम्पशन दिया है। जो भी स्टार्ट अप करने वाले हैं, अगर वह इनकारपोरेट एक अप्रैल, 2016 के बाद हुई है और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू किया है तो आपने उसे टैक्स फ्री किया है। आपने केवल कम्पनीज को किया है। कोई एन्टरप्रियोनर, खुद का व्यवसाय करने वाला पार्टनरशिप या प्रोपराइटरशिप में करना चाहता हैं, स्टार्टअप करता है तो उसको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उनको बेनिफिट दिया जाए। आपने टैक्स में छूट दी है लेकिन मैट में छूट नहीं दी है। मेरा आग्रह है कि मैट में छूट दी जाए।

महोदय, 14वां वित्त आयोग की रिकमेंडेशन हुई है, राजस्थान को पहले डीविजेबल पूल टैक्स में 5.945 परसेंट मिलता था। लेकिन 14वें वित्त आयोग के बाद राशि की परसेंटेज घटकर 5.647 हो गई। इसके कारण 0.298 परसेंट की डीविजेबल पूल से जो मिलना था, वह कम हुआ। इसका इम्पैक्ट हुआ कि 2015-16 में करीब 1550 करोड़ रुपए का 2016-17 में बजट में 1700 करोड़ रुपए कम मिले। मेरा आग्रह है कि किसी दूसरे तरीके से राजस्थान को कम्पेसेट जरूर करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सिराजुद्दीन अज़मल (बारपेटा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर अपने विचार रखने का यह अवसर प्रदान किया है।

मैं असम राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो भारत का एक पिछड़ा राज्य है। मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि हमारे राज्य के विकास के लिए माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें।

जैसा कि मेरे सहयोगी कहते रहे हैं *'परिवर्तन,परिवर्तन'*, [हिन्दी] हम भी परिवर्तन चाहते हैं। गरीब स्टेट्स को बढ़ावा दिया जाए, उनका ज्यादा ख्याल किया जाए। जब भी सैंक्शन हो, उनके लिए ज्यादा सैंक्शन हो। मैं यह खास रिक्वेस्ट मिनिस्टर साहब से करता हूं। [अनुवाद] असम में बाढ़ और कटाव की समस्या बारहों महीने बनी रहती है। हर साल पूरा असम बाढ़ के पानी में डूब जाता है और इस कारण भूमि कटाव भी होता है, जिससे असम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हम अनेक अवसरों पर यह बात कहते रहे हैं कि बाढ़ और भूमि कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और इन समस्याओं से निपटने के लिए असम को कम-से-कम रु. 20,000 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने चाहिए। हम माननीय मंत्री जी से इस बात का विशेष अनुरोध करते हैं, जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

अब, मैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर धुबरी-फुलबारी पुल का निर्माण जल्द से जल्द किए जाने के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है। चूँकि इसके लिए बहुत ज्यादा निधियों की आवश्यकता है, इसलिए न तो इसका कार्य पूरा हो पा रहा है और न ही इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। यह धुबरी-फुलबारी पुल असम और मेघालय को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा और यह माननीय मंत्री महोदय द्वारा पूरे उत्तर पूर्व को दिया जाने वाला एक सर्वोत्तम उपहार होगा।

माननीय सभापति जी, पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2007 में उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति की शुरूआत की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे नई सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति को फिर से

लागू करें। इससे न केवल उत्तर पूर्व के विकास में मदद मिलेगी बल्कि इससे आतंकवाद को भी रोका जा सकेगा जो भारत के उस हिस्से में व्याप्त है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि धुबरी में रुप्सी विमानपत्तन का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि यह धुबरी को मुख्यधारा में लाएगा और भारत के नागर विमानन मानचित्र में भी अपना स्थान बना पाएगा।

सायं 6.29 बजे (श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

अब, मैं धुबरी अंतरराष्ट्रीय नदी पत्तन को फिर से खोले जाने और इसका आधुनिकीकरण किए जाने के मुद्दे पर आता हूँ। यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे पूरे क्षेत्र का विकस करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसके लिए कुछ धनराशि मंजूर की जाए।

चूंकि माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि असम में सड़क संपर्क - विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, बारपेटा, चेंगा, भागपुर और जौनिया में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कुछ क्षेत्रों में – अत्यंत आवश्यक हैं। ये क्षेत्र स्वतंत्रता के 67 वर्षों बाद भी मुख्य भूमि से पूरी तरह से कटे हुए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में तत्काल कुछ कार्रवाई करें। सड़सठ वर्षों की अवधि बहुत अधिक होती है और अब असम में विकास कार्य होने चाहिए। इसलिए वित्त मंत्रालय के लिए सड़क संपर्क एक विशेष एजेंडा होना चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान असम के बारपेटा, करीमगंज, नौगांव और धुबरी में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की काफी समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसे अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए।

अब बिजली की स्थिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि असम में बिजली की भारी कमी है जिसके कारण वहां पर किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे असम में बिजली की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि को स्वीकृत किए जाने पर विचार करें।

अब मैं किसानों को सहायता देने के संबंध में अपनी बात रखता हूँ। असम में, जैसा कि हर साल होता है, बाढ़ और भूमि कटाव से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अतः जब कभी भी बाढ़ एवं भूमि कटाव के कारण असम के किसानों की फसलों का नुकसान होता है तो किसानों को ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उनके ऋणों को माफ किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि असम और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की कमी को दूर करने के लिए असम के धुबरी जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के संबंध में असम के लोगों की मांग को पूरा किया जाए।।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी करता हूं कि असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ और ए.टी.एम. स्थापित किए जाएँ। इससे लोगों को वित्तीय लेन-देन करने में मदद मिलेगी।

ये सभी कदम असम राज्य के विकास में मदद करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री आर.के.सिंह (आरा): सभापति महोदय, मैं अपनी बात रखने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका संबंध अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास आदि से है।

[हिन्दी]

मेरा मानना है कि इकोनोमिक डेवलपमेंट किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इकोनोमिक डेवलपमेंट से ही हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और देश का विकास हो सकता है। बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इस सबका एक ही उत्तर है और वह बहुत सिम्पल उत्तर है कि आज हमारी ग्रोथ रेट, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6 परसेंट है। दुनिया में जितने बड़े इकोनोमीज़ हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हमारी इकोनोमी का है। एक लाइन में यह बात अपने में स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सरकार की क्या उपलब्धि है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब ग्रोथ रेट बहुत कम था। वर्ष 2012-13 में ग्रोथ रेट 5.6 परसेंट था और दो वर्षों में हमने ग्रोथ रेट को बढ़ा कर दुनिया में बड़े इकोनोमीज़ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनोमी बनाया।

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारी विकास दर चीन की विकास दर से बहुत अधिक है। यह एक प्रतिशत ज्यादा है। यह एक ऐसी बात है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही महंगाई भी नियंत्रण में है।

इस समय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) ऋणात्मक है; यह -0.85 प्रतिशत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लगभग पांच प्रतिशत है जबकि मुझे लगता है कि यू.पी.ए. के शासनकाल के दौरान मुद्रास्फीति एक समय में 9.5 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। [हिन्दी] इंफ्लेशन नियंत्रण में है। हमारा ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे आधिक है। फिस्कल डेफिसिट को हमने 3.5 पर्सेंट तक रखा है। हमारी इकोनॉमी सॉलिड फाउंडेशन पर है। यह हमारा अचीवमेंट है। लोग कहते हैं कि क्या अचीवमेंट है, तो यह हमारी सरकार की अचीवमेंट है,

हमारे देश का अचीवमेंट है। डेफिसिट को 3.5 पर्सेंट पर सीमित करते हुए, इसके बावजूद 14वें वित्त आयोग ने शेयरिंग ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज का फारमूला बदल दिया। राज्यों को जो टैक्सेज का शेयर मिलता है, उसे 32 पर्सेंट से बढ़ाकर 42 पर्सेंट कर दिया गया है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम डेफिसिट को नियंत्रित रखेंगे। [अनुवाद] इन दो बाधाओं के बावजूद, करों और शुल्कों के बंटवारे में बदलाव के बावजूद, एफ.आर.बी.एम.के लिए धन रखे जाने के बावजूद, हमारे पास अभी भी लगभग 2.21 लाख करोड़ रुपये की धनराशि अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करने के लिए हैं। [हिन्दी] फिर भी इतनी राशि बच गयी या इतनी राशि बचाने में हम सफल हुए कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.21 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कोर सेक्टर्स में 6.5 पर्सेंट ग्रोथ हुआ है चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, फर्टिलाइज़र्स हों। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। ग्रोथ रेट और फास्टर होता। मेरा मानना है कि आज कुछ इम्पेडिमेंट्स नहीं होते तो हमारा ग्रोथ रेट 9.5 पर्सेंट या 10 पर्सेंट के आसपास चला जाता। वैसे भी आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक कह रही है कि [अनुवाद] भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाए रखेगा। [हिन्दी] यह आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक का एसेसमेंट है। लेकिन अगर कुछ इम्पेडिमेंट्स नहीं होते तो हम ऑलरेडी 9.5 पर्सेंट का ग्रोथ रेट टच कर लिये होते। वे इम्पेडिमेंट्स क्या हैं? कुछ इम्पेडिमेंट्स तो हमें विरासत में मिले हैं। लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ मेजर इम्पेडिमेंट्स हैं। वे ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ये इम्पेडिमेंट्स पैदा किए हैं, उस समय उनको मालूम होना चाहिए था कि हम अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट पैदा कर रहे हैं। लैंड एक्विजीशन लॉ को इन्होंने बदल दिया, यह एक बड़ा इम्पेडिमेंट है। अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि किसी इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्विजीशन करना, किसी प्रोजेक्ट करना बिल्कुल दूभर हो गया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, अगर आप इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो आप लोगों को कहाँ से रोज़गार देंगे। कृषि में तो रोज़गार बढ़ने वाला नहीं है। कृषि में तो रोज़गार घट रहा है। डवलपमेंट का मतलब है कि आप इंडस्ट्रियलाइज करें ताकि रोज़गार पैदा हो सके। [अनुवाद] यदि हमारे देश के प्रति शत्रुता रखने वाला कोई देश हमारी प्रगति में बाधा डालना चाहता तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। [हिन्दी]

ग्रोथ पर इससे बड़ा इम्पेडिमेंट और कोई नहीं डाला जा सकता था। उस लैंड एक्विजीशन लॉ को हमें चेंज करना होगा। यह एक बहुत इम्पेडिमेंट है।

आपने देखा होगा कि हम लोगों का फोकस सिर्फ विकास पर है। हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं। लेकिन हर मामले में, हर मोड़ पर ऐसी-ऐसी बातें उठायी जाती हैं, जिससे हम लोगों का फोकस डि-रेल हो। कुछ समय पूर्व कहा जाने लगा कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं। असहिष्णुता की बातें होने लगी। हमारा समाज, इंडिया की सोसायटी जितनी टॉलरेंट है, उतनी दुनिया की कोई सोसायटी टॉलरेंट नहीं है। यदि हमारे गॉड एंड गॉडेसेज की भी मज़ाक उड़ाते हैं, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम लोगों के बारे में बताया जाता है कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं। हाँ, हम लोग इस मामले में इंटॉलरेंट हैं कि जब हमें लगता है कि देशहित के विरुद्ध कुछ हो रहा है तभी हम लोग इंटॉलरेंट हैं। लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सीज पैदा करके हम लोगों का जो विज़न है, जो मिशन है डवलपमेंट का, विकास करने का, ग्रोथ का, जिस पर हम लोग लगे हुए है, जिस पर बातें करते रहते हैं, उससे डि-रेल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग डिरेल नहीं होंगे। हम लोगों का जो मकसद है, उसे पूरा करेंगे, इन इम्पेडिमेंट्स के बावजूद विकास करेंगे। एक अन्य मेजर इम्पेडिमेंट यह है कि जी.एस.टी. बिल को बिना वजह पिछले दो-तीन साल से पेंडिंग रखा गया है। ये जानते हैं कि जी.एस.टी. बिल पास होने से हमारी ग्रोथ रेट में एक प्रतिशत तक वृद्धि हो जाएगी, फिर भी उस पर ब्रेक लगा रखा है। कुछ माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि टैक्सेस के डिवोल्यूशन में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन पहले जो सेंट्रल ग्रांट्स होती थीं, उनमें हम लोगों ने कटौती कर दी है और राज्यों को जो राशि जा रही है, वस्तुतः उसमें कमी हुई है। यह बात सही नहीं है। जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स थीं, उनमें रेशनलाइजेशन हुआ है। वह रेशनलाइजेशन आवश्यक था क्योंकि राज्यों को शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ज्यादा जा रही थी। उस रेशनलाइजेशन के बावजूद स्टेट्स को जो ट्रांसफर्स हुए हैं, उनमें बढ़ोत्तरी हुई है। मेरे पास फिगर्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ सकता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, समय कम है।

[अनुवाद]

श्री आर.के. सिंह: ठीक है महोदय, लेकिन अगर कोई इसे देखना चाहता है, तो मैं इसे आपको दिखाऊंगा। मेरे पास यह आंकड़े हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं आदि के तहत अंतरणों को युक्तिसंगत बनाने के बावज़ूद, न्यागमन के पश्चात् राज्यों को किए गए कुल अंतरणों में वृद्धि हुई है। [हिन्दी] यह भी कहा गया है कि सेसेज की संख्या बढ़ा दी गयी है। [अनुवाद] हमने 13 उपकरों को समाप्त कर दिया है। हमने नए उपकर लगाए हैं। [हिन्दी] कृषि कल्याण सेस आवश्यक था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनवेस्टमेंट के लिए सेस आवश्यक था। ये चीजें आवश्यक थीं, इसलिए हमने इनको लगाया है, लेकिन बाई एंड लार्ज हम लोगों ने सेसेज को भी रेशनलाइज किया है।

[अनुवाद]

कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि बिना किसी संशय के बजट और वित्त विधेयक की सराहना की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम खुश हो सकते हैं। हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं और विकास कार्य केवल तभी आगे बढ़ पाएगा यदि हमें उस ओर के हमारे मित्रों से भी कुछ समर्थन मिलेगा।

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक, 2016 के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान सरकार ने माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की इकोनोमी को एक परिवर्तन की राह पर ले जाने का संकल्प लिया। अब इसमें कई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से यह सरकार ने युवाओं, खेत-खलिहानों, मजदूरों-किसानों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया है। यह विश्वास ही इस बात का द्योतक है कि हमारी ग्रोथ रेट आज काफी अच्छी स्थिति में है, देश की इकोनोमी मजबूत हुई है। इस परिवर्तन के साथ, जहां एक तरफ ग्रोथ रेट बढ़ी है, दूसरी तरफ खेत-खलिहान, किसान-मजदूर, जो लम्बे दिनों से विषमता के शिकार थे, एक बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर जो बजट बनाया जाता था, उसमें खेत-खलिहान, किसान-मजदूर मुख्य केन्द्र के बिन्दु नहीं थे।

इसलिए निश्चित तौर से आज चाहे जन-धन योजना हो या मुद्रा बैंक हो या ऐसे सवालों हों जो किसानों के हित में जैसे फसल बीमा योजना का बहुत दिनों से संकल्प था, उसे इस सरकार ने पूरा किया। आज जो परिस्थिति बनी है, उसमें हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि एक तरफ जहां संकल्प है कि हम लोगों को स्किल करें, मजबूत करें, वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों के प्रति सरकार का सामाजिक दायित्व है, उसके प्रति सरकार संवेदनशील है और एक बड़ा फैसला ऐसे लोगों के लिए जो आज तक कभी कल्पना नहीं करते थे कि हम आधुनिक सुविधाओं से महरूम ही रहेंगे, उसके नजदीक आएंगे तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एल.पी.जी. की सुविधा ऐसे घरों को उपलब्ध कराने का संकल्प सरकार ने लिया है और पांच करोड़ वैसे लोग जो जीवन में कभी गैस सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखते थे, इस सरकार का एक क्रांतिकारी फैसला है। आज यह स्वीकार किया गया है कि खेत-खलिहान गांव में रहने वालों के लिए यह सरकार कृतसंकल्पित है।

माननीय सांसद शैलेश जी भागलपुर के सांसद सदन से चले गए हैं, वे कह रहे थे कि सरकार खेत-खलिहानों और किसानों के प्रति सजग नहीं है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहूंगा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार किसानों के लिए चिंतनशील है दूसरी तरफ बिहार में यह इतिहास में पहली बार घटना हुई है कि किसानों का पैसा आज तक बिहार सरकार रखे हुए है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना

चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री और केंद्र सरकार किसानों के लिए जो खरीद का प्रबंधन होता है उसमें सीधे-सीधे एफ.सी.आई. को इनवॉल्व करना चाहिए। किसानों को इससे सीधा लाभ होगा।

महोदय, यूरिया खाद में जो घोटाला होता था, नीम कोटेड खाद देने के बाद जो इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग थे, उन पर अंकुश लगा है। एक तरफ जहां सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम सरकार के इस क्रांतिकारी कदम का अभिनंदन करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, वित्त विधेयक पर हो रही चर्चा के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) में संशोधन का प्रस्ताव क्यों किया जा रहा है। यह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले, जो बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों दलों के खिलाफ आया था, के असर को खत्म करने के लिए इस सरकार द्वारा चतुराई से किया गया एक उपाय है क्योंकि उन्होंने विदेशी कंपनियों से दान लिया है। बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है लेकिन उसने कोई रोक नहीं लगाई है या अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से इसकी जांच करने और इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा है।

महोदय, यह और कुछ नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से विधान बनाए जाने के समान है। यह न्यायपालिका द्वारा कार्रवाई किए जाने से पहले कानून में भूतलक्षी प्रभाव से बदलाव किए जाने का एक महत्वपूर्ण मामला है। यह हितों के टकराव और नैसर्गिक न्याय के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण मामला है। आप सत्ता में होने के कारण एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसका 26 सितंबर, 2010 से भूतलक्षी प्रभाव होगा। आप एफ.सी.आर.ए. के उल्लंघन को वैध बना रहे हैं, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? महोदय, मैं इस पर कांग्रेस पार्टी का रुख भी जानना चाहता हूँ क्योंकि जब कोई मामला दोनों दलों के अनुकूल होता है, तो यह बात सुविधाजनक बन जाती है और जब यह अनुकूल नहीं होता है, तो यह मामला बढ़ जाता है।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। भविष्य में चीन, यू.एस., यू.के. में स्थित लाखों कंपनियां राजनीतिक दलों को धन देगी और दुर्भाग्यवश ऐसे दल बड़े दल होंगे। तो फिर छोटे दलों का क्या होगा? हमें दंडित किया जाएगा। इसलिए, मैं इस पर कांग्रेस पार्टी की राय जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इसका समर्थन कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महाबूबनगर): महोदय, अगर ऐसा एक नियम है, तो मुझे लगता है कि सभी दलों को इसे लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, यह बहुत गलत है। भूतलक्षी प्रभाव से कानून बनाना पूरी तरह से गलत है। आप गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के खिलाफ हैं, लेकिन आप कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के हितैषी हैं। आप अपने दल और कांग्रेस पार्टी के अवैध कृत्य को वैध बना रहे हैं। मैं आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही *जुगलबंदी* को जानना चाहता हूं। हम जानना चाहते हैं [हिन्दी] आप और कांग्रेस पार्टी में यह जुगलबंदी क्या है, हमें यह बता दीजिए कि जब पैसे की बात आती है तो आप दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जब इश्यू की बात आती है तो आप लोग मुखालफत करते हैं, आप दोनों मिलकर कंट्री के सामने तमाशा कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं हो रहा है।

[अनुवाद] महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट के बारे में है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ... *(व्यवधान)* [हिन्दी] आपके पास स्विस बैंक से आता होगा, मेरे पास नहीं आता। आप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेन्ट पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जायेगा।

[अनुवाद]

महोदय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट के संबंध में मेरा माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि मुसलमानों, दलितों और ओ.बी.सी. के लिए छात्रवृत्ति को मांग-आधारित बनाया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से एकत्रित किए गए आंकड़े यह दर्शाते है कि मुसलमानों और दलितों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है। यदि आप कुंडू समिति की रिपोर्ट को देखें, तो इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मुसलमानों की साक्षरता दर 70 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 74 प्रतिशत का है। हिंदुओं के संदर्भ में यह 74 प्रतिशत है। मुसलमानों की उपस्थिति दर भी सबसे कम है। शैक्षिक संस्था में पढ़ाई करने वाले 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या सबसे कम हैं। 5-14 वर्ष की आयु में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की दर सबसे कम है। प्राथमिक स्तर पर, मध्य स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि कम है। इसलिए सरकार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सभी छात्रवृत्तियों को दलितों, मुसलमानों और ओ.बी.सी. के लिए मांग-आधारित बनाया जाए।

मेरा तीसरा मुद्दा मदरसों में शिक्षा प्रदान करने की योजना के बारे में है। आपने इसे 336 करोड़ रुपये से घटाकर कर रु.120 करोड़ कर दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? आपकी सरकार चाहती है कि मदरसों में सुधार हो और आपने धनराशि कम कर दी है क्योंकि आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं

वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए आपने केवल 1.5 करोड़ रुपये की मामूली धनराशि दी है। हजारों वक्फ संपत्तियां हैं और यदि उन्हें विकसित किया जाता है, तो वे आत्मनिर्भर बनेंगी। इससे सुनिश्चित होगा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक सशक्त बन सके, लेकिन आपने इसके लिए निधियां नहीं दी है।

महोदय, अंत में, मैं नियम 219 के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। नियम 219(1) कहता है:

> "इस नियम में "वित्त विधेयक" का तात्पर्य भारत सरकार की अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए साधारणतया प्रत्येक वर्ष पुरःस्थापित विधेयक से है और उसमें किसी कालावधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने का विधेयक सम्मिलित है। ”

अब यदि आप संविधान के अनुच्छेद 110(1) को पढ़ते हैं, तो उप-खंड (क) से (छ) हैं। इस वित्त विधेयक में सरकार एफ.सी.आर.ए. और आर.बी.आई. अधिनियम में संशोधन कर रही है। यह संभव नहीं है। यदि आप एफ.सी.आर.ए. और आर.बी.आई. अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं, तो आप एक और विधान लाइए। आप संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन कर रहे हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्षपीठ इस बारे में विनिर्णय दे कि क्या धन विधेयक में वे आर.बी.आई. अधिनियम और एफ.सी.आर.ए. में संशोधन के खंड ला सकते हैं।

माननीय सभापति : आप अपने भाषण के बीच में एक दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: हां,महोदय। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। आपने मुझे अनुमति दी है।

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्षपीठ विनिर्णय दे।

माननीय सभापति : आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, मैं इसे नियम 219 के तहत उठा रहा हूं जो वित्त विधेयक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 से संबंधित है। कृपया इसे देखें। वे अनुच्छेद 110(1) के उप-खंड (क) से (छ) का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 110(1) आर.बी.आई.अधिनियम में संशोधन और एफ.सी.आर.ए.में संशोधन के बारे में बात नहीं करता है। वे इसका उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्षपीठ को विनिर्णय देने दीजिए। क्या अध्यक्षपीठ इसे प्रमाणित करती है? यह एक उल्लंघन है। सदन इस उल्लंघन की अनुमति कैसे दे सकता है?

श्री जयंत सिन्हा: महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी कल यहां उत्तर देने के लिए आएंगे और वे इस मुद्दे का जवाब देंगे। … (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, अध्यक्षपीठ को एक विनिर्णय देना होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि मंत्री जी जवाब देंगे। परन्तु, महोदय, आपको यह विनिर्णय देना होगा कि श्री ओवैसी द्वारा उठाया गया मुद्दा नियम के अनुसार सही है या नहीं। यह विनिर्णय आपको ही देना है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आर.बी.आई. और एफ.सी.आर.ए. में किए जाने वाले संशोधन शामिल है। … (*व्यवधान*) यह कैसे संभव है? … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : आप अपने भाषण के बीच व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: जी हां,महोदय। यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो मुझे इस बात को उठाने का पूरा अधिकार है। … (*व्यवधान*) इस सदन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मुझे इस मुद्दे को उठाने का पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): ओवैसी जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ तो कर दिया, लेकिन स्पीकर रूलिंग देंगे, थोड़ा वेट तो कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : कब देंगे? आप डिबेट करवाते जा रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: ओवैसी जी, अभी थोड़ी देर में दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: श्री महताब, आप मेरे समर्थन में नहीं आ रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: श्री ओवैसी, आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। ... (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, यह अनुच्छेद 110 (1) का उल्लंघन है। आप एक वित्त विधेयक में आर.बी.आई. या एफ.सी.आर.ए. में संशोधन करने का प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? आप इसे कैसे कर सकते हैं? अध्यक्षपीठ को इस मुद्दे पर विनिर्णय देने दीजिए।

माननीय सभापति : श्री ओवैसी, आपके व्यवस्था के प्रश्न को संज्ञान में ले लिया गया है। इसका उत्तर कल दिया जाएगा।

... (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, क्या चर्चा जारी रहेगी?

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में भी परिवर्तन किया जाता है तथा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वित्त विधेयक में ये चीजें नहीं की जाती हैं। किसी भी वित्त संबंधी विधान में इन चीजों को बदला जाता है। बेशक, अध्यक्षपीठ अपना विनिर्णय देंगी। मैं कहूंगा कि यह पहली बार नहीं है कि आर.बी.आई. नियम और अधिनियम भी बदले जाते रहे हैं, लेकिन एफ.सी.आर.ए. से संबंधित मेरी अपनी एक शंका है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, अध्यक्षपीठ को विनिर्णय देने दीजिए और इसके बारे में हमें कोई ऐतराज नहीं है। अध्यक्षपीठ ने कोई विनिर्णय नहीं दिया है। श्री महताब सही कह रहे हैं, लेकिन क्या अध्यक्षपीठ ने इसकी

पुष्टि की है। अब यहां हमारे पास एक अजीब मामला है जिसमें अध्यक्षपीठ ने पुष्टि नहीं की है। अध्यक्षपीठ को विनिर्णय देने दीजिए। मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, जिसका उत्तर दिया जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वित्त विधेयक में जो हुआ है वह अध्यक्ष की अनुमति और सहमति से हुआ है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: श्री ओवैसी, अध्यक्षपीठ द्वारा निश्चित रूप से विनिर्णय दिया जाएगा। आप कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनें।

माननीय सभापति: वे यहां पहले ही कह चुके हैं कि कल माननीय वित्त मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

… (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, मैंने अध्यक्षपीठ के समक्ष एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अध्यक्षपीठ को विनिर्णय देना है और वित्त मंत्री को विनिर्णय नहीं देना है।

माननीय सभापति: आप अपने भाषण को जारी रखें ।

… (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री महताब ने कहा है कि इनमें से कुछ कानूनों में परिवर्तन करना परम्परागत प्रक्रिया है जैसे कि पिछले वर्ष ही आर.बी.आई. अधिनियम में संशोधन किया गया था। एफ.सी.आर.ए. के इस विशेष प्रश्न के संबंध में मंत्री जी कल इस मुद्दे संबंध में भी पूरा उत्तर देंगे। उसके बाद, अध्यक्षपीठ द्वारा विनिर्णय दिया जा सकता है। आपको इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। … (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा इस पर विनिर्णय दिया जाना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, प्रश्न यह है कि आपको विनिर्णय देना है। वे इस पूरे वाद-विवाद के संबंध में उत्तर देंगे, विनिर्णय के संबंध में नहीं। श्री ओवैसी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आपको उस पर विनिर्णय देना होगा। अन्यथा, यदि आप मुद्दे पर चर्चा जारी रखते हैं, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

माननीय सभापति: श्री खड़गे, मैं पहले ही यह कह चुका हूं - वित्त राज्य मंत्री का उत्तर सुनने के बाद - कि कल माननीय वित्त मंत्री उत्तर देंगे।

… (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: एफ.सी.आर.ए. का दायित्व गृह मंत्री का है। यह वित्त विधेयक में कैसे आ सकता है? … (*व्यवधान*) गृह मंत्री को एफ.सी.आर.ए. में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाना होगा। इसके लिए एक सामान्य विधेयक लाना होगा। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: महोदय, अध्यक्षपीठ को विनिर्णय देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: कल विनिर्णय दिया जाएगा। … (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, फिर आप चर्चा को समाप्त कीजिए। हम कल इसे विनिर्णय के बाद जारी रखेंगे। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हाँ, ऐसा किया जा सकता है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री खड़गे, जैसा कि यहां कहा गया है, यह सामान्य बात है कि वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कई बातें सामने आती हैं। इसी प्रकार श्री ओवैसी ने भी यहां एक सवाल उठाया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: जहां तक व्यवस्था के प्रश्न के मुद्दे का संबंध है, मुझे बताया गया है कि कल इसका उत्तर दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, तो फिर चर्चा नहीं हो सकती है। अध्यक्षपीठ को विनिर्णय देने दीजिए। अध्यक्षपीठ को इसकी पुष्टि करने दीजिए।

माननीय सभापति : इसकी पुष्टि माननीय अध्यक्ष द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

… (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, मेरी असहमति इसी बात पर है कि वित्त विधेयक आर.बी.आई. अधिनियम या खंड या एफ.सी.आर.ए. में संशोधन कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसी प्रक्रिया है? यह एक गलत प्रक्रिया है। अगर इसे संवैधानिक रूप से किया जाना है तो इसे उच्च सदन में ले जाना पड़ेगा। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री ओवैसी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्री का उत्तर सुनने के बाद ही अध्यक्षपीठ अपना विनिर्णय दे सकती है। इसलिए, विनिर्णय सुरक्षित रखा जा रहा है।

… (*व्यवधान*)

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

श्री असादुद्दीन ओवैसी : धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री संतोष कुमार।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैंने श्री संतोष कुमार से अपनी बात रखने के लिए कहा है।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, आपने सभा का समय सात बजे तक बढ़ा दिया था। अब सात बज चुके हैं।

माननीय सभापति: सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, आप कल चर्चा जारी रख सकते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: यदि सभा की सहमति है, तो सभा का समय एक और घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, एक घंटे के लिए समय बढ़ा दीजिए। बहुत से स्पीकर बोलने वाले हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, हाउस में सांसद नहीं हैं, मंत्री भी नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। यह क्या है?

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री खड़गे, सदन में कतिपय मुद्दों को उठाना आप पर निर्भर करता है। आप इसे उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं क्योंकि यह आप पर निर्भर करता है। मैं आपको इस संबंध में बाध्य नहीं कर सकता।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसलिए हम कल चर्चा जारी रखेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी का यह विधेयक देश को निराशा की ओर ले जाने वाला प्रस्ताव है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सदन ऐसे चले तो क्या है?...(व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: क्या आप गणपूर्ति का मुद्दा उठा रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। अगर आप गणपूर्ति का प्रश्न उठा रहे हैं, तो यह अलग मुद्दा है क्योंकि तब और कोई चर्चा नहीं होगी।

… (*व्यवधान*)

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, कोई गणपूर्ति नहीं है।

माननीय सभापति: गणपूर्ति का मुद्दा उठाने से पहले कृपया सदस्यों की संख्या की गिनती कर लें।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता: महोदय, मैंने गिन लिया है और इसीलिए मैं यह मुद्दा उठा रहा हूँ। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

माननीय सभापति: घंटी बज रही है-

जब गणपूर्ति की घंटी बज रही है, तो कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब गणपूर्ति पूरी है। माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, यह बड़ा सीरियस मामला है। हम सब लोग यहां सदन में बैठे हैं, एक सहमति बनी है कि वित्त विधेयक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह सदस्य का अधिकार है कि कोरम का विषय उठा सकते हैं, लेकिन सदस्य का यह अधिकार नहीं है कि अपने सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिए कहे, ताकि कोरम न बने। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और इसको मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने आज इस सदन में किया कि कोरम में संख्या कम करने के लिए अपने सदस्यों को इशारा करके सदन से बाहर जाने के लिए कहा। यह लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: यह संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ है कि किसी दल के सदस्य उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : संतोष कुमार जी, बोलिये।

श्री संतोष कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी का यह विधेयक देश को निराशा की ओर ले जाने वाला प्रस्ताव है। इससे देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मैं मौजूद मन्दी को देखते हुए बजट प्रावधान उत्साहजनक होने चाहिए थे, वह नज़र नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, माननीय मंत्री मेरे दल के खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। मैं यहां बैठा हूं, मैंने सहयोग किया। वे स्वयं कई बार उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बावज़ूद भी हम सहयोग करते हैं। और वे हमारे दल और मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं! मैं इन सभी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार : महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मंदी को देखते हुए बजट प्रावधान उत्साहजनक होना चाहिए। पर, वह नज़र नहीं आ रहा है। पुरानी योजनाओं की रिपैकेजिंग हुई है। सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियों का बढ़-चढ़ कर बखान कर रही है। केवल बातों से देश की जनता के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? सरकार के एक करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? गरीब एवं निम्न आय वर्ग के सभी नागरिकों के पक्के मकान का क्या हुआ? काला धन वापस लाने की दिशा में क्या प्रगति हुई? जनता के खाते में 15 से 20 लाख रुपए कब आएंगे? महंगाई डायन पर सरकार कब चाबुक चलाएगी? आज जनता की थाली से दाल भी गायब है। क्या मज़दूरों को बोनस का पैसा मिला? सरकार यह बताए। क्या किसानों को लागत मूल्य पर 50% का लाभांश मिल रहा है? सरकार यह बताए। क्या देश में विकास की गंगा बह रही है? सरकार को यह बताना चाहिए। आप सभी वादों पर विफल रहे हैं। देश में मात्र उन्माद और असहिष्णुता आदि के मुद्दों को उछाल कर ध्यान बांटने का कार्यक्रम देश में चलाया जा रहा है।

महोदय, मैं अति पिछड़ा राज्य बिहार से आता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी बिहार की जनता से क्या-क्या वायदा किए हैं, पर एक भी वादा पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग बिहार के लिए मात्र विशेष राज्य का दर्ज़ा देने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, किन्तु सरकार इस विषय पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।

आपने छोटे करदाताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उनके लिए इस बजट में आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। सर्राफा कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। पर, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। खैर, गनीमत है कि आपने ई.पी.एफ. के मुद्दे पर अपने हाथ वापस खींच लिए। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गों के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उस पर ध्यान देना चाहिए।

आप बजट के माध्यम से कहते हैं - 'सरकार चली गांव की ओर।' पर, वहीं ग्रामीण भारत में जो निवास करते हैं, वे भूखे हैं। उनकी सुध कहां ली जा रही है? देश की आबादी का 85% गांवों में निवास करता है। क्या बजट प्रावधान उनकी जनसंख्या को आधार मान कर बनाया गया है? सरकार तो सिर्फ अपना खजाना भरने का इंतज़ाम कर रही है।

कच्चा तेल पन्द्रह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। किन्तु, घटे हुए दर पर पेट्रोल, डीज़ल जनता को नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार दिनोंदिन अपना टैक्स बढ़ा कर खजाना भर रही है। सभी वस्तुओं पर नए-नए कर लगाए जा रहे हैं। जनता पिसती रहे और सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है।

आप जी.एस.टी. पर मौन धारण किए हुए हैं। इसे सरकार को लाना चाहिए। सिर्फ विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बैंकों का एन.पी.ए. चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह अनुमान है कि कुछ दिनों में यह आठ लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आपके बैंक दिवालिया हो रहे हैं। किन्तु, बड़े-बड़े उद्योगपति जनता की गाढ़ी कमाई पर मौज कर रहे हैं। सरकार कर्ज वसूली पर गंभीर क्यों नहीं है? क्या आपने काला धन पर माफी योजना लाई है? कितना काला धन वापस आया है? क्या सरकार यह देश की जनता को बता सकती है? पनामा मामले पर सरकार एक श्वेत-पत्र लाए, यह मेरी मांग है।

देश को गति देने की कोशिश होनी चाहिए। जी.एस.टी. बिल अविलम्ब लाया जाए। सोने पर लगा आधिभार वापस लिया जाए। कच्चे तेल के घटे हुए दाम के अनुरूप पेट्रोल-डीज़ल जनता को मिले। बिहार के साथ न्याय किया जाए और उसे विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया जाए। अगर सरकार सही मायने में सबका विकास चाहती है तो इन बातों पर उसे अमल करना होगा कि किसानों की दशा को सुधारे बिना 'अच्छे दिन' जनता को नहीं मिलेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, 'अर्थम् अनर्थम् या यदि वाचालम्', अर्थ हमेशा अनर्थ को जन्म देता है, यदि वह डीसेंट्रलाइज न हो तो। एक तरफ किसानों की जमीनों पर सीलिंग और दूसरी तरफ शहरी संपत्ति, वेल्थ पर कोई सीलिंग नहीं। एक तरफ अर्थ का विकेन्द्रीकरण और दूसरी तरफ अर्थ का केन्द्रीकरण।

मै आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत कहां है? आप भी जानते हैं। मानव विकास सूचकांक में दुनिया के कुल 187 देशों में भारत की स्थिति 130वीं है। पर-कैपिटा जी.डी.पी. में दुनिया में कुल 183 देशों में भारत की स्थिति 138वीं है। ग्लोबल कंपिटीटिव सूचकांक में दुनिया के 66 देशों में भारत नीचे के पायदान पर दूसरे नंबर पर है। वाल स्ट्रीट जनरल के अनुसार इकॉनामिक फ्रीडम के सूचकांक में दुनिया के 179 देशों में 124वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी सूचकांक में भी हम 78वें स्थान पर थे जो अब घट कर 88वें पायदान पर हैं। दुनिया के देशों में शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति 89वाँ है, दुनिया के देशों में गवर्नेंस के मामले में भारत की स्थिति 41वीं है। दुनिया के देशों में हेल्थ के मामले में भारत की स्थिति 95वीं है। दुनिया के देशों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में भारत की स्थिति 78वीं है। दुनिया के देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति 74वीं है। दुनिया के देशों में इंटरप्रिन्योरशिप और ऑपर्चुनिटी के मामले में भारत की स्थिति 93वीं है। भारत में एक व्यक्ति औसतन 4.4 वर्ष स्कूल जाता है, जबकि दुनिया में इसका औसत 7.4 वर्ष है। जिम्बाबवे, पाकिस्तान, इथियोपिया और नाइजीरिया से भी यह देश पीछे है। 74 फीसदी दलित लड़के और 71 फीसदी लड़कियां कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक जाते-जाते स्कूल छोड़ देती हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना में जहां 23 फीसदी लोग बेरोजगार थे, वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 28 फीसदी हो गए। अगले साल, 2017 तक भारत देश में स्लम ड्वैलर्स की संख्या दस करोड़ पार कर जाएगी। सन् 1981 में इनकी संख्या मात्र ढाई करोड़ थी।

न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, क्रय शक्ति बढ़ते जाना, उत्तम अर्थनैतिक संरचना को चरितार्थ करने के लिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। आर.बी.आई. गवर्नर रघुराम राजन ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि पिछले पांच सालों में 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपए का लोन कारपोरेट घरानों को माफ किया गया। यह रकम बैड डेब्ट और नॉन परफार्मिंग एसेट यानी एन.पी.ए. से अलग है। ये एक लाख एकसठ हजार करोड़

रुपए का ऋण बकाया माफ किया गया कारपोरेट हाउस को, यह हम नहीं कह रहे हैं। इतना पैसा यदि आप कृषि, एजुकेशन क्षेत्र में लगा दिए होते, तो बहुत कुछ हो जाता। ...(व्यवधान)

हुजूर अभी एक मिनट हुआ है। वित्त मंत्री जी, भारत के 26 करोड़ लोग खेती करते हैं। जिसमें 20 से 21 करोड़ लोग बटाईदार हैं, असल भूमि मालिक कितने हैं इस हिंदुस्तान में? कृषि पर आधारित 65 से 70 करोड़ हैं। 26 करोड़ खेती करते हैं, बाकी 40 से 45 करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजूदर को हिंदुस्तान के बजट में आप किसके भरोसे छोड़ चुके हैं? हमारी अर्थव्यवस्था इन 40-50 करोड़ लोगों के लिए क्या कहती है?

आपकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना का बजट घटा दिया। 2015-16 वित्त वर्ष में 635 करोड़ रुपए की कटौती की गई। आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समेकित बाल विकास योजना, आई.सी.डी.एस. के बजट में 9,859 करोड़ रुपए की भारी कटौती की गई। अंग्रेजी अखबार दि इकानामिक टाइम्स ने यह खबर लिखी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना में 8390 करोड़ रुपये घटा दिए, सर्वशिक्षा अभियान के बजट में भारी कटौती की गई, 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, पिछले साल 9193.75 करोड़ रुपये का बजट था। वर्ष 2014-15 में आपने 20 फीसदी की कटौती की। मैं जानना चाहता हूं कि 31640 करोड़ रुपये के प.ज.ह. में 6000 करोड़ रूपये की कमी की। ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप कृषि को खेती का दर्जा नहीं देंगे, आप एजुकेशन और हेल्थ को कम्पलसरी नहीं करेंगे,...(व्यवधान) जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए कम्पलसरी एजुकेशन फ्री के साथ, उनके हेल्थ के लिए कैंसर, टी.बी. ट्यूमर और किडनी की जो बीमारी है, आप बजट में उसे फ्री करेंगे तो इस देश में जो मजदूर और किसान हैं उनको लाभ होगा। हिन्दुस्तान की तरक्की के लिए हेल्थ और बजट का केंद्रीयकरण होना आवश्यक है। परचेजिंग पावर की स्थिति न हो...(व्यवधान) क्योंकि मजदूर पर जो संकट है, आपकी उन पर कृपा होनी चाहिए। पूंजीपति पर सबसे ज्यादा आपकी कृपा बनी है, उसको बंद करके मजदूरों पर कृपा करें।...([अनुवाद] व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गजेन्द्र सिंह जी, आप अपनी बात कहें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू। [वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनी। मुझसे पहले अनेक लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में थी। जिस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय पूरा विश्व गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अनेक लोगों ने भी इस बात की चर्चा की कि जब देश में मोदी जी की सरकार बनी उस समय विश्व के किन-किन देशों में किस-किस तरह से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2015 में जब पहला बजट प्रस्तुत किया, तब जो समय की आवश्यकता थी, जो समय की मांग थी, उस समय की मान और मर्यादा का ध्यान रखते हुए, जो भारत की अर्थव्यवस्था, अधोगति की ओर जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, पतन की तरफ जा रही थी, उसको वापस उर्धगति की तरफ किस तरह से ले जाया जा सकता है, इस दिशा को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए और उनके परिणाम एक साल में देश और दुनिया भर में भी देखने को मिले। जिस तरह का माहौल भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व भर में बना था, एक साल के उस बजट के प्रभाव से जिस तरह से पूरे विश्व में और देश में सकारात्मक माहौल बना, वह इस सरकार की सफलता थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब कमजोरी के रास्ते से गुजर रही हो, जब संकट के दौर से गुजर रही हो तब सरकार की यह आवश्यकता होती है, तब सरकार की यह प्राथमिकता होती है कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न आयामों को खड़ा करने के लिए उसमें अपने धन का अधिकाधिक निवेश करे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बात कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि जिस तरह भारत की सरकार ने वर्ष 2015 के बजट के बाद वर्ष 2016 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए

जिस तरह से काम शुरू किया, भारत में सड़कों के निर्माण की गति जिस तरह से बढ़ी, नेशनल हाइवेज को बनाने की गति साढ़े तीन किलोमीटर प्रतिदिन चल रही थी, उसको बढ़ा कर 18 किलोमीटर प्रतिदिन की दर पर लाया गया। रेल के पुनर्निर्माण के लिए, उसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए जिस तरह से काम किया, देश की सरकार ने पोत परिवहन के काम को बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया है, उसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक माहौल बना। देश में रोजगार की उत्पति हुई।

माननीय सभापति महोदय, देश का मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर जिस तरह से रसातल में चला गया था और निगेटिव ग्रोथ रेट के दौर से गुजर रहा था, उसको उठा कर जिस तरह से मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर को टैक्स में इंसेन्टिवाइज किया गया, जिस तरह से टैक्स में रिबेट दी गई। उसका परिणाम यह हुआ कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर वापस खड़ा होने लगा है। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खड़ा होने के कारण रोजगार में वृद्धि हुई। मेक इन इंडिया के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को खड़ा करके देश को मैनुफैक्चरिंग का हब बनाने का सपना देखा। देश का सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का वर्ग है। विश्व भर में लगातार इस बात की चर्चा की जाती है कि यह देश युवाओं का देश है, हम भी लगातार इस बात की चर्चा करते हैं। इस सदन में अनेक बार इस बात की चर्चा की गई है कि देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। यह जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, इसे मैनुफैक्चरिंग के साथ जोड़कर मेक इन इंडिया को स्ट्रैन्दैन करने के लिए देश में स्किल इंडिया कार्यक्रम माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रारंभ किया और देश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया। उसके कारण देश में जिस तरह सकारात्मक आर्थिक माहौल बना है, मैं उसके लिए देश की सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के हितों को गिरवी रखने की परम्परा इस देश में लगातार कितने सालों से चल रही है। इसे अब तोड़ने का समय आ गया है, तोड़ने की आवश्यकता है। केवल अपने राजनीतिक हितों के कारण जीएसटी को रोक कर रखा गया है। जो इस देश को एक समग्र रूप में, एक बाजार के रूप में परिवर्तित और परिवर्धित कर सकता है, केवल उस एक जी.एस.टी. को लाने से देश की अर्थव्यवस्था, देश की जी.डी.पी. लगभग डेढ़ से दो प्रतिशत बढ़ सकती है। सरकार ने जिस

तरह जी.एस.टी. को लाने का काम किया, उसे रोकने के लिए अपने राजनीतिक हितों और प्रतिबद्धताओं को साधने के साथ-साथ देश के हितों के साथ समझौता करने का काम किया। यह निश्चित रूप से निंदनीय है, इसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है।

ऐसा लगातार कहा जाता है कि इस देश की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास के बिना, किसानों के विकास के बिना खेती पर काम करने वाले, खेती पर निर्भरता रखने वाले लोगों का विकास किए बिना इस देश का विकास करने की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के किसानों के बारे में हमेशा बात की गई, 70 साल तक हमेशा देश के किसानों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन यदि किसी सरकार ने अपने बजट को किसानों और गांवों के विकास को समर्पित किया है तो वह माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने 2 लाख 67 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश इस क्षेत्र में करने का निर्णय किया है। वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ...(व्यवधान) मैं इसके लिए सरकार को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लागू की गई किसानों की योजनाएं, उनके खेत में सिंचाई पहुंचाने की योजनाएं, जिस तरह नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की कालाबाजारी को रोक कर उन्होंने यूरिया की एवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है, देश के किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए एक नई अम्ब्रैला पॉलिसी लागू करके किसानों के बच्चों के भविष्य को जिस तरह सुरक्षित किया है, जब कभी देश के गांवों का इतिहास लिखा जाएगा, किसानों का इतिहास लिखा जाएगा, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष का बजट गांवों के विकास का बजट है। यह बजट स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति जी, वित्त मंत्री जी जो फाइनेंस बिल लाए हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से टैक्स सिमप्लीफिकेशन में स्मॉल टैक्सपेयर्स को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, एफोर्डेबल हाउसेज की व्यवस्था की गई है। स्मॉल टैक्सपेयर्स को टैक्स में जो रिलीफ दिया गया है, उससे अच्छा मैसेज गया है, विशेष तौर पर गांव, गरीब और कृषि को प्राथमिकता दी गई है। शायद पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें गांवों का ध्यान रखा गया, गरीब का ध्यान रखा गया और कृषि को प्राथमिकता दी गई।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। चर्चा में बहुत बार बात आती है कि इम्प्लॉयमैंट जेनरेशन की चिन्ता है, जरूरत भी है। लेकिन ज्यादातर सोचा जा रहा है कि उद्योगीकरण से ही इम्प्लॉयमैंट में बढ़ावा आ सकता है। मैं समझता हूं कि इम्प्लॉयमैंट को बढ़ावा देने के लिए जब तक हम परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, विशेष तौर पर कृषि को बढ़ावा नहीं देंगे, जितने मर्जी उद्योग लगा लें, अनइम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो पाएगी।

70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं जब तक उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलेगी तब तक मूल समस्या का सोल्यूशन कैसे हो सकता है? कृषि को प्रोफिटेबल बनाने के लिए सरकार को एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने बनाई है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री सोचते हैं कि कृषि में लागत कम से कम होना चाहिए, ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। सिंचाई को बुनियादी ढांचे में लेना चाहिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर में लेना चाहिए, सिंचाई पर ज्यादा जोर होना चाहिए कि कैसे सस्ती सिंचाई हो सके। बजट में 5 लाख तालाब खुदाई करने की बात की गई है, प्रैक्टिकल तौर पर यह कैसे होगा यह बात अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे भलाई का काम यह होगा कि बारिश के पानी 70% वेस्टेज होता है और धरती से 80% पानी नीचे निकाल कर फसल उपजाते हैं। अगर बारिश के पानी को संभाला जाए, मुझे दुख होता है जब हम अखबारों में पढते हैं कि कुल जल भंडार में केवल 22% पानी है। यह सभी के चिंता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तालाब खुदाई करने की बात की है इसके लिए और पैसे देने की जरूरत है। छोटे डैम और चैक डेम नदियों के हैं उससे पानी रोका जा सकता है। यह दुख की बात है कि दूसरे डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट है, वह खुदाई नहीं करने देते और माइनिंग वाले भी खुदाई नहीं करने देते, डिसनेंटिंग नहीं होने देते, डिसेन्टिंग के लिए सिंचाई मंत्रालय के पास पैसा नहीं है, इसके

लिए अलग फंड रखने होंगे। स्कीमें तो बन गई हैं लेकिन उनमें प्रैक्टिकल प्रोबल्म आ रही है, इन सब चीजों के लिए एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। कृषि को प्रोफिटेबल बनाने के लिए उपाय बहुत किए गए हैं। चेयरमैन साहब मैं तो कोरम पूरा करने के लिए घर से भाग कर आया हूं।

चेयरमैन सर, कृषि के लिए जितने उपाय कर लिए जाएं, जब तक हम वन टाइम सैटेलमेंट करके किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, डेड बॉडी को जितनी मर्जी इलाज कर लें, उसको जीवित करना होगा, आज किसानों की ऐसी हालत है। माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का स्लोगन है जिसमें कम से कम कॉस्ट करने की बात है उसके लिए मेरी कांस्टीट्यूएंसी एन.एफ.एल. का जुट नांगल में है।

मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि 1100 करोड़ रुपये की ड्यूटी चाहिए तब 6000 करोड़ रुपये का जूट होगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर यूरिया इम्पोर्ट करता है इससे वहां प्रोडक्ट जेनरेशन होगा और इम्पलायमेंट भी होगी। 1100 करोड़ में से 250 करोड़ रुपये बैंक गारंटी देने से काम चल सकता है। उससे चार प्रदेशों के लिए कृषि के लिए सस्ते रेट पर यूरिया मिल सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं पहले यह इंडस्ट्री में चला जाता था। खड़गे जी कहते हैं कि किसान आज खुदकुशी के रास्ते पर जा रहा है। यूरिया किसानों को ब्लैक में मिलता था। माननीय पासवान जी बैठे हैं, एफ.सी.आई. और पंजाब सरकार में गलतफहमी थी, सुबह इन्होंने कह दिया कि वहां गेहूं का स्कैंडल हो गया, कोई स्कैंडल नहीं हुआ, गलतफहमी से 12000 करोड़ रुपये का मामला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे सॉल्व कर दिया। ऐसी गलत अफवाह फैलाने के लिए पहले कांग्रेस वाले बहुत थे, अब एक और आ गए हैं उन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब को तबाह कर दिया। ऐसी गलत बात करते हैं। देश के अनाज भंडार में पंजाब सबसे ज्यादा हिस्सा का है पंजाब को बदनाम करते और पंजाब का खाते हैं।

[अनुवाद]

श्री अभिजित मुखर्जी (जंगीपुर): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक 2016 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है और वर्ष 2015 में इसकी वृद्धि दर मात्र 3.1 प्रतिशत रही है।। निश्चित रूप से इसका निर्यात क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। व्यापार संतुलन में अंतर बढ़ रहा है। सरकार के वृहद आर्थिक नीति ढांचे के विवरण में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात और आयात दोनों में 6.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इस सचेत करने वाले संकेत के बावज़ूद, सरकार ने निर्यात क्षेत्र की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं।

पिछली सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किया था कि हर भारतीय को कम से कम 100 दिन का काम मिलना सुनिश्चित हो सके। इसमें वास्तव में उन लोगों की रोजगार जरूरतों का ध्यान रखा गया थ जो कम कुशल या अकुशल श्रमिक हैं।

पिछले दो बजटों में इस सरकार ने मुख्य रूप से उद्योग प्रोत्साहनों, कराधान लाभों आदि के माध्यम से सभी प्रकार से कॉर्पोरेट्स और बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि आम जनता की कोई परवाह नहीं की है। इतना ही नहीं, पिछली सरकार की उत्कृष्ट सफल योजना, मनरेगा, की हर प्रकार से आलोचना की गई। इस बजट में सरकार ने इस योजना, मनरेगा के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि आम लोगों को रोजगार देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार का दृष्टकोण बदला है।

लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने के संबंध में नगण्य वृद्धि है लेकिन सरकार इस समय लोगों के हित मे कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। कम कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावनाएँ बहुत कम हैं। प्रशिक्षण केंद्र पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और सरकार ने कुशल लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण इस सरकार को जो ईश्वर प्रदत्त अवसर मिला था, उसका आम जनता के लिए पूरा उपयोग नहीं किया गया। इस बचत का लाभ आदर्श रूप से उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय, इसका उपयोग बड़े कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देकर सब्सिडी देने के लिए किया गया।

यह अजीब बात है कि यह सरकार कॉरपोरेट घरानों को करों में छूट देकर या उनसे कम दरों पर कर लेकर लाभ पहुंचाती है, जबकि गरीबों की सब्सिडी को लाभार्थियों, यानी आम जनता को दी जाने वाली अनुचित रियायत बताकर उनसे पैसे ऐंठने में लगी रहती है।

चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। महोदय, आप जानते होंगे कि केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 55,000 लोग रत्न और आभूषण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस हड़ताल के कारण उन्हें काम से हटा दिया जा रहा है। इस हड़ताल का मूल कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में दस प्रतिशत शुल्क लगाया जाना है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 2012 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह टैक्स लगाया था, तो इन्हीं भाजपा सदस्यों ने, जो अब मंत्री हैं, इसका विरोध किया था और इसे वापस ले लिया गया था। कम-से-कम, इस विशेष मामले के संबंध में, मैं मंत्री जी से इस कर को वापस लेने का अनुरोध करता हूँ। यह बहुत सारे कारीगरों को बचाएगा जो अपने-अपने क्षेत्रों में उद्यमी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

एक और मुद्दा है जो कि इस वित्त विधेयक से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जंगीपुर में 5.5 लाख से अधिक बीड़ी श्रमिकों को प्रभावित कर रहा है। यह कार्य ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जा रहा हैं और वे दलित परिवारों से हैं। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से हैं। उनके पास बीड़ी बनाने के अलावा कोई अन्य कौशल नहीं है। क्योंकि अब बीड़ी के बंडल के कवर पर 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी दी जानी है, जिसके कारण वे इसे बेच नहीं पा रहे हैं। चूंकि यह एक लघु कुटीर उद्योग है, इसलिए इसमें कोई बड़ी औद्योगिक स्थापना संलग्न नहीं है तथा विनिर्माण का कार्य गांव स्तर पर तथा छोटी इकाइयों द्वारा किया जा रहा है, उन्हें लाभ देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संबंधित मंत्री को इस बारे में जानकारी

दी जाए कि इसे विकसित देशों जैसे यू.के. तथा यू.एस.ए. में कवर के 50 प्रतिशत हिस्से पर दी जा रही सचित्र चेतावनी के रूप में बदला जाए। वहां पर इस तरह की चित्रात्मक चेतावनी नहीं दी जाती है। धूम्रपान या सिगरेट पीना या नहीं पीना किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है क्योंकि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः इस बात को उनके विवेक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि गंगा नदी मेरी निर्वाचन क्षेत्र, जंगीपुर, से होकर बहती है। चूंकि राष्ट्रीय जल राजमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है, इसलिए कोयला और अन्य सामग्री ले जाने वाले बहुत सारे बजरे और छोटे स्टीमर भी इससे होकर गुजर रहे हैं। उस प्रक्रिया में, दोनों किनारों को पाटा जा रहा है। इसके लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि तटबंधों को संरक्षित किया जा सके। इसलिए, आपके माध्यम से, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस कार्य को किए जाने का अनुरोध करता हूं। कृपया इस पर ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल 2016-17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, मैं हैरान हूं कि अकाली दल के सांसद ने भी बहुत अच्छी तरह से इस बजट को कृषि बजट बोलने का काम किया। यहां डेटा आया कि 35,984 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर और वेल्फेयर ऑफ फार्मर्स में दिया गया।

सभापति महोदय, चौधरी देवी लाल जी एक बात कहा करते थे कि --लोक राज लोक लाज से चलता है। मगर इस सदन में जिस तरह के वाक्य हमें बारी-बारी सुनने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि लोक राज आजकल बिजनेस राज से ज्यादा चलता है। आज चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बड़े-बड़े पूंजीपतियों का एन.पी.ए. पड़ा है। आज उन्हें रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। उनकी अखबारों में फोटो ही नहीं आतीं, बल्कि लोग पैसा लेकर विदेशों में भाग जाते हैं। हमारी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन अगर किसान दस हजार रुपये का लोन वापस न करें, तो हमारे बैंक्स उनकी फोटो अखबार में छाप देते हैं।

सभापति महोदय, पिछले दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक वाकया सामने आया। वहां ट्रैक्टर का लोन न पैमेंट करने की वजह से किसान को पीटा गया। किसान ने सुसाइड कर लिया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार किसान के बारे में इतना सोचती है तो क्या आने वाले समय में या इस फाइनेंशियल बिल के तहत किसानों के कर्जे माफी या फिर कर्जों को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए वह कोई कदम उठाने जा रही है?

सभापति महोदय, सरकार ने कहा कि 28.5 लाख हैक्टेयर भूमि को इरीगेट किया जायेगा। हम हर साल नाबार्ड और प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर साल पैसा देते हैं, मगर जब तक आप इंटर लिंकेज ऑफ रिवर नहीं करेंगे, तब तक आप किस तरीके से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे? मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक जिला हिसार पड़ता है। हमने उसका ऐस्टीमेट बनवाया कि अगर हर खेत तक पहुंचाना पड़ेगा तो कितने पैसे लगेंगे? मुझे पता लगा कि 630 करोड़ रुपये एक जिले के लिए चाहिए। अगर हम प्रत्येक जिले की बात करें, तो किस तरीके से आप प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे? मैं उम्मीद रखूंगा कि मंत्री जी अपने रिप्लाई में इसका भी जवाब देंगे।

सभापति महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात है, तो यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब मैं स्पीच दे रहा हूं तो तेरह-तेरह मंत्री आज सदन में मौजूद हैं। ...(व्यवधान) आपने 55 सौ करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के तहत दे दिया। यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आपने इसमें एक लेकुना छोड़ने का काम किया है। वह लेकुना यह है कि पेस्ट या किसी और इन्सेक्ट की वजह से अगर फसल का नुकसान होता है तो आपकी इतनी बड़ी महान योजना उस किसान के लॉस की भरपाई करने का काम नहीं करती। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसमें अमेंडमैंट करेंगे कि जिन किसानों को पेस्ट कंट्रोल की वजह से नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी पूरी तरह से होगी।

सभापति महोदय, रूरल सेक्टर के अंदर 87,765 करोड़ रुपया दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत बहुत अच्छा प्रयास सड़क परिवहन मंत्री का चल रहा है जिसके तहत रूरल डेवलपमैंट के साथ मिलकर मैजोरिटी, मेरे जैसे प्रदेश में जहां प्रत्येक गांव तक सड़क जाती है, वहां भी छः क्रम की सड़क को बारह क्रम की किया जा रहा है, यानी उसे बढ़ाया जा रहा है। मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि कई ऐसी मंडियां हैं, जो आज भी किसान के खेत के साथ कनैक्टिड नहीं हैं। आप आने वाले समय में उसे भी कनैक्ट करने का काम करें।

जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपने हेल्थ सेक्टर की बात कही, आपने कहा कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुलेंगे। मैंने स्वयं माननीय मंत्री जी और प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखी हैं। हरियाणा प्रदेश में एक भी केंद्र शुरु नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी डायरेक्शन प्रदेश सरकार को देंगे ताकि इस योजना का लाभ मिल सके।

मैं युवा हूं इसलिए शिक्षा की बात जरूर कहूंगा। सरकार ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट अप करने के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास है। 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। यहां एच.आर.डी. मिनिस्टर बैठे हैं, मैं इनसे भी बात कर रहा था कि अब कम्पीटिशन है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या इस साल का फाइनेंशियल बजट इस तरफ फोकस करता है ताकि सरकारी स्कूलों को मजबूत बना पाएं और हमारे वित्त मंत्री जैसे युवाओं को विदेश

में शिक्षा ग्रहण न करनी पड़े। हम कब सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत कर पाएंगे? मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं।

मैं अंत में कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे - सबका साथ, सबका विकास। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में सी.सी.आई. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की फैक्ट्री थी, इसे बंद कर दिया गया है। उसकी जमीन को शायद एन.बी.सी. को दिया जाएगा ताकि बिल्डिंग बनाने का काम हो सके। एच.एम.टी. पिंजौर में ट्रैक्टर बनते थे। इस देश के सबसे सस्ते और मजबूत ट्रैक्टर बनते थे, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। यह सबका साथ, सबका विकास नहीं है। आपको इस तरफ सोचना होगा और हरियाणा में इंडस्ट्रलाइजेशन के लाना पड़ेगा।

इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम): माननीय सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आज हम वास्तव में कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका सामना हमारा देश कर रहा है।

हम वास्तव में ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे सामने निश्चित रूप से आर्थिक बाधाएं हैं; हमारा निर्यात घटता जा रहा है। हमारे पास अतीत के बड़े प्रणालीगत मुद्दे और विफलताएं हैं - बैंकों की अनर्जक आस्तियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। विदेशों के बाजारों में जो हो रहा है, उस कारण भी हम संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमारा देश कुछ हद तक 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यदि इससे कर संग्रहण में बढ़ोतरी होती है तो हमें उन सभी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम हो पाएंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि यदि हम सभी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना करते हैं तो आज भी बैंकों की अनर्जक आस्तियां भारत में सबसे ज्यादा हैं । इसे एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिसे हमने एक अखबार में पढ़ा था । ये अनर्जक आस्तियां हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला बना रही है। हमें जल्द से जल्द इसका समाधान करना होगा। कई सहयोगियों ने इसकी ओर संकेत किया है - कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं और हम किस तरह के जवाबदेही के संबंध में उपाय कर सकते हैं।

महोदय, मैं वास्तव में इस बारे में बात करना चाहूंगा कि सरकार ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए *कृषि कल्याण* उपकर, अवसंरचना उपकर और *स्वच्छ भारत* उपकर लगाया है। लेकिन क्या यह धन संग्रहण का सही तरीका है? 3,000 करोड़ या 5,000 करोड़ रुपये का यह संग्रह, शायद, प्रशासनिक बोझ बढ़ाता है, तथा इससे हमें इस सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अद्भुत सार्वजनिक नीतिगत पहलों के लिए पर्याप्त धन नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भविष्य में हमें उपकर नहीं लगाना चाहिए बल्कि हमारे देश की कर संग्रह की पूरी प्रणाली पर पुनः विचार करना चाहिए। यह बेहतर होगा क्योंकि पहले से ही बहुत से लोगों ने यह

कहा है कि अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर एक छोटा घटक है। अप्रत्यक्ष कर, जो लगभग 60 प्रतिशत हैं, वास्तव में कई उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वे विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

यहां इस बात का उल्लेख किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र से असम के अलावा सिक्किम वास्तव में इस संबंध में सबसे अधिक धनराशि का योगदान करने वाला राज्य है। मैं समझता हूं कि यहां उपस्थित वित्त मंत्री सिक्किम के योगदान को समझते हैं। यह तथ्य सार्वजनिक किए गए कर संबंधी आंकड़ों से सामने आया है। मैं सिर्फ इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि भले ही सिक्किम जैसे राज्य बेहतर कार्यनिष्पादन कर रहे हैं, फिर भी हमें दंडित किया जाता है। हमें बिना किसी गलती के दंडित किया जाता है जब कि हमारा राज्य बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाला राज्य हैं।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रेम दास राय: महोदय, कृपया मुझे केवल एक मिनट का समय दें। मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा।

महोदय, वर्तमान समय में हम सिक्किम में वित्तपोषण के संकट से गुजर रहे हैं। चूंकि हमारा राज्य बेहतर कार्यनिष्पादन कर रहा हैं, इसलिए एन.एल.सी.पी.आर. आबंटन वास्तव में लगभग छह प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विसंगति को दूर किया जाए ताकि भविष्य में हमें अपना उचित हिस्सा मिल सके।

अंत में, उत्तर पूर्व के संबंध में हम एक्ट ईस्ट के बारे में बहुत बात करते हैं। लेकिन जब तक हम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के लिए आबंटन में वृद्धि नहीं करते हैं, तब तक यह धारणा बनी रहेगी कि सरकार एक्ट ईस्ट के संबंध में कुछ नहीं कर रही है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बातें रखने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। यूपीए-2 में 3 किलोमीटर हाईवे रोज़ बन रहे थे लेकिन आज के समय 18 किलोमीटर हाईवे रोज़ बन रहे हैं और छह महीने बाद 30 किलोमीटर रोज़ हाईवे बनाने का टार्गेट रखा गया है। हम लोगों ने पावर के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हर गांव को, हर घर को वर्ष 2018 तक का संकल्प किया है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है। विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है फिर भी हमारी जी.डी.पी. बहुत अच्छी है। पहले सैंसेक्स 18000-19000 हुआ करता था लेकिन आज 25000 से 30000 के बीच है। एफ.डी.आई. काफी इंक्रीज हुई है। डिफेंस के क्षेत्र में बजट में काफी ध्यान दिया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पानी आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। पानी में फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से गांवों के लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी में आयरन का कंटेंट है और आर्सेनिक है। आज अध्यक्ष महोदया ने सेमिनार रखा था, उसमें पानी के बारे में काफी बातें सामने आई हैं। वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांवों में स्वच्छ पीने के पानी के लिए ज्यादा प्रावधान किए जाएं। देश में करीब 50 लाख परिवार स्लम में रहते हैं। उन्हें फ्री हाउस देने के लिए कानून में अगर बिल्डर्स को सहूलियत दी जाती है तो इन परिवारों को फ्री आफ कॉस्ट मकान मिलेगा और सरकार को उसमें एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह स्कीम महाराष्ट्र में चल रही है और करीब दो लाख मकान फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को मिल चुके हैं और दो लाख मकान और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। पूरे देश में अगर इस योजना को चलाया जाए तो सरकार का एक रुपया भी इस योजना में नहीं लगेगा बल्कि बीस, पच्चीस या पचास हजार रुपया उनके नाम पर डिपॉजिट किया जाता है और उसके ब्याज से उन गरीब लोगों का बिजली आदि का बिल भरा जाता है।

महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस देश में 50 लाख परिवार स्लम में रहते हैं। उनको फ्री हाऊसिंग प्रोवाइड कराने के लिए 80 आई.बी. के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स को सहूलियत दी जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मकान मिलेगा। सरकार को एक

रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। यह स्कीम महाराष्ट्र में चल रही है। गरीबों को करीब दो लाख मकान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुके हैं और लगभग इतने ही मकान अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अगर इस योजना को पूरे देश में चलाया जाए, तो गरीबों को मुफ्त में मकान मिल सकता है। 20-25 या 50 हजार रुपये मकान आवंटी के नाम से डिपॉजिट किया जाता है और उसके ब्याज से उनके मकान का बिजली का बिल वगैरह भरा जाता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतना सीमित समय दिया है कि मैं आंकड़ों में न जाकर केवल इतना बताना चाहूँगा कि इस देश में केन्द्र में बहुत-सी सरकारें बनीं। हर सरकार के बनने का एक रीजन था। लेकिन मैं दो सरकारों की बात को आपके सामने रखता हूँ। वर्ष 1971 के पहले श्रीमती गांधी ने प्रिवी पर्स समाप्त किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और गरीबी हटाओं का नारा लगाकर बहुत पॉपुलैरिटी के साथ इस देश की सरकार में आयीं। लेकिन, गरीबों को क्या मिला? जैसे बाढ़ राहत में गरीबों को हेलीकॉप्टर से खाना फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से केवल टुकड़े फेंके गये। इस बीच में बहुत-सी सरकारें आयीं। किसी ने क्रिया-प्रतिक्रिया, सहानुभूति आदि व्यक्त किए, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। इसके बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार आयी, जिसके अगुवा माननीय नरेन्द्र मोदी जी थे और इनके नेतृत्व में सरकार बनी। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने वहाँ नारा दिया था- "सौनो साथ, सौनो विकास " अर्थात "सबका साथ, सबका विकास " । उन्होंने 12-13 वर्षों में गुजरात को देश और दुनिया का अग्रणी राज्य बनाकर दिखा दिया। सारे देश की जनता ने भरोसा किया कि यही नेता हिन्दुस्तान को आगे ले जा सकता है। उस नेता ने जब हिन्दुस्तान की बागडोर सम्भाली, तो इसी संसद के अंदर माथा टेककर सेन्ट्रल हॉल में इस सरकार को गरीबों को समर्पित सरकार कहा। आज उसी नेता की अगुवाई में स्ट्रेन्थनिंग की जा रही है। गरीबी कैसे दूर हो, इसके लिए सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जीवन बीमा योजनाएँ, मुद्रा ऋण योजना आदि योजनाओं के माध्यम से यह सरकार टुकड़े फेंकने का काम नहीं कर रही है। यह सरकार गरीबी की जड़ों पर हमला कर रही है ताकि गरीबी दूर हो।

हमारे चौटाला साहब बोल रहे थे कि कुल 38,594 करोड़ रुपये कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 35,984 करोड़ रुपये तो केवल कृषि के लिए दिया है और 20 हजार करोड़ रुपये सिंचाई के लिए दिया गया है, वह भी कृषि से ही संबंधित है। छः हजार करोड़ रुपये भू-जल संवर्धन के लिए दिया गया है, जो आज एक संकट का विषय है, वह भी कृषि से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं,

वह भी कृषि से संबंधित है। 15 हजार करोड़ रुपये ऋण अदायगी के लिए दिये गये हैं, वह भी कृषि से संबंधित है। 87 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए है, वह भी कृषि से जुड़ी है। 850 करोड़ रुपये चार डेयरी योजना, पशुधन राष्ट्रीय योजना आदि के लिए दिये गये हैं, ये सब कृषि से संबंधित हैं। समेकित कृषि पर ध्यान दिया गया है। गांवों में जो 70 पर्सेंट आबादी कृषि पर आधारित है, उनका जीवनस्तर कैसे सुधरे, इसके बारे में हमारी सरकार की ये योजनाएँ हैं। यह एक क्रांतिकारी बजट है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सरकार की, केन्द्र की सरकार की दिक्कतें क्या हैं, मैं उनको कठिनाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। हम राज्यों को राशि भेज रहे हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहाँ चमत्कार हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर सुखद परिस्थितियाँ बना रहे हैं। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में केन्द्र से स्वास्थ्य योजना के तहत राशि भेजी जाती है, लेकिन उस राशि से एम्बुलेंस खरीदकर उसे "समाजवादी एम्बुलेंस" के नाम पर चलाया जा रहा है। केन्द्र के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में वहाँ की सरकार सकारात्मक योगदान नहीं कर रही है। हमें इन कठिनाइयों से पार पाना है।

माननीय खड़गे साहब सदन से चले गये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ।

<u>रात्रि 8.00 बजे</u>

मैं अपने विद्यार्थी जीवन से देख रहा हूं, पूर्वांचल का किसान यह कहते हुए मर गया कि गोरखपुर का हमारा खाद कारखाना खुले। कांग्रेस की कितनी सरकारें आई और गयीं, वहां के लोग मर-खप गए, लेकिन खाद का कारखाना नहीं खुला। आज हमारी सरकार वहां 6000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन वहां होगा, जिसे इन्होंने बन्द किया है, उसे हमारी सरकार आज फिर खोलने जा रही है और पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने जा रही है।

ओवैसी साहब चले गए, वह कह रहे थे कि तमाशा बना रहे हैं। जो खुद अपना तमाशा बनाया हुआ व्यक्ति हो, वह सदन में चीजों को क्या रखेगा। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा...(व्यवधान) मैं इस बजट के समर्थन में हूं। मुझे बहुत से विषय रखने हैं, लेकिन समय बहुत कम है।...(व्यवधान) अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि

सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद, "वन रैंक-वन पेंशन" लागू करने के बाद, इतने वित्तीय बोझ के बावजूद, विश्व की मंदी में भी हमारी सरकार ने आर्थिक समृद्धि का बजट पेश करने का काम किया है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अपने क्षेत्र के बारे में दो बातें रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) मुझे आधा मिनट दीजिए।...(व्यवधान) धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सभा कल, 5 मई 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>रात्रि 8.01 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 मई, 2016 / 15 वैशाख, 1938 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित